30वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

विकास पथ पर अग्रसर

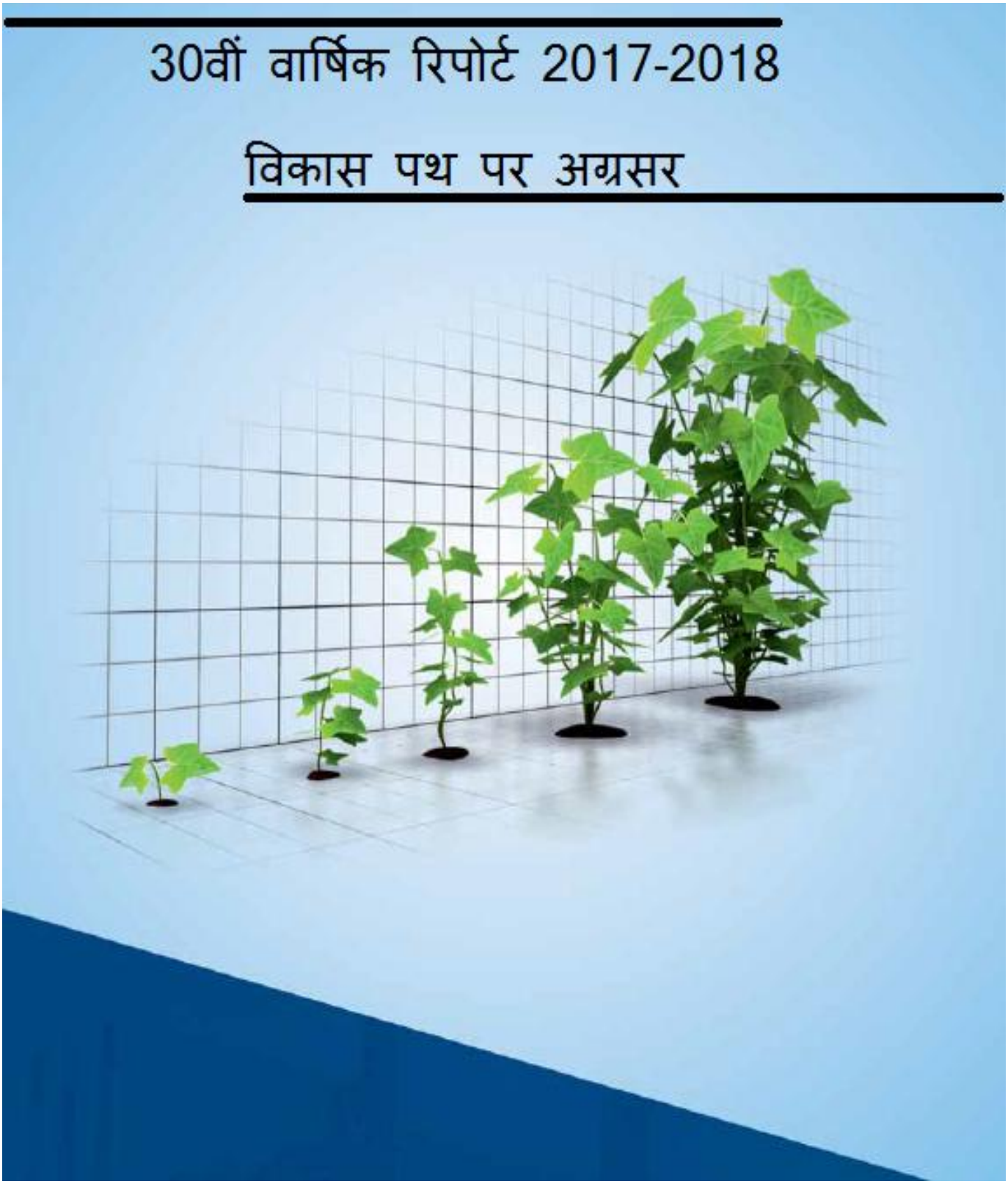

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम एवं ओएनजीसी लि. की सहायक कंपनी)

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी)

CIN : L23209KA1988GOI008959

वेबसाइट : www.mrpl.co.in ईमेल investor@mrpl.co.in

विषय-वस्तु पृष्ठ सं.

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
हितधारकों के लिए अध्यक्ष का संदेश	2
लक्ष्य एवं ध्येय	4
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	9
नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	51
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपार्ट	52
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	58
वार्षिक कारोबार दायित्व रिपोर्ट (एबीआरआर)	76
एकल वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	86
एकल तुलन-पत्र	92
लाभ एवं हानि लेखा का एकल विवरण	93
एकल नकदी प्रवाह विवरण	94
एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	96
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	150
समेकित तुलन-पत्र	158
लाभ एवं हानि लेखा का समेकित विवरण	159
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	160
समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	162
पिछला कार्य-निष्पादन	228

कंपनी सचिव
श्री दिनेश मिश्रा

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक
कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, मंगलूर
मेसर्स श्रीधर, सुरेश ऍण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार, चेन्नई

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं.
लागत लेखाकार, कोलकाता

सचिवीय लेखापरीक्षक
मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नोयडा

पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक संपर्क कक्ष :
मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर,
मार्फत काटिपल्ला
मंगलूरू - 575030, कर्नाटक
दूरभाष सं. .: 0824-2270400 फैक्स सं..: 0824-2273300
ईमेल : investor@mrpl.co.in

निवेशक संपर्क कक्ष:

दिल्ली :
स्कोप कॉम्प्लेक्स
7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003
दूरभाष : 011-24306400 फैक्स: 011-24361744

मुंबई :
मेकर टॉवर्स, ‘ई’ विंग 15वीं मंजिल
कफ परेड, मंबई – 400005
दूरभाष: 022-22173000 फैक्स : 022-22173233

बेंगलुरू
प्लॉट ए-1, केएसएसआईडीसी प्र.का. भवन के सामने, इंडस्ट्रियल एस्टेट
राजाजीनगर, बेंगलूर – 560010 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080-22642200 फैक्स : 080-23505501

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई- 400 083
दूरभाष.: 022-49186270 फैक्स सं.: 022-49186060
ईमेल: mrplirc@linkintime.co.in

निदेशक मंडल

श्री शशि शंकर - अध्यक्ष

 श्री एम. वेंकटेश प्रबंध निदेशक	 श्री ए. के. साहू निदेशक (वित्त)	 श्री विनोद एस. शेणै एचपीसीएल नामिती निदेशक	 श्री सुभाष कुमार ओएनजीसी नामिती निदेशक
 श्री के. एम. महेश सरकारी नामिती निदेशक	 श्री संजय कुमार जैन सरकारी नामिती निदेशक	 डॉ. जी. के. पटेल स्वतंत्र निदेशक	 सुश्री मंजुला सी स्वतंत्र निदेशक
 श्री बलबीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	 श्री सेवा राम स्वतंत्र निदेशक	 श्री वी. पी. हरन स्वतंत्र निदेशक	

हितधारकों के लिए अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारको,

हमारे मूल्यवान हितधारकों के साथ अपने विचार साझा करने और वर्ष 2017-18 के लिए 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है.

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने उत्कृष्ट वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन हासिल किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारा वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन राजस्व में जोरदार वृद्धि तथा रेकॉर्ड निवल लाभ के साथ उत्कृष्ट रहा.

मैं वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त कुछ खास उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो आपके समर्थन के बिना संभव नहीं हो पातीं.

- व्रर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के रू.59,415 करोड़ की तुलना में रु.63,067 करोड़ का कारोबार किया.
- व्रर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्जित रू.3,644 करोड़ के लाभ की तुलना में रु.2;224 करोड़ का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया.
- बोर्ड ने प्रत्येक रू10/- के ईक्विटी शेयर पर रु.3 के लाभांश की सिफारिश की है.
- वित्तीय व्रर्ष 2017-18 के लिए अब तक का सर्वाधिक प्रसंस्कृत सकल क्रूड वित्तीय वर्ष 2016-17 के सर्वाधिक 16.27MMT की तुलना में 16.31 MMT था जो थ्रूपुट में 0.04% की बृद्धि दर्शाता है. यह उच्च कार्य-निष्पादन इष्टतम क्रूड मिश्रण, बेहतर उपकरण विश्वसनीयता, समय पर शटडाउन करने का पालन और उत्कृष्ट प्रचालनीय अनुशासन से संभव हो पायी है.
- वित्तीय वर्ष 7.54 $/bbl कंपनी का सकल परिष्करण मार्जिन (GRM) जबकी वित्तीय व्रर्ष 2016-17 में 7.75 $ /bbl था.
- आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2018 को 659 संचथी दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किये हैं. इसने वर्ष 2017-18 के लिए काम किए गए 8.51 मिलियन श्रम घंटे प्राप्त किए हैं जबकि पिछले वर्ष यह 4.75 मिलियन श्रम घंटे था.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी उत्पादों की कुल देशी बिक्री मात्रा रु. 5940 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ 1786 TMT रहा जो पिछले वर्ष के बिक्री मूल्य `. 5132 करोड़ की तुलना में लगभग 15.7 अधिक है. आपकी कंपनी ने नये भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है और बिक्री मूल्य पिछले वर्ष के रु. 2273 करोड़ के बिक्री मूल्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बड़कर रु.2639 करोड़ रुपये हो गया है.

आपकी कंपनी ने अपने MANGPOL ब्रांड के लिए दक्षिण भारत में पॉलीप्रॉपीलीन में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखी है.

आपकी कंपनी ने कर्नाटक तथा केरल राज्यों में खुदरा आउटलेटों के लिए डीलरों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर अपनी रिटेल विस्तार योजना प्रारंभ कर दी है और नए रिटेल आउटलेटों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है. नए रिटेल आउटलेटों को समयबद्ध रूप में चालू करने के लिए कई चयनित आवेदकों को आशय पत्र जारी किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो नए आउटलेट चालू किए गए.

अत्यधिक कुशल एवं समर्पित कर्मचारियों ने एमआरपीएल को वित्तीय वर्ष 2017-18 में शानदार परिणाम प्राप्त करने में सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वे कंपनी के सपनों को साकार बनाने में कर्णधार बने हुए हैं अर्थात् "उत्पादकता, ग्राहक संतुष्टि, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए एक विश्वस्तरीय तेलशोधन एवं पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाना."

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारी संबंधों को हमेशा ही उच्च महत्व दिया है और सभी कर्मचारियों के साथ उसके संबंध हार्दिक एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं. कंपनी को यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि वर्ष 2017-18 में किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

आपकी कंपनी उत्कृष्ट उद्योग पद्धतियों को अपनाते हुए अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और रिफाइनरी में आने वाले अन्य सभी आगंतुकों को काम करने का स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है. रिफाइनरी में स्वांस्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण से जुड़े जोखिमों को निरंतर कम करने के लिए सुदृढ़ प्रणालियां एवं मानक तैयार किए गये हैं.

सुरक्षा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग और एमआरपीएल की मूल रणनीति का स्तंभ है. लोगों, प्रक्रियाओं ओर आस्तियों की सुरक्षा करने के लिए रिफाइनरी में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं. आपकी कंपनी प्रकृति के सामंजस्य में पेट्रोलियम शोधन में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उत्पाद पोर्टफोलियो में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, पर्यावरण अनुकूल ग्रेड शामिल है और प्रसंस्करण पर्यावरण अनुकूल माहौल में और सुरक्षित वातावरण में सुदृढ और दक्ष प्रौद्योगिकियों के सहारे किया जाता है. कच्चामाल, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का दक्षता से उपयोग करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए हैं. आपकी कंपनी ने ताजा पानी का अंतर्ग्रहण कम करके, संसाधित बहि:स्राव के पुन:चक्रण को अधिकतम करके और सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुन: दोहराया है. आपकी कंपनी ने गुणवत्ता तथा पर्यावरण की समुत्थानशील प्रबंधन प्रणाली प्रदर्शित की है और इस प्रकार आईएसओ 2015 मानक प्रमाणित हो गयी और संशोधित आईएसओ मानकों का पालन करने के लिए भारतीय तेल एवं गैस समूह में एक अग्रवर्ती (पॉयनियर) बन गयी है.

पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के एक भाग के रूप में एमआरपीएल मंगलूर के नागरिकों के लिए साइकिलोथन, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता और बीज वितरण जैसे कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं.

आपकी कंपनी का यह विश्वास है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने और सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले कारोबारी घराने में लंबे समय तक अपनी पैठ जमा सकते हैं. एक अर्थ में यह भविष्य की तैयारी के लिए बुनियादी ढांचा है. एमआरपीएल पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी संभालते हुए अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करता है. आपकी रिफाइनरी में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने और रिफाइनरी प्रचालनों में ऊर्जा का अधिक दक्षता से उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाता है.

वर्ष 2017-18 के दौरान एमआरपीएल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च किए गए रु. 1.45 करोड़ की तुलना में विभिन्न सामुदायिक विकास पहलों के प्रति ₹ 10.30 करोड़ का योगदान दिया है. आपकी कंपनी ने ग्राम्य रूपांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है और ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे इसके प्रचालन क्षेत्र के आप-पास के समुदायों को फायदा पहुंचता है और एक कालावधि में स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. एमआरपीएल ऐसे सीएसआर पहल-कार्यों पर फोकस करता है जिससे एमआरपीएल के लिए सामाजिक सुनाम बढे और एक कॉरपोरेट संस्था के रूप में कंपनी की समारात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी वाली छबि को प्रबलित करने में सहायता मिलती है. एमआरपीएल अस्पताल की सेवाएं न केवल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध हैं, बल्कि आस-पास के गांवों के लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं.

मैं निदेशक मंडल को उनकी विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं. बोर्ड की ओर से मैं अपने सभी हितधारकों को उनके सतत् समर्थन, सहयोग, विकास और भरोसे के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं

(शशि शंकर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/07/2018

प्रमुख विशेषताएं

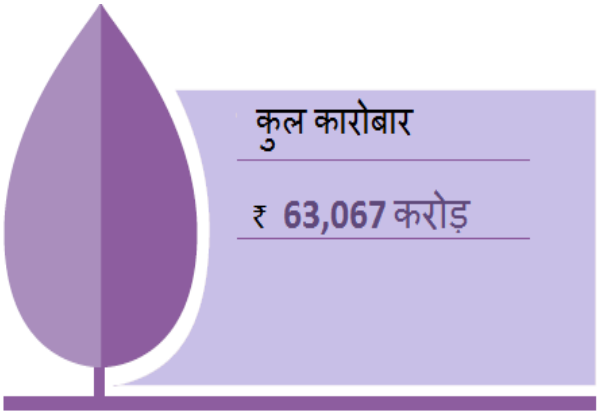

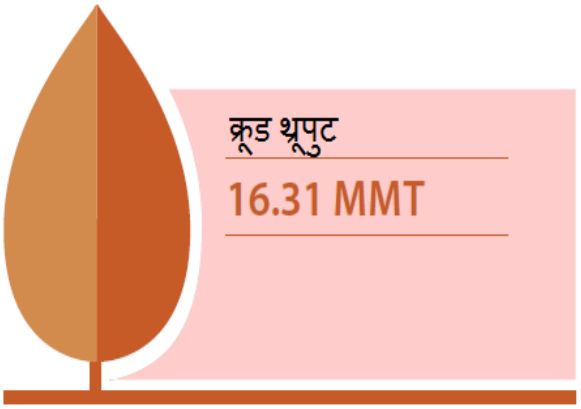

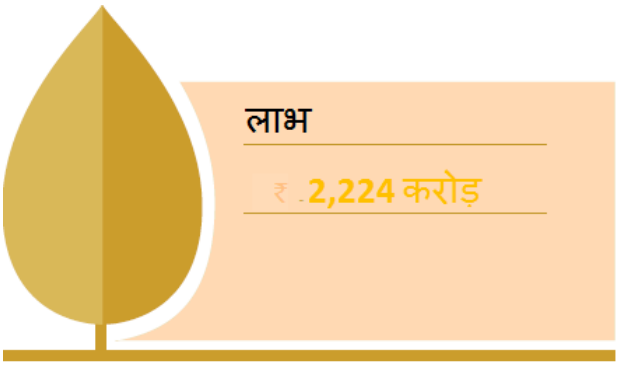

विज़न एवं मिशन

विज़न	मिशन
उत्पादकता, ग्राहक संतुष्टि, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और कर्मचारियों की देखभाल पर अधिक बल देते हुए एक विश्वस्तरीय तेलशोधन एवं पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाना	• ऊर्जा संरक्षण, दक्षता, उत्पादकता और नवोन्मेषण में अग्रता बनाए रखना. • देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाना. • ग्राहकों की अपेक्षाओं को उनकी संतुष्टि तक पूरी करने की दिशा में भरपूर कोशिश करना. • सामुदायिक कल्याण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों में वैश्विक मानक बनाए रखना. • कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारी संबंधों पर निरंतर विशेष ध्यान देना. • व्यावसायिक नीति ओर मूल्यों में सर्वोच्च मानक स्थापित करना.

OVL EQUITY CRUDE के पहले पॉर्सल की प्राप्ति

कृत्रिम अंग शिविर

कृत्रिम अंग शिविर

चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

एमआरपीएल में जीएसटी लोकसंपर्क कार्यक्रम

ISPRL CAVERN मंगलूर में ADNOC क्रूड की प्राप्ति

एमआरपीएल रिफाइनरी में सौर बिजली सयंत्र

मंगलूर में रिटेल आउटलेट का उद्घाटन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2017-18

प्रिय सदस्यो,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रमुख विशेषताओं, कार्यकलापों और प्रगति को आपके साथ साझा करने और मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के व्यवसाय एवं प्रचालन के बारे में तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखों पर टिप्पणियों सहित उसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है. आप यह जानकर खुशी से झूम उठेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 आपकी कंपनी के लिए उपलब्धियों से भरा एक और वर्ष साबित हुआ है. कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 16.31 MMT का थ्रूपुट हासिल किया है.

कंपनी के कामकाज की स्थिति

आपका बोर्ड वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के कामकाज की स्थिति के बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट कर रहा है.

वित्तीय कार्य-निष्पादन

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एकल / समेकित वित्तीय निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं का सारांश यहां नीचे दिया गया है.

रुपये करोड़ में

	एकल		समेकित	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	**समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017**	**समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018**	**समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017**
कर पूर्व लाभ	**3,350.70**	**5,531.41**	**2,871.40**	**5,053.85**
घटाएं : चालू कर	698.86	1,185.38	698.86	1,185.38
आस्थगित कर	427.72	702.35	398.98	575.26
वर्ष का लाभ्	**2,224.12**	**3,643.68**	**1,773.56**	**3,293.21**
जोड़ें : अन्य व्यापक आय	3.32	(5.03)	3.51	(4.90)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	2,227.44	3,638.65	1,777.07	3,288.31
घटाएं : गैर-नियंत्रण हित से स्रोतजन्य कुल व्यापक आय			(218.95)	(179.55)
कंपनी के स्वामियों से स्रोतजन्य कुल व्यापक आय	2,227.44	3,638.65	1,996.02	3,467.86
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखे में शेष (समायोजित)	6,571.69	4,198.67	6,005.70	3,803.47
उप-योग	8,799.13	7,837.32	8,001.72	7,271.33
विनियोजन				
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	-	-	-	-
लाभांश पर कर	-	-	-	-
अंतिम शेष (अन्य व्यापक आय सहित)	**8,799.13**	**7,837.32**	**8,001.72**	**7,271.33**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के रू.59,475 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रू.63,067 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित रू.3,644 करोड़ के लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.2,224 करोड़ का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया. सकल परिष्करण मार्जिन (जीआरएम) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 7.75 $/bbl की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 7.54 $/bbl था.

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2017-18 आपकी कंपनी के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है. वर्ष 2017-18 की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के 16.27 MMT के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 16.31 MMT का कुल कच्चा तेल संसाधित किया गया जो थ्रूपुट में 0.25% की वृद्धि दर्शाता है.
- कंपनी का पॉलीप्रॉपीलीन उत्पादन 2016-17 के 264 TMT के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 294.5 TMT था. कंपनी का पॉलीप्रॉपीलीन प्रेषण वित्तीय वर्ष 2016-17 के 263.6 TMT के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 278.16 TMT था.
- कंपनी का एलपीजी उत्पादन तथा वितरण गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रमश: 857.9 TMT और 855.9 TMT के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमश: 876.8 TMT और 873.08 TMT था.
- कंपनी ने गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1219 TMT के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1374.9 TMT का MS उत्पादन हासिल किया.

आपकी कंपनी ने क्रूड की प्राप्ति को विविधीकृत करने के उद्देश्य से प्रसंस्करण समूह में क्रूड के नये-नये ग्रेडों को शामिल करना जारी रखा. ईजिप्ट से कारून ब्लेंड और संयुक्त राज्य से सदर्न ग्रीन केन्यान रिफाइनरी में पहली बार संसाधित किए गए. इसी प्रकार, नये बाजार स्थापित करने के प्रयास भी फलदायी रहे जब एमआरपीएल ने लगभग 7500 टन प्रालीप्रॉपीलीन का निर्यात किया.

ऊर्जा मोर्चे पर, ऊर्जा के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से ऊर्जा सूचकांक MBN 2016-17 में 79.61 से घटकर 2017-18 में 77.06 हो

गया जो 2.5 प्रतिशत का सुधार दर्शाता है. मार्च 2018 में चालू की गई भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थल आधारित सौर विद्युत परियोजना जैसी नई पहलकदमियों से ऊर्जा दक्षता में और सुधार होने की आशा है.

विपणन और कारोबार विकास

आपकी कंपनी ने कर्नाटक राज्य और उसके आप-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की सीधी बिक्री खंड में अपना प्रमुख बाजार हिस्सा बनाए रखा है. आपकी कंपनी ने बिटूमेन, ईंधन तेल, डीजल, सल्फर, पेट कोक, जॉइलोल (जाइलीन) आदि की सीधी बिक्री में लिए विपणन क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखी है. कंपनी ने इस अवधि के दौरान नये रेलवे उपभोक्ता डिपो को डीजल की सीधे आपूर्ति शुरू कर दी है और अपने खुदरा नेटवर्क को भी विस्तारित किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी उत्पादों की कुल देशी बिक्री मात्रा रु. 5940 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ 1786 TMT रही जो विगत वर्ष के रु. 5132 करोड़ की कुल बिक्री की तुलना में लगभग 15.7% अधिक है.
आपकी कंपनी ने नये तथा उत्कृष्ट श्रेणी की शुरुआत से पॉलीप्रॉपीलीन के लिए अपना बाजार हिस्सा बढ़ाना जारी रखा है. कंपनी ने नए भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ायी है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपना बिक्री मूल्य गत वित्तीय वर्ष रु.2273 करोड़ की तुलना में रु. 2639 करोड़ तक बढ़ायी है. कंपनी ने अपने MANGPOL ब्रांड के लिए दक्षिण भारत के प्रॉलीप्रॉपीलीन बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रखी है.

आपकी कंपनी ने 809 TMT की बिक्री मात्रा के साथ सतत् आधार पर पेटकोक के अपने संपूर्ण उत्पादन का सफलतापूर्वक विपणन भी किया है. आपकी कंपनी ने अपने विपणन क्षेत्र में लगभग 103 TMT सल्फर भी बेचा है और अतिरिक्त सल्फर बड़े पार्सल आकार में निर्यात किया जा रहा है.
आपकी कंपनी ने एमआरपीएल के साथ लम्बे समय से आपूर्ति संविदा से जुड़े रहे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मॉरिशस को समय पर आपूर्तियां जारी रखीं. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.3347 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ एसटीसी, मॉरिशस को 1085 TMT पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की.

आपकी कंपनी शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. ने भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की बिक्री के लिए स्थाई तौर पर कारोबार प्राप्त किया है. कंपनी ने गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु.554.29 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 543.29 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया है.

आपकी कंपनी ने कर्नाटक तथा केरल राज्यों में खुदरा आउटलेटों के लिए डीलरों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर अपनी रिटेल विस्तार योजना प्रारंभ कर दी है और नए रिटेल आउटलेटों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है. नए रिटेल आउटलेटों को समयबद्ध रूप में चालू करने के लिए कई चयनित आवेदकों को आशय पत्र जारी किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो नए आउटलेट चालू किए गए.

सम्मान एवं पुरस्कार

- शिक्षण एवं विकास के जरिए कारोबार उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बीएमएल मुंजल अवॉर्ड से नवाज़ा गया. इसने पीएसयू-विनिर्माण श्रेणी में रनर-अप ट्रॉफी हासिल की.
- वर्ष 2017 के लिए इंडिया ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज (IGMC) के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण अनुसंधान संस्थान (IRIM) द्वारा रजत पदक द्वारा सम्मानित.
- सैब समूह की 'गवर्नेंस नाउ' प्रत्रिका द्वारा आयोजित 5वें पीएसयू अवॉर्ड समारोह में कर्मचारी उत्पादकता श्रेणी के अंतर्गत अवॉर्ड से सम्मानित.
- एमआरपीएल द्वारा प्रदान की उत्कृष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में, आपूर्तिकर्ता श्रेणी में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. (RCFL) ने परफॉर्मेंस अवार्ड 2017 से सम्मानित किया. एमआरपीएल द्वारा उत्कृष्ट सहायता और समय पर आपूर्ति से आरसीएफएल, ट्राम्बे इकाई को वर्ष 2017 में प्रचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता मिली.
- नई दिल्ली में पृथ्वी दिवस - 22 अप्रैल 2018 के अवसर पर विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सृष्टि -गुड ग्रीन गवर्नेंस (G-Cube) विजेता ट्रॉफी हासिल किया.
- 18वें वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2018 में प्लेटिनम ट्रॉफी से सम्मानित.

एमएसईएस से माल एवं सेवाओं की खरीद

वर्ष 2017-18 के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप निर्दिष्ट किए गए 20% के लक्ष्य के मुकाबले आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से माल एवं सेवाओं की 27% खरीद का लक्ष्य हासिल किया है.

परियोजनाएं

मौजूदा परियोजनाएं

बीएस VI उन्नयन

मोटर वाहन ईंधन नीति और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, समग्र देश को MS और HSD के मामले में 01/04/2020 तक BS VI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश की ओर कदम बढ़ाना होगा. रिफाइनरियों को अपने उत्पाद 01/01/2020 से BSVI संबंधी गुणवत्ता विनिर्देश के अनुरूप करने होंगे. इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक रुपांतरण एवं निर्माण गतिविधियां पूरी करें और जुलाई 2019 तक यांत्रिक कार्य पूरा करते हुए तेल विपणन कंपनियों को 01/01/2020 से अपने उत्पाद बेचना शुरू करें. एमआरपीएल को HSD के मामले में MS और पुनर्योजन करने / उत्प्रेरक में परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त यूनिटोंकी जरूरत पड़ेगी. इस परियोजना के एक भाग के तौर पर नई FCC गैसोलीन अभिक्रिया सुविधा, गंधक रिकवरी यूनिट, नाइट्रोजन उपयोगिताएं शूर की जा रही हैं और CHTU तथा DHDT का पुनर्योजन किया जा रहा है.
एक्सेन्स, ईआईएल, यूओपी विभिन्न इकाइयों के लिए लाइसेंसदाता है और ईआईएल को इस कार्य के लिए EPCM परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है. परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो गयी है. लंबी अग्रता वाली सभी मदों के लिए ऑर्डर दे दिया गया है. शेष मदों के लिए ऑर्डर और स्थल ग्रेडिंग कार्य प्रगति पर है. परियोजना वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही तक पूरी होने वाली है.

सीसीआर2 इकाई का पुनरुज्जीवन

एमआरपीएल के पास वर्तमान में एनएचटी/ प्लेट फॉर्मर की दो इकाइयां हैं. दोनों इकाइयों की क्षमता एक समान है और इनके लिए मेसर्स यूओपी से लाइसेंस प्राप्त किया गया है. इकाई के लिए फीडस्टॉक क्रूड आसवन इकाइयों तथा

हाइड्रोक्रैकर इकाइयों से भारी नैफ्था है. इकाई का उद्देश्य है कम ऑक्टेन अंश युक्त भारी नैफ्था का अधिक ऑक्टेन अंश युक्त रीफॉर्मेट में उन्नयन करना. मौजूदा सीसीआर 2 इकाई को पुनरुज्जीवन किया जा रहा है ताकि अधिक मात्रा में एमएस का उत्पादन करने वाले रीफॉर्मेट का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके.

यूओपी लाइसेंसदाता है और मेसर्स एल एंड टी, चियोदा को परियोजना के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता नियुक्त किया गया है.

परियोजना का पूर्णता समय पर्यावरण मंजूरी सहित सभी अनुमोदनों के प्राप्त होने की तारीख से 26 महीने है (यांत्रिक पूर्णता के लिए 23 महीने और कमीशनिंग-पूर्व तथा कमीशनिंग कार्यकलापों के लिए 3 महीने).

इंजीनियरिंग तथा प्रापण कार्य पूरा हो गया है. सभी उपकरणों के लिए ऑर्डर देने और निविदा मंगवाने का कार्य पूरा हो गया है. परियोजना का निष्पादन कार्य चल रहा है और इसके सितंबर 2018 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है.

पेट कोक के लिए रेलवे साइडिंग

रेलवे वैगनों में प्रेषण करने से परिवहन की सुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, प्रतिस्पर्धी बाजारों में एमआरपीएल के उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे और एमआरपीएल की वाणिज्यिक प्राप्ति में सुधार होगा. पेट कोक को आसानी से खाली करने के लिए अत्याधुनिक रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य मेसर्स कोंकण रेलवे की मदद से किया जा रहा है. रेलवे साइडिंग का क्रियान्वयन मेसर्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि. द्वारा किया जाएगा और तीव्र भराई प्रणाली, मापका साधनों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि के साथ क्लोज्ड कन्वेयर सिस्टम, लोडिंग सीलो सहित परियोजना के शेष संयंत्र का क्रियान्वयन करने के लिए मेसर्स मेकॉन को ईपीसीएम परामर्शदाता नियुक्त किया गया है.

रेलवे साइडिंग के लिए, डिपॉजिट मोड पर कोंकण रेलवे (केआरसीएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं. सभी ऑर्डर और ठेके दे दिए गए हैं. कार्य का निष्पादन प्रगति पर है. परियोजना 2021 तक चालू हो जाने की उम्मीद है.

2जी एथनॉल

कंपनी एक 2जी एथर्नाल परियोजना भी स्थापित कर रही है. उसके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और उसे केआईएडीबी के माध्यम से अर्जित किया जा रहा है. प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंसदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है. परियोजना 2021 तक चालू हो जाने की उम्मीद है.

विलवणन संयंत्र

जल के एकमात्र साधन के रूप में नदी जल का जोखिम कम करने के लिए जल के वैकल्पिक स्रोतके रूप में विलवणन संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है. इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30 एमएलडी पानी है जिसे 70 एमएलडी तक बढ़ाया जा सकता है और यह कंपनी की तात्कालिक तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करेगा. परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमोदन मिल गया है. पीएमसी का ऑर्डर दे दिया गया है और एलएसटीके दिया जा रहा है. परियोजना 2020 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है.

उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

एमआरपीएल ने कारोबारी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में कई पहल-कार्य किये हैं. सभी प्रमुख कारोबारी प्रक्रमों के लिए वर्ष 2010 में SAP (डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रणाली एवं अनुप्रयोग उत्पाद) का कार्यान्वयन किया गया. इन SAP अनुप्रयोगों को चलाने के लिए मंगलूर साइट पर एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर काम कर रहा है जो चौबीसों घंटे व्यावसायिक प्रचालन को सपोर्ट करता है.

जीएसटी, माल एवं सेवाओं की बिक्री पर एक अप्रत्यक्ष कर, को 1 जुलाई 2017 को एमआरपीएल में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया. वर्ष 2018 में SAP ECC से SAP HANA (उच्च कार्य-निष्पादन विश्लेषण अनुप्रयोग) में अंतरण की योजना है. यह एक ऐसा अनुप्रयोग है जो अंत:स्मृति डेटाबेस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जो अल्प काल में भारी मात्रा में तात्कालिक डेटा की प्रोसेसिंग करता है.

डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने पर काफी जोर देते हुए एमआरपीएल ने कागजरहित ई-ऑफिस सिस्टम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. यह सिस्टम एक डिजिटल कार्यस्थल समाधान है जो फाइलों तथा दस्तावेजों के मौजूदा मैनुअल संचालन को पारदर्शिता, दक्षता और कागजरहित कार्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्षम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से प्रतिस्थापित करता है. एक प्रत्यायित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का एक उन्नत और सुरक्षित तरीका, SAP प्रणाली के माध्यम से जनरेट किए गए बिक्री बीजकों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है.

एमआरपीएल किसी प्रकार के साइबर खतरे की चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा का लगातार उन्नयन करता रहा है. इसके एक भाग के रूप में एमआरपीएल अपने सैप डेटा सेंटर और आपदा बहाली केन्द्र के लिए आईएसओ-27001:2013 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है.

सचिवीय मानक

सचिवीय लेखापरीक्षक ने प्रमाणित किया है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्रमश: 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'महासभा बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों अर्थात एसएस-1 और एसएस-2 का पालन किया है.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन

एचएसई पर कंपनी की नीति कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना है. पर्यावरण प्रबंधन के मोर्चे पर प्रमुख उपलब्धियों इस प्रकार रहीं :

अ) पर्यावरण

- एमआरपीएल, मंगलूर में प्रस्तावित BS-VI (चरण-1) वाहन ईंधन गुणवत्ता अनुपालन एवं संबद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण संबंधी अनुमोदन प्राप्त किया गया.
- कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर विशेष ध्यान के साथ संधारणीय विकास के प्रति एमआरपीएल की वचनबद्धता के एक भाग के रूप में, रिफाइनरी परिसर में 34 ऊपरी छतों पर फैली कुल 6.06MWp क्षमता के साथ रिफाइनरी स्थान में एक बड़ी सौर बिजली परियोजना स्थापित की गई है.
- GHG लेखांकन ओर कार्बन तटस्थता के लिए रोडमैप प्राप्त करने के लिए मेसर्स इमर्जेंट वेंचर्स द्वारा रिफाइनरी में कार्बन फूट प्रिंटिंग (CFP) अध्ययन किया गया.

- मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा शून्य द्रव निस्सवरण (ZLD) संकल्पना के लिए संभाव्यता अध्ययन किया गया.
- क्षतिपूरक वानिकी के एक भाग के रूप में पिलिकुला जैविक पार्क में 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि में हरित पट्टी के विकास के लिए मेसर्स पिलिकुला निसर्ग धाम के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. कुल परियोजना दो चरणों में 50 एकड़ भूमि में फैली है. पहला चरण अर्थात् 20 एकड़ में वनरोपण पूरा हो गया है और 30 एकड़ में दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है.
- खतरनाक तथा गैर-खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सह-प्रसंस्करण, पुन: चक्रण और पुन:प्रसंस्करण के जरिए अधिकाधिक उपयोग करने के प्रयास किए गए.
- 1500 MT तैलीय पंक, 110 MT भुक्तशेष अवशोषक तथा 43 MT अपशिष्ट इंन्सुलेशन करे SPCB प्राधिकृत सीमेंट उद्योग में सह-प्रसंस्कृत किया गया.
- SPCB प्राधिकृत पुन:चक्रणकर्ताओं / पुन:प्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से 764 MT भुक्तशेष उत्प्रेरक का निपटान किया गया.
- वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान एमआरपीएल में 35,33,006 m^3 तृतीयक नगरपालिका सीवेज पानी प्राप्त हुआ और उचित विसंक्रमण अभिक्रिया के बाद उसे मेक-अप पानी के रूप में कूलिंग टॉवर में ले जाया गया.
- कार्य क्षेत्र में वायु वाहित रसायनों के असर का आकलन करने के लिए मेसर्स शिवा एनालिटिकल्स, बंगलूरू द्वारा रिफाइनरी में कार्य वातावरण की निगरानी किया गया.

) सुरक्षा

- सिंगल मूरिंग प्वॉइंट (SPM) और संबद्ध सुविधाओं की बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा (ESA) अक्तूबर 2017 के दौरान ओआईएसडी द्वारा की गई.
- रिफाइनरी में सात स्थानो पर सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क (STK) लगाए तथा चालू किए गये.
- एमआरपीएल को प्रमाणनकर्ता एजेंसी मेसर्स व्यूरो वेरीटास द्वारा OHSAS प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया.
- यथा 31/03/2018 को घायल होने पर समय नष्ट किए बिना (RLTI) 659 दिनों तक काम किया गया.
- यथा 31/03/2018 को 8.51 मिलियन श्रम घंटे कार्य किया गया.
- ठेके पर कार्यरत श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को अग्नि एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

इ) स्वास्थ्य

- कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नियमों और कर्नाटक कारखाना नियमों के अनुरूप कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच तीन श्रेणियों में की गई. एक 40 वर्ष से कम आयु, दूसरी श्रेणी 40 से 45 वर्ष के बीच आयु समूह और तीसरी श्रेणी 45 वर्ष से ऊपर की आयु. अलग-अलग समूहों को अलग-अलग चिकित्सीय जांच जैसे ट्रेड मिल जांच आदि करानी पड़ती है. उच्च शोर वाले क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए श्रवण हानि परीक्षण भी किया जाता है. फेफड़ा क्रिया परीक्षण, वर्णांधता परीक्षण, रक्त जांच आदि कुछ सामान्य चिकित्सीय जांच हैं जो कर्मचारियों के लिए किया जाता है.
- चौबीसों घंटे चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता के साथ दो व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं.
- एमआरपीएल अस्तपाल की सेवाएं न केवल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बल्कि आस-पास के गांवों के लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं.
- मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, मुंबई द्वारा 15/11/2017 से 18/11/2017 के दौरान व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा रूपरेखा अध्ययन किया गया.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

एमआरपीएल द्वारा सामाजिक कल्याण तथा सामुदायिक विकास की ओर पहल करते समय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अपने प्रचालन क्षेत्रों के आस-पास / दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले / कर्नाटक राज्य में बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. ये परियोजनाएं काफी हद तक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हैं.

एमआरपीएल ने वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 10.30 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.45 करोड़) खर्च किए. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुसरण करते हुए सीएसआर संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में 'अनुबंध-क' के रूप में दी गई है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की CSR/SD नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

एमआरपीएल सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य संगठन में सभी स्तरों पर वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना और अपने सभी हितधारकों के हितों को महत्व देते हुए कारोबार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से संधारीणीय तरीके से प्रचालित करना है.

कंपनी ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है :

शिक्षा संरक्षण :

ऐसे कार्यकलाप जो विशेषकर आंगनवाड़ी, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देते हैं.

आरोग्य संरक्षण :

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाकर स्वास्थ्य देखभाल.

बहुजन संरक्षण :

हमारे प्रचालनगत क्षेत्रों के आस-पास सामुदायिक हॉलों के लिए बुनियादी सहायता, महिला सशक्तिकरण, कन्या शिशु विकास, लिंग संवेदनशील परियोजनाएं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पहल कार्य, अजा / अजजा समुदायों के लिए पहल और एमआरपीएल पुनर्वास कॉलोनी

में पीडीएफ समुदायों के समर्थन में आपदा प्रबंधन कार्यकलापों में 'तैयारी एवं क्षमता निर्माण'.

प्रकृति संरक्षण :

पड़ोसी गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बुनियादी सहायता प्रदान करना.

संस्कृति संरक्षण :

स्थानीय ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक शिलालेखों, विरासत स्थलों आदि का संरक्षण. स्थानीय विरासत, कला और संस्कृति के परिरक्षण के लिए स्थानीय शिल्पियों, दस्तकारों, संगीतकारो, कलाकारों और उनकी कलाकृतियों आदि का संरक्षण.

सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाईट http://www.mrpl.co.in/csr पर देखी जा सकती है.

संधारणीय विकास और कार्य-निष्पादन

विगत वर्ष में आपकी कंपनी का संधारणीयता दृष्टिकोण कारोबार के निष्पादन के लिए और एक पारिस्थितिकी अनुकूल अग्रता तथा कार्य-निष्पादन मानदंड का एक संरचित फलक प्राप्त करने के लिए परिकल्पित था. आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-16 में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल रिफाइनरियों में उच्चतम क्षमता उपयोग प्राप्त करके मूल कारोबार में एक प्रभावशाली कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है. इसके अलावा, मूल कारोबार उत्कृष्टता प्राप्त करने में संधारणीय दृष्टिकोण में प्राप्त सुधार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2017-18 का सारतत्व है.

आपकी कंपनी ने परिष्करण प्रचालनों का कार्बन पद चिह्न प्राप्त कर लिया है और रिफाइनरी के कार्बन घनत्व में सुधार लाने के लिए और इस प्रकार संभावित मात्रा तक ग्लोबल वार्मिंग जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार की है. आपकी कंपनी ने भारत में रिफाइनरी स्थान में 6.063 MWp की कुल क्षमता की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना चालू की है. कुल 6.063 MWp क्षमता के साथ सौर बिजली परियोजना आरसीसी तथा ढालू शीट स्टील छतों को मिलाते हुए रिफाइनरी परिसर के भीतर 34 छतों पर फैली है. मेसर्स टाटा पावर सोलार सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा रु. 27 करोड़ की लागत पर निर्मित ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्रति दिन 24,000 यूनिट से अधिक बिजली पैदा करते हैं जो प्रति वर्ष 8.8 मिलियन यूनिट से अधिक होता है.

आपकी कंपनी ने मीठे पानी के अंतर्ग्रहण को कम करके, संसाधित बहि:स्राव के पुन:चक्रण को अधिकाधिक करके और सल्फर आक्साइउ के उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाया है.

आपकी कंपनी ने ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम करना, पुन:प्रयोग करना और पुन:चक्रित करना (3आर) पदानुक्रम को कार्यान्वित किया है. इसने बहि:स्राव उत्पत्ति को कम करके, मंगलूर नगर महापालिका मदजल का उपयोग करके और संसाधित बहि:स्राव पुन:चक्रण को बढ़ाकर जल निकायों से मीठे पानी पर निर्भरता को कम करने की रणनीति अपनायी है. जब खतरनाक तथा अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन की बात आती है, आपकी कंपनी भूमि भराव करने के लिए शून्य अपशिष्ट निपटान प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है. इस बात पर हमें गर्व है कि वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान हमने भूमि-भराव सुविधा के लिए शून्य निपटान प्राप्त किया. संसाधन बहाली तथा पुन:चक्रण के लिए स्व-स्थाने तथा बाह्य-स्थाने पुन:उत्पत्ति जैसी प्रकियाओं के समूहन, आंतरिक उपयोग (पुन: प्रसंस्करण), सीमेंट भट्ठी सह-प्रसंस्करण से हमारे प्रयासों में सहायता मिली है.

आपकी कंपनी ने अपने ऊर्जा घनत्व में सुधार लाया है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के 79.61 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 77.06 की माध्य बैरल संख्या दर्ज की है. आपकी कंपनी ने मूल्यवान हाइड्रोकार्बन के प्रज्वलन से बचाने के लिए प्रज्वलन गैस रिकवरी सिस्टम (एफजीआरएस) कार्यान्वित की है. एफजीआरएस प्रज्वलन शोर, थर्मल विकिरण, प्रयालन एवं रखरखाव लागत, वायु प्रदूषण तथा उत्सर्जन, ईंधन गैस तथा वाष्प उपभोग को कम करता है और साथ ही मौजूदा सुरक्षा राहत प्रणाली पर किसी प्रभाव के बिना प्रक्रम स्थिरता तथा प्रज्वलन टिप जीवन को बढाता है.

आपकी कंपनी ने मंगलूर महानगरपालिका में संधारणीय जीवन शैली को समर्थन देने के लिए मंगलूर के नागरिकों के लिए साइक्लोथन जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं.

एमआरपीएल ने महा नगरपालिका मदजल को संसाधित करने के लिए रु. 10.30 करोड़ की लागत पर 3.4 MGD क्षमता का एक अतिरिक्त RO संस्थापित किया है. इसने महानगरपालिका मदजल से अतिरिक्त DM संयंत्र फीड (2.74 MGD अर्थात् 3.4 MGD का 80%) निष्कर्षित करने के लिए नये अवसर खोल दिये है जिसका उपयोग अन्यथा कूलिंग टॉवर तथा अग्निजल पूरा करने के लिए किया जाता था. बदले में इससे एमआरपीएल को नदी के मीठे पानी को पुन:चक्रित पानी से प्रतिस्थापित करने में सहायता मिलेगी. अप्रैल 2018 में चालू किए गए इस आरओ संयंत्र ने अभी तक 3,74,125 m^3 नगरपालिका मदजल को संसाधित किया है और 2,79,130 m^3 परमिट्स का उत्पादन किया है.

इसके अलावा, समुद्र में शून्य बहि:स्राव निस्सरण प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ (मानसून को छोड़कर), एमआरपीएल ने रु;339 करोड़ की पूंजीगत व्यय आवश्यकता के साथ 400m3/h क्षमता की एक महत्वाकांक्षी ZLD परियोजना हाथ में ली है. परियोजना के लिए संभाव्यता अध्ययन मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा पूरा कर लिया गया है. ZLD संयंत्र के कार्यान्वयन के बाद एमआरपीएल के मीठे पानी की आवश्यकता में 15% की कमी आने की उम्मीद है.

मीठे पानी पर निर्भरता को कम करने और भावी विस्तार के लिए लचीलेपन के साथ एमआरपीएल को समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि नव मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा मुहैया करायी गई 15 एकड़ भूमि पर रु. 595 करोड़ (रु.44.5 करोड़ के आईडीसी के साथ रु. 550.4 करोड़) की लागत पर एमआरपीएल द्वारा 13 MGD क्षमता का एक रिवर्स ओस्मोसिस आधारित विलवणन सयंत्र स्थापित किया जाए. इसमें से लगभग 2 MGD पानी हमारे पडोसी मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लि. को आपूर्ति किया जाएगा और इस प्रकार मंगलूर क्षेत्र में तथा उसके आस-पास संधारणीय प्रयासों में सहायता मिलेगी.

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता तथा पर्यावरण की एक समुत्थानशील प्रबंधन प्रणाली प्रदर्शित की है और इस प्रकार इसे आईएसओ 2015 के लिए प्रमाणित किया गया है और संशोधित आईएसओ मानकों का पालन करने में भारतीय तेल एवं गैस समुदाय में एक पायनियर बन गयी है.

आपकी कंपनी ने परिसर के आस-पास हरियाली को अपना प्रारंभिक समर्थन दोहराया है और पहले के 20 एकड़ के अलावा 30 एकड अतिरिक्त भूमि में पिलिकुला निसर्ग धाम में वृक्षारोपण के दूसरे चरण को प्रायोजित किया है और इस प्रकार 50 एकड़ के रकबे को पश्चिम घाट की देशी प्रजातियों से पुष्पित-पल्लवित किया है. आपकी कंपनी ने कंपनी के भौगोलिक क्षेत्र में स्कूलों तथा कॉलेजों में 'सीड बॉल' की नई पुन:वानिकी तकनीक के बारे में जागरूकता फैलायी है.

दीर्घकालिक संधारणीय प्रयासों को आरंभ करने के आपके कंपनी के प्रयासों को तेल एवं गैस क्षेत्र में विजेता के रूप में ग्रीनटेक अवॉर्ड, भारत हरित विनिर्माण

चुनौती रजत पदक और सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस (जी3) अवॉर्ड की प्राप्ति के रूप में सराहना मिली है.

सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों /सहयोगी कंपनियों का कार्य-निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति

सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों /सहयोगी कंपनियों का कार्य-निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरे प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट में दिए गए हैं. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए सहायक और संयुक्त उद्यमों के निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण समेकित वित्तीय विवरण के अनुबंध के रूप में दिए गये हैं.

सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का निर्धारण करने के लिए नीति बनायी है जिसे कंपनी की वेबसाईट पर देखा जा सकता है.

आपकी कंपनी के पास एकमात्र सहायक कंपनी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) है. महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नीति के अनुसार OMPL कंपनी की महत्वपूण्र सहायक कंपनी नहीं है.

सहायक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियोंने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और '' सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश'' के बारे में Ind AS -28 के साथ पठित '' समेकित वित्तीय विवरणों'' के बारे में Ind AS - 110 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के ही एक भाग हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की संबंधित जानकारी और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ये दस्तावेज भी मंगलूर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) - आईएफआरएस अभिसारित मानक

कंपनी कार्य मंत्रालय ने 16 फरवरी 2015 को अधिसूचित किया कि भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) कुछ श्रेणी की कंपनियों के लिए संक्रमण दिनांक01/04/2015 होते हुए 1 अप्रैल 2016 से लागू होंगे. Ind AS ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत निर्धारित पूर्व भारतीय GAPP को प्रतिस्थापित कर दिया है जो कंपनी के लिए 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा.

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई.

लाभांश

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु.3/- प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश देने की सिफारिश की है; वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के बाद लाभांश अदा किया जाएगा. लाभांश को लाभांश वितरण के बारे में कंपनी की नीति के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है. कंपनी की लाभांश वितरण नीति इस रिपोर्ट के **'अनुबंध-ख'** के रूप में दी गई है.

जमाराशि

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा74 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसरण में वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है.

ऋणों, गारंटियों तथा निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185/186 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई ऋण नहीं दिया गया / गारंटी नहीं दी गई अथवा कोई प्रतिभूति नहीं दी गई. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत समाविष्ट निवेशों के ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के रूप में दिए गए हैं.

शेयर पूंजी

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई शेयर जारी नहीं किया. 31.03.2018 को आपकी कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू.1,753 करोड़ रहीं.

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति

को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं वचनबद्धताएं

वर्ष के दौरान कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही कोई वचनबद्धता हुई है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधनों की सर्वाधिक कद्र करती है. उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए आपकी कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवार को क्षतिपूरक चिकित्सा, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा के जरिए कई कल्याणकारी फायदे प्रदान करती है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण संबंधी विभिन्न नीतियां लागू की हैं. जब भी डाउनस्ट्रीम कंपनियों की कल्याण नीतियों में कोई संशोधन होता है तो कंपनी की कल्याण नीतियां संशोधित की जाती हैं ताकि कर्मचारियों को वर्धित लाभ मिल सके.

कंपनी एमआरपीएल कर्मचारी मनोरंजन केंद्र का संचालन करती है. केंद्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाता है. वर्ष के दौरान एक आंतरिक विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक और सौहार्दपूर्ण रहा है और वर्ष 2017-18 के दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

एमआरपीएल में गैर-प्रबंधन कर्मचारियों का पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (PGWFI) से सम्बद्ध एक ट्रेड यूनियन अर्थात् एमआरपीएल कर्मचारी यूनियन है. ठेके पर कार्यरत कामगारों का भी एक यूनियन अर्थात एमआरपीएल कर्मचारी यूनियन और PGWFI से सम्बद्ध एमआरपीएल ओएनजीसी कर्मचारी संघ है. एमआरपीएल में एमआरपीएल प्रबंधन स्टाफ एसोसिएशन, एमआरपीएल - ओएनजीसी अजा अजजा कर्मचारी कल्याण संघ और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच भी है.

एमआरपीएल किसी भी महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक परिवर्तन को लागू करने से पहले द्विपक्षीय चर्चाओं में अपने सहयोगियों को लगाता है जो उन्हें काफी प्रभावित कर सकता है. एमआरपीएल औद्योगिक संबंधों से संबंधित चर्चाओं के लिए सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय (और उप मुख्य श्रम आयुक्त)केन्द(और उप निदेशक- कारखाना आदि जैसे केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी समन्वय करता है जो हमेशा सौहार्दपूर्ण होती है.

एमआरपीएल में सांविधिक कार्य समिति भी हैं) यह समूह महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित है और प्रबंधन कर्मचारियों के सदस्य और गैर- प्रबंधन के सामूहिक नामिती इसके सदस्य है).

अजा / अजजा / पीडब्यूडी के बारे में रिपोर्टिंग

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और नि:शक्त जनों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के बारे में सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेश और अन्य दिशानिर्देशों का पालन किया गया है. सतत् एवं प्रभावशाली अनुपालन करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र लागू किया गया है. सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर रखे गए हैं जिनका कंपनी के संपर्क अधिकारी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. एमआरपीएल नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन भी करता है. यथा 31/03/2018 को एमआरपीएल में नि:शक्त 28 स्थायी कर्मचारी हैं.

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 21 कर्मचारियों की भर्ती की जिसमें 7 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी शामिल हैं. यथा 31/03/2018 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1916 रही जिनमें 129 महिला कर्मचारी, 256 अजा/अजजा कर्मचारी और 28 नि:शक्त श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं.823 कर्मचारी प्रबंधन वर्ग में हैं जबकि 1093 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग में हैं. वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 3552.68 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.80 श्रम दिवस और गैर-प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 1.15 श्रम दिवस बनता है.

राष्ट्रपति के निदेश के परिच्छेद -29 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में अजा / अजजा के अभ्यावेदन से संबंधित आंकड़े अजा / अजजा /अपिव रिपोर्ट -I और अजा / अजजा /अपिव रिपोर्ट -II के रूप में संलग्न है.

कौशल विकास केंद्र

भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में एमआरपीएल ने 12/02/2017 को एमआरपीएल कौशल विकास केंद्र (MRPL KVK) की स्थापना की. MRPL KVK के पहले बैच के 57 अभ्यर्थी नेट्टूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (NTTF), बेंगलूर में 'सीएनसी ऑपरेटर - टर्निंग' और 'औद्योगिक इलेक्ट्रिशियन' कोर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किए और MRPL KVK के 20 अभ्यर्थियों का दूसरे बैच ने नेट्टूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (NTTF), बेंगलूर में 'सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर' कोर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया.

महिला सशक्तिकरण

कंपनी के कार्य-स्थल में महिला कर्मचारियों की संख्या 6.73 प्रतिशत से अधिक है.

आपकी कंपनी में कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया.

राजभाषा

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का अक्षरश: कार्यान्वयन कर रही है. कर्मचारियों में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. आंतरिक विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है.

सितंबर 2017 महीने में हिंदी पखवाडा मनाया गया जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए कई हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी पत्र लेखन, हस्तलेखन, प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी एकल एकल गीतगायन, समाचार वाचन आदि आयोजित की गईं. इनके अलावा, एक और हिंदी प्रतियोगिता (प्रशासनिक शब्दावली) कर्मचारियों के लिए जनवरी 2018 में आयोजित की गई. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हिंदी भाषा में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. हिंदी माह संबंधी समारोहों के दौरान मुमप्र और समप्र जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है.

हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं में अर्हता हासिल करने के लिए कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से कक्षाएं आयोजित की जाती हैं. नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन आदि जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए कर्मचारियों को हिंदी परीक्षाएं पास करने के लिए प्रेरित किया जाता है. संगठन में हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए दैनिक कार्यालयीन कामकाज में इस्तेमाल किए जा रहे सभी कंप्यूटरों को हिंदी यूनिकोड सुविधा से सक्षम बनाया गया.

दसवीं कक्षा की हिंदी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एमआरपीएल टाउनशिप में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 45 छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए.

आपकी कंपनी नराकास स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर नौ पुरस्कार जीते और नराकास स्तर की प्रतियोगिताओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया. एमआरपीएल में नराकास सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के लिए राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. हिंदी मास संबंधी समारोहों के एक भाग के रूप में नराकास, मंगलूर के तत्वावधान में मंगलूर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. उपर्युक्त के अलावा, 26 मार्च 2018 को एक हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मंगलूर विश्वविद्यालय के विभिन्न डिग्री कालेजों के हिंदी व्याख्याताओं सहित सभी नराकास सदस्य संगठनों ने

भाग लिया. कंपनी में हिंदी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए 'एमआरपीएल प्रतिबिंब' नामक एक गृह पत्रिका हिंदी में प्रकाशित की जा रही है. एमआरपीएल राजभाषा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते आया है और इस दिशा में वर्ष की चारो तिमाहियों के दौरान प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई जिनमें एमआरपीएल में हिंदी प्रयोग की समीक्षा की गई और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई. आपकी कंपनी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी और प्रोत्साहनों के जरिए प्रेरित करते हुए संगठन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी का आरटीआई मैनुअल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें समस्त अपेक्षित जानकारी प्रकट की गई है. वर्ष के दौरान 185 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 8 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारी के पास भेज दिए गए.और शेष 173 आवेदनों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया.

सुरक्षा उपाय

रिफाइनरी में सुरक्षा की व्यवस्था तेल क्षेत्र के लिए बुनियादी संरक्षण योजना (OSIPP) में दिए गए दिशानिर्देशों और MHA द्वारा समय-समय पर की गई सुरक्षा लेखापरीक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है.

रिफाइनरी की भौतिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है. गृह मंत्रालय ने हाल ही में रिफाइनरी की भौतिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त CISF जनशक्ति मंजूर की है.

कंपनी सुरक्षा को हमेशा उच्च प्राथमिकता देती रही है और हर वक्त तत्पर रहने के लिए कार्य स्थान पर आवधिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है. सभी हितधारकों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाता है.

एकीकृत सीसीटीवी -सह- इलेक्ट्रॉनिक अतिक्रमण जासूसी प्रणाली परियोजना के माध्यम से रिफाइनरी की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को नया रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसके 2018 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है.

सतर्कता कार्य

आपकी कंपनी ने सतर्कता का कार्य संभालने के लिए एक संरचित तंत्र विकसित किया है. इसके पद्धतियों में हितधारकों के लिए मूल्य के सृजन पर अधिक ध्यान दिया जाता है. इस पद्धति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहु-स्तरीय जांच-पड़ताल और नियंत्रण शामिल है. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां लगातार चलायी गयीं. आपकी कंपनी में एक पूर्णकालिक सतर्कता अधिकारी हैं जिनकी सहायता के लिए एक समर्पित टीम है.

सीवीसी अनुदेशों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी ने एक शिकायत संचालन नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज किया जाता है और सतर्कता दृष्टिकोण से उनका निपटान किया जाता है. एमआरपीएल कॉरपोरेट वेबसाईट का पुनर्योजन किया गया है जिसमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सिस्टम शामिल किया गया है. एमआरपीएल की कॉरपोरेट वेबसाईट में बेहतरीन सतर्कता पद्धतियों के ब्यौरे और विभिन्न उपयोगी वेबसाईटों के लिंक भी दिए गए हैं. आपकी कंपनी ने ई-प्रापण, ई-निविदा और ई-भुगतान के मामले में उच्चतम अनुपालन स्तर हासिल किया है.

सीवीसी के अनुदेशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने भ्रष्ट्राचार के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम चलाया. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विकसित ''सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा'' को लोकप्रिय बनाने के लिए एमआरपीएल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंगलूर शहर में 4 सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा कियोस्क स्थापित किए. 10,000 से अधिक कॉलेज छात्रों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली. स्कूल के बच्चों में नैतिकता तथा ईमानदारी का विकास उत्प्रेरित करने के लिए एमआरपीएल ने 18 स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब शुरू किया. ई-कार्यालय संकल्पना, जिसका वर्तमान में कंपनी में कार्यान्वयन किया जा रहा है, का उद्देश्य एमआरपीएल की कार्यप्रणाली में दक्षता में सुधार लाना है.

पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, एक दबाव वाला कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें सतर्कता ने उत्प्रेरक की भांति भूमिका निभाई है. कंपनी की वेबसाईट डाउनलोड करने योग्य निविदा दस्तावेज, नामांकन आधार पर दिए गए कार्य की जानकारी का प्रकाशन, ठेके देने के बाद की जानकारी का प्रकाशन प्रदर्शित किया जाता है.

सूचना-प्रदाता नीति

निदेशकों तथा कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक सूचना-प्रदाता नीति बनाई गई है ताकि अनैतिक बरताव, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिकता संबंधी नीति के उल्लंघन के बारे में प्रामाणिक मुद्दे उठाये जा सकें. इसमें इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय भी हैं. प्रतिशोध अथवा उत्पीड़न के कारण सद्भाव से सूचना प्रदाता बनते हुए सतर्कता तंत्र उपयोग करने वाले निदेशकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और अपवादात्मक मामलों में निदेशकों और कर्मचारियों को सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष संपर्क करने का अवसर प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक रक्षोपाय हैं.यह नीति कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है. वर्ष के दौरान सूचना प्रदाता नीति के तहत कोई शिकायत नहीं है.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध -'घ'** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

प्रबंधन का पारिश्रमिक और कर्मचारियों के विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत जानकारी प्रस्तुत करने से छूट दी गई है. कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों एवं शर्तों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

फॉर्म MGT-9 में दिए गए वार्षिक विवरणी के उद्धरण का भाग बनने वाले ब्यौरे के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा134(3)(ए) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध - 'ड़'** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन और संबद्ध पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेन-देन औपचारिक दूरी आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए थे. इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ है जिसका कंपनी के हित के साथ संभाव्य टकराव हो. कंपनी ने एक संबद्ध पक्षकार संबंधी नीति और कार्यविधि अपनाई है जो कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई हरेक संविदा अथवा व्यवस्था के निर्धारित फॉर्म सं.AOC-2 में प्रकटित विवरण **अनुबंध -'च'** के रूप में संलग्न किए गए हैं. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05/06/2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 188(1) की प्रयोज्यता से छूट दी है.

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

एमआरपीएल के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है और इस कारण निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक से संबंधित नीति के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं.

श्री वी. पी. हरन, श्री सेवा राम, श्री बलबीर सिंह और डॉ. जी. के. पटेल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 08/09/2017 से गैर-सरकारी स्वतंद्ध निदेशक के रूप में नामित किया गया था और बोर्ड द्वारा 08/09/2017 से उन्हें अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो इस महासभा में अपना पद खाली करेंगे और पात्र होने के नाते 30वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं.

30/09/2017 को ओएनजीसी की सेवा से श्री डी. के. सर्राफ की अधिवर्षिता के फलस्वरूप श्री शशि शंकर ने 01/10/2017 को आपकी कंपनी के निदेशक / अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.

श्री के. एम; महेश और श्री संजय कुमार जैन, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 24/11/2017 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो इस महासभा में अपना पद खाली करेंगे और पात्र होने के नाते 30वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं.

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा और श्रीमती पेरिन देवी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उनका नामांकन वापस ले लेने से 24/11/2017 से निदेशक नहीं रहीं.

31/03/2018 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

श्री सुभाष कुमार, निदेशक (वित्त), ओएनजीसी को 15/05/2018 को एमआरपीएल के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री एम; वेंकटेश ने 01/06/2018 से प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला. श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक ने 01/06/2018 से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रबंध निदेशक का पद खाली कर दिया.

बोर्ड अपने कार्यकाल के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है.

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं.

औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एमआरपीएल को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड समितियों और प्रत्येक निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(पी) के प्रावधान लागू होंगे. लेकिन सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया. स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 29/01/2018 को आयोजित की गई.

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित कथन करते हैं :

क) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ लागू Ind AS का पालन किया गया है.

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां चुनीं और उन्हें लगातार लागू किया और यथोचित तथा विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय एवं आकलन किये जिससे कि वित्तीय वर्ष के अत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती.

घ) निदेशकों ने वार्षिक वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए हैं.

ड) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह कि ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं, और

च) निदेशकों ने ऐसे उचित तंत्र बनाए हैं जिससे कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यह कि ऐसे तंत्र पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं.

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति ने निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित कथन की समीक्षा की है.

बोर्ड बैठकों की संख्या

आपके कंपनी के निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सात (7) बैठकें हुईं. दो बैठको के बीच अधिकतम अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 120 दिन से अधिक नहीं रही. बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है. ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार न किया हो. लेखापरीक्षा समिति के ब्यौरे कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

नामांकन / पारिश्रमिक समिति

एमआरपीएल के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. तदनुसार कंपनी ने कोई नामांकन / पारिश्रमिक नीति नहीं अपनायी है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 तथा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के ब्यौरे कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

एमआरपीएल एक 'अनुसूची- ए', श्रेणी-1 मिनीरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति संबंधी नियम, शर्तें और पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

जोखिम प्रबंधन नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप आपकी कंपनी ने एक व्यापक उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर उसे अपने समग्र संगठन में कार्यान्वित किया है. लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर एमआरपीएल में जोखिम निर्धारण और प्रक्रिया के न्यूनतमीकरण की समीक्षा करती है.

विनियामकों / न्यायालयों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों / न्यायालयों / ट्रिब्यूनलों ने ऐसे कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए हैं जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान स्थिति और उसके भावी प्रचालन को प्रभावित करे.

कॉरपोरेट अभिशासन

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 ने देश में अभिशासन प्रणाली को मजबूत बनाया है. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रदान की गई अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया हे और निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की बात को छोड़कर लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओ के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के सभी आवश्यक प्रावधानों का पालन किया गया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट का एक भाग है.

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसरण में, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन करने संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के एक भाग के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर टिप्पणियां की हैं. वर्तमान में, आपकी कंपनी के बोर्ड में 5 स्वतंत्र निदेशक हैं. कंपनी आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निरंतर अनुवर्तन कर रही है.

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसरण में निम्नलिखित नीतियां / संहिताएं तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी की वेबसाईट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है :

क) निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता
ख) सूचना-प्रदाता नीति
ग) संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन - नीति एवं प्रकियाएं
घ) सीएसआर एवं एसडी नीति
ङ) महत्वपूर्ण सहायक कंपनी संबंधी नीति
च) एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचार संहिता
छ) स्टाक एक्सचेंजों को घटनाओं के प्रकटन के लिए तात्विकता संबंधी नीति
ज) दस्तावेज परिरक्षण नीति
झ) निदेशक मंडल के लिए प्रशिक्षण नीति
ञ) लाभांश वितरण नीति

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में कारोबार दायित्व रिपोर्ट शामिल करना आवश्यक बना दिया है. विनिमय का पालन करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कारोबार दायित्व रिपोर्ट इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (MDA) इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास एक सुव्यवस्थित और कार्यकुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो पर्याप्त तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण परिवेश सुनिश्चित करती है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता तथा पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना समय पर तैयारी सहित कारोबार करने की दक्षता पर आश्वासन देती है.

कंपनी के पास उसके प्रचालन आकार के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है. कंपनी की सूचना प्रणालियों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा की जाती है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्कतानुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के ब्यौरे प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रकट किये गये हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स श्रीधर, सुरेश एंड राजगोपालन, चेन्नै और मेसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स , मंगलूर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक रहे. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लेखों पर टिप्पणियां स्वत: स्पष्ट हैं और इन पर आगे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है.

सचिवीय लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोयडा की सेवाएं ली हैं. मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, नोयडा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है जो **'अनुबंध 'छ'** के रूप में इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखापरीक्षकों ने वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में और 01/04/2017 से 25/10/2017 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने पर टिप्पणियां की हैं. कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से अनुवर्तन कर रही है.

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत लेखों की लेखापरीक्षा लागत लेखापरीक्षक मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कं., कोलकाता द्वारा की जा रही है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए समेकित तथा एकल वित्तीय विवरणों पर संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर C&AG की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (C&AG) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का ही एक भाग हैं और इन्हें अनुबंध - 'ज' के रूप में संलग्न किया गया है. आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए C&AG से कोई टिप्पणी नहीं मिली है.

आभार

आपका निदेशक मंडल शेयरधारकों को कंपनी में जताए गए उनके सतत् भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहता है. आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश तथा सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, गृह मंत्रालय , केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं सतत् सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है. आपका निदेशक मंडल कर्नाटक सरकार के प्रति भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है.

आपके निदेशक मूल कंपनी ऑयल एंड नेचरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) से मिले सतत् समर्थन और निर्देश और कंपनी के प्रवर्तक के रूप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक नव मंगलूर पत्तन न्यास, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सततृ सहयोग और सहायता के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक कंपनी के उत्पादों के लिए मूल्यवान ग्राहकों से मिले संरक्षण की कद्र करते हैं और उन्हें सर्वोत्तम संतुष्टि प्रदान करने का वचन देते हैं. बोर्ड वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की उत्कृष्ट उपलब्धियों में सभी कर्मचारियों के "टीम एमआरपीएल" के रूप में एकजुट होकर एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत् प्रयासों एवं अमूल्य सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है.

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

(शशि शंकर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/07/2018

अनुबंध - 'क'

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (न) और कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) के (न) का अनुसरण करते हुए]

रिपोर्टिंग अवधि : अप्रैल 2017 से मार्च 2018

1. **हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के विहंगावलोकन सहित कंपनी की CSR और SD नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा और CSR नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक का संदर्भ.**

   मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), जो एक अनुसूची "ए" मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी है, वर्ष -दर -वर्ष भारतीय हाइड्रोकार्बन डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन कर रही है. अपंनी स्थापना से ही एमआरपीएल "संरक्षण" नाम के साये तले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) संबंधी गतिविधियां चलाता आ रहा है.

   एमआरपीएल की CSR नीति कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा135 और अनुसूची VII तथा कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और 1/04/2014 से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी "कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनायी गई है. यह नीति सीएसआर एवं एसडी समिति द्वारा विधिवत् अनुसंशित तथा एमआरपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है. कंपनी द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं ओर कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं इस रिपोर्ट के अंत में सूचीबद्ध हैं.

2. **यथा 31/03/2018 को सीएसआर एवं एसडी समिति की संरचना**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
i.	सुश्री मंजुला सी	अध्यक्ष
ii.	श्री सेवा राम	सदस्य
Iii .	श्री वी. पी. हरन	सदस्य
iv	डॉ. जी. के. पटेल	सदस्य
v	श्री बलबीर सिंह	सदस्य
vi	श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक	आमंत्रिती
vii	श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)	आमंत्रिती
viii	श्री ए. के. साहू , निवेशक (वित्त)	आमंत्रिती

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल**

निवल लाभ (कर पूर्व लाभ)	₹. करोड़ में
कर-पूर्व लाभ : विव 2014-15	-2155.89
कर-पूर्व लाभ : विव 2015-16	1177.53
कर-पूर्व लाभ : विव 2016-17	5531.00
कुल	4548.86
विव 2017-18 के लिए सीएसआर बजट (पिछले 3 वित्तीय वर्षों के निवल लाभ का 2%)	30.32

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (ऊपर मद सं. 3 में राशि का 2 (तिशत) (₹ करोड़ में)

विव 2016-17 का आगे लाया गया बजट	3.55
विव 2017-18 के लिए सीएसआर बजट	30.32
कुल	**33.87**

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे:

   वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट के प्रति 31/03/2018 को खर्च की गई राशि : रु. 10.30 करोड़ (ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं).

6. यदि कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 % या उसका कोई भाग खर्च नहीं कर सकी है तो कंपनी को शेष राशि खर्च न करने के कारण देने होंगे.

   रु.28.36 करोड़ की राशि प्रतिबद्ध की गई है. ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. रु.10.30 करोड़ की राशि खर्च हुई है. शेष राशि खर्च न होने के कारण निम्नलिखित हैं :

- परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और चरण-वार बिल कार्य की पूर्णता के आधार पर क्रमिक रूप से प्राप्त होते हैं.
- कुछ परियोजनाओं के लिए ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता
- कुछ परियोजनाओ के अनुमोदन और आगे की प्रतिबद्धता के लिए लाभार्थियों से अपेक्षित ब्यौरे की उपलब्धता

7. सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुपालन मे है.

   सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुपालन मे है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुसार है. एमआरपीएल सीएसआर नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- संगठन के सभी स्तरों पर वर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, अपना कारोबार आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से चलाना और साथ ही अपने सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना.
- ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेना जिनसे कार्यालय के आस-पास के लोगों को फायदा हो और एक निश्चित समयावधि के बाद उसके परिणाम सामने हों, समाज के कमजोर तबकों पर विशेष ध्यान के साथ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कुशलक्षेम बढ़ाना.
- अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से एमआरपीएल के लिए एक सामुदायिक सुनाम उत्पन्न करना और एक कॉरपोरेट संस्था के रूप में कंपनी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि प्रस्तुत करने में सहायता करना.

हस्ता/- हस्ता/-

एम. वेंकटेश मंजुला सी

(प्रबंध निदेशक) (अध्यक्ष सीएसआर एवं एसडी समिति)

(DIN ;07025342) (DIN : 07733175)

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

यथा 31/03/2018 को सीएसआर व्यय के ब्यौरे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
I	**स्वच्छ भारत परियोजनाएं**						
1	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत निर्मित स्कूल शौचालयों का रखरखाव	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i स्वच्छता	1.स्थानीय क्षेत्र 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	15.00	वही (जो 5 में दिया गया है) सीधे व्यय, कोई उपरि व्यय नहीं	10.41	सीधे
2	गवर्नमेंट पी. यू. कॉलेज फॉर वीमन, बलमट्टा के लिए शौचालय के एक मंजिल का निर्माण	-वही-	-वही-	2.48	-वही-	2.09	सीधे
3	डीकेजेडपी उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कुथेतुर, मंगलूर के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	4.99	-वही-	4.50	सीधे
4	श्री नारायण सनिल गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, हलेयांगडी के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	5.90	-वही-	4.83	सीधे
5	सहायता-प्राप्त केएसपीके मेमोरियल हाई स्कूल, पंजीनडका, मुल्की के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	5.00	-वही-	4.71	सीधे
6	गवर्नमेंट हाई स्कूल, बोलांतिमोगरू, विटला में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	10.00	-वही-	9.74	सीधे
7	श्री रामचन्द्र पी.यू. कॉलेज, पेर्ने के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	8.18	-वही-	8.18	सीधे
8	माता अमृतानंदमाई मठ, मंगलूर के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	-वही-	7.08	-वही-	6.00	सीधे
9	विवेकानंद कॉलेज, पुट्टुर में शिक्षा संस्थान के लिए मदजल अभिक्रिया संयंत्र का निर्माण	-वही-	-वही-	57.25	-वही-	0.00	सीधे
10	एस.डी.पी.टी. उच्चतर प्राइमरी स्कूल, कैटील के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	20.50	-वही-	18.92	सीधे
11	27 घरों (23 अजा/ अजजा और शेष अपिव) के लिए वैयक्तिक शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	11.91	-वही-	0.00	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
12	श्री राम विद्या केंद्र, कल्लदका के लिए शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	40.50	-वही-	37.74	सीधे
13	DKZPHP स्कूल मंड्या में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	6.00	-वही-	0.00	सीधे
14	मंगलूर तालुक में ससिहिंथलु / पनम्बुर / तन्नीरभावी में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	100.00	-वही-	11.50	सीधे
15	व्यक्ति विकास ट्रस्ट (आर्ट ऑफ लीविंग) द्वारा गणेशपुरा में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	18.00	-वही-	0.00	सीधे
16	बेल्थानगडी तालुक में पी. यू. कॉलेज के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	10.00	-वही-	0.00	सीधे
17	कबाका पी. यू. कॉलेज, पुत्तुर तालुक के लिए शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	10.00	-वही-	0.00	सीधे
18	सुलिया तालुक में वीमन हाई स्कूल बलिला में शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	10.00	-वही-	0.00	सीधे
19	मंत्रालय के पत्र के अनुसार 'स्वच्छता ही सेवा अभियान'	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	-वही-	4.53	-वही-	3.18	सीधे
20	तटरक्षक बल, मंगलूर के साथ तटीय सफाई	-वही-	0.59	-वही-	-वही-	0.59	सीधे
21	रामकृष्ण मिशन के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान चरण-IV	-वही-	-वही-	264.74	-वही-	128.39	सीधे
22	स्वच्छ सुरथकल - स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत सुरथकल फ्लाईओवर का सौंदर्यीकरण	-वही-	वही-	- 5.78	-वही-	5.12	सीधे
23	माता अमृतानंदमाई मठ द्वारा सुल्तान बैटरी, मंगलूर में शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i स्वच्छता	वही-	13.48	-वही-	0.00	सीधे
24	केंद्रीय विद्यालय, पनम्बुर के लिए शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	30.00	-वही-	0.00	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
25	दक्षिण कन्नड़ जिले में 29 हॉस्टलों में बायो गैस संयंत्र की स्थापाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	-वही-	14.82	-वही-	14.82	सीधे
26	मंत्रालय के निदेश के अनुसार स्वच्छ भारत पखवाड़ा कार्यक्रम	-वही-	-वही-	11.93	-वही-	7.16	सीधे
27	मंगलूर नगर महापालिका सीमा के भीतर शौचालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i स्वच्छता	-वही-	108.00	-वही-	0.00	सीधे
28	महिलाओं हेतु सरकारी पालिटेक्निक के लिए शौचालय एवं स्नानगृह का निर्माण	-वही-	-वही-	17.00	-वही-	0.00	सीधे
29	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मंगलूर में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	-वही-	-वही-	25.00	-वही-	0.00	सीधे
30	सरकारी प्री-युनिवर्सिटी कॉलेज, कवूर के लिए शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	15.00	-वही-	0.00	सीधे
31	निरंजनस्वामी पी.यू. कालेज, सुंकदाकट्टे के लिए शौचालय का निर्माण	-वही-	-वही-	10.00	-वही-	0.00	सीधे
32	गोविंद दास कालेज, सुरतकल के लिए शौचालय तथा मूत्रालय का निर्माण	-वही-	-वही-	15.00	-वही-	0.00	सीधे
II	**शिक्षा संरक्षण**						
1	मंगलपेटे में पेर्मुदे पंचायत के लिए आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	1.स्थानीय क्षेत्र 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	8.85	वही (जो 5 में दिया गया है) सीधे व्यय, कोई उपरि व्यय नहीं	6.61	सीधे
2	सरकारी हाईस्कूल, नाडुगोडु की बिल्डिंग की मरम्मत	-वही-	-वही-	1.90	-वही-	1.39	सीधे
3	सरकारी पी.यू. कालेज, कृष्णपुरा में विज्ञान लैब का विकास	-वही-	-वही-	1.10	-वही-	1.05	सीधे
4	कन्नगुडे, मंगलूर में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	-वही-	-वही-	4.65	-वही-	4.66	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
5	सहायता-प्राप्त कलावर उच्चतर प्राथमिक स्कूल, चेलैरू को यूनिफॉर्म और नोट बुक का वितरण	-वही-	-वही-	1.98	-वही-	1.98	सीधे
6	बालपा में संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श आंगनवाड़ी का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. X ग्रामीण विकास	-वही-	0.00	-वही-	3.66	सीधे
7	योग्यता छात्रवृत्ति और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों तथा लड़कों और अजा/अजजा छात्रों को वित्तीय सहायता का वितरण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.ii शिक्षा को बढ़ावा देना	-वही-	42.00	-वही-	0.00	सीधे
8	धारवाड़ (उत्तर कर्नाटक) के आस-पास के स्कूलों को बेंच तथा डेस्क प्रदान करना	-वही-	1. अन्य 2. धारवाड़, कर्नाटक राज्य	179.36	-वही-	0.00	सीधे
9	दक्षिण कन्नड़ में 3 स्थानों पर मॉडल आंगनवाड़ी (चिन्नारा अंगाला) भवन का निर्माण	-वही-	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. जिला कर्नाटक राज्य	88.50	-वही-	9.27	सीधे
10	सहायता-प्राप्त पेर्मुदे हिंदू उच्चतर प्राथमिक स्कूल, कोडिकेरे, मंगलूर में सौर परियोजना	-वही-	-वही-	11.80	-वही-	0.00	सीधे
11	रोटरी एजुकेशन सोसायटी, मूदबिद्री द्वारा संचालित स्कूल को कंप्यूटर प्रदान करना	-वही-	-वही-	5.90	-वही-	5.00	सीधे
12	जीएचपीएस, मणिनाल्कुर - नाडुमोगरू में क्लास रूम का निर्माण	-वही-	-वही-	21.83	-वही-	16.36	सीधे
13	जीएसएस, मांची, कोलनाडु के लिए कंप्यूटर रूम का निर्माण	-वही-	-वही-	18.88	-वही-	15.21	सीधे
14	सरकारी पी.यू. कालेज, वेनूर में प्रयोगशाला भवन का निर्माण	-वही-	-वही-	73.75	-वही-	0.00	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
III	**आरोग्य संरक्षण**						
1	चैलारू पुनर्वास कालोनी में नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं.i निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	1.स्थानीय इलाका 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	8.10	वही (जो 5 में दिया गया है) सीधे व्यय, कोई उपरि व्यय नहीं	2.96	सीधे
2	कलावर में नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना	-वही-	-वही-	9.13	-वही-	1.54	सीधे
3	मंगलोर में कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन	-वही-	-वही-	5.00	-वही-	5.00	सीधे
4	जिला स्वास्थ्य कार्यालय, मंगलूर के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों / मस्तिष्क संस्तंभी व्यक्तियों /एंडो सल्फाइन प्रभावित व्यक्तियों को उपकरण प्रदान करना	-वही-	-वही-	118.0	-वही-	0.00	सीधे
5	सरकारी लेडी गोश्चन अस्पताल, मंगलूर के लिए आवश्यक हेल्थकेयर फर्नीचर प्रदान करना	-वही-	-वही-	177.00	-वही-	0.00	सीधे
6	सीएचडी ग्रुप, मंगलूर (स्वास्थ्य एवं विकास समूह केंद्र) द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए बहु-उद्देश्यीय वाहन प्रदान करना	-वही-	-वही-	5.50	-वही-	4.65	सीधे
7	दन्देली / हलियाल में कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन	-वही-	1. अन्य 2. उत्तर कन्नड़ कर्नाटक राज्य	11.80	-वही-	0.00	सीधे
IV	बहुजन संरक्षण						
1	सरकारी हाई स्कूल जोकट्टे की ओर जाने वाली सड़क के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. X ग्रामीण विकास	1.स्थानीय इलाका 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	19.49	-वही-	11.72	सीधे
2	पेय जल परियोजना - चैलारू पुनर्वास कालोनी में पाइपलाइन के साथ खुला कुंआ	-वही-	-वही-	27.86	-वही-	0.00	सीधे
3	सदपदी ग्राम विकास - पेरियापदे से बियापदे तक सड़क कंक्रीटीकरण	-वही-	-वही-	47.20	-वही-	38.62	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
4	बाला ग्राम पंचायत के सामुदायिक हॉल और आंगनवाड़ी भवन का संशोधन, पेंटिंग और सिविल कार्य	-वही-	-वही-	15.93	-वही-	10.58	सीधे
5	स्थानीय संगठन को फर्नीचर प्रदान करना - स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय पंचायत, युवा क्लब तथा स्कूल/कालेज	-वही-	-वही-	4.45	-वही-	2.91	सीधे
6	धारवाड़ में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र तथा पुस्तकालय का निर्माण	-वही-	1.अन्य 2. धारवाड़ जिला कर्नाटक राज्य	54.28	-वही-	17.41	सीधे
7	दक्षिण कन्नड़ जिले में अजा/अजजा हास्टलों में ढांचागत विकास - कंप्यूटर तथा प्रोजेक्टर प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. viii अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति का कल्याण	1.स्थानीय इलाका 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	11.80	-वही-	9.55	सीधे
8	एनटीटीएफ, बंगलूर के माध्यम से बेरोजगार युवकों / महिलाओं तथा लड़कियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. li रोजगार वृद्धि व्यावसायिक	-वही-	10.00	-वही-	10.00	सीधे
9	दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत द्वारा पेयजल शुद्धिकरण प्रणाली की स्थापना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. I सुरक्षित पेयजल उपलबध कराना	-वही-	14.93	-वही-	0.00	सीधे
10	शिमोगा में महानधी गोलोका के लिए गौशाला का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. lv पशु कल्याण	1.अन्य 2. शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य	8.26	-वही-	7.00	सीधे
11	शिशु देखभाल केंद्र, बोंदेल के लिए पार्क तथा क्रीड़ा मैदान का विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. iii महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टेल बनाना	1.स्थानीय इलाका 2.द.क. जिला कर्नाटक राज्य	5.90	-वही-	5.00	सीधे
12	बाजपे में केनरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस (सीओडीपी) द्वारा वर्षा पानी संभरण परियोजना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. lv प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	- वही -	5.00	-वही-	4.06	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
13	असईगोली, कोनजे में वृद्धाश्रम के लिए जल हौदी का निर्माण और बोरवेल की ड्रिलिंग	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. iii वृद्धाश्रम की स्थापना	- वही -	*5.90*	-वही-	4.66	सीधे
14	दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत के माध्यम से महिला संस्थवाना केंद्र को कंपयूटर	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. iii महिला सशक्तिकरण	- वही -	1.85	-वही-	1.84	सीधे
15	चेलारू पुनर्वास कालोनी को टैंकर के माध्यम में पीने के पानी की आपूर्ति	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. I सुरक्षित पेयजल उपलबध कराना	- वही -	3.06	-वही-	1.43	सीधे
16	समुदाय भवन, चैलारू का बिजली बिल	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. X ग्रामीण विकास	- वही -	0.04	-वही-	0.04	सीधे
17	सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के कार्यकलापों में सहभागिता एवं वित्तीय सहायता	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. V राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण	1. अन्य 2. गुजरात	500.00	-वही-	500.00	सीधे
18	हलियाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए स्पोर्ट उपकरण प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. vii ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1. अन्य 2. उत्तर कन्नड़ कर्नाटक राज्य	23.60	-वही-	0.00	सीधे
19	अमृतानंदमाई मठ के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों के चलने-फिरने के लिए व्हील चेयर का वितरण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. ii नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	1. स्थानीय इलाका 2. दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	4.13	वही (जो 5 में दिया गया है) सीधे व्यय, कोई उपरि व्यय नहीं	4.13	सीधे
20	जोकट्टे ग्राम पंचायत को टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. i सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	-वही-	1.04	वही (जो 5 में दिया गया है) सीधे व्यय, कोई उपरि व्यय नहीं	0.00	सीधे
21	चेलारू ग्राम पंचायत के लिए सौर स्ट्रीट लाइट प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. X ग्रामीण विकास	-वही-	29.50	-वही-	0.00	सीधे

क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	क्षेत्र जिसमे परियोजना को शामिल किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र /अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करेंज जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय राशि (बजट) परियोजना /कार्यक्रम-वार (रु. लाख में) (जीएसटी सहित)	परियोजना/ कार्यक्रम-पूर्व खर्च की गई राशि उप शीर्ष : 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि व्यय (रु. लाख में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि :सीधे /कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (रु. लाख में)
22	महानंदी गौशाला, शिमोगा में पशु चिकित्सालय का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. Iv पशु कल्याण	1. अन्य 2. शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य	29.50	-वही-	0.00	सीधे
23	दक्षिण कन्नड़ जिले में शिशु देखभाल संस्थान के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. iii महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए गृह तथा हॉस्टेल बनाना	1. स्थानीय इलाका 2. दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	98.25	-वही-	1.00	सीधे
24	उत्तर कन्नड़ में हलियाली में कौशल विकास	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. ii रोजगार वृद्धि व्यावसायिक कौशल	1. अन्य 2. उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	23.60	-वही-	0.00	सीधे
25	बैकाम्पदी में कोडिकल मोगावीरा महासभा के सामुदायिक हॉल के लिए छत का निर्माण	कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कं. सं. vii अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कल्याण	1. स्थानीय इलाका 2. दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक राज्य	36.70	-वही-	0.00	सीधे
				2655.96		**987.17**	
	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आधिक्य प्रावधान					-0.25	
	जीएसटी विवक्षाएं			-		43.32	
	अभी तक प्रतिबद्ध की जाने वाली निधियां			731.04		-	
	कुल			**3387.00**		**1030.24**	

अनुबंध - 'ख'

लाभांश वितरण नीति

1. प्रस्तावना

सेबी (LODR) विनिमय, 2015 के विनियम 43क के अनुसार बाजार पूंजीकरण पर आधारित पांच सौ शीर्ष प्रतिष्ठानों (हर वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को परिकलित) को एक लाभांश वितरण नीति बनानी होगी जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्टों तथा वेबसाइटों पर प्रकट करना होगा.

वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM ने दिनांक 27 मई 2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन के जरिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) की पूंजी संरचना के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें CPSE को अधिदेश दिया गया है कि वे वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम लाभांश अदा करें.

एमआरपीएल एक सीपीएसई है जिसे शीर्ष 500 प्रतिष्ठानों में रखा गया है जो सेबी (LODR) विनिमय, 2015, दीपम दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान) नियम, 2014 और लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों का पालन करता है.

2. परिभाषाएं

i. **"अधिनियम"** से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है.

ii. **"कंपनी"** से मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड अभिप्रेत है.

iii. **"बोर्ड"** से एमआरपीएल का निदेशक मंडल अभिप्रेत है.

iv. **"सेबी (LODR) विनिमय, 2015"** से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 अभिप्रेत है.

v. **"DPE"** से लोक उद्यम विभाग अभिप्रेत है.

vi. **"DIPAM"** से निवेश एवं सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग अभिप्रेत है.

vii. **"CPSE"** से केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग अभिप्रेत है.

viii. **"लाभांश"** में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है.

ix. "**PAT**" से कर पश्चात् लाभ अभिप्रेत है.

3. प्रभावी तारीख

यह नीति बोर्ड के अनुमोदन की तारीख अर्थात् 08/11/2016 से प्रभावी है.

4. नीति का उद्देश्य

नीति में उनके शेयरधारकों में लाभांश का वितरण करने और/या शेयरधारकों को पारदर्शिता दिखाने की खातिर लाभ का प्रतिधारण करने या उसका दोबारा विनियोजन करने की दृष्टि से निर्णय लेने के बारे में एक विस्तृत ढांचा दिया गया है. नीति में कंपनी की प्रगति के लिए पर्याप्त धनराशि रखने के बाद लाभ का काफी बड़ा हिस्सा शेयरधारकों को देने का आशय व्यक्त किया गया है.

नीति का आशय वित्तीय मानदंडों सहित बाह्य एवं आंतरिक कारकों को स्थूल रूप से निर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा करें या न करें आदि. नीति को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप व्यापक रूप से बनाया गया है और वित्त मंत्रालय / सेबी / डीपीई / दीपम द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर और लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों पर विचार किया गया है.

5. लाभांश घोषित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक

कंपनी का बोर्ड लाभांश घोषित करने का निर्णय करने से पूर्व निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देगा :

बाह्य कारक

- आर्थिक परिवेश
- सांविधिक प्रावधान एवं दिशानिर्देश
- कराधान एवं अन्य विनियामक अपेक्षाएं
- उधार लागत

आंतरिक कारक

- नकदी प्रवाह
- भावी पूंजीगत व्यय योजना
- कंपनी का लाभ

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी अन्य कारकों पर भी विचार कर सकती है जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्न शामिल हैं :

- कंपनी के लेनदारों के प्रति दायित्व
- कंपनी की सहायक कंपनियों /सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश
- शेयरधारकों / हितधारकों की अपेक्षाएं
- कोई अन्य कारक, जो उचित लगे.

6. वित्तीय मानदंड जिन पर विचार किया जाएगा

वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, हम एक CPSE को कर-पश्चात लाभ के 30% अथवा निवल मालियत के 5%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना होगा, बशर्ते कि वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अधीन अधिकतम अनुमत लाभांश अदा किया जाए. लेकिन कंपनी नीचे उल्लिखित मानदंडों का विश्लेषण करने पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का अनुमोदन लेकर कम लाभांश का प्रस्ताव रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि निवल मालियत बढ़ाने वाली निधि को रखकर उसका इष्टतम स्तर तक फायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि CPSE द्वारा अधिक निवेश किया जाए:

- नकदी प्रवाह स्थिति
- भावी पूंजीगत व्यय योजना

- उधार क्षमता
- दीर्घावधि उधार

7. ऐसी परिस्थितियां जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा करें या ना करें

लाभांश प्रदान करने का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें लाभांश के जरिए शेयरधारकों को उचित धनराशि देने और भावी उन्नति के लिए लाभ प्रतिधारित करते हुए दोनों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है. कंपनी को किसी वित्तीय वर्ष में वर्ष के लिए कर पश्चात् निवल लाभ मिला हो तो लाभांश घोषित करने से पहले इन बातों पर विचार करना पड़ेगा, जैसे पूर्व वर्षों के लिए समायोजन, खर्चों का प्रतिलेखन, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करना आदि.

यदि लाभांश पर्याप्त न हो अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अथवा किन्हीं बाह्य या आंतरिक कारकों के कारण न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न हो तो कंपनी को लाभांश घोषित करने से रोका जाएगा.

8. विभिन्न श्रेणी के शेयरों के बारे में अपनाए जाने वाले मानदंड

कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के शेयर अर्थात् इक्विटी शेयर जारी किए हैं. शेयरों के स्वरूप और उससे संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर नई श्रेणी के शेयर जारी करते समय नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाएगा.

9. लाभांश भुगतान हेतु प्रक्रिया

लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान) नियम, 2014, सेबी (LODR) विनियम, 2015 , दीपम दिशानिर्देशोंके अधीन है :

अंतिम लाभांश:

1. सिफारिश, यदि कोई है, बोर्ड द्वारा उस बैठक में की जाएगी जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है और उसे स्वीकार किया जाता हे, बशर्ते कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित हो.
2. बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए लाभांश के लिए अनुमोदन / उसकी घोषणा कंपनी की वार्षिक महासभा में दिया जाएगा/की जाएगी.
3. लाभांश का भुगतान रेकॉर्ड तारीख / बुक क्लोजर अवधि को लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा.

अंतरिम लाभांश :

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद, यदि वह लाभांश देने की स्थित में है, तो बोर्ड द्वारा अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाएगी.
2. लाभांश का भुगतान रेकॉर्ड / बुक क्लोजर तारीख को लाभांश पाने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.
3. यदि कोई लाभांश घोषित न किया गया हो तो वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश दिया गया हो तो उसे वार्षिक महासभा में अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा.

10. लाभांश का वितरण

लाभांश (अंतरिम और अंतिम) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कंपनी (लाभांश की घोषणा और उसका भुगतान) नियम, 2014, सेबी (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार शेयरधारकों में वितरित किया जाएगा. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 के अधीन यथानिर्दिष्ट 7 वर्ष के बाद अदत्त पड़े रहे अदत्त एवं अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा.

11. संशोधन

इस नीति के सभी परिवर्तन और संशोधन कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से किए जाएंगे.

अनुबंध - 'सी'

एससी / एसटी / ओबिसी / रिपॉरट - I

1 जनवरी 2018 को अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समूह	अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
	(यथा 01/01/2018 को)				सीधी भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह - ए	299	50	19	70	11	1	1	3	226	22	09		-	-	-
समूह - बी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह - सी	835	126	49	321	106	23	7	0	250	23	16		-	-	-
समूह - डी (सफाई कर्मचारी सहित)	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1144	176	68	396	117	24	8	3	476	45	25		-	-	-

* 06/01/2005 से आंकड़े (जिस तारीख को एमआरपीएल पीएसयू हुआ)

* * पीएसयू बनने से पहले एमआरपीएल में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं.

अनुबंध - 'सी'

एससी / **एसटी / ओबिसी /** रिपॉरट - II

1 जनवरी 2018 को विभिन्न समूह-'ए' सेवाओं में अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

वेतनमान (₹. में)	अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
	(यथा 01/01/2018 को)				सीधी भर्ती से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60000-180000(A)	88	16	2	26	2	0	0	1	09	-	-	-	-	-	-
70000-200000(B)	26	2	3	5	6	1	1	1	51	-	02	-	-	-	-
80000-220000(C)	98	19	7	24	1	0	0	1	69	12	02	-	-	-	-
90000-240000(D)	54	11	5	8	0	-	-	-	43	08	04	-	-	-	-
100000-260000(E)	21	1	2	5	0	-	-	-	12	-	01	-	-	-	-
120000-280000(F)	4	-	-	1	1	0	0	0	09	-	-	-	-	-	-
120000-280000(G)	1	-	-	-	1	0	0	0	16	01	-	-	-	-	-
120000-280000(H)	4	-	-	-	0	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
120000-280000(H2)	1	-	-	-	0	-	-	-	04	01	-	-	-	-	-
कुल	297	49	19	69	11	1	1	3	226	22	09	-	-	-	-

* 06/01/2005 से आंकड़े (जिस तारीख को एमआरपीएल पीएसयू हुआ)

* * पीएसयू बनने से पहले एमआरपीएल में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं.

निदेशक स्तर को छोड़कर

अनुबंध - 'सी'

1 जनवरी 2018 को सेवारत नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष के दौरान सीधी भर्ती/पदोन्नति दर्शाते हुए वार्षिक विवरण

सार्वजनिक उद्यम का नाम : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती 2017							पदोन्नति 2017						
	(01/01/2018 को)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH	VH	HH	OH	कुल	VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	299	-	3	6	1*	2*	1*	11	0	0	0	-	-	-	-	-	01	01
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	835	-	8	11	2**	0	0	106	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
D/DS	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1144**	**-**	**11**	**17**	**3**	**2**	**1**	**117**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**01**	**01**

* समूह ए में तीन नियुक्ति प्रस्ताव विज्ञापन सं. 72/2017 के तहत नि:शक्त (अर्थात 1VH, 1HH व 1OH) अभ्यर्थियों को जारी किए गए. अभ्यर्थी को अभी कार्यग्रहण करना है.

* * समूह सी में एक नियुक्ति प्रस्ताव विज्ञापन सं. 69/2016 के तहत नि:शक्त (अर्थात VH) अभ्यर्थी को जारी किया गया. अभ्यर्थी को अभी कार्यग्रहण करना है.

(i) VH का मतलब है दृष्टिहीनता से पीड़ित व्यक्ति (अंधत्व या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति

(ii) HH का मतलब है श्रणवहीना से पीड़ित व्यक्ति (श्रमण दोष से पीड़ित व्यक्ति

(iii) OH का मतलब है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्ति

अनुबंध - 'घ'

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

{कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 क धारा 134(3)(एम)}

अ. ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देती है और प्रक्रिया के इष्टतमीकरण, सतत् निगरानी और कई ऊर्जा संरक्षण आशोधनों के कार्यान्वयन के माध्यम से सक्रिय उपाय करती है.

वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख ऊर्जा संरक्षण उपाय निम्नलिखित हैं :

क) चरण-3 हाइड्रोकार्बन संस्फुरण हेडर के लिए संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली.

ख) 6.063 MW के चरम स्तर की संस्थापित क्षमता के साथ भारत में रिफाइनरी स्थल के भीतर सबसे बड़ी सौर परियोजना.

ग) क्रूड आवसन यूनिट-1 पूर्ण रेंज नेफ्था का क्रूड आसवन यूनिट-2 नेफ्था पृथक्करण यूनिट में प्रेषण, जिसके द्वारा क्रूड आसवन यूनिट-1 नेफ्था स्प्लिटर यूनिट को बंद करना.

घ) निम्न दबाव स्टीम उत्पन्न करके क्रूड आसवन यूनिट-1 अल्प अवशेष से ताप की प्राप्ति.

ङ) ताप रिकवरी स्टीम जनरेटर ½ मेक-अप वाटर हीटर सेवा के लिए संघनन स्थानांतरण पम्प का उपयोग और इसके द्वारा मेक-अप वाटर पम्पों को बंद करना.

च) शुष्क आईस क्लिनिंग के द्वारा ताप रिकवरी स्टीम जनरेटर-2 की ताप अंतरण कार्यकुशलता में सुधार लाना.

इन उपायों से 19635 SRFT/ वर्ष की मात्रा में अनुमानित ईंधन बचत (मानक रिफाइनरी ईंधन समतुल्य) हुई है जो लगभग रू. 49.85 करोड़ के निवेश के साथ लगभग रु. 46.12 करोड़/वर्ष की बचत के समान है.

I. ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे / विचारार्थ प्रमुख ऊर्जा संरक्षण उपाय

(i) हाइड्रोक्रैकर 1 व 2 रीसाइकल स्प्लिटर कॉलम में डीजल पंप का कार्यान्वयन

(ii) ठंडे अखनिजीकृत पानी से हाइड्रोक्रैकर ½ अपरिवर्तित तेल से ताप की प्राप्ति

(iii) तपन ताप रिकवर करने के लिए अमाइन पुनर्योजन यूनिट-3 के फ्लैश ड्रम ऑफ गैस को इंसिनरेटर यूनिट-3 में प्रवाहित करना.

(iv) सल्फर रिकवरी यूनिट-2 के लिए ओ2 संवर्धन : नाइट्रोजन यूनिट से एसआरयू थर्मल रिएक्टर को ओ2 संवर्धित वायु प्रेषित कर, अधिक ऐसिड गैस प्रोसेस की जा सकती है और इस प्रकार वाष्प उत्पत्ति में वृद्धि होगी.

(v) क्रूड आसवन यूनिट-1 केरोसिन को क्रूड आसवन यूनिट 2 में प्रवाहित करना जिसके द्वारा क्रूड आसवन यूनिट-1 केरोसिन के पास उपलब्ध ताप को रिकवर करना.

II. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

आपकी कंपनी ने देश में रिफाइनरी स्थान में स्थित सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर लिया है. 6.063 MW की कुल क्षमता के साथ सौर बिजली परियोजना रिफाइनरी परिसर के भीतर 34 स्थानों पर फैली है जिसमें आरसीसी तथा ढालू शीट स्टील छत दोनों शामिल हैं. मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा रु. 26 करोड़ की लागत पर निर्मित ये सौर संयंत्र प्रतिदिन 24,000 से अधिक यूनिट बिजली पैदा करते हैं जो वर्ष में 8.8 मिलियन यूनिट से अधिक है. यह कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण पर विशेष ध्यान के साथ संधारणीय विकास के संबंध में एमआरपीएल की प्रतिबद्धता का एक भाग है. इस परियोजना से प्रति वर्ष 2680 मीट्रिक टन समतुल्य तेल की औसत वार्षिक बचत होगी. समतुल्य मौद्रिक बचत लगभग रू. 6.30 करोड़ प्रति वर्ष होगी.

III. आपकी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग रु. 49.65 करोड़ का निवेश किया है.

आ. प्रौद्योगिकी समावेश

i) प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण

(क) सौर परियोजना : आपकी कंपनी ने देश में रिफाइनरी स्थान में स्थित सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर लिया है. 6.063 MW की कुल क्षमता के साथ सौर बिजली परियोजना रिफाइनरी परिसर के भीतर 34 स्थानों पर फैली है जिसमें आरसीसी तथा ढालू शीट स्टील छत दोनों शामिल हैं. मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा रु. 26 करोड़ की लागत पर निर्मित ये सौर संयंत्र प्रतिदिन 24,000 से अधिक यूनिट बिजली पैदा करते हैं जो वर्ष में 8.8 मिलियन यूनिट से अधिक है.

(ख) संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली (FGRS) : सामान्य प्रचालन के दौरान संस्फुर गैसों को प्राप्त करने के लिए चरण-3 हाइड्रोकार्बन संस्फुरण प्रणाली के संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली लगायी गयी है. प्राप्त की गई संस्फुर गैस रिफाइनरी ईंधन गैस के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है.

(ग) क्रूड आवसन यूनिट-2 में मौजूदा दो चरणीय बाई-इलेक्ट्रिक विलवणकों का दोहरी आवृत्ति उन्नयन. निम्न एपीआई भारी क्रूडों को प्रोसेस करने के लिए आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ट्रान्सफॉर्मरों, वितरकों तथा स्तर प्रेषित्रों को बदलकर क्रूड आवसन यूनिट-2 में मौजूदा दो चरणीय बाई-इलेक्ट्रिक विलवणकों का दोहरी आवृत्ति विलवणकों से उन्नयन किया. प्रौद्योगिकी मेसर्स स्लमबर्जर (पूर्ववर्ती पेट्रिको इंटरनेशनल मीडिल ईस्ट लि.) द्वारा प्रदान की गई. परियोजना मार्च 2018 में चालू हो गई.

(घ) निर्वात आसवन यूनिट-1 (VDU-1) में निर्वात गैस तेल (VGO) की पुन:प्राप्ति का अधिकतमीकरण : VDU-1 में VGO लब्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से VDU-1 कॉलम में संरचित पैकिंग के साथ यादृच्छिक पैकिंग के दो बेडों को मेसर्स शेल के स्वामित्व वाली स्कोइपैटोअर और फीड नोज़ल की स्थापना से प्रतिस्थापित किया गया.

(ङ) एसओ2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सल्फर रिकवरी प्रौद्योगिकी : VS-VI ईंधन विनिर्देशन को पूरा करने के लिए निकाले गये वृद्धिशील सल्फर को पुन:प्राप्त करने के लिए एक नई

सल्फर रिकवरी इकाई को कार्यान्वित किया जा रहा है. प्रौद्योगिकी मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा प्रदान की जा रही है. परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और दिसंबर 2019 तक चालू हो जाने की उम्मीद है.

(च) हीटर ऑनलाइन रासायनिक सफाई का देशीकरण: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आर एंड डी द्वारा विकसित एक ऑनलाइन रासायनिक सफाई प्रौद्योगिकी एमआरपीएल में उपयोग की गई. हीटरों के आर्क तापमान को प्रारंभिक तापमान पर लाने के लिए सीडीयू हीटर, जिसके द्वारा क्रूड प्रसंस्करण दर की निरंतरता बनाये रखना.

ii) प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि

(क) सौर परियोजना : अनुमानित बिजली उत्पादन 8.8 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है जो ~ 2680 मीट्रिक टन ऑयल के समतुल्य है. इसके अलावा CO_2 उत्सर्जन ~7000 MT प्रति वर्ष कम होने की आशा है.

(ख) संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली (FGRS): FGRS प्रणाली से रिफाइनरी हानि लगभग 7200 MTOE प्रति वर्ष कम होने का अनुमान है जिससे CO_2 उत्सर्जन में लगभग 18000 MT प्रतिवर्ष कमी होगी.

iii) आयातिक प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गिनते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) :

(क) पॉलीप्रॉपीलीन प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी आयात के ब्यौरे :

प्रॉपीलीन से मूल्यवर्धित पॉलीप्रॉपीलीन के उत्पादन के लिए रिफाइनरी ने मेसर्स नोवालेन टेक्नोलॉजी से पॉलिमराइजेशन प्रौद्योगिकी कार्यान्वित की है.

आयात वर्ष : प्रौद्योगिकी का समावेश वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया.

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश हो गया है : हॉ. प्रौद्योगिकी का समावेश वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया.

(ख) संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली

प्रौद्योगिकी आयात के ब्यौरे :

संस्फुर गैसों को प्राप्त करने के लिए चरण-3 हाइड्रोकार्बन संस्फुरण प्रणाली के संस्फुर गैस रिकवरी प्रणाली लगायी गयी है. प्राप्त की गई संस्फुर गैस रिफाइनरी ईंधन गैस के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है. संस्फुर गैस रिकवरी के लिए प्रयुक्त लिक्विड रिंग कम्प्रेशर की आपूर्ति मेसर्स गैरो डॉट इंग रॉबर्टो गैबियोनेटा एस.पी.ए; द्वारा की गई है.

आयात वर्ष : वित्तीय वर्ष 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश हो गया है : हॉ.

(ग) क्रूड आवसन यूनिट-2 में मौजूदा दो चरणीय बाई-इलेक्ट्रिक विलवणकों का दोहरी आवृत्ति उन्नयन.

प्रौद्योगिकी आयात के ब्यौरे :

निम्न एपीआई भारी क्रूडों को प्रोसेस करने के लिए आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ट्रान्सफॉर्मरों, वितरकों तथा स्तर प्रेषित्रों को बदलकर क्रूड आवसन यूनिट-2 में मौजूदा दो चरणीय बाई-इलेक्ट्रिक विलवणकों का दोहरी आवृत्ति विलवणकों से उन्नयन किया. प्रौद्योगिकी मेसर्स स्लमबर्जर पूर्ववर्ती पेट्रिको इंटरनेशनल (मीडिल ईस्ट) लि. द्वारा प्रदान की गई.

आयात वर्ष : वित्तीय वर्ष 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश हो गया है : हॉ.

(घ) एफसीसी गैसोलीन ट्रीटर (FGT)

प्रौद्योगिकी आयात के ब्यौरे :

BS-Vi परियोजनाओं के एक भाग के रूप में BS-VI MS सल्फर विनिर्देशन को पूरा करने के लिए मेसर्स एक्सेन्स आईएफपी ग्रुप टेक्नोलॉजी फ्रांस से प्राइम G+ प्रौद्योगिकी आयातित की गई है.

आयात वर्ष : वित्तीय वर्ष 2017-18

क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश हो गया है : परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और दिसंबर 2019 तक चालू हो जाने की उम्मीद है.

iv) अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप (R&D)

(क) R&D कार्यकलापों को मुख्यत: प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्प्रेरक विकास, क्षरण न्यूनीकरण, प्रक्रिया इष्टतमीकरण ओर आंतरिक तथा/या अन्य संस्थाओं के साथ सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से मुख्य उत्पाद विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

(ख) कंपनी ने नैनो उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरी भुक्तशेष कॉस्टिक की उपचायक अभिक्रिया के लिए पेटेंट आवेदन किया है. आवेदन दिनांक 16/03/2017 को दाखिल किया गया (सं. 201741009155). अंतिम तकनीकी विनिर्देशन दिसंबर 2017 में पूरे किए गए. मामला पेटेंट कार्यालय में विचाराधीन है.

(ग) कंपनी रिफाइनरी प्रचालनों से मूल्ययोजित उत्पादों के विकास के लिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर के अंतर्गत) के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान चलाती है. परियोजना 15/11/2017 को शुरू हुई थी और समय पर है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

क्र.सं	विवरण	₹. करोड़ में
क)	पूंजी	0.21
ख)	राजस्व	1.78
	योग	1.99

अ. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(₹. करोड़ में)

	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17
विदेशी मुद्रा अर्जन (निर्यात का FOB मूल्य	12,716	10,031
विदेशी मुद्रा व्यय	47,303	45,122

अनुबंध - 'ड़'

फॉर्म सं. **MGT-9**

वार्षिक विवरणी का सारांश

यथा 31/03/2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम**,** 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में **]**

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i) CIN : L23209KA1988GOI008959

ii) पजीकरण दिनांक : 07/03/1988

iii) कंपनी का नाम : मंगूलर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/ उप-श्रेणी : अनुसूची 'ए' की मिनी रत्न श्रेणी 1 का सरकारी उपक्रम

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे : मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला
मंगलूर -575030, फोन : 0824 2270400

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : हॉ

vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता
और संपर्क ब्यौरा : मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि. : सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस., विक्रोली पश्चिम
मुंबई - 400083
फोन : +912249186270
फैक्स नं. +912249186060
ई-मेल : mrplirc@linkintime.co.in
वेबसाईट : www.linkintime.co.in

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा :

क्रम सं;	**प्रमुख उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं वर्णन**	**उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड विनिर्माण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (NPCMS)**	**कंपनी के कारोबार का %**
1	रिफाइनरी	192-परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	100

III. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी/संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के विवरण :

क्र.सं.	**कंपनी का नाम और पता**	**CIN**	**नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनी**	**धारित इक्विटी शेयरों का**	**कंपनी अधिनियम, 2013 की लागू धाराएं**
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	L74899DL1993GOI054155	नियंत्रक	71.63	2(46)
2	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	U40107KA2006GOI041258	सहायक	51.00	2(87)
3	शेल एमआरपीएल एविएशन एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	U51909KA2008PLC045558	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी	50.00	2(6)
4	मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	U45209KA2006PLC038590	सहयोगी	कुच नहिं	2(6)
5	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	U85110KA1998PLC024020	सहयोगी	कुच नहिं	2(6)

IV. 31/03/2018 को शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विश्लेषित विवरण

1. **श्रेणी-वार शेयरधारिता**

शेयरधारकों की श्रेणी	**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
	डीमैट	**भौतिक**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	**डीमैट**	**भौतिक**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	
क. प्रवर्तक									
1. भारतीय									
(क) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग) कंपनी निकाय	1552507615	0	1552507615	88.58	1552507615	0	1552507615	88.58	0.00
(घ) बैंक / वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग : (क)(1)	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई - व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग) कंपनी निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ) बैंक / वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग : (क)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1) + (क)(2)	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता			0	0.00					
(1) संस्थाएं			0	0.00					
(क) म्यूच्युअल फंड	24067747	144958	24212705	1.38	27858740	139558	27998298	1.60	0.22
(ख) बैंक	113350	12950	126300	0.01	525113	11950	537063	0.03	0.02
(ग) वित्तीय संस्थाएं	30008819	34000	30042819	1.71	24430242	34000	24464242	1.40	-0.32
(घ) केन्द्र सरकार	2400	0	2400	0.00	9987775	0	9987775	0.57	0.57
(ङ,) राज्य सरकार	300	0	300	0.00	500	0	500	0.00	0.00
(च) द्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(छ) बीमा कंपनियां	239505	0	239505	0.01	239505	0	239505	0.01	0.00
(ज) एफआईआई एस	5345663	100	5345763	0.31	2126691	0	2126691	0.12	-0.18
(झ) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ञ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग (ख)(1)	**59777784**	**192008**	**59969792**	**3.42**	**65168566**	**185508**	**65354074**	**3.73**	**0.31**
(2) गैर-संस्थाएं									
(क) कंपनी निकाय									
(i) भारतीय	7697584	127752	7825336	0.45	15608397	95775	15704172	0.90	0.45

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(ii) समुद्रपारीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग) व्यक्ति			0	0.00			0	0.00	0.00
(i) रु. 1 लाख तक नाम मात्र शेयर पूंजी धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक	54372455	34043996	88416451	5.04	52240858	24841989	77082847	4.40	-0.65
(ii) रु. 1 लाख से अधिक नाम मात्र शेयर पूंजी धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक	7204407	0	7204407	0.41	6407993	0	6407993	0.37	-0.05
(ख) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
अनिवासी भारतीय (अप्रत्यावर्तनीय)	673289	200	673489	0.04	723028	200	723228	0.04	0.00
अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय)	1584505	5121650	6706155	0.38	1459919	4674450	6134369	0.35	-0.03
विदेशी नागरिक	700	0	700	0.00	600	0	600	0.00	0.00
विदेशी संविभाग निवेशक (कॉरपोरेट)	26202242	0	26202242	1.50	24805739	0	24805739	1.42	-0.08
अविभक्त हिंदू परिवार	1598470	100	1598570	0.09	1374687	100	1374787	0.08	-0.01
निदेशक/रिश्तेदार	500	0	500	0.00	200	0	200	0.00	0.00
न्यास	8920	1125	10045	0.00	1875661	1125	1876786	0.11	0.11
समाशोधन सदस्य	1483475	0	1483475	0.08	626367	0	626367	0.04	-0.05
उप-योग (ख)(2)	**100826547**	**39294823**	**140121370**	**8.00**	**105123449**	**29613639**	**134737088**	**7.69**	**-0.31**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) +(ख)(2)	**160604331**	**39486831**	**200091162**	**11.42**	**170292015**	**29799147**	**200091162**	**11.42**	**0.00**
ग. GDR और ADR के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
कुल योग (क + ख + ग)	**1713111946**	**39486831**	**1752598777**	**100.00**	**1722799630**	**29799147**	**1752598777**	**100.00**	**0.00**

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए शेयरों का %	
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.63	0.00	1255354097	71.63	0.00	0.00
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	297153518	16.95	0.00	297153518	16.95	0.00	0.00
	कुल	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**1552507615**	**88.58**	**0.00**	**0.00**

iii. प्रवर्तको की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	1552507615	88.58	1552507615	88.58
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के शेयर में दिनांक-वार वृद्धि / कमी (अर्थात आबंटन / अंतरण / बोनस/ अतिरिक्त इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	वर्ष के अंत में	**1552507615**	**88.58**	**1552507615**	**88.58**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

IV शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा **GDR** तथा **ADR** धारकों से भिन्न)

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	**29701292**	**1.6947**	**29701292**	**1.6947**
	03 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-575000	-0.0328	29126292	1.6619
	10 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-1071436	-0.0611	28054856	1.6008
	17 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-956376	-0.0546	27098480	1.5462
	24 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-500000	-0.0285	26598480	1.5177
	01 दिसंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-550000	-0.0314	26048480	1.4863
	15 दिसंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-100000	-0.0057	25948480	1.4806
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-300000	-0.0171	25648480	1.4635
	12 जनवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-510000	-0.0291	25138480	1.4344
	19 जनवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-545000	-0.0311	24593480	1.4033
	26 जनवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-200000	-0.0114	24393480	1.3918
	02 फरवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-150765	-0.0086	24242715	1.3832
	09 फरवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-40000	-0.0023	24202715	1.3810
	09 मार्च 2018 (बाजार में बिक्री)	-80000	-0.0046	24122715	1.3764
	वर्ष के अंत में			**24122715**	**1.3764**
2	**आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड A/C आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड**	**2600000**	**0.1484**	**2600000**	**0.1484**
	14 अप्रैल 2017 (बाजार में खरीदारी)	48000	0.0027	2648000	0.1511
	28 जुलाई 2017 (बाजार में खरीदारी)	2142000	0.1222	4790000	0.2733
	04 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	1375000	0.0785	6165000	0.3518
	11 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	2155500	0.1230	8320500	0.4748
	18 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	1708500	0.0975	10029000	0.5722
	25 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	1717000	0.0980	11746000	0.6702
	01 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	4143900	0.2364	15889900	0.9066
	08 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	31500	0.0018	15921400	0.9084
	15 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	375000	0.0214	16296400	0.9298
	22 सितंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-140000	-0.0080	16156400	0.9219

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
	29 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	250000	0.0143	16406400	0.9361
	27 अक्टूबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-100000	-0.0057	16306400	0.9304
	03 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-975000	-0.0556	15331400	0.8748
	10 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-723000	-0.0413	14608400	0.8335
	01 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	574000	0.0328	15182400	0.8663
	08 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	699870	0.0399	15882270	0.9062
	15 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	100000	0.0057	15982270	0.9119
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	1302000	0.0743	17284270	0.9862
	29 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	696000	0.0397	17980270	1.0259
	02 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	300000	0.0171	18280270	1.0430
	09 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	500000	0.0285	18780270	1.0716
	23 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	92315	0.0053	18872585	1.0768
	वर्ष के अंत में			**18872585**	**1.0768**
3	**फाइडेलटी फंड - एशियन स्मालर कंपनीज पूल**	**1316157**	**0.0751**	**1316157**	**0.0751**
	04 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	759153	0.0433	2075310	0.1184
	08 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	271448	0.0155	2346758	0.1339
	26 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	833567	0.0476	3180325	0.1815
	02 Feb 2018 (बाजार में खरीदारी)	1134919	0.0648	4315244	0.2462
	09 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	686942	0.0392	5002186	0.2854
	वर्ष के अंत में			**5002186**	**0.2854**
4	**एल एंड टी म्युच्यूअल ट्रस्टी लि. - एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड**	**4598700**	**0.2624**	**4598700**	**0.2624**
	21 अप्रैल 2017 (बाजार में खरीदारी)	650000	0.0371	5248700	0.2995
	28 जुलाई 2017 (बाजार में बिक्री)	-385200	-0.0220	4863500	0.2775
	04 अगस्त 2017 (बाजार में बिक्री)	-324000	-0.0185	4539500	0.2590
	29 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	9000	0.0005	4548500	0.2595
	06 अक्टूबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	430700	0.0246	4979200	0.2841
	13 अक्टूबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	108000	0.0062	5087200	0.2903
	27 अक्टूबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	63000	0.0036	5150200	0.2939
	08 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	117000	0.0067	5267200	0.3005
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	247500	0.0141	5514700	0.3147
	26 जनवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-234000	-0.0134	5280700	0.3013
	02 फरवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-144000	-0.0082	5136700	0.2931
	09 फरवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-157500	-0.0090	4979200	0.2841
	वर्ष के अंत में			**4979200**	**0.2841**
5	**बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.**	**0**	**0.0000**	**0**	**0.0000**
	18 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	500000	0.0285	500000	0.0285
	25 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	600000	0.0342	1100000	0.0628
	01 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	1698910	0.0969	2798910	0.1597
	08 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	201090	0.0115	3000000	0.1712

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
	22 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	200000	0.0114	3200000	0.1826
	29 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	600000	0.0342	3800000	0.2168
	13 अक्टूबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-500000	-0.0285	3300000	0.1883
	27 अक्टूबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	204000	0.0116	3504000	0.1999
	03 नवंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-604000	-0.0345	2900000	0.1655
	10 नवंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	250000	0.0143	3150000	0.1797
	24 नवंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	800000	0.0456	3950000	0.2254
	15 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	299900	0.0171	4249900	0.2425
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	200100	0.0114	4450000	0.2539
	12 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	450000	0.0257	4900000	0.2796
	19 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	500000	0.0285	5400000	0.3081
	09 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	147969	0.0084	5547969	0.3166
	23 मार्च 2018 (बाजार में बिक्री)	-700000	-0.0399	4847969	0.2766
	वर्ष के अंत में			**4847969**	**0.2766**
6	**वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टाक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की ए श्रृंखला**	**4132814**	**0.2358**	**4132814**	**0.2358**
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	-5525	-0.0003	4127289	0.2355
	26 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	19975	0.0011	4147264	0.2366
	02 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	17850	0.0010	4165114	0.2377
	वर्ष के अंत में			**4165114**	**0.2377**
7	**एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.**	**0**	**0.0000**	**0**	**0.0000**
	07 अप्रैल 2017 (बाजार में खरीदारी)	200000	0.0114	200000	0.0114
	19 मई 2017 (बाजार में बिक्री)	-50000	-0.0029	150000	0.0086
	04 अगस्त 2017 (बाजार में बिक्री)	-150000	-0.0086	0	0.0000
	18 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	100000	0.0057	100000	0.0057
	25 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	30000	0.0017	130000	0.0074
	01 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	100000	0.0057	230000	0.0131
	08 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	70000	0.0040	300000	0.0171
	15 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	500000	0.0285	800000	0.0456
	22 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	339100	0.0193	1139100	0.0650
	29 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	418781	0.0239	1557881	0.0889
	05 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	980000	0.0559	2537881	0.1448
	12 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	520000	0.0297	3057881	0.1745
	19 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	547393	0.0312	3605274	0.2057
	02 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	300000	0.0171	3905274	0.2228
	09 फरवरी 2018 (बाजार में बिक्री)	-242381	-0.0138	3662893	0.2090
	23 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	400000	0.0228	4062893	0.2318
	वर्ष के अंत में			**4062893**	**0.2318**

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
8	**गोल्डमैन सैच इंडिया लिमिटेड**	**0**	**0.0000**	**0**	**0.0000**
	16 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	284631	0.0162	284631	0.0162
	23 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	1526043	0.0871	1810674	0.1033
	02 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	46349	0.0026	1857023	0.1060
	09 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	1098927	0.0627	2955950	0.1687
	16 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	592631	0.0338	3548581	0.2025
	23 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	73851	0.0042	3622432	0.2067
	वर्ष के अंत में			**3622432**	**0.2067**
9	**एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**	**2076360**	**0.1185**	**2076360**	**0.1185**
	12 मई 2017 (बाजार में बिक्री)	-991	-0.0001	2075369	0.1184
	19 मई 2017 (बाजार में बिक्री)	-578828	-0.0330	1496541	0.0854
	23 जून 2017 (बाजार में बिक्री)	-66	0.0000	1496475	0.0854
	30 जून 2017 (बाजार में बिक्री)	-29759	-0.0017	1466716	0.0837
	21 जुलाई 2017 (बाजार में बिक्री)	-1865	-0.0001	1464851	0.0836
	11 अगस्त 2017 (बाजार में खरीदारी)	-20698	-0.0012	1444153	0.0824
	01 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	197500	0.0113	1641653	0.0937
	15 सितंबर 2017 (बाजार में बिक्री)	10750	0.0006	1652403	0.0943
	22 सितंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	-9354	-0.0005	1643049	0.0937
	13 अक्टूबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	14300	0.0008	1657349	0.0946
	17 नवंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	4750	0.0003	1662099	0.0948
	08 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	170250	0.0097	1832349	0.1046
	15 दिसंबर 2017 (बाजार में खरीदारी)	172450	0.0098	2004799	0.1144
	05 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	8483	0.0005	2013282	0.1149
	26 जनवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	400011	0.0228	2413293	0.1377
	09 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	250000	0.0143	2663293	0.1520
	23 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	250001	0.0143	2913294	0.1662
	वर्ष के अंत में			**2913294**	**0.1662**
10	**वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**	**2510382**	**0.1432**	**2510382**	**0.1432**
	23 फरवरी 2018 (बाजार में खरीदारी)	101114	0.0058	2611496	0.1490
	02 मार्च 2018 (बाजार में खरीदारी)	187435	0.0107	2798931	0.1597
	वर्ष के अंत में			**2798931**	**0.1597**

V. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
1	**श्री शशि शंकर, अध्यक्ष**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं.	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
2	**श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	200	0.00	200	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं.	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**200**	**0.00**
3	**श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं.	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
4	**श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
5	**श्री विनोद एस. शेणै, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
6	**सुश्री मंजुला सी.**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
7	**श्री वी. पी. हरन**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00	0	0.00
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
8	**श्री सेवा राम**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
9	**डॉ. जी. के. पटेल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
10	**श्री बलबीर सिंह**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
11	**श्री के. एम. महेश, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
12	**श्री संजय कुमार जैन, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
13	**श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	लेन-देन/अंतरण/ बोनस/ स्वेद इक्विटी आदि की सं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**

V ऋणग्रस्तता

बकाया / उपचित, किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(₹. करोड़ में)

	जमाराशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	4,557.93	3,983.03	-	8,540.96
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii) उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	42.96	0.08	-	43.04
कुल : (i+ii+iii)	**4,600.89**	**3,983.11**	-	**8,584.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) परिवर्धन	69.70	14,758.51	-	14,828.21
ii) कमी	1,962.07	13,459.50	-	15,421.57
निवल परिवर्तन	**(1,892.37)**	**1,299.01**	-	**(593.36)**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	2,678.43	5,271.73	-	7,950.16
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii) उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	30.09	10.39	-	40.48
कुल : (i+ii+iii)	**2,708.52**	**5,282.12**	-	**7,990.64**

VI निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक तथा पूर्ण कालिक निदेशकों को पारिश्रमिक :

(₹. करोड़ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	श्री एच. कुमार, प्र.नि.	श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)	श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त)	कुल राशि
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.66	0.62	0.55	1.83
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.06	0.06	0.06	0.18
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक ऑप्शन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेद इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	**0.72**	**0.68**	**0.61**	**2.01**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(₹. करोड़ में)

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क
सुश्री मंजुला सी.	0.09
श्री वी. पी. हरन	0.04
श्री सेवा राम	0.04
डॉ. जी. के. पटेल	0.04
श्री बलबीर सिंह	0.04

ग. प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹.करोड़ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	दिनेश मिश्रा कंपनी सचिव
1	सकल वेतन	
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.39
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.01
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	शून्य
	स्टॉक ऑप्शन	शून्य
	स्वेद इक्विटी	शून्य
	अन्य	शून्य
	कुल	**0.40**

VII जुर्माना / दंड / अपराध शमन : कुछ नहीं

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जुर्माने / दंड अथवा अपराध शमन की कोई घटना नहीं हुई है.

अनुबंध -'च'

फॉर्म AOC-2

[कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में**]**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / ठहरावों और उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों के विवरणों को प्रकट करने का फॉर्म

1. स्वतंत्र आधार पर न की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या ठहरावों अथवा संव्यवहारों के विवरण

संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	**संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों का स्वरूप**	**संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं**	**ऐसी संविदाएं / ठहराव/ संव्यवहार करने का औचित्य**	**निदेशक मंडल के अनुमोदन की तारीखा**	**अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो**	**धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित महासभा में पारित विशेष संकल्प की तारीख**
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या ठहरावों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र.सं.	**संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप**	**संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों का स्वरूप**	**संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं**	**बोर्ड / लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन की तारीक्ष**	**अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो**
1	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)	OMPLको सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फीड स्टॉक का और OMPL से वापसी अनुप्रवाह का अंतरण	चालू संविदा	OMPLको सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फीड स्टॉक का और OMPL से वापसी अनुप्रवाह का अंतरण	08/02/2014	शून्य
2	ONGC*	क्रूड तेल की बिक्री संबंधी करार	01/04/2016 से 31/03/2018 तक जिसे30/09/2018 तक बढाया गया.	कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गई कीमतों पर आबंटित मात्रा के सुपुर्दगी स्थान पर ONGC से क्रूड तेल की खरीदी.	#	शून्य
3	ONGC*	मीयादी ऋणों पर ब्याज	7 वर्ष, 31/12/2020 तक	चरण-3 तथा पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना के लिए दीर्घावधि ऋण. ब्याज दर है FIMMDA के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए G-Sec प्रतिफल +40 आधार बिंदु. हर वर्ष 1 अप्रैल को दर पुन: तय की जाएगी.	03/09/2016	शून्य
4	ONGC*	ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की आपूर्ति	02/09/2016 से 30/09/2019	जब कभी जरूरत पड़े, एमआरपीएल जेटी, मगलूर मे नि:शुल्क सुपुर्दगी से ONGC के अपतटीय स्थानों पर HFHSD की सुपुर्दगी	07/02/2017	शून्य
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. ,(HPCL)	ONGC और HPCL के बीच उत्पाद के क्रय-विक्रय के बारे मे MOU, ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना	चालू संविदा	(1) उत्पाद के क्रय-विक्रय, बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना. जब तक परस्पर अन्यथा सहमति न हुई हो, उत्पादों (MS/HSD/SKO/ATF/LPG) का कीमत निर्धारण, समय-समय पर विद्यमान PSU OMC की मौजूदा शर्तों के अनुरूप होगा. (2) HPCL अपने मंगलूर, हासन और देवंनगुंथी टर्मिनलों से ONGC को आतिथ्य की व्यवस्था के अंतर्गत सड़क और रेल टर्मिनल सेवाएं प्रदान करेगा ताकिक आरओ / ग्राहकों को आपूर्ति करना संभव हो.	#	शून्य

क्र.सं	संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों का स्वरूप	संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / ठहरावों / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड / लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन की तारीक्ष	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो
6	शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स सर्विसेज़ लि.	जेट ईंधन क्रय-विक्रय एवं अवरचना साझा करने संबंधी करार	चालू संविदा	भारत में तेल विपणन कंपनी को घरेलू बिक्री के अनुरूप जेट ईंधन का क्रय-विक्रय तथा कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गई कीमतों पर अवरचना को साझा करना.	#	शून्य
7(क)	मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पानी की आपूर्ति और उपचारित बहि:स्राव के निपटान के लिए करार	चालू संविदा	MSEZL द्वारा खरीदी गई जमीन में एमआरपीएल के लिए जल संबंधी संरचनाओं और उपचारित बहि:स्राव के निपटान संबंधी संरचनाओं का विकास, जिसमें शामिल हैं - जल स्रोत संबंधी संरचना, एमआरपीएल की बैटरी सीमाओं तक पाइपलाइन हस्तांतरण तंत्र, संग्रहण और जल वितरण तथा उपचारित बहि:स्राव के निपटान के लिए आवश्यक अवरचना स्थापित करना.	14/09/2014	शून्य
7 (ख)	मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पाइपलाइन सह रोड कॉरिडोर स्थापित करना	19/03/2016 से	एमआरपीएल को हक है कि वह अपने प्रचालन के लिए पाइपलाइन सह रोड कॉरिडोर के पाइप रैक /स्लीपर्स खंड का उपयोग करे और साथ ही प्रयुक्त 'प्रभावी अंतराल' की सीमा तक प्रवेश करे.	09/03/2016	रु. 90.00 करोड़
7 (ग)	मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पीपी-पेट कोक रिक्तीकरण सड़क और ट्रक पार्किंग बनाना	05/12/2016 से	एमआरपीएल ने ट्रक पार्किंग क्षेत्र (1.30 एकड़) के साथ रिक्तीकरण सड़क (10.1757 एकड़) के निर्माण के प्रति MSEZLको वापस न करने योग्य रु. 11.34 करोड़ की एकबारीय रकम अदा की है. उपर्युक्त करार की पट्टा अवधि 05/12/2016 से प्रारंभ होगी जो 27/01/2060 तक विधिमान्य होगी.	07/02/2017	रु. 11.34 करोड़

*सरकारी कंपनियां

लागू नहीं

टिप्पणी : कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05/06/2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23 के अनुसार रिपोर्ट करने के सिलसिले में दो सरकारी कंपनियों के बीच संबंधित पक्षकारों को संव्यवहार करने की छूट देती है.

अनुबंध - 'छ'

फॉर्म सं. MR-3

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम**,** 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में**]**

सेवा में

सदस्य,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव

कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला,

मंगलूर - 575030

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इसके द्वारा अपनायी जाती रही अच्छे कंपनी व्यवहार के अनुपालन को लेकर साचिविक लेखा परीक्षा की. साचिविक लेखा परीक्षा इस तरह से की गई जिससे मुझे/हमें कंपनी के आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों और विवरणियों और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मेरी ओर से किए गए सत्यापन के आधार पर मैं यह रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने अपने यहां बोर्ड संबंधी प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्रको उस सीमा तक, उस तरीके से लागू किया है जिसका जिक्र इसके आगे रिपोर्टिंग में किया गया है.

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों और विवरणियों एवं अन्य रिकॉर्डों का यहां नीचे दिये गये प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(vi) कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक रोजगार (स्थयी आदेश) अधिनियम, 1946, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956;

(vii) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उनके अधीन बनाए गए नियम;

(viii) गैस सिलेंडर नियम, पेट्रोलियम नियम और भारतीय बॉयलर विनियम और भारतीय बॉयलर अधिनियम के प्रावधान;

(ix) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1898/2005-जीएम में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश,

(x) निवेश एवं सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी संरचना के बारे में जारी दिशानिर्देश;

(xi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी के लिए लागू नहीं हुए :

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998;

(xii) हमने नीचे उल्लिखित खंडों में से लागू खंडों के अनुपालन को लेकर भी परीक्षण किया :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानक

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. के साथ किए गए एकसमान सूचीबद्धता करार,

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है :

(i) कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है और इस प्रकार बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों को पूरा नहीं करती है.

(ii) लेखा परीक्षा समिति और नामांकन / पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान 01/04/2017 से 25/10/2017 की अवधि के दौरान पूरे नहीं किए गए.

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

ऊपर क्र.सं. (i) और (ii) में दिए गए संप्रेक्षणों के अधीन कंपनी के निदेशक मंडल में यथा 31 मार्च 2018 को एमआरपीएल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किए गए.

बोर्ड की बैठकों की अनुसूची के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और कार्यसूची तथा कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची से संबंधित मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है.

वर्ष के दौरान बोर्ड के सभी निर्णय कंपनी के प्रवर्तक ओएनजीसी और एचपीसीएल के बीच हुए शेयरधारक करार के अनुरूप हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में ऐसी पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं है जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उक्त लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों का अनुसरण करते हुए ऐसी कोई निर्दिष्ट घटना नहीं हुई / कार्रवाई नहीं की गई जिसका कंपनी के कामकाज पर भारी प्रभाव पड़े.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
नरेश कुमार सिन्हा
मालिक
दिनांक : 21/06/2018 FCS : 1807
स्थान : मंगलूर COP : 14984

सेवा में
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर,
मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575030
कर्नाटक

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. साचिविक अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इस साचिविक अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है.
2. हमने लेखापरीक्षा संबंधी ऐसी पद्धतियां और प्रक्रियाएं अपनायी है जो साचिविक अभिलेखों की अंतर्वस्तुओं की यथातथ्यता के बारे में उचित आश्वासन पाने के लिए उपयुक्त थीं. सत्यापन करते समय यादृच्छिक परीक्षण किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हुए हैं. हमें विश्वास है कि हमारी ओर से अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारी राय में उचित आधार प्रदान करती हैं.
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखाबहियों की यथातथ्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
4. जहां कहीं आवश्यक लगा, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है.
5. कंपनी के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर कार्यविधियों का सत्यापन करने तक सीमित रहा.
6. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का, न ही कंपनी का कामकाज संभालते रहे प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता या प्रभाविता का आश्वासन देती है.

कृते कुमार नरेश सिन्हा एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
नरेश कुमार सिन्हा
मालिक
दिनांक : 21/06/2018 FCS : 1807
स्थान : मंगलूर COP : 14984

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 29.06.2018 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है. सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बिना अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है. मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आयी है जिस पर टिप्पणी करनी पड़े अथवा जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए संपूरक हो.

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा की ओर से,
हस्ता/-
(आर. अम्बालवानन)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29.06.2018

---

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा धारा 129(4) के साथ पठित 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित स्वतंत्र लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा धारा 129(4) के साथ पठित 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 29.06.2018 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(ख) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है. हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख) एक निजी उद्यम होने के नाते शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को लागू नहीं होती है. तदनुसार C&AG ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की. सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है और यह मूल रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आयी है जिस पर टिप्पणी करनी पड़े अथवा जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए संपूरक हो.

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा की ओर से,
हस्ता/-
(आर. अम्बालवानन)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29.06.2018

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2017-18

1. आर्थिक विहंगावलोकन

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017 में व्यापक वृद्धि दर्ज की. 2016 में आई उछाल को जारी रखते हुए पिछले वर्ष में 3.8% की वृद्धि हासिल हुई. यह विकसित देशों और उभरते राष्ट्रों दोनों में वृद्धि का परिणाम है. हालांकि दुनिया भर में पिछले वर्ष ईक्विटी बाजार में ऊथल-पुथल रही, वित्तीय स्थितियां स्थिर रही. इस स्थिरता से आगामी वर्ष में भी सतत् वृद्धि की संभावनाएं बरकरार रही जिसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2018 में 3.9% का अनुमान है.

पिछले राजकोषीय वर्ष में वृद्धि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में जोरदार सतत् वृद्धि, यूरोप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में उछाल और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश प्रेरित वृद्धि द्वारा संचालित रही है.

औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और मुद्रास्फीति के वैश्विक कार्यकलाप संकेतक वृद्धि में उछाल दर्शाते हैं. दुनिया भर में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि जारी रही, जबकि पिछले वर्ष में वैश्विक व्यापार में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई. प्रमुख वैश्विक निर्यातकों अर्थात् यूएस, यूके, जर्मनी और जापान ने निर्यातों में सुधार (रिकवरी) में योगदान दिया. चीन और भारत ने भी निवल निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की जिससे वैश्विक व्यापार में समग्र वृद्धि हुई. मुद्रा में स्थिरता और डालर के मुकाबले मजबूती जैसे विभिन्न कारकों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में व्यापक स्थिरता आई, हालांकि तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि 2017 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई.

वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा 2018 के दौरान अपना संवृद्धि पथ जारी रखने की उम्मीद है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2017 के पूर्वानुमान पर वृद्धि दर में 0.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है. अल्पावधि में इसके बने रहने की उम्मीद है और मध्यावधि में यह सामान्य हो जाएगा क्योंकि चक्रीय परिवर्तन वृद्धि कारकों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.4% से 2.5% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, विशेषकर एशिया में, 6.5% से अधिक की वृद्धि का अनुमान है. वर्तमान रिकवरी नीतियों तथा सुधारों को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करती है जिससे हालिया तेजी सुरक्षित होगी और मध्यावधि वृद्धि की संभावना मजबूत होगी. ऐसी नीतियों को उच्चतर तथा अधिक समावेशी वृद्धि के लिए संभावना को मजबूत बनाने, भावी गिरावट से निपटने के लिए बफर बनाने, बाजार जोखिम और स्थिरता चिंताओं पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय समुत्थानशीलता में सुधार लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संपोषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

वैश्विक रूप से वृद्धि जोखिम के अल्पावधि में संतुलित रहने की उम्मीद है और सतत् वृद्धि की प्रत्याशाएं समग्र सकारात्मक संभावनाओं में फलीभूत होनी चाहिएं. तथापि, अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा और अन्य देशों द्वारा प्रतिकारात्मक कदमों के बाद हालिया घटनाएं वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि में संकुचन आएगा. मध्यावधि से दीर्घावधि में मुख्यत: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत परिवर्तनों के कारण संवृद्धि पर दबाव पड़ सकता है जिससे वैश्विक व्यापार उदारीकरण के समर्थन में गिरावट आयेगी. आर्थिक जोखिमों के अलावा, भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम प्रतिकूल दिखाई देते हैं क्योंकि मीडिल ईस्ट में व्याप्त तनाव का अल्पावधि से मध्यावधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ,विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र पर, पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा.

हालांकि समग्र रूप में जोखिम संतुलित दिखाई देता है, अधिक वैश्विक व्यापार के पक्ष में नीतिगत परिवर्तनों और संधारणीय वृद्धि के प्रति वैश्विक सहयोग की स्थिति में जोखिम कुछ सीमा तक कम हो जाएंगे.

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत 6.7% की संवृद्धि दर दर्ज करते हुए 2017-18 में तेजी से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का पूर्वानुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो वर्षों में 7.4% और 7.8% की दर से बढ़ेगी. 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन हुए, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1 जुलाई 2017 के माल एवं सेवा कर (GST) को लागू करना था. प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद अर्थव्यवस्था जोरदार संवद्धि दर्ज करने के लिए वर्ष की दूसरी छमाही में सामान्य हो गई. निवेशों, राजकोषीय नीति और स्थिर मौद्रिक नीति पर विशेष ध्यान देने से भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पावधि से मध्यावधि में सतत् संवृद्धि की दिशा के अग्रसर है.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सब्सिडी में रिसाव की रोकथाम सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से व्यय को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देने के फलस्वरूप चालू खाता घाटा 1.5-2% के स्तर पर नियंत्रण में रहा. हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष के अधिकांश भाग में 4% की लक्ष्य मुद्रास्फीति से कम रही. तथापि वर्ष के अंत में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.2% हो गई, जबकि वास्तविक मुद्रास्फीति 4.2% के आस-पास रही.

भारत का निर्यात 2017-18 में 9.8% बढ़कर 302.8 बिलियन यूएस डालर हो गया और वर्ष के दौरान आयात 19.6% बढ़कर 459.7 बिलियन यूएस डालर हो गया जो अंशत: पण्य मूल्यों में वृद्धि के कारण था. व्यापार घाटा 44.45% बढ़कर 156.9 बिलियन यूएस डालर हो गया. सरकार व्यापार घाटे को कम करने पर विशेष ध्यान दे रही है.

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार, आर्थिक परिवेश में सकारात्मक घटना-क्रमों के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, जो 2017-18 के दौरान बढ़कर 61.96 बिलियन यूएस डालर हो गया, सहित निवेशों में वृद्धि हुई है. 14 वर्षों के बाद मूडीज द्वारा भारत की सॉवरिन रेटिंग में स्थिर आर्थिक संभावना के साथ Baa2 के रूप में उन्नयन और विश्व बैंक की डुइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018 में 100 मे 30वें रैंक में सुधार उत्कृष्ट निवेश माहौल का संकेत देते हुए महत्वपूर्ण घटना-क्रम रहे जिससे निवेशों में तीव्र वृद्धि सुगम होगी. विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में निजी निवेश 2018-19 में 8.8% बढ़ने की उम्मीद है.

हालांकि राजकोषीय वर्ष के दूसरे भाग में तेल की कीमतों में वृद्धि चिंता की बात है, तेल की ऊंची कीमतों का प्रभाव तेल की कीमतों में प्रत्येक 10 यूएस डॉलर की वृद्धि के लिए थोक मूल्य सूचकांक में 1.5% की

तुलना में अधिक आंका जा रहा है, समग्र बाह्य स्थिति स्थिर रही. विदेशी मुद्रा भंडार यथा 30 मार्च 2018 को 424.36 यूएस डालर की अच्छी स्थिति में रहा.

वैश्विक संवृद्धि में उछाल के साथ निर्यात में सुधार होने की उम्मीद है जिससे संवृद्धि बेहतर होगी. जीएसटी प्रणाली के स्थिर हो जाने और निजी निवेश में सुधार होने से अर्थव्यवस्था के पिछले राजकोषीय वर्ष की वृद्धि दरों से आगे निकल जाने की उम्मीद है लेकिन तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक भौगोलिक-राजनीतिक मुद्दे मंदकारक हो सकते हैं. डिजिटलीकरण, सुधारों तथा अनुकूल जनांकिकी, उच्च-मध्य आय वर्ग वाले देश के रूप में भारत के उभार की बदौलत भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीपीडी) 2027 तक 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है.

2. ऊर्जा उद्योग का विहंगावलोकन

2.1 वैश्विक परिदृश्य

तेल की मांग मे वृद्धि अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी. यह वृद्धि मुख्यत: विकासशील देशों से, विशेषकर एशियाई विकासशील देशों से आएगी. मांग 2019 में 100mb प्रति दिन पहुंच जाने की संभावना है. नाइजीरिया, अल्जीरिया और वेनज्युएला में क्रूड का उत्पादन घट सकता है. ओपेक का उत्पादन बढ़ सकता है और रूस का उत्पादन स्थिर रह सकता है. प्रमुख ओपेक उत्पादकों द्वारा अपनी देशी परिष्करण क्षमता बढ़ाने से एशिया को अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीडिल ईस्ट के परे देखना होगा. जब तक नई परियोजनाएं शीघ्र शुरू नहीं की जाती हैं, बढ़ते उपभोग से वैश्विक तेल आपूर्ति को 2020 के बाद बढ़ती मांग से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा.

नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में मुख्य स्थान ले लिया है, लगभग दो-तिहाई नया निवेश इस क्षेत्र में हो रहा है. त्वरित फैलाव की संभावना और बिजली की सस्ती लागत के चलते सौर बिजली उद्योग तेजी से बढ़ा है. सौर ऊर्जा के 2040 तक ऊर्जा का सबसे बड़ा गैर-कार्बन स्रोत होने का अनुमान है. इस उद्योग की वृद्धि को नीतिगत समर्थन और स्वत: पूर्ण उत्पादन प्रणाली के माध्यम से बिजली उत्पादन में अंतिम-उपभोक्ता की खुदरा सहभागिता से ऊर्जा मिली है.

ऊर्जा संमिश्र में बिजली का हिस्सा बढ़ रहा है और चूंकि उभरते मध्यम वर्ग से महत्वाकांक्षी बढ़ेगी, बिजली दीर्घावधि में ऊर्जा संमिश्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेगी. ऐसी उम्मीद है कि बिजली की अतिरिक्त मांग का अधिकांश हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा होने वाला है.

वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है; विकसित तथा उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने की नीतिगत पहलों से ऐसी प्रत्याशा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से होगा, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसमें पीछे रहेंगी.

ऊर्जा उद्योग में, विशेषकर पेट्रोलियम उद्योग में तीसरा महत्वपूर्ण घटना-क्रम यूएस शेल गैस एवं तेल का आविर्भाव रहा है. पिछले दो वर्षों में कीमतों पर अधोमुखी दबाव के बावजूद, यूएस शेल तेल बाजार में एक प्रमुख विघटनकर्ता के रूप में उभरा है. प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण के फलस्वरूप लागत-प्रभावी उत्पादन होने से यूएस तेल एवं गैस उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है. वैश्विक बाजार में यूएस से एलएनजी के पदार्पण से प्रमुख परिवर्तन हुए हैं. गंतव्य लचीलेपन, हब आधारित कीमत निर्धारण और हाजिर उपलब्धता के चलते यूएस एलएनजी मध्यावधि में गैस बाजारों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.

पेट्रोलियम उद्योग का वैश्विक परिदृश्य मीडिल ईस्ट में भौगोलिक-राजनीतिक तनावों से भी प्रभावित है. ईरान पर हालिया प्रतिबंध और मीडिल ईस्ट के कुछ देशों में निरंतरता राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक तेल बाजारों पर भारी प्रभाव पड़ा है.

2.2 भारतीय परिदृश्य

भारतीय ऊर्जा परिदृश्य वैश्विक परिदृश्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है. नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धन तीव्र गति से हो रहा है और बिजली की उपलब्धता में प्रभावशाली सुधार हुआ है. तथापि, कोयले एवं पेट्रोलियम का पारंपरिक संमिश्र मध्यावधि से दीर्घावधि में भारत में प्राथमिक ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत बना रहेगा.

भारत की ऊर्जा मांग आर्थिक वृद्धि से जुड़ी है. अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक वृद्धि का अनुमान है जिससे तेल की मांग बढ़ेगी. 2016 में तेल की वैश्विक मांग में 1.6% वृद्धि की तुलना में भारत में तेल की मांग 8.3% बढ़ी. इस क्षेत्र में वृद्धि निवेश के लिए अनुकूल है. क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई नीतियों के फल आने लगे हैं और इस क्षेत्र में देशी और विदेशी दोनों निवेश बढ़े हैं. मांग बढ़ने और देशी क्रूड उत्पादन के स्थिर होने से क्रूड का आयात 2017-18 की पहली छमाही में लगभग 28% बढ़ा. सरकार तेल आयात बिल को नियंत्रित करनेके लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है.

भारत में ऊर्जा की मांग 2040 तक दुगुनी हो जाने की उम्मीद है और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मध्यम अवधि में वर्तमान दर पर बढ़ते रहने की संभावना है. मोटर-वाहन क्षेत्र की वृद्धि और वर्धित वाणिज्यिक कार्यकलापों के चलते भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बनी रहने ही उम्मीद है.

प्राथमिक ऊर्जा मांग, जिसका एक अंश जलाऊ लकड़ी जैसे ईंधन के पारंपरिक स्रोतों से पूरा होता था, लक्ष्यित सरकारी कार्यक्रमों के बाद अब एलपीजी और सीएनजी द्वारा पूरी होने की आशा की जाती है. नई सिटी गैस परियोजनाओं से जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

जीडीपी के साथ पेट्रोकेमिकल मांग भी बढ़ने की संभावना है. भारत मे प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम होने से, यह क्षेत्र जीडीपी वृद्धि दरों के समान या उनसे अधिक दर से बढ़ने की दिशा में अग्रसर है. वर्तमान में भारत देश में पेट्रोकेमिकल और तैयार माल की भारी मात्रा में आयात करता है. कच्चे माल की उपलब्धता से विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि होने की संभावना है जिससे उच्चतर मांग वृद्धि होगी.

भारत भी वैश्विक ऊर्जा जोखिम के प्रभाव में है. मीडिल ईस्ट में भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति, एक प्रमुख तेल निर्यातक देश ईरान पर प्रतिबंध और तेल कीमतों तथा परिणामस्वरूप गैस की कीमतों में हालिया वृद्धि प्राथमिक ऊर्जा को छोड़कर क्षेत्र में वृद्धि को संभाव्य रूप से प्रभावित कर सकती है.

3. क्रूड बास्केट

आपकी कंपनी मीयादी आधार पर निर्यातक देशों की विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों से और हाजिर आधार पर खुले बाजार से कच्चे तेल की अपनी आवश्यकता को प्राप्त करती है. वर्ष् 2017-18 के दौरान कंपनी ने 15.98 MMT क्रूड तेल खरीदा जिसमें से 12.52 MMT आयात किया गया था और शेष जैसे ओएनजीसी तथा केयर्न इंडिया से बाम्बे हाई, रावा और मंगला देशी रूप से देशी रूप से प्राप्त किया गया था. क्रूड तेल का आयात सऊदी अराम्को (4.35 MMT), (1.19 MMT), कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (0.60 MMT) तथा NIOC (4.72 MMT) से था. न्यून सल्फर भारी स्टॉक (LSHS) आवश्यकता तथा मीयादी क्रूड आवश्यकता में कमी को पूरा करने के लिए एमआरपीएल ने वर्ष के दौरान हाजिर निविदा के जरिए क्रूड तेल (1.67 MMT) भी आयात किया.

कंपनी ने पहली बार यूएस क्रूड तेल भी प्रोसेस किया है. इसने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यूएस से एक स्यूजमैक्स कार्गो (2 मिलियन बैरल) सदर्न ग्रीन केन्यॉन क्रूड तेल आयात किया.

3.1 उत्पाद

आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान नीचे तालिका में दिए गए उत्पादों का उत्पादन किया है:

उत्पाद	मात्रा ('000MT)
हाइड्रोजन	0.04
एलपीजी	876.8
FUEL GAS	4.0
पॉलीप्रॉपीलीन	294.6
WS	1374.9
जाईलोल	230.4
नेफ्था	1605.6
A7	111.5
A9	30.6
हल्का रीफॉर्मेट	6.0
S K O	62.5
H S D	6487.0
A T F	1396.5
VGO	40.8
F O	737.5
LSFO	251.8
L S W R	75.2
एस्फाल्ट	143.5
CRMB	4.4
पेट कोक	743.5
सल्फर	173.0
योग	14650.2

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ उत्पादों का निर्यात भी किया. वर्ष 2017-18 तथा 2016-17 के लिए निर्यात नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	निर्यात ('000MT)	
उत्पाद	2017-18	2016-17
MS	220	167
नेफ्था	813	844
एटीएफ	1174	1185
डीजल	791	675
अन्य	990	467
कुल	3988	3338

4. अवसर एवं खतरे

4.1 अवसर

भारत की आर्थिक वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सतत् मांग वृद्धि कंपनियों को बढ़ती मांग पूरा करने का अवसर प्रदान करती है. पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के अलावा, प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति कम खपत इस बाजार के विस्तार के लिए संभाव्यता सूचित करती है.

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में 3.5 %+ की अनुमानित वृद्धि और जीडीपी में 7.5% की प्रत्याशित वृद्धि, जिससे पेट्रोकेमिकल तथा पॉलिमर्स में मांग वृद्धि का समान या उच्चतर स्तर प्रेरित करने की प्रत्याशा है, आपकी कंपनी को मध्यावधि से दीर्घावधि में अवसर प्रदान करती है. दक्षिण भारत तथा पश्चित भारत के तैयार माल के लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरने से, आपकी कंपनी को प्रत्याशित मांग वृद्धि को पूरा करने के लिए अपने भौगोलिक स्थान का फायदा उठाने का अवसर है.

कड़े उत्सर्जन मानदंडों के प्रति वैश्विक चेष्टा उन रिफाइनरियों को बेहतर मार्जिन प्राप्त करने में समर्थ बनायेगी जिनके पास भारी और उच्च सल्फर मात्रा वाले क्रूड प्रसंस्कृत करने की क्षमता है. तत्काल समय में, यूएस, पश्चिमी यूरोप तथा जापान के उत्सर्जन नियंत्रण क्षेत्र में समुद्री ईंधन मानकों में परिवर्तन का प्रभाव बंकर ईंधन कीमतों पर पड़ेगा और यह उच्च सल्फर क्रूड प्रोसेस करने वाली रिफाइनरियों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है. उच्च सल्फर क्रूड प्रोसेस करने की क्षमता के साथ आपकी कंपनी बाजार दशाएं अनुकूल होने पर आवश्यक बंकर ईंधन की आपूर्ति करने की संभाव्यता रखती है.

4.2 खतरे :

मध्य पूर्व में भारी भौगोलिक-राजनीतिक घटना-क्रमों, ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती और ईरान पर नये प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल की कीमतें मजबूत हो रही हैं. यूएस और चीन के बीच टैरिफ मुद्दे, हालांकि कच्चे तेल एवं गैस व्यापार को छोड़कर, वैश्विक आर्थिक वृद्धि, जो वैश्विक व्यापार में जोरदार वृद्धि के आधार पर पटरी पर लौट रही है, को मंद करने की संभाव्यता रखते हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह संकुचन पेट्रोलियम तथा पेट्रोरसायन की मांग पर दबाव डाल सकता है जिसका आपकी कंपनी की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है.

ईरान, जो आपकी कंपनी को क्रूड का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, पर प्रतिबंध भी लाभप्रदता पर एक तात्कालिक खतरा है. प्रतिबंधों के बाद ईरान से क्रूड की आपूर्ति में कटौती का असर वैश्विक रूप से क्रूड की कीमतों पर पड़ेगा और अल्पावधि में आपकी कंपनी को भी प्रभावित करेगा.

कुछ हद तक, चालू स्वच्छ ईंधन विनियामक परिवर्तनों का भी आपकी कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा और अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सुविधाओं की स्थापना आवश्यक बना देगा.

5. खूबियां और कमजोरियां

5.1 खूबियां

आपकी कंपनी के पास कुछ विशिष्ट खूबियां हैं जिनका अवसरों का लाभ उठाने तथा खतरों को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. कंपनी एक आधुनिक रिफाइनरी है जो अपनी सुविधाओं को निरंतर अद्यतन कर रही है. रिफाइनरी में बड़ी संख्या में इकाइयों को सूचित करते हुए एक अत्यंत उच्च जटिलता है जो प्रचालनों में विपुल लचीलापन प्रदान करती है. रिफाइनरी के पास विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार के क्रूड प्रोसेस करने की क्षमता है. इस प्रकार आपकी कंपनी किसी एक स्रोत से आपूर्ति व्यवधान को मामूली प्रभाव के साथ दूसरे आपूर्तिकर्ता से क्रूड समंजित कर सकती है.

रिफाइनरी मध्यम तथा दीर्घावधि में अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी बेहतर स्थिति में है. भूमि एक दुर्लभ पण्य है और आपकी कंपनी कर्नाटक सरकार के माध्यम से विस्तार के लिए भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया में है. अधिग्रहण प्रक्रिया से कंपनी को पर्याप्त भूमि मिलेगी जो उत्पाद किस्म तथा गुणवत्ता की दृष्टि से उभरती बाजार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इकाइयां स्थापित करने में सहायक होगी.

अपने विन्यास के बल पर भी कंपनी के पास आवश्यक माध्यम हैं जिनसे मूल्ययोजित उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है.

5.2 कमजोरियां

आपकी कंपनी खुदरा क्षेत्र में अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए तेल विपणन कंपनियों पर निर्भर करती है. इससे कभी-कभी तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य की मांग को पूरा करने के लिए राज्य के बाहर से उत्पाद लाने को वरीयता दिए जाने से कंपनी से उत्पाद का उठाव कम होता है. इस कारण से आपकी कंपनी को निर्यात पर निर्भर करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों के लिए प्राप्ति में सामान्य कमी आती है. आपकी कंपनी अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर खुदरा आउटलेट स्थापित कर रही है और मध्यावधि में इस कमजोरी को पार करने की प्रत्याशा करती है. मूल कंपनी ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के अधिग्रहण से प्रत्याशित तालमेल से भी खुदरा पहुंच के अभाव को कम करने में सहायता मिलेगी.

आपकी कंपनी वर्धित उत्पादन क्षमताओं को सपोर्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाएं स्थापित कर रही है. इसके अलावा, देश के ईंधन गुणवत्ता मानक के संबंध में विनियामक परिवर्तनों के चलते अपेक्षित गुणवत्ता का ईंधन उत्पादित करने के लिए नई सुविधाओं की स्थापना आवश्यक हो गई है. इससे ऋण एक्सपोजर बढ़ गया है. वर्तमान नकदी प्रवाह स्थिति तात्कालिक भारी पूंजीगत व्यय में रुकावट डालती है. तथापि ऐसी प्रत्याशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार होगा जिससे विस्तार हो सकेगा. इस बीच, आवश्यक तैयारी कार्य किए जा रहे हैं जिससे समय-सीमा को भूमि अधिग्रहण से प्रभावी ढंग से मिलाया जा सके.

6 रणनीतिक संभावनाएं, जोखिम तथा चिंताएं

6.1 रणनीतिक संभावनाएं

आपकी कंपनी ने क्रूड तेल बाजारों में पर्याप्त अस्थिरता और भौगोलिक-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद पिछले तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया है. यह कंपनी की अंतर्निहित समुत्थानशीलता सूचित करती है. विस्तार इकाइयों के स्थिरीकरण से और समर्थकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हो जाने से ऐसी प्रत्याशा की जाती है कि कंपनी के लिए अल्पकालीन संभावना स्थिर बनी रहेगी.

मध्यम तथा दीर्घावधि में बहु-विध अवसर स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं जिनका फायदा उठाने के लिए कंपनी अनोखे ढंग से तैयार है. ईंधन की मांग में स्थिर वृद्धि और जीडीपी में तेजी आने पर पेट्रोरसायनों की खपत के स्तर में प्रत्याशित वृद्धि आपकी कंपनी को इस मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने में समर्थ बनाती है.

आपकी कंपनी विस्तार के अगले चरण के लिए इष्टतम विन्यास का मूल्यांकन कर रही है. यह विस्तार विस्तार मौजूदा कॉम्प्लेक्स के साथ सुसंहत रूप से एकीकृत रहेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रचालनात्मक लचीलेपन के बीच तालमेल बिठाया जा सके. इस विस्तार से कंपनी की वृद्धि आकांक्षाएं पूरी होंगी और कंपनी आगामी वर्षों में तेल, गैस एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर सकेगी.

6.2 जोखिम एवं चिंताएं

आपकी कंपनी अस्थिरता के माहौल में प्रचालन करती है. उद्योग का स्वरूप ही कंपनी के प्रचालन मे कुछ जोखिम उत्प्रेरित करता है. हालांकि इन जोखिमो का आकलन करने और इन्हें कम करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की जाती है, जोखिम महत्वपूर्ण बने हुए हैं. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इन जोखिमों की निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है कंपनी के समक्ष आने वाले प्रमुख जोखिम नीचे प्रस्तुत हैं :

क्रूड आपूर्ति जोखिम

भारत में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार छठें वर्ष 2017-18 में घटकर 35.68 मिलियन टन रहा जिससे कच्चे तेल पर देश की आयात निर्भरता बढ़कर 82.8 प्रतिशत हो गई. आपकी कंपनी, जो भारत में क्रूड उत्पादन सुविधाओं से दूर स्थित है, अपनी क्रूड आवश्यकता के अधिकांश हिस्से को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है. मीडिल ईस्ट आपकी कंपनी के लिए क्रूड का प्रधान स्रोत है, 65% से अधिक क्रूड आवश्यकता मीयादी संविदाओं के माध्यम से वहां से प्राप्त की जाती है. इसमें से नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) एक मीयादी संविदा के माध्यम से आपकी कंपनी को लगभग 25% क्रूड की आपूर्ति करती है. ईरान के इर्द-गिर्द हाल के घटना-क्रम और आसन्न अमेरिकी प्रतिबंध तथा ईरान से आयात घटाने के लिए भारत पर दबाव कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक आपूर्ति जोखिम का संकेत देते हैं.

आपकी कंपनी क्रूड बास्केट को विविधीकृत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है ताकि अपनी क्रूड आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता को कम किया जा सके. इस प्रयास में, आपकी कंपनी ने परीक्षण आधार पर दो नये क्रूड ईजिप्ट से कारुन ब्लेंड और यूएस से साउथ ग्रीन केन्यॉन को प्रासेस किया है. कंपनी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति के कारण विशिष्ट क्रूड की अनापूर्ति के जोखिम को कम करने के लिए क्रूड बॉस्केट को विविधीकृत करने के लिए अपनी क्रूड आवश्यकता एक हिस्सा पूरा करने के लिए आस्ट्रेलिया, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में भी है.

यद्यपि ये प्रयास जारी हैं, यह नोट करना अत्यावश्यक है कि कंपनी और सरकार के नियंत्रण के परे बाह्य कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान एक महत्वपूर्ण जोखिम बना हुआ है.

कीमत का जोखिम

क्रूड की कीमतें अस्थिर होती हैं और प्रमुख उत्पादकों द्वारा आपूर्ति पक्ष निर्णय, मांग अंतर, भौगोलिक-राजनीतिक घटनाक्रम और बाजार की धारणा जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं.

कीमत-निर्धारण के अविनियमन और उत्पाद के लिए रिफाइनरी स्थानांतरण कीमतें आयात समानता कीमत-निर्धारण व्यवस्था पर तय की जा रही हैं, कीमत जोखिम काफी हद तक कम हो गया है. तथापि, कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव कंपनी द्वारा धारित स्टॉक के आधार पर महत्वपूर्ण लाभ् या हानि में परिणत हो सकता है.

कंपनी ने न केवल अपेक्षित आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि उचित मूल्यों पर खरीद भी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ दीर्घावधि करार किए हैं. प्रबंधन तीन महीने पहले की एक रोलिंग योजना तैयार करती है जिससे कि कीमत में घट-बढ़ का जोखिम पहचानकर समय पर उचित कार्रवाई की जा सके. कंपनी ने कीमत जोखिम को कम करने के उद्देश्य से अपनी क्रूड आवश्यकता का एक हिस्सा हाजिर / परीक्षण आधार पर खरीदने के लिए एक कारोबार रणनीति अपनाई है. कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि क्रूड स्टॉक इष्टतम स्तर पर रखा जाए जिससे स्टॉक के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सके.

विदेशी मुद्रा जोखिम

वैश्विक तेल बाजार में डालर की प्रधानता है. आपकी कंपनी की सिर्फ लगभग 20% क्रूड आवश्यकता देशी क्रूड से पूरी होती है, कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय में घट-बढ के जोखिम के प्रभाव में है.

कंपनी अपने लगभग 27% उत्पाद का निर्यात करती है. उत्पाद की देशी कीमतें आयात समानता कीमत-निर्धारण व्यवस्था के आधार पर तय की जाती हैं. ये विनिमय दर परिवर्तनों के विरुद्ध सहज प्रतिरक्षा (हेज) प्रदान करते हैं. विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता की तुलना में प्रतिरक्षा की ऊंची लागत पर विचार करते हुए आपकी कंपनी ने प्रतिरक्षा का आश्रय न लेने का निर्णय लिया है.

रिफाइनरी मार्जिन जोखिम

क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का रिफाइनरी मार्जिन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है. यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें क्रूड की कीमतों के अनुरूप बदलती रहती हैं, एक समय अंतराल होता है जो मार्जिन को प्रभावित कर सकता है. संपरिवर्तन दक्षता, ऊर्जा दक्षता, प्रचालनात्मक उपलब्धता और शटडाउन की आवृत्ति जैसे कई अन्य कारक रिफाइनरी के मार्जिन को प्रभावित करते हैं.

उच्च जटिलता के साथ कंपनी का जबर्दस्त विन्यास बैरल उन्नयन के बॉटम को समर्थ बनाता है. ऊर्जा इष्टतमीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए. रिफाइनरी प्रचालनों में उत्कृष्टता और शटडाउन अनुसूची का अनुपालन ने उच्च प्रचालनात्मक उपलब्धता सुनिश्चित की है. प्रतिफल के महत्वपूर्ण मानदंडों की निगरानी, ऊर्जा दक्षता और बोर्ड सहित बहु-स्तरों पर प्रचालनात्मक उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जाए.

आपकी कंपनी के साथ ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएमपीएल) के प्रस्तावित विलय से एमआरपीएल की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है.

जल आपूर्ति जोखिम

पानी कंपनी के प्रचालनो के लिए एक महत्वपूर्ण निविष्टि (इनपुट) है. विगत समय में गर्मी के महीनों में पानी की आपूर्ति बाधित रही. इससे कंपनी का प्रचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. कंपनी एक विलवणक संयंत्र स्थापित कर रही है जो आपूर्ति व्यवधान की स्थिति में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा. ऐसी प्रत्याशा हे कि इस परिवर्धन से पानी व्यवधान का जोखिम कम होगा.

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालिया

आपकी कंपनी के पास एक सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था-तंत्र है जो प्रभावी आंतरिक नियंत्रण वातावरण सुनिश्चित करता है. आपकी कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लगातार सुधारकर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभावशीलता और दक्षता, प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोरेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा

सके. आपकी कंपनी ने अपने आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया है. ये तंत्र भरोसेमंद वित्तीय तथा प्रचालन संबंधी जानकारी, रेकॉर्ड उपलब्ध कराने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, आस्तियों के अनधिकृत उपयोग या हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन दिलाने के इरादे से बनाए गए हैं.

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की देख-रेख लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर लगातार निगरानी रखती है. लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण माहौल की पर्याप्तता और प्रभाविता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाइयों की निगरानी करती है.

कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 59415 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 63067 करोड़ का कुल कारोबार किया. कंपनी ने 2016-17 में रु. 3644 करोड़ के मुकाबले 2017-18 के दौरान रु. 2224 करोड़ का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया. सकल परिष्करण मार्जिन 2016-17 में 7.75$/bbl के मुकाबले 2017-18 के दौरान 7.54$/bbl रहा.

8.1 सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम

8.2 सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) एकमात्र सहायक कंपनी है. आपकी कंपनी ने OMPL में पहले की भांति 51% इक्विटी शेयर हैं जबकि ONGC के पास शेष 49% इक्विटी शेयर है. ओएसपीएल ने मंगलूर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 914 KTPA पैरा जाइलीन और 283 KTPA बेंजीन की वार्षिक क्षमता के साथ ऐरोमैटिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है. प्रचालनों से राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 5257 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में रु. 5561 करोड़ रहा. कंपनी ने मुख्यत: निम्नतर मार्जिन, फीडस्टॉक की अनुलब्धता, ब्याज तथा मूल्यह्रास के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 366 करोड़ की तुलना में 2017-18 में रु. 447 करोड़ की कर-पश्चात् हानि उठाई.

8.3 संयुक्त उद्यम

कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं अर्थात शेल बी.वी. नीदरलैंड के साथ शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL) जिसमें आपकी कंपनी की 50% शेयरधारिता है तथा गल्फ ऑयल, हिंदुजा समूह की कंपनी, के साथ मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL) जिसमें आपकी कंपनी की 18.98% शेयर धारिता है. SMAFSL के लेखों को एमआरपीएल के लेखों के साथ समेकित किया गया है.

शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल सर्विसेज लिमिटेड (**SMAFSL**)

कंपनी की शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL) में 50 इक्विटी पूंजी शेयरधारिता है और शेष इक्विटी पूंजी शेल बी.वी. नीदरलैंड के पास है. SMAFSL भारत के कई हवाई अड्डों में देशी और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों दोनों के लिए विमानन ईंधन (ATF) की आपूर्ति करती है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल आय रु. 549.19 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 560.37 करोड़) रही और कर-पूर्व लाभ रु. 8.13 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 14.05 करोड़) तथा कर-पश्चात लाभ रु. 5.41 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 9.06 करोड़) रहा. इक्रा ने रु. 15 करोड़ की गैर-निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए "A1+" रेटिंग और रु.115 करोड़ की निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए "AA-" रेटिंग की पुन:पुष्टि की है.

मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL)

आपकी कंपनी ने मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL) में अपनी शेयरधारिता 49.98 से घटाकर 18.98 कर दी है और तदनुसार MRSL अब एमआरपीएल की सहायक कंपनी नहीं है. चूंकि MRSL ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, इसे निष्क्रिय कंपनी की स्थिति के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय को आवेदन करने के लिए सूचित किया गया.

9. **मानव संसाधन**

वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सभी कर्मचारियों के साथ हार्दिक और सामांजस्यपूर्ण संबंध रहा और इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

कर्मचारियों की कुल संख्या1916 रही जिसमें 129 महिला कर्मचारी, 256 अजा/अजजा कर्मचारी और 28 नि:शक्त कर्मचारी शामिल थे. 823 कर्मचारी प्रबंधन संवर्ग से हैं जब कि 1093 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं.

10. अग्रदर्शी बयान

भविष्य के बारे में उम्मीदों और अनुमानों को लेकर दिए गए ऐसे सभी बयान जो वृद्धि, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय परिणामों के लिए कंपनी की रणनीति तक सीमित न हों, अग्रदर्शी बयान माने जाएंगे. चूंकि ये बयान भावी घटनाओं को लेकर की गई कुछ परिकल्पनाओं और उम्मीदों पर आधारित होते हैं, इसलिए कंपनी यह गारंटी नहीं दे सकती कि ये सही हैं या इनको साकार किया जाएगा. कंपनी के वास्तविक परिणामों, कार्य-निष्पादन अथवा उपलब्धियों में अग्रदर्शी बयानों में किए गए प्रक्षेपणों से फर्क हो सकता है, कंपनी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह भावी घटनाओं, सूचनाओं अथवा गतिविधियों के आधार पर दिए गए इन बयानों में से किसी में सार्वजनिक रूप से संशोधन, रूपांतरण अथवा परिवर्तन करे. जब तक कानून में अपेक्षा न की गई हो, कंपनी इन अग्रदर्शी बयानों को अद्यतन बनाने के प्रति अपने दायित्व का दावा नहीं करती है.

वर्ष 2017-18के के लिए कॉरपोरेरअ अभिशासन रिपोरर्अ

1. हमारा कॉरपोरेट अभिशासन सिद्धांत

कॉरपोरेट अभिशासन में प्रणालियों और पद्धतियों के एक सेट का समावेश होता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी का कामकाज इस तरह से प्रबंधित किया जा रहा है जिससे व्यापक रूप से सभी लेन-देनों में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो. एमआरपीएल हितधारकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करते समय शेयरधारकों के मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ नैतिकता और आचार संहिता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बरकरार रखता है. कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में कंपनी का सिद्धांत है कि हितधारकों का मूल्य बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से अपने प्रचालन के हरेक आयाम में सर्वाधिक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और नैतिकता हासिल हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों का पालन करती है. सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी, कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर शेष सभी मामलों में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी पालन करती है. एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एमआरपीएल कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जाता है.

कंपनी की यह मान्यता है कि कॉरपोरेट अभिशासन के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सुविज्ञ और स्वतंत्र बोर्ड की जरूरत है. कंपनी का निदेशक मंडल कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियां अपनाने में सर्वोपरि है. इस प्रकार से बोर्ड प्रबंधन के कामकाज पर निगरानी रखता है और अपने हितधारकों के दीर्घावधि हितों की रक्षा करता है.

कंपनी के कॉरपोरेट अभिशासन का ढांचा निम्नलिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है :

- शेयरधारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनका प्रयोग सुसाध्य बनाना;
- पारदर्शी प्रणाली और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, जिसमें हितधारकों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कंपनी तथा हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है,
- कंपनी की वित्तीय स्थिति, कार्य-निष्पादन, स्वामित्व और अभिशासन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी समय पर और सही ढंग से प्रकट करना,
- ईमानदारी और जिम्मेदारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ प्रणाली पर प्रचालन करना.
- सभी हितधारकों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी समय पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना,
- अपने सभी हितधारकों और समाज के लोगों के साथ न्यायसंगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना;
- हितधारकों के लिए प्रभावशाली सूचना प्रदाता नीतिगत तंत्र बनाना.

2 निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है. कंपनी में एक विस्तृत प्रत्यायोजित अधिकारों की पुस्तिका और अन्य मैनुअल जैसे सामग्री प्रबंधन, कार्य पुस्तिका आदि है जिनमें प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है और उस स्तर को परिभाषित किया गया है जिस स्तर पर (निदेशक मंडल / कार्यपालक समिति / कार्यात्मक निदेशक) निर्णय लिया जाता है और समय-समय पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन्हें अद्यतन बनाकर संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए. कंपनी के पास बोर्ड की 7 उप-समितियां हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करती हैं तथा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बोर्ड को सलाह देती हैं.

अ. 31/03/2018 को निदेशकों की संरचना : 12

कार्यपालक निदेशक : 03

गैर-कार्यपालक निदेशक : 09

आ. 31/03/2018 को निदेशक मंडल

निदेशक	DIN	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी/ पदनाम	अन्य निदेशक पदों की सं.		बाह्य समितियों की सं.	
श्री शशि शंकर	06447938	अध्यक्ष, गैर-कार्यपालक	अध्यक्ष	7	-	-	-
श्री एच. कुमार	06851988	कार्यपालक	प्रबंध निदेशक	4	-	2	-

निदेशक	DIN	कार्यपालक / गैर-कार्यपालक	श्रेणी/ पदनाम	अन्य निदेशक पदों की सं.		बाह्य समितियों की सं.	
श्री एम. वेंकटेश	07025342	कार्यपालक	निदेशक (रिफाइनरी)	3	-	4	1
श्री ए. के. साहू	07355933	कार्यपालक	निदेशक (वित्त)	2	-	3	-
श्री विनोद एस. शेणै	07632981	गैर-कार्यपालक	(एचपीसीएल) नामिती निदेशक	5	-	-	-
श्री के. एम. महेश	07402110	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक	-	-	-	-
श्री संजय कुमार जैन	08015083	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक	-	-	-	-
सुश्री मंजुला सी	07733175	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
श्री वी. पी. हरन	07710821	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
श्री सेवा राम	01652464	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
डॉ. जी. के. पटेल	07945704	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
श्री बलबीर सिंह	07945679	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-

(i) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015) के विनियम 36(3) के अनुसार नये निदेशक की नियुक्ति या निदेशक की पुनर्नियुक्ति के विवरण

नियुक्त या पुन:नियुक्त किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त जैसे उनकी अर्हता, विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नाम जिनके बोर्ड में वे अध्यक्ष / निदेशक रहे, इन कंपनियों में इनकी शेयरधारिता और शेयर बाजार से संबंधित सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 36(3) का परस्पर अनुसरण करते हुए निदेशक के बीच संबंध 30वीं वार्षिक महासभा संबंधी नोटिस में दिया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही भाग है.

- श्री विनोद एस. शैणै (DIN : 07632981) आवर्तन से पद से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- श्री वी. पी. हरन (DIN: 07710821), श्री सेवा राम (DIN: 01652464), डॉ. जी. के. पटेल (DIN: 07945704) और श्री बलबीर सिंह (DIN: 07945679), जिन्हें अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तावित हैं.
- श्री के. एम. महेश (DIN: 07402110) और श्री संजय कुमार जैन (DIN: 08015083) जिन्हें अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित हैं.
- श्री शशि शंकर (DIN: 06447938), श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) जिन्हें अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को निदेशक के रूप में पुन:नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

(ii) पिछले निदेशक

निदेशक	**कार्यपालक / गैर-कार्यपालक**	**श्रेणी**	**अन्य निदेशकता की सं.**		**बाह्य समितियों की सं.**	
			सरकारी	**निजी**	**सरकारी**	**निजी**
श्री डी. के. सर्राफ	गैर-कार्यपालक	(ओएनजीसी) नामिती निदेशक	7	-	1	-
श्री दिवाकर नाथ मिश्र	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक	-	-	-	-
श्रीमती पेरिन देवी	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक	1	-	1	2

(iii) 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	**नियुक्ति की तारीख**	**कब से निदेशक नहीं रहे**	**कार्यकाल**	**टिप्पणियां**
श्री वी. पी. हरन	08/09/2017	लागू नहीं	उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री सेवा राम	08/09/2017	लागू नहीं	उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

निदेशक	नियुक्ति की तारीख	कब से निदेशक नहीं रहे	कार्यकाल	टिप्पणियां
डॉ. जी. के. टेल	08/09/2017	लागू नहीं	उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
श्री बलबीर सिंह	08/09/2017	लागू नहीं	उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
श्री शशि शंकर	01/10/2017	लागू नहीं	लागू नहीं	अध्यक्ष / निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री के. एम. महेश	24/11/2017	लागू नहीं	सह-टर्मिनस आधार पर 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री संजय कुमार जैन	24/11/2017	लागू नहीं	सह-टर्मिनस आधार पर 3 वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री दिनेश कुमार सर्राफ	01/03/2014	01/10/2017	लागू नहीं	सीएमडी, ओएनजीसी के रूप में अपनी अधिवर्षिता के फलस्वरूप निदेशक नहीं रहे
श्री दिवाकर नाथ मिश्र	09/03/2016	24/11/017	लागू नहीं	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामांकन वापस लेने पर निदेशक नहीं रहे
श्रीमती पेरिन देवी	14/05/2015	24/11/017	लागू नहीं	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामांकन वापस लेने पर निदेशक नहीं रहीं

(iv) 31.03.2018 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री सुभाष कुमार, निदेशक (वित्त) ओएनजीसी को 15.05.2018 से एमआरपीएल के निदेशक मंडल में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री एम. वेंकटेश ने 1.06.2018 से प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला.
- श्री एच. कुमान 01.06.2018 से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रबंध निदेशक नहीं रहे.

इ. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और 19/08/2017 को आयोजित 29वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की सात (7) बैठकें आयोजित की गई

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
1	17/05/2017	209	नई दिल्ली
2	21/07/2017	210	नई दिल्ली
3	19/08/2017	211	मंगलूर
4	18/09/2017	212	नई दिल्ली
5	25/10/2017	213	नई दिल्ली
6	14/11/2017	214	नई दिल्ली
7	02/02/2018	215	नई दिल्ली

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	कितनी बैठकों में	क्या पिछली
श्री शशि शंकर	7	लागू नहीं*
श्री एच. कुमार	7	हॉ
श्री एम. वेंकटेश	7	हॉ
श्री ए. क. साहू	7	हॉ
श्री विनोद एस. शेणै	6	हॉ
श्री के. एम. महेश	1	लागू नहीं*
श्री संजय कुमार जैन	0	लागू नहीं*
सुश्री मंजुला सी	7	हॉ
श्री वी. पी. हरन	3	लागू नहीं*
श्री सेवा राम	3	लागू नहीं*
डॉ. जी. के. पटेल	4	लागू नहीं*
श्री बलबीर सिंह	4	लागू नहीं*

* श्री वी. पी. हरन, श्री सेवा राम, डॉ. जी. के. पटेल और श्री बलबीर को 08/09/2017 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री शशि शंकर ने 01/10/2017 को निदेशक/अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.

* श्री के. एम. महेश और श्री संजय कुमार जैन को 24/11/2017 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

(iii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली वार्षिक महासभा में भाग लिया
श्री दिनेश कुमार सर्राफ	4	हॉ
श्री दिवाकर नाथ मिश्र	2	नहीं
श्रीमती पेरिन देवी	6	हॉ

ई: निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटन

बोर्ड के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है.

उ. निदेशक की शेयरधारिता

31/03/2018 को निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	धारित कुल शेयर
श्री एच. कुमार (पत्नी के साथ संयुक्त रूप से)	200

ऊ. स्वतंत्र निदेशक

एमआरपीएल एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति का मामला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है. वर्तमान में एमआरपीएल के निदेशक मंडल में पांच स्वतंत्र निदेशक हैं. सुश्री मंजुला सी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 31/01/2017 को नियुक्त किया गया था और श्री वी. पी. हरन, श्री सेवा राम, डॉ; जी. के. पटेल और श्री बलबीर सिंह को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 08/09/2017 को नियुक्त किया गया. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन सेबी के दिनांक 05/01/2017 के परिपत्र में दिए गए मूल्यांकन मानदंड के अनुसार किया जाता है.

3. लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति ('लेखापरीक्षा समिति') को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस समिति की संरचना, कोरम, अधिकार, भूमिका और कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार हैं. लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं.

क) विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा योजना के लिए अनुमोदन देना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना, तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करना, लागत लेखापरीक्षकों / आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा और सिफारिश करना, कारोबार जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा नीति की समीक्षा करना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संबद्ध पक्षकार लेन-देनों की समीक्षा करना जैसे कई कार्य करती है. बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 18 और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करने के प्रयोजन से बनाए हैं. इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए लेखापरीक्षा समिति को अधिकार है कि वह अपने विचारार्थ विषय के अंदर किसी भी गतिविधि की जांच-पड़ताल करे, कर्मचारियों से जानकारी मांगे और बाहर से कानूनी और पेशेवर सलाह प्राप्त करे.

ख) 31/03/2018 को लेखापरीक्षा समिति का संरचना

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री वी. पी. हरन	**अध्यक्ष**
सुश्री मंजुला सी;	सदस्य
श्री सेवा राम	सदस्य
श्री बलबीर सिंह	सदस्य
डॉ; जी. के. पटेल	सदस्य

टिप्पणी :

- श्री ए. के. साहू, निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए एक स्थायी आमंत्रिती हैं.
- कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होता है.
- लेखापरीक्षा समिति द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते समय संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक विशेष आमंत्रिती होते है.

ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच (5) बैठकें हुई:

बैठक की तारीख	बैठक संख्या	कितने सदस्यों ने भाग लिया
16/05/2017	85	5
21/07/2017	86	4
17/08/2017	87	3
14/11/2017	88	5
02/02/2018	89	5

घ) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संपन्न लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री वी. पी. हरन (08/09/2017 से)	2
सुश्री मंजुला सी	5
श्री सेवा राम (08/09/2017 से)	2
श्री बलबीर सिंह (08/09/2017 से)	2
डॉ. जी. के. पटेल (08/09/2017 से)	2
श्री विनोद एस. शेणै	2
श्री एम. वेंकटेश	3
श्रीमती पेरिन देवी (24/11/2017 तक)	3
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (24/11/2017 तक)	1

4. नामांकन / पारिश्रमिक समिति :

एमआरपीएल 'अनुसूची A' का एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति संबंधी नियम, शर्तें और पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने अप्रैल 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया.

क) यथा 31/03/2018 को नामांकन / पारिश्रमिक समिति की संरचना

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशको की अपेक्षित संख्या के संदर्भ में नामांकन / पारिश्रमिक समिति की संरचना के बारे में सेबी सूचीबद्धता विनियम,2015 के विनियम 19(1)(ग) ओर कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का पालन किया है.

नामांकन / पारिश्रमिक समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री बलबीर सिंह	**अध्यक्ष**
श्री सेवा राम	सदस्य
श्री वी. पी. हरन	सदस्य
डॉ; जी. के. पटेल	सदस्य
सुश्री मंजुला सी	सदस्य

ख. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न नामांकन/पारिश्रमिक समिति की बैठकों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नामांकन/पारिश्रमिक समिति की दो (2) बैठकें हुईं:

बैठक की तारीख	बैठक संख्या	कितने सदस्यों ने भाग लिया
17/08/2017	11	2
29/03/2018	12	5

ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न नामांकन/पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति

नामांकन/पारिश्रमिक समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
सुश्री मंजुला सी	2
श्री विनोद एस. शेणै	-
श्री बलबीर सिंह (08/09/2017 से)	1
श्री वी. पी. हरन (08/09/2017 से)	1
डॉ. जी. के. पटेल (08/09/2017 से)	1
श्री सेवा राम (08/09/2017 से)	1
श्रीमती पेरिन देवी (24/11/2017 तक)	1
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (24/11/2017 तक)	-

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

एमआरपीएल 'अनुसूची A' का एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (CPSE) है. निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित है. कंपनी की पारिश्रमिक नीति लोक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार है.

क) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (बैठक शुल्क) के ब्यौरे :

(₹. करोड़ में)

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क
सुश्री मंजुला सी	0.09
श्री वी. पी. हरन	0.04
श्री सेवा राम	0.04
डॉ; जी. के. पटेल	0.04
श्री बलबीर सिंह	0.04

ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे

(₹. करोड़ में)

विवरण	प्रबंध निदेशक (श्री एच. कुमार)	निदेशक (रिफाइनरी) (श्री एम. वेंकटेश)	निदेशक (वित) (श्री ए. के. साहू)	कुल
वेतन, भत्ते एवं अनुलब्धियां	0.70	0.67	0.59	1.96
पीएफ एवं अन्य निधियों में अंशदा	0.06	0.06	0.05	0.17
कुल	**0.76**	**0.73**	**0.64**	**2.13**

ग) सेवा संविदा की शर्तें

विवरण	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफाइनरी)	निदेशक (वित्त)
कार्यकाल	नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो	नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो	नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
नोटिस अवधि	तीन महीने का नोटिस या उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान	तीन महीने का नोटिस या उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान	तीन महीने का नोटिस या उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान
पृथक्करण शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या डिस्टाउंट पर जारी किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कितनी अवधि में उपचित हुआ और उसका कब प्रयोग किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों के लिए बनाए गए परिचय कार्यक्रम के ब्यौरे कंपनी की वेबसाईट www.mrpl.co.in में दिए गए हैं.

6. हितधारक संबंध समिति

क) हितधारक संबंध समिति को कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों की समीक्षा करने और उनका निवारण करने का अधिदेश दिया गया है.

ख) विचारार्थ विषय

* कंपनी के हितधारकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका निवारण करना,

* शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने आदि के बारे में हितधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने पर ध्यान देना.

* हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और समय पर एवं सही सूचना प्रकट करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना.

ग) यथा 31/03/2018 को हितधारक संबंध समिति की संरचना .

हितधारक संबंध समिति के सदस्य	श्रेणी
डॉ. जी. के. पटेल	**अध्यक्ष**
सुश्री मंजुला सी	सदस्य
श्री सेवा राम	सदस्य
श्री वी. पी. हरन	सदस्य
श्री बलबीर सिंह	सदस्य
श्री ए. के. साहू	सदस्य

घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न हितधारक संबंध समिति की बैठकों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हितधारक संबंध समिति की चार (4) बैठकें हुईं:

बैठक की तारीख	बैठक संख्या	कितने सदस्यों ने भाग लिया
17/05/2017	55	4
20/07/2017	56	4
14/11/2017	57	6
29/01/2018	58	6

ड़) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न हितधारक संबंध समिति की बैठकों में उपस्थिति

हितधारक संबंध समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
डॉ. जी. के. पटेल (08/09/2017 से)	2
सुश्री मंजुला सी	4
श्री वी. पी. हरन (08/09/2017 से)	2
श्री सेवा राम (08/09/2017 से)	2
श्री बलबीर सिंह (08/09/2017 से)	2
श्री ए. के; साहू	4
श्री विनोद एस. शेणै	2
श्रीमती पेरिन देवी (24/11/2017 तक)	2

च) अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनाम :

श्री दिनेश मिश्रा

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

छ) वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त और उत्तरित संदर्भ एवं निवेशक शिकायतें :

क्र.सं.	पत्राचार का स्वरूप	31/03/2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	लाभांश वारंट का पुनर्वैधीकरण	4977
2	डीमैट- रिमैट मामले -पत्र	458
3	अंतरण रोको - डुप्लिकेट / नाम हटाने की क्रियाविधि	2341
4	नाम काटना / पारेषण / क्रम-परिवर्तन/ नाम में परिवर्तन / डुप्लिकेट - शेयर सर्टीफिकेट जारी करना	2474
5	समेकन / हैसियत परिवर्तन प्रमाणपत्र	186
6	हस्ताक्षर में परिवर्तन संबंधी पत्र	585
7	पते / बैंक विवरण / बैंक अधिदेश में सुधार / पंजीकरण / परिवर्तन	3286
8	ईसीएस/ एनईसीएस पत्रों का रजिस्ट्रेशन / निरसन	1991
9	नामांकन पत्र	106
10	ROC/SEBI/NSE/NSDL/CDSL जैसे सांविधिक/विनियामक निकायों के माध्यम से संदर्भ	115
11	अन्य	1696
	कुल	**18215**

7 शेयर अंतरण समिति

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसरण में निवेशक समिति (शेयर अंतरण समिति) का गठन, शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण्पत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देने के लिए किया गया है.

(ii) शेयर अंतरण समिति में प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) हैं जो शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण्पत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देते हैं और उससे प्रासंगिक मामले देखते हैं. समिति का कोरम पूरा होने के लिए कोई भी दो निदेशक होने चाहिए.

(iii) कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 6(2)(घ) का पालन करते हुए खो गये या नष्ट हो गए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र शेयर अंतरण समिति के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं क्योकि बोर्ड ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 12 जून 2014 के परिपत्र सं. 19/2014 का अनुसरण करते हुए एसटीसी को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है.

(iv) सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 40 के अनुसरण में शेयरों के लेन-देन के तिमाही ब्यौरे बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं.

8. मानव संसाधन प्रबंधन समिति

क) विचारार्थ विषय

* बोर्ड को मानव संसाधन से संबंधित नीतियां अनुमोदन के लिए सिफारिश करना,
* संदिग्धता दूर करने के लिए अनुमोदित मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करना.

ख) **यथा 31/03/2018 को मानव संसाधन समिति की संरचना**

मानव संसाधन समिति के सदस्य	श्रेणी
सुश्री मंजुला सी	**अध्यक्ष**
श्री बलबीर सिंह	सदस्य
श्री वी. पी. हरन	सदस्य
डॉ. जी. के. पटेल	सदस्य
श्री सेवा राम	सदस्य
श्री एच. कुमार	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
श्री ए. के. साहू	सदस्य

ग) **वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न मानव संसाधन समिति की बैठकों के ब्यौरे**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मानव संसाधन समिति की चार (4) बैठकें हुईं. बैठक की तारीख और उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक की तारीख	बैठक संख्या	कितने सदस्यों ने भाग लिया
16/05/2017	42	7
20/07/2017	43	4
17/08/2017	44	5
18/09/2017	45	5

ड़) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न हितधारक संबंध समिति की बैठकों में उपस्थिति

हितधारक संबंध समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
सुश्री मंजुला सी	4
श्री बलबीर सिंह (08/09/2017 से)	लागू नहीं
श्री वी. पी. हरन (08/09/2017 से)	लागू नहीं
डॉ. जी. के. पटेल (08/09/2017 से)	लागू नहीं
श्री सेवा राम (08/09/2017 से)	लागू नहीं
श्री एच कुमार	4
श्री एम वेंकटेश	4
श्री ए. के; साहू	3
श्री विनोद एस. शेणै	3
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (24/11/2017 तक	1
श्रीमती पेरिन देवी (24/11/2017 तक)	2

9. परियोजना मूल्यांकन एवं निष्पादन समिति

क) विचारार्थ विषय

* पूंजीगत परियोजनाओं की समीक्षा करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना
* बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा करना

ख) यथा 31/03/2018 को पीएई समिति की संरचना

पीएई समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री सेवा राम	**अध्यक्ष**
श्री बलबीर सिंह	सदस्य
श्री वी. पी. हरन	सदस्य
डॉ. जी. के. पटेल	सदस्य
सुश्री मंजुला सी	सदस्य
श्री विनोद एस. शेणै	सदस्य
श्री एच. कुमार	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
श्री ए. के. साहू	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न मानव संसाधन समिति की बैठकों के विवरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, 6 पीएई कमेटी मीटिंग आयोजित की गईं और बैठक की तारीख और उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

बैठक की तारीख	बैठक संख्या	उपस्थित सदस्यों
16/05/2017	33	4
20/07/2017	34	4
17/08/2017	35	5
18/09/2017	36	5
14/11/2017	37	9
30/01/2018	38	9

घ) वित्तीय वर्ष 2017 -18 के दौरान आयोजित पीएई कमेटी मीटिंग्स में उपस्थिति:

पीएई समिति के सदस्य	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री सेवा राम (08/09/2017 से)	2
श्री बलबीर सिंह (08/09/2017 से)	2
श्री वी. पी. हरन (08/09/2017 से)	2
डॉ. जी. के. पटेल (08/09/2017 से)	2
सुश्री मंजुला सी	5
श्री विनोद एस शेनॉय	5
श्री एच कुमार	6
श्री एम वेंकटेश	6
श्री ए के साहू	5
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (24/11/2017 तक)	-
श्रीमती पेरिन देवी (24/11/2017 तक)	1

10. वार्षिक महासभा के ब्यौरे

क) आयोजित पिछली 3 वार्षिक महासभाओं का अवस्थान, स्थान तथा समय

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
2017 29वीं AGM	एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, डाकघर कुत्तेतुर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर-575030	19/08/2017	4.00 पी.एम
2016 28वीं AGM	एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, डाकघर कुत्तेतुर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर	03/09/2016	4.00 पी.एम
2015 27वीं AGM	एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, डाकघर कुत्तेतुर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर	08/08/02015	4.30 पी.एम

ख) क्या पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया ?

जी, हॉ

AGM	विशेष संकल्प
29वीं AGM	अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के निर्गम के जरिए रु. 5000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसरण में एक विशेष संकल्प पारित किया गया.
28वीं AGM	निम्नलिखित के अनुसरण में दो विशेष संकल्प पारित किए गए : i) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के निर्गम के जरिए रु. 3000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 ii) कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% तक बढ़ाने के लिए शेयर जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 तथा धारा 62
27वीं AGM	निम्नलिखित के अनुसरण में दो विशेष संकल्प पारित किए गए : i) बोर्ड की उधार शक्तियों को रु.15,000 करोड़ से बढ़ाकर रु. 25,000 करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) ii) उधार के संबंध में कंपनी की चल तथा अचल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, पर प्रभार सृजित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 180(1)(क)

ख) पिछले वर्ष डाक मतपत्रों के जरिए पारित कोई विशेष संकल्प

पिछली एजीएम में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.

ग) डाक मतपत्र का कार्य देखने वाले व्यक्ति:

लागू नहीं

घ) क्या डाक मतपत्रो के जरिए कोई विशेष संकल्प प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है?

नहीं

ङ) डाक मतपत्रों के लिए क्रियाविधि

लागू नहीं

11. प्रकटन एवं पारदर्शिता

कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर सेबी सूचीबद्धता विनियम 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (क) से (थ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन किया है. कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठा रही है.

विनियम 46 में उल्लिखित प्रकटन के बारे में जानकारी कॉरपोरेट अभिशासन में दी गई है.

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उन सभी मामलों पर, जिनको सार्वजनिक करना पड़े, जानकारी समय पर और संपूर्ण रूप से प्रकट की जाती है. कंपनी की वेबसाईट पर और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एमआरपीएल के कामकाज, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व और अभिशासन के हरेक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है.

कंपनी के सभी प्रकटन लेखांकन, वित्तीय और गैर-वित्तीय मामलों के संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार किए जाते हैं.

एमआरपीएल ऐसी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, अपनी वेबसाईट पर और स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करता है. सभी प्रयोक्ताओं को इन सभी माध्यमों तक निर्बाध रूप से पहुंच है.

कंपनी सभी बैठकों (बोर्ड / समितियों / सामान्य बैठकों आदि) की कार्यवाहियों का रेकॉर्ड रखती है.

कंपनी लेखांकन मानकों का अक्षरश: अनुसरण करती है. वार्षिक लेखापरीक्षा, C&AG द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा के जरिए करायी जाती है. इसके अलावा, एमआरपीएल की C&AG द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है. इसके अलावा, भारत सरकार और संसदीय समितियों द्वारा भी समय-समय पर निगरानी की जाती है.

बोर्ड के सदस्य और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले लेन-देनों अथवा मामलों के बारे में, चाहे उनमें उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप में या अन्य पक्षकार की ओर से कोई महत्वपूर्ण हित हो या न हो, बोर्ड को जानकारी प्रकट करनी है.

एमआरपीएल के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन का यह प्रयास रहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हितधारकों को सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में समाचार देने के साथ-साथ संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाती है.

(i) तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संमद्ध पक्षकार लेन-देन

1.1 संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन समय-समय पर सेबी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 23 और कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 188 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं.

2.0 कंपनी के संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन संबंधी नीति और कार्यविधियां अपनाई हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

1. श्री एच. कुमार : प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2. श्री एम. वेंकटेश : निदेशक (रिफाइनरी)
3. श्री ए. के. साहू : निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
4. श्री दिनेश मिश्रा : कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक को छोड़कर उनके साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक MGT-9 के खंड (iv) के अंतर्गत प्रकट किया गया है जो बोर्ड की रिपोर्ट का ही भाग है.

(iii) **उद्यम जिन पर काफी प्रभाव पड़ता डाला जाता है** :

नाम	संबंध	लेन-देन का स्वरूप
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	ब्यौरे वि.व. 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 10 में दिए गए हैं.
शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	

(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा अपालन, किसी स्टाक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने, की गई निंदा के ब्यौरे :

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी ने कोई अननुपालन नहीं किया है और किसी स्टाक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और न ही कोई निंदा की गई.

कंपनी को शेयर अंतरण कार्य के सामान्य अनुक्रम में शेयरों के स्वत्व को लेकर विवाद से संबंधित कुछ कानूनी मामलों में अभियोजित किया गया है. लेकिन इनमें से कोई भी मामला महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या खर्च उठाना पड़े.

(v) कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए सूचना-प्रदाता नीति अपनाई है. कंपनी ने किसी भी कर्मचारी या निदेशक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने से मना नहीं किया है और सूचना प्रदाता को प्रतिकूल कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है. यह नीति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

(vi) कंपनी ने सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 16(ग) के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के बारे में नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

(vii) गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं

क) कंपनी अपने खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है.

ख) एमआरपीएल 'अनुसूची A' का एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति संबंधी नियम, शर्तें और पारिश्रमिक लोक

ग) उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

घ) चूंकि कंपनी के तिमाही / छमाही वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट कर समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं. इसलिए छमाही रिपोर्ट प्रत्येक शेयरधारक के पते पर नहीं भेजी जाती है.

ङ) कंपनी के शेयरधारकों के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं है.

च) कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित एक औपचारिक नीति अपनाई गई है जिसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है. निदेशकों को उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है.

छ) कंपनी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16/02/2015 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुसरण करते हुए Ind AS का पालन करती है.

(viii) बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह आचार संहिता एक व्यापक संहिता हे जो कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात् कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा बोर्ड स्तर से एक स्तर कम के अधिकारियों को लागू है. आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

प्रबंध निदेशक ने घोषणा की है कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने यह अभिपुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आचार संहिता का पालन किया है.

(ix) मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL)की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने में भेदिया व्यापार करने की रोकथाम करने की आंतरिक कार्यविधि और आचार संहिता

1.0 सेबी (भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियम, 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी के मामले में '' भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' के लिए 22 जून 2002 को संपन्न बोर्ड की 89वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2008 के परिप्रेक्ष्य में 20/01/2009 को संपन्न 135वीं बैठक में बोर्ड ने इसमें संशोधन किया.

2.0 सेबी ने सेबी (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 का निरसन करते हुए 15/01/2015 को सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो 15/05/2015 से सभी सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू हुआ. तदनुसार, कंपनी ने 22 मई 2015 को आयोजित 197वीं बोर्ड बैठक में यथा संशोधित ''एमआरपीएल की प्रतिभूतियों के लेन-देन में भेदिया व्यापार के निषेध के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचरण संहिता'' अपनाई.

3.0 इसके अतिरिक्त, सेबी ने दिनांक 16/09/2015 के अपने परिपत्र के जरिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) अपने पास रखते हुए ईसॉप का प्रयोग करने, संविदागत व्यापार का क्रियान्वयन करने और प्रतिभूति का सृजन करने या प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए गिरवी को लागू करने के बारे में सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम,2015 के विनियम 7 के तहत प्रकट करने के लिए बनाए गए प्रारूपों में संशोधन किया है. तदनुसार बोर्ड ने "एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संविदा" 29 अक्तूबर 2015 को संपन्न अपनी 200वीं बैठक में यथा संशोधित रूप में अपनाई जिसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(x) CEO और CFO प्रमाणीकरण

वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की यथातथ्यता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखापरीक्षा समिति को मामले की रिपोर्ट भेजने की पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया है.

(xi) कारोबार दायित्व रिपोर्ट (BRR)

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(च) का अनुसरण करते हुए वर्ष 2017-18 के लिए कारोबार दायित्व रिपोर्ट (BRR) तैयार की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है.

(xii) शेयरों का अमूर्तीकरण और चलनिधि

यथा 31/03/2018 को कंपनी के 98.30% ईक्विटी शेयर अमूर्तीकृत हैं (एनएसडीएल - 44.92% और सीडीएसएल 53.38%). कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत शेयरधारकों को दोनों निक्षेपागारों में से किसी में भी अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराने का और इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने का विकल्प होगा.

(xiii) शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसे कि सेबी ने निर्दिष्ट किया है, अर्हता प्राप्त पेशेवर कंपनी सचिव राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के पास कुल स्वीकृत पूंजी और कुल निर्गमित और सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए साचिविक लेखापरीक्षा करते हैं. यह लेखापरीक्षा हर तिमाही में की जाती है और उस पर रिपोर्ट इस शेयर बाजार को प्रस्तुत की जाती है जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं. लेखापरीक्षा में यह पुष्टि की जाती है कि कुल सूचीबद्ध और प्रदत्त पूंजी अमूर्त रूप में (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास) रखे गये शेयरों की कुल संख्या और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों की कुल संख्या के कुल योग के अनुरूप है.

(xiv) नामांकन

अकेले या संयुक्त रूप से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसके नाम पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु होने पर शेयरों का अंतरण किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा, NSDL और CDSL को लागू उप-विधि और व्यावसायिक नियमों के अनुसार निक्षेपागार सहभागियों के पास उपलब्ध हैं. नामांकन फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है.

(xv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज़ों का अनुरक्षण

हरित पहल के एक भाग के तौर पर ई-मेल से नोटिस / दस्तावेज पाने के इच्छुक सदस्य अपना ई-मेल का पता, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनके समर्पित ईमेल आईडी अर्थात् invester@mrpl.co.in पर सूचित कर सकते हैं.

(xvi) सहायक कंपनी का अभिशासन

कंपनी की सहायक कंपनी OMPL की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ उल्लेखनीय लेन-देन के ब्यौरे तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं. सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी की तात्विक रूप से महत्वपूर्ण ऐसी कोई सहायक कंपनी नहीं है जिसकी निवल मालियत समेकित निवल मालियत के 20% से अथवा आपकी कंपनी की समेकित आय के 20% से अधिक हो.

(xvii) कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देश

लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब आज्ञापक स्वरूप के हो गए हैं.
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान राष्ट्रपति से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. एमआरपीएल इन दिशानिर्देशों का जहां तक हो सके, अनुपालन कर रहा है.

(xviii) साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और पूंजी बाजार से संबंधित दूसरे सभी संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त की गई है जो बोर्ड की रिपोर्ट का ही एक अंग है.

12. संचार के साधन

i) तिमाही परिणाम : कंपनी के तिमाही परिणाम अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और साथ ही कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किये जाते हैं.

ii) समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतियां आदि : आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है.

iii) संस्थागत निवेशकों / विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण : हॉ

iv) वेबसाईट : कंपनी की वेबसाईट www.mrpl.co.in में 'Stakeholdres" नामक एक समर्पित खंड है जिसमें शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

v) वार्षिक रिपोर्ट : लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों को भेजी जाती है. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भी एक अंग है जिसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया जाता है.

vi) अध्यक्ष का संवाद : अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति वार्षिक महासभा में शेयरधारकों को वितरीत की जाती है. इसे कंपनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है.

vii) निवेश्कों को अनुस्मारक : अदावी मूर्त शेयर प्रमाणपत्रों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे गए हैं. मेल के जरिए पत्राचार करने के लिए ई-मेल को अद्यतन बनाने के बारे में शेयरधारकों को कई अनुस्मारक भेजे गए.

viii) बीएसई इलेक्ट्रॉनक प्लेटफॉर्म : BSE Listing Cetre सभी सूचीबद्ध उद्यमों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालनों / प्रस्तुतियों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. 'Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से अनुपालन / प्रस्तुतियां फाइल की जा सकती हैं और पिछली फाइलिंग का पता लगाया जा सकता है.

ix) एनएसई इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रोसेसिंग प्रणाली (NEAPS) : NEPAS एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसे NSE ने कंपनियों के लिए बनाया है. विभिन्न अनुपालन NEPAS पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किए जाते हैं.

x) सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) : निवेशकों की शिकायतों का सेबी द्वारा प्रदान की गई एक केन्द्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए निवारण किया जाता है.

xi) निर्दिष्ट अनन्य ई-मेल आईडी : कंपनी ने निवेशक सेवा के लिए ही invester@mrpl.co.in में ई-मेल आईडी निर्दिष्ट किया है.

13. सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

क) 30वीं वार्षिक महासभा :

(i) कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे : CIN L23209KA1988GOI008959

(ii) दिन, दिनांक, समय और स्थान : एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, डाकघर कुत्तेपुर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर

(iii) वित्तीय वर्ष : 01/04/2017 से 31/03/2018

(iv) बही बंदी तारीख : 02/07/2018 से 06/07/2018 (दोनों दिन सहित

(v) लाभांश भुगतान की तारीख : अंतिम भुगतान 11/08/2018 को या उसके बाद अदा किया जाएगा.

(vi) ई-मतदान : केपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के विनियम 44, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार शेयरधारकों को ई-मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.

(vii) स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्धता

अ. ईक्विटी शेयर
ISin :INE103A01014

1) बीएसई लिमिटेड,
जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001
स्क्रिप कोड सं. : 500109

2) द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051.
ट्रेडिंग प्रतीक : MRPL

आ सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान : कंपनी ने बीएसई लिमिटेड और द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया है.

इ निक्षेपागार शुल्क का भुगतान : कंपनी ने सीडीएसएल और एनएसडीएल को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान किया है.

(viii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय कैलेंडर

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2017-18**		**वित्तीय वर्ष 2018-19**	
लेखा अवधि	01/04/2017 से 31/03/2018		01/04/2018 से 31/03/2019	
वित्तीय परिणाम की घोषणा	1ली तिमाही 2री तिमाही 3री तिमाही	21/07/2017 14/11/2017 02/02/2018	पहली तीन तिमाहियां	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर घोषणा
	4थी तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणाम	15/05/2018	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर घोषणा

ix) बाजार मूल्य संबंधी आंकड़े

माह (2017-18)	**बीएसई लिमिटेड**		**द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**	
	उच्च ₹	निम्न ₹	उच्च ₹	निम्न ₹
अप्रैल 17	135.70	105.80	135.85	105.75
मई 17	142.75	120.70	142.80	120.10
जून 17	138.75	115.15	138.80	115.00
जुलाई 17	132.95	117.90	132.85	116.25
अगस्त 17	140.90	114.25	141.20	114.20
सितंबर 17	143.50	118.20	143.55	118.25
अक्तूबर 17	146.25	125.20	146.70	124.80
नवंबर 17	145.50	119.75	145.25	119.75
दिसंबर 17	131.80	118.40	132.00	118.10
जनवरी 18	136.90	123.05	137.15	124.00
फरवरी 18	130.35	108.90	130.50	108.10
मार्च 18	121.60	107.70	120.30	108.00

(X) व्यापक आधार वाले सूचकांकों जैसे एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स की तुलना में प्रदर्शन

एनएसई (निफ्टी) 2017-18

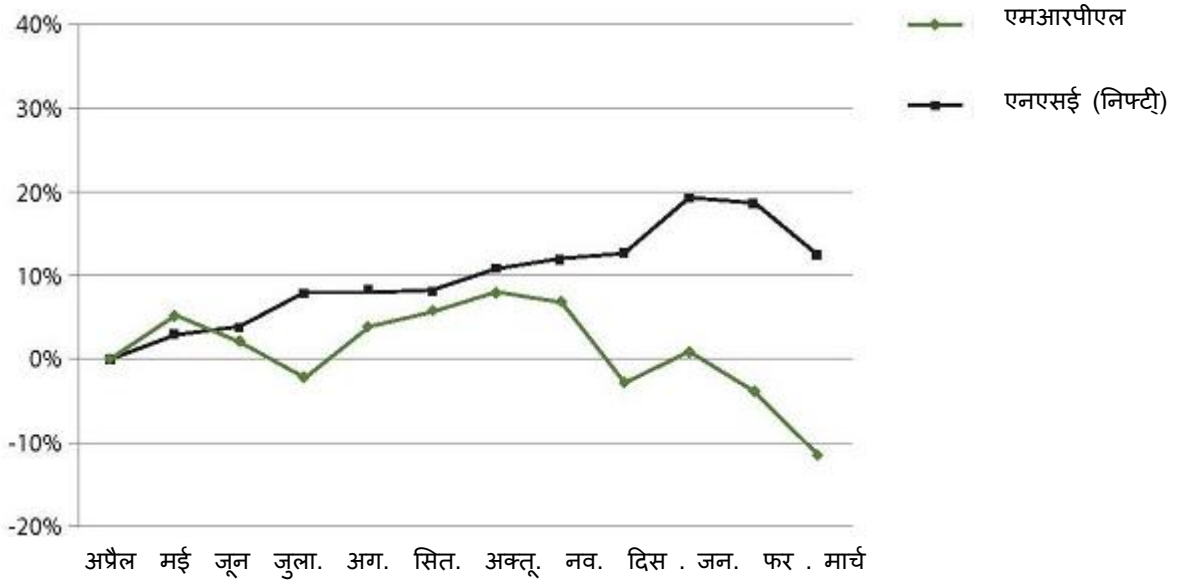

बीएसई सेंसेक्स 2017-18

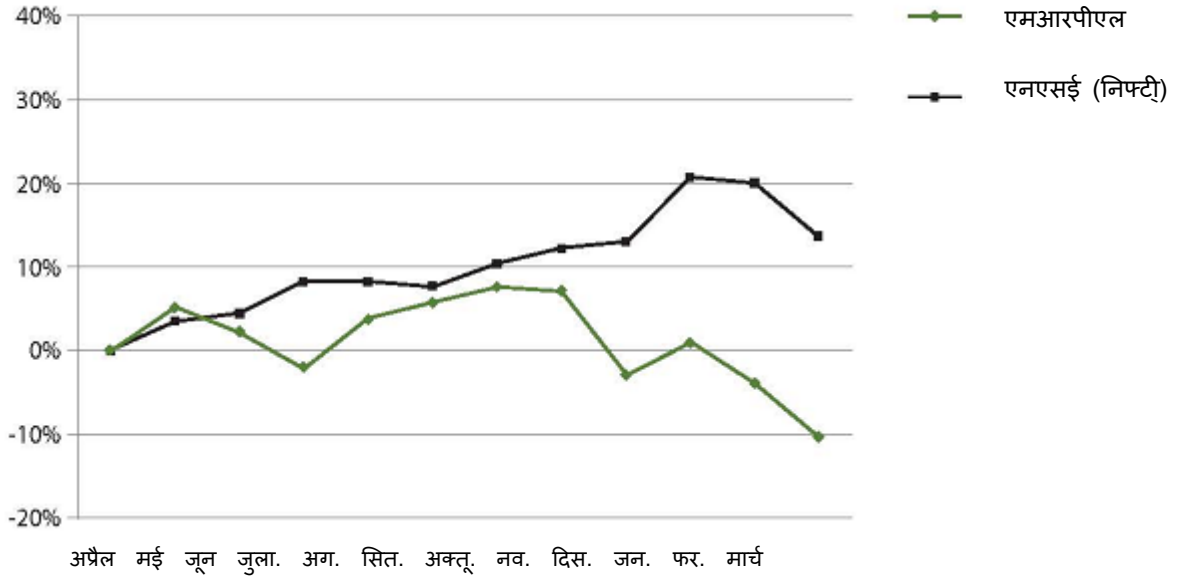

यथा 31/03/2018 को एमआरपीएल का बाजार पूंजीकरण रु.19252 करोड़ था.

(xi) **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट : मेसर्स लिंक ईन्टाइम प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400083, ईमेल आईडी : mrplirc@linkintime.co.in**

(xii) शेयर अंतरण प्रणाली

मूर्त रूप में शेयरों का अंतरण कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा उनकी प्राप्ति दिनांक से सात दिनों के भीतर प्रोसेस कर पूरा किया जाता है बशर्ते कि सारे दस्तावेज ठीक हों. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में अंतरण संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के जरिए NSDL/CDSL द्वारा प्रोसेस किया जाता है. शेयर बाजार से संबंधित सूबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए पेशेवर कंपनी सचिव अतरण प्रणाली की लेखापरीक्षा करते हैं और उसके बारे में एक प्रमाणपत्र जारी करते हैं. शेयरों के अंतरण / नाम हटाने और प्रेषण करने से संबंधित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**प्रोसेस किए गए अंतरण विलेखों की संख्या**	**अंतरित शेयरों की संख्या**
2017-18	1497	275550
2016-17	897	170675
2015-16	1425	257600

(Xiii) **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में लाभांश और शेयरों की अदावी राशि का अंतरण**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 वर्षों के अदत्त या अदावी लाभांश का केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण कर दिया. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पड़ी अदत्त एवं अदावी राशि के बारे में सूचना अपलोड करना) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 19/08/2017 (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) को कंपनियों के पास पड़ी अदत्त एवं अदावी राशि के ब्यौरे अपनी वेबसाईट www.mrpl.co.in पर और साथ ही कॉरपोरेट कार्य मंत्रलाय की वेबसाईट पर अपलोड किए हैं.
वित्तीय वर्ष 2010-11 के अदावी लाभांश का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 03/10/2018 तक या उससे पहले निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरण करना पड़ेगा.

कंपनी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05/09/2016 की अपनी अधिसूचना 28/02/2017 को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम 2017 अधिसूचित किए. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक के लाभांश का दावा न किया हो, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किए गये हैं.

(xiv) यथा 31/03/2018 को शेयरधारिता का विवरण

धारित इक्विटी शेयरों की सं.	निम्न रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों की सं.		धारित शेयरों की सं.		धारित ईक्विटी पूंजी का %	
	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में	मूर्त रूप में	डीमैट रूप में
1-500	158311	188326	28587284	31310820	1.6311	1.7865
501-1000	665	10958	505400	8775702	0.0288	0.5007
1001-2000	117	4049	171255	6145241	0.0098	0.3506
2001-3000	14	1180	36900	3031329	0.0021	0.1730
3001-4000	5	495	17708	1778540	0.0010	0.1015
4001-5000	12	406	56450	1915970	0.0032	0.1093
5001-10000	11	531	80950	3864555	0.0046	0.2205
10001और इससे अधिक	8	417	343200	1665977473	0.0196	95.0576
कुल	**159143**	**206362**	**29799147**	**1722799630**	**1.7003**	**98.2997**

(xv) 31/03/2018 को शेयरधारिता का स्वरूप

विवरण	शेयरों की सं.	प्रतिशत
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	1255354097	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	297153518	16.96
निवासी व्यक्ति	83491040	4.76
अनिवासी व्यक्ति	6857597	0.39
देशी कंपनियां	15704172	0.90
विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉरपोरेटड्व / विदेशी नागरिक	26933030	1.54
जीआईसी व सहयोगी कंपनियां/ बैंक / विदेशी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं / म्यूच्युअल फंड	53239108	3.04
केंद्र / राज्य सरकार की संस्थाएं	9988275	0.57
न्यास	1876786	0.11
समाशोधन सदस्य	626367	0.04
अभिभक्त हिंदू परिवार	1374787	0.08
कुल	**1752598777**	**100.00**

(xvi) **31/03/2018 को अदावी / सुपुर्द न किए गए शेयर**

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की संख्या
1	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बिना पड़े रहे	9479	1053975
2	परिवर्धन - शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बिना पड़े रहे	135	24890
3	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले ने किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया और शेयर निर्गमित किए गए	78	14675
4	आईईपीएफ प्राधिकारियों को अंतरित शेयर (लंबित आरयूडी मामलों में से)	42	5850
5	शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर, जो वर्ष के अंत में 'अदावी शेयर उचंत खाते' में पड़े रहे	9494	1058340
6	इन शेयरों के मताधिकार पर तब तक रोक लगाई जाएगी जब तक इन शेयरों के वैध मालिक शेयरों का दावा न करें.		

(xvii) **बकाया GDR/ADR / वारंट या किसी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख तथा ईक्विटी पर उनका प्रभाव :** कुछ नहीं

(xviii) **रिफाइनरी का अवस्थान** : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला
मंगलूर - 575030, कर्नाटक, भारत

(xix) **पत्राचार का पता** :

श्री दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

- **पंजीकृत कार्यालय / कंपनी का निवेशक संपर्क कक्ष :**
  मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला
  मंगलूर - 575030, कर्नाटक, भारत
  टेलीफोन नं. 0824-2270400 ईमेल: investor@mrpl.co.in वेबसाइट: www.mrpl.co.in

- स्कोप कॉम्प्लेक्स,
  7वीं मंजिल, कोर-8, लोधी रोड,
  नई दिल्ली - 110003
  टेलीफोन नं. 011-24306400 ईमेल: investor@mrpl.co.in

- मेकर टॉवर्स
  15वीं मंजिल, 'ई' विंग, कफ परेड, मुंबई - 400 005
  टेलीफोन नं. 022-2217300 ईमेल: investor@mrpl.co.in

- मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया (प्रा) लि. (एजेंट)
  यूनिट एमआरपीएल
  एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083
  टेलीफोन नं. +91-2249186270 फैक्स: +912249186060
  ईमेल : mrplirc@linktime.co.in वेबसाइट : www.linkintime.co.in

यथा 31 मार्च 2018 को बोर्ड तथा समिति संरचना

नाम	बोर्ड	लेखापरीक्षा	सीएसआर	नामांकन/ पारिश्रमिक समिति	हितधारक संबंध समिति	मानव संसाधन प्रबंधन समिति	परियोजना मूल्यांकन एवं निष्पादन समिति
श्री शशि शंकर							
श्री एच. कुमार							
श्री एम वेंकटेश							
श्री ए. के. साहू							
श्री विनोद एस. शेणै							
श्री के एम महेश							
श्री संजय कुमार जैन							
सुश्री मंजुला सी							
श्री वी. पी. हरन							
श्री सेवा राम							
डॉ. जी. के. पटेल							
श्री बलबीर सिंह							

C - अध्यक्ष M-सदस्य

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड,

मंगलूर

1. हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 205 में यथानिर्दिष्ट और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की.

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच उक्त सूचीबद्धता विनियमों और दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है, और न ही उन पर हमारी राय व्यक्त करना है.

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा अभ्यावेदन के बलबूते पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, निम्नलिखित के सिवाय :

I. **निदेशक मंडल का गठन - बोर्ड में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे**.

वर्ष के दौरान बोर्ड की वास्तविक संरचना इस प्रकार थी :

अवधि	निदेशकों की कुल संख्या	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
01/04/2017 से 07/09/2017	8	4	1
08/09/2017 से 31/03/2018	12	6	5

II. **बोर्ड की समितियों की संरचना**

(क) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक जिसमें से दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे.

वर्ष के दौरान सदस्यों की वास्तविक संरचना इस प्रकार थी:

अवधि	निदेशकों की कुल संख्या / सदस्य	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
01/04/2017 से 25/10/2017	5	4	1

(ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक जिसमें से पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे.

वर्ष के दौरान सदस्यों की वास्तविक संरचना इस प्रकार थी:

अवधि	निदेशकों की कुल संख्या / सदस्य	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
01/04/2017 से 25/10/2017	4	2	1

III. **26.10.2017 के पहले आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्वतंत्र का अपेक्षित कोरम पूरा नहीं हुआ था.**

4. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा चलाए गए कंपनी के कामकाज की दक्षता या प्रभाविता का आश्वासन देता है.

कृते मेसर्स श्रीधर, सुरेश एंड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 003957S
हस्ता/
सीए. एस. कुमार भट्ट
साझेदार
सद. सं. 026525
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15/05/2018

कृते मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सद. सं. 203592

सीईओ तथा सीएफओ का प्रमाणन

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सीईओ / प्रबंध निदेशक और सीएफओ / निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी संबंधित हैसियत से अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करते हैं कि

अ. हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह की समीक्षा की है और यह कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम यह व्यक्त करते हैं कि :

1. इन विवरणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है, न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा ऐसा कोई बयान दिया गया है जो भ्रामक हो.
2. ये विवरण एक साथ कंपनी के कामकाज का सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूद लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया गया है.

आ. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करें.

इ. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियत्रण तंत्रों की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और लेखापरीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन में उन कमियों को, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं अथवा उठाना चाहते हैं, उनके बारे में प्रकट किया है.

ई. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह संकेत दिया है :

1. 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में,
2. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और
3. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हो और जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रबंधन अथवा कर्मचारी शामिल हुए हों.

हस्ता/-
श्री ए. के. साहू
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN : 07355933

हस्ता/-
एच. कुमार,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
DIN :06851988

वार्षिक कारोबार दायित्व रिपोर्ट (ABRR) 2017-18

खंड क : सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या **(CIN)**	:	L23209KA1988GOI008959
2	कंपनी का नाम	:	मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	:	मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला मंगलूर - 575030, कर्नाटक, भारत
4	वेबसाइट	:	www.mrpl.co.in
5	ईमेल	:	investor@mrpl.co.in
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	:	2017-18
7	कंपनी किस क्षेत्र से जुड़ी है (औद्योगिक गतिविधि कूट-वार)	:	पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल्स

समूह	श्रेणी	उप-श्रेणी	वर्णन
232	2320		परिष्कृत पेट्रोलिमय उत्पादों का निर्माण
		23201	द्रवीभूत या गैस सदृश्य ईंधनों, प्रदीपक तेल या ग्रीस या क्रूड पेट्रोलियम से अन्य उत्पादों का विनिर्माण
		23209	अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे बिटूमेन का विनिर्माण
			पेट्रोकेमिकल्स - पॉलीप्रॉपीलीन

* एनसी - 2004 - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार

8 तीन महत्वपूर्ण उत्पादों / सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण करती है / जिनको कंपनी प्रदान करती है (तुलन-पत्र के अनुसार) :

हाई स्पीड डीजल (HSD)

मोटर स्पिरिट (MS)

विमानन टर्बाइन ईंधन

9 कंपनी द्वारा कुल कितने स्थानों पर कारोबार गतिविधि चलाई जाती है : 10

i अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों के ब्यौरे दें) : कुछ नहीं

ii राष्ट्रीय स्थानों की संख्या :

- एमआरपीएल विनिर्माण गतिविधियों सहित अपनी प्रमुख कारोबार गतिविधियां कर्नाटक राज्य में मंगलूर नामक एक ही स्थान पर चलाता है.
- एमआरपीएल बेंगलुरू में स्थित विपणन प्रधान कार्यालय से विपणन कार्यकलाप चलाता है. विपणन के 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मंगलूर, बेंगलुरू और मुंबई में स्थित हैं जहां से उत्पादन, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन जैसे विभिन्न कामकाज संभाले जाते हैं.
- 6 रिटेल आउटलेट जो कर्नाटक राज्य में मद्दूर, हुबली, मंड्या में एक-एक और मंगलूर में 3.
- 3 डिपो - कासरगोड (केरल), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) और होसुर (तमिलनाडु) में एक-एक
- कर्नाटक राज्य में हसन में एक पॉलिप्रॉपीलीन मालगोदाम

10 कंपनी किन-किन बाजारों को कवर करती है - स्थानीय/राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय

एमआरपीएल अपने उत्पाद मुख्यत: भारतीय बाजार में बेचता है और मॉरिशस के साथ दीर्घावधि उत्पाद आपूर्ति संविदा की है.

खंड ख : वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18)

1. **प्रदत्त पूंजी** : रु. 1,752 करोड़
2. **कुल कारोबार** : रु. 63067 करोड़
3. **कर पश्चात् लाभ** : रु. 2224 करोड़
4. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पर किया गया कुल खर्च** :

   कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान CSR पर रु. 10.30 करोड़ खर्च किए.
5. **उन गतिविधियों की सूची जिन पर CSR संबंधी व्यय किया गया :**

   उक्त व्यय के प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जन के लिए समर्थन और सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं.

खंड ग : अन्य ब्यौरे

1. सहयाक कंपनी

कंपनी की एकमात्र सहायक कंपनी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) है. कंपनी का OMPL की शेयर पूंजी में 51% हिस्सा है.

2. मूल कंपनी की कारोबार दायित्व OMPL संबंधी पहल में सहयोगी कंपनी की सहभागिता

चूंकि OMPLएक अलग उद्यम हे, इसलिए वह कंपनी के लिए लागू नीतियों के अनुसार अपनी ओर से कारोबार दायित्व पहल करती है

3. कंपनी के साथ कारोबार करनेवाली कंपनी BR संबंधी पहल में भाग लेने वाले अन्य उद्यम (मों) (उदा. आपूर्तिकर्ता / वितरक आदि) की सहभागिता और प्रतिशतता

एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 और विशेषकर लोक उद्यम विभाग के तथा आम तौर पर भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों एवं नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कारोबार और शासन चलाता है. एमआरपीएल अपनी स्वेच्छा से नीति संबंधी कुछ पहल करता है और वे हिस्सेदार एमआरपीएल को उसकी कारोबारी जिम्मेदारी संभालने में मदद करते हैं. यह बताना मुश्किल है कि एमआरपीएल की कारोबार जिम्मेदारी संबंधी पहल सुसाध्य बनाने में इनका समर्थन किस हद तक सिद्ध हुआ है.

खंड घ - कारोबार दायित्व (BR) संबंधी जानकारी

1. **BR के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों के ब्यौरे**

क. श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी) और अधिष्ठाता
(DIN: 07025342)

ख. BR संभालने वाले के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1	DIN	07025342
2	नाम	श्री एम. वेंकटेश
3	पदनाम	निदेशक (रिफाइनरी)
4	टेलीफोन नं.	0824;2270400
5	ईमेल आईडी	Venky_m@mrpl,co,in

2. **सिद्धांत (P)-वार (NVG के अनुसार) BR संबंधी गतिविधियां**

P1	कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ चलाना होगा.
P2	कारोबार में ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी होंगी जो सुरक्षित हों और उनके जीचन चक्र के दौरान हर दम संधारणीयता के साथ योगदान दें.
P3	कारोबार से सभी कर्मचारियों का कल्याण हो.
P4	कारोबार करते समय सभी हितधारकों और खासकर अल्प सुविधाप्राप्त कमजोर और उपेक्षित किए गए लोगों के हितों का ध्यान रखना.
P5	कारोबार करते समय मानव अधिकारों की कद्र करनी चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए.
P6	कारोबार करते समय पर्यावरण के प्रति आदर होना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए.
P7	सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार करते समय जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए.
P8	कारोबार करते समय समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए.
P9	कारोबार करते समय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्य दिलाने में जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए.

क्र.सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पातद की जिम्मेादारी	कर्मचारियों का कल्या ण	शेयरधारक नियोजन	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर जिम्मेदारी	ग्राहक संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	**क्याम आपके पास कोई नीति/नीतियां हैं.**	हां. सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल कॉरपोरेट अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 और विशेषकर	हॉं उत्पाद की गुणवत्ताा संबंधी मैनुअल (BIS)/अंतर्राष्ट्री य विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ताा से संबंधित)	हॉं कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की मानव संसाधन नीतियां बनाई हैं.	हॉं	हां. कंपनी की सभी नीतियों में न केवल कर्मचारियों के, कंपनी के प्रचालन से प्रभावित होने वाले लोगों के मानवाधिकार का भी धयान रख जाता है.	हॉं	एमआरपीएल लोक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने का काम नहीं करता है. लेकिन पीएसई होने के नाते अपना कारोबार हमेशा सर्वोत्तम नैतिक प्रताओं का अनुपालन करता हैं	हॉं	हॉं
2	**क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?**	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम होने के नाते एमआपीएल भारत सरकार की नीतियों का पालन करता है.	हॉं	हॉं	हॉं CSR तथा SD संबंधी नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हॉं
3	**क्या नीति किसी राष्ट्री य / अंतर्राष्ट्री य मान मानकों के अनुरूप है? यदि हॉं तो निर्दिष्टप करें.**	हॉं नीति और निर्धारित कार्यविधियां कानून और भारत सरकार की नीतियां, DPE और अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं.	हॉं (बीआईएस / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों के अनुसार है)	हॉं	हॉं नीति और निर्धारित कार्यविधियां कानून और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं.	प्रचालन एवं कारोबार की दृष्टि से नीतियां राष्ट्री य मानक मानकों और संबंधित अंतर्राष्ट्री य मानक मानकों के अनुरूप हैं.	हॉं ISO 14001:2004 मानक	हॉं कंपनी अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाती है.	हॉं DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं.	हॉं (गुणवत्तार के मामले में ISO:9001 और पर्यावरण के मामले में ISO 14001)
4	**क्या नीति बोडर द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या उस पर MD / मालिक /CEO उचित बोर्ड निदेशक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं?**	हॉं, भारत सरकार, DPE और अन्य् भ भारतीय सांविधिक निकायों के अधिदेशों के अनुरूप सभी नीतियों का कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद पालन किया जाता है.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.	हॉं, कंपनी भारत सरकार की नीतियों का अनुसरण करती है. कंपनी की सभी नीतियों के लिए बोर्ड का अनुमोदन लिया जाता है.	हॉं, नीतियां बोर्ड द्वारा **अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.**	हॉं, **नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित हैं.**

क्र.सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पातद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्यातण	शेयरधारक नियोजन	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर जिम्मेदारी	ग्राहक संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
5	क्याा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में बोर्ड / निदेशक / अधिकारी सहित किसी निर्दिष्टि स समिति का गठन किया गया है?	हॉ	बोर्ड की समितियां नीति के अनुपालन ओर कार्यान्वरयनप पर निगरानी रखती हैं.	हॉ	हॉ. CSR और SD संबंधी समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है.	हॉ	हॉ. नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में ORC / HSE समिति का गठन किया गया है.	हॉ. कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में कंपनी की कई बोर्ड समितियों का वर्णन किया गया है.	हॉ	हॉ
6	लिंक को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?	सूचना-प्रदाता नीति और सत्यजनिष्ठा संधि को www.mrpl.co.in / statutory-disclosureमें देखा जा सकता है.	www.mrpl. co.in	कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध	www.mrpl. co.in	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	कंपनी की विभिन्नि नीतियां www.mrpl.co.in पर देखी जा सकती है.	www.mrpl. co.in/csr	www.mrpl. co.in
7	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है?	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
8	क्या नीति/नीतियां का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
9	नीति/नीतियों के बारे में हितधारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या कंपनी में नीति/नीतियों से संबंधित कोई निवारक तंत्र बनाया गया है?	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
10	क्याय कंपनी ने इस नीति के कार्य संचालन की किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से स्वीतंत्र लेखापरीक्षा / मूल्यां कन करवाया है?	कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के कार्यान्वायन की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है.	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ ISO सिस्टम संबंधी लेखपरीक्षा लागू की गई है.	हॉ एक CPSE होने के नाते कंपनी की C&AG लेखापरीक्षा की जाती है.	हॉ	हॉ

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों को मुकर्रर करना और सीएसआर	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	सीएसआर	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	लागू नहीं								
2	कं पनी ऐसी स्थिती में नहीं है जहां वह निर्दिर्ष्ट सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाकर लागू करें									
3	कं पनी के पास अपने कायर् करने के लिए कोई वित्तीय श्रम शिक्त संबंधी संसाधन नहीं है.									
4	अगले 6 महीनों के भीतर करने का विचार है									
5	अगले 1 वर्ष के भीतर करने का विचार है									
6	कोई अन्य कारण निर्दिर्ष्ट करें									

3. **BR संबंधी अभिशासन**

- **कंपनी ने BR संबंधी निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बारम्बारता**
  बोर्ड कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी निष्पादन का वर्ष में एक बार आकलन करता है.
- **BR अथवा संधारणीयता रिपोर्ट का प्रकाशन, प्रकाशित रिपोर्टों की बारम्बारता और हाइपरलिंक**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट2017-18 30वीं वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है. यह कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी उपलब्ध है.

खंड ड़ : सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी

1. **नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में कंपनी और उसके समूह/ संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों /एनजीओ / अन्यों को शामिल किया जाता है.**

नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कंपनी की नीति में कर्मचारियों और निदेशकों एवं अन्य हितधारकों को शामिल किया जाता है.

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हितधारकों की शिकायतें और प्रबंधन ने कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निपटान किया:**

कंपनी ने हितधारक संबंध समिति का गठन किया है. यह समिति शेयरों के अतरण / पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश का भुगतान प्राप्त न होने, ड्यूप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और विचारार्थ विषय के अनुसार अन्य मुद्दों के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने पर विशेष रूप से ध्यान देती है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेशकों से 115 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से 112 शिकायतों का निवारण किया गया और 3 शिकायतें लंबित रहीं जिनका बाद में निवारण किया गया.

सिद्धांत 2 - उत्पाद जीवन-चक्र की संधारणीयता

1. **3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को समाविष्ट किया गया है.**

   हाई स्पीड डीजल (HSD) , मोटर स्पिरिट (MS) और विमानन टर्बाईन (ATF)

2. प्रति यूनिट उत्पाद, संसाधन के उपयोग के संबंध में ब्यौरे (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) (वैकल्पिक)

I. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग/ उत्पादन / वितरण के दौरान कटौती

क) ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सतत् प्रयास के हिस्से के रूप में रिफाइनरी में 2017-18 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं. इन उपायों से लगभग रु. 4985 लाख के निवेश से 19635 SRFT/वर्ष के समतुल्य अनुमानिन ईंधन बचत (मानक रिफाइनरी ईंधन समतुल्य) की बचत हुई है जो लगभगरु. 4650 लाख / वर्ष के समतुल्य है.

ख) रिफाइनरी ने पिछले वर्ष प्राप्त किए गए 79.61 एमबीएन (माध्य बैरल संख्या) की तुलना में वर्ष के दौरान77.06 एमबीएन हासिल किया है.

ग) मोटर-वाहन ईंधन मिशन एवं नीति के अनुसार BS IV अप्रैल 2017 से पूरे देश में क्रमिक रूप से उपलब्ध है. दो निम्न सल्फर परिवहन ईंधनों (MS/HSD) की आपूर्ति से पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव कम हो गया है.

II. उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान पिछले वर्ष से कटौती हासिल हुई है.

i) कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम प्रयोग करते हुए लगातार निगरानी रखते हुए ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

ii) वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किए गए विशेष उपाय और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुबंध 'घ'** में दी गई है.

3. **सतत् सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए लागू की गई कार्यविधि और संधारणीय तरीके से उपलब्ध कराई गई निविष्टियों का प्रतिशत**

   कंपनीमें सुपरिभाषित क्रूड खरीदारी संबंधी कार्यविधि अपनाई जा रही है.

4. **समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम और स्थानीय एवं छोटे बिक्रेताओं के खातिर चलाए गए क्षमता निर्माण कार्यकलाप**

   क्रूड तेल का परिष्करण करने वाली कंपनी होने के नाते कंपनी अधिकतर उपकरणों, अतिरिक्त पुरजों और रासायनिक पदार्थों की खरीदारी हमेशा स्थापित क्षेत्रों से करती है. ये निविष्टियां उस स्थानीय इलाके में जहां रिफाइनरी स्थापित की गई है, उपलब्ध नहीं हैं. तथापि, हाउसकीपिंग, बगीचे की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय की सेवाएं ली जाती है. कंपनी कौशल विकास कार्यक्रम तथा बिक्रेता विकास कार्यक्रम भी चलाती है.

5. उत्पादों तथा अपशिष्ट का पुन:चक्रण करने का तंत्र और उत्पादों तथा अवशिष्ट के पुन: चक्रण का प्रतिशत (अलग रूप से ,5%,5-10%,>10% के रूप में)

- संसाधित बहि:स्राव की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सेक्वेंशियल बैच रिएक्टर (SBR), मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर (MBR), अल्ट्रा फिल्ट्रेशन (UF) और रिवर्स ऑसमोसिस (RO) के साथ एक उन्नत अपशिष्ट जल अभिक्रिया संयंत्र चालू किया गया है जिससे कूलिंग टॉवरों में संसाधित बहि:स्राव का पुन:चक्रण अधिक होगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 58% संसाधित बहि:स्राव WWTP से कूलिंग टॉवर में पुन: चक्रित किया गया था.
- मंगलूर शहर से रिफाइनरी में प्राप्त हो रहे संसाधित मदजल को उचित संसाधन के बाद कूलिंग टॉवर में ले जाया जाता है.
- एचआरपीएल टाउनशिप और रिफाइनरी कैंटिन के ऑर्गेनिक खाद्य अपशिष्टों को संसाधित करने के लिए ऐनारोबिक कचरा संसाधन बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है. इसके द्वारा, टाउनशिप और रिफाइनरी के संपूर्ण खाद्य अपशिष्ट को एक पर्यावरण अनुकूल संयंत्र में बायो-संसाधित किया जाता है और उत्पादित बायोगैस का प्रयोग कैंटिन में किया जाता है.
- रिफाइनरी में उत्पन्न तैलीय अवपंक को बैच प्रचालन में डिलेड कोकर यूनिट (DCU) में संसाधित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 640 MT तेलीय अवपंक डिलेड कोकर यूनिट (DCU) में संसाधित किया गया.
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) प्राधिकृत रिजनरेटर को प्रयुक्त उत्प्रेरक (विसक्रियित) भेजा गया और पुन: उत्पन्न उत्प्रेरक को प्रक्रम यूनिट में पुन: उपयोग किया जाता है.
- उत्पन्न भुक्तशेष ल्यूब ऑयल को क्रूड तेल में मिलाया जाता है और रिफाइनरी में पुन: प्रोसेस किया जाता है.
- प्रोसेस यूनिटों से तथा WWTP से उत्पन्न स्लॉप ऑयल को क्रूड तेल के साथ पुन: प्रोसेस किया जा रहा है.

सिद्धांत 3 - कर्मचारी कल्याण

1. **कर्मचारियों की कुल संख्या :**

   1916

2. **अस्थाई /ठेका / आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या :**

   ठेका आधार पर लगभग 2900 कर्मचारी

3. **स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या :**

   129

4. **नि:शक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या :**

   28

5. **क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन से मान्यताप्राप्त है?**

   जी, हां. ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

   क) प्रबंधन स्टाफ एसोसिएशन (MSA)

   ख) एमआरपीएल कर्मचारी संघ (MEU)

   ग) एमआरपीएल अजा / अजजा कर्मचारी कल्याण संघ (MSSEWA)

   घ) सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (WIPS)

   ङ) एमआरपीएल अपिव कर्मचारी कल्याण संघ (MOEWA)

6. इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ में सदस्यों के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत:

   100%

7. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाल मजदूर, बलात् मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें मिलीं और इनमें से वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी लंबित रहीं :

क्रसं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर, बलात् मजदूर,/ अनैच्छिक मजदूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	यौन उत्पीड़न	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को संरक्षण एवं कुशलता उन्नयन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया :

   वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के प्रशिक्षण, विकास और शिक्षण के लिए 3552.68 श्रम दिवस लगाए जो प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कर्मचारी 2.80 श्रम दिवस और गैर-प्रबंधन स्टाफ के मामले में प्रति कम्रचारी 1.15 श्रम दिवस बनता है.

सिद्धांत 4 हितधारकों को मुकर्रर करना

1. **अपने आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को मैप किया.**

   हॉ. हितधारकों को नीचे बताए गए तरीके से मैप किया गया :

   क. निवेशक एवं शेयरधारक

   ख. कर्मचारी

   ग. स्थानीय समुदाय

   घ. आपूर्तिकर्ता एवं ग्राहक

   ङ. सरकारी नियामक प्राधिकारी

2. **वंचित, दुर्बल और दरकिनार किए गए हितधारकों की पहचान**

   एमआरपीएल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और अशक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित निर्धारित पदों का पालन करता है.

3. **वंचित, दुर्बल और दरकिनार किए गए हितधारकों को मुकर्रर करने के लिए कंपनी द्वारा की गई विशेष पहल**

   एमआरपीएल आरक्षित श्रेणी में कमी की पूर्ति करने के लिए अक्सर विशेष भर्ती अभियान चलाता है.

सिद्धांत 5 - मानवाधिकार

1. **मानवाधिकार संबंधी कंपनी की नीति की व्याप्ति ओर उसमें समूह / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ/ अन्य को शामिल करना**

   एमआरपीएल एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो सरकारी दिशानिर्देशों तथा लागू कानूनों से मार्गदर्शित होता है, जो आम तौर पर मानवाधिकारों का संरक्षण करता है और यह बात अन्य हितधारकों पर भी लागू करता है.

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से प्राप्त शिकायते और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत
   वर्ष 2017-18 के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.

सिद्धांत 6 – पर्यावरण प्रबंधन

1. दीर्घावधि संधारणीयता के लिए पर्यावरण का पोषण एवं संरक्षण करना एमआरपीएल की पर्यावरण नीति का मूल उद्देश्य है.
   यद्यपि यह नीति सिर्फ कंपनी तक सीमित है लेकिन कंपनी पर्यावरण का परिरक्षण करने की जिम्मेदारी बांटने के लिए ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदाय जैसे अन्य हितधारकों के समूहों में पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करती हे.

2. **मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दे सुलझाने के लिए कंपनी की रणनीतियां/पहल**

- छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए पौधों का वितरण,
- आस-पास के गांवों के लोगों की सक्रिय सहभागिता की बदौलत कोटि वृक्ष आंदोलन के एक भाग के तौर पर बड़ी संख्या में पौधे लगाना,
- वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति कर्नाटक सरकार को अंशदान
- पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क में 20 एकड़ भूमि में हरित पट्टी का विकास करने के लिए मेसर्स पिलिकुला निसर्ग धाम के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. कुल परियोजना दो चरणों में 50 एकड़ के कुल रकबे में फैली है. पहला चरण अर्थात् 20 एकड़ में वृक्षारोपण पूरा हो गया है और 30 एकड़ में दूसरे चरण में कार्य प्रगति पर है.

3. **संभाव्य पर्यावरणात्मक जोखिमों की पहचान तथा आकलन**

   जी, हां. प्रचालन से जुड़े पर्यावरण में निहित जोखिम का निर्धारण किया जाता है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जा रहा है.

4. **स्वच्छ विकास तंत्र की दिशा में कंपनी की पहल**

   कंपनी ने स्वच्छ विकास तंत्र के तहत किसी परियोजना के लिए आवेदन नहीं किया है. लेकिन कंपनी ऊर्जा बचाने के कई उपाय अपनाते हुए और संस्फुरण घटाते हुए CHG का उत्सर्जन घटाने की दिशा में सक्रिय है. कंपनी में निम्नलिखित पहल कार्य किए गए:

   क) रिफाइनरी परिसर के भीतर 34 ऊपरी छतों पर फैले कुल 6.063 MWp क्षमता के साथ देश में रिफाइनरी स्थान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना.

   ख) हाइड्रोकार्बन गैसों को रिकवर करने के लिए संस्फुरण गैस रिकवरी प्रणाली चालू की गई जिसे प्रोसेस हीटरों में उपयोग करने के लिए ईंधन गैस हेडरों में लगाया जाएगा.

5. **स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कंपनी की पहल**

   क) विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय / बिजली बचाव उपाय रिफाइनरी में तीव्र ईंधन कटौती के लिए प्रमाण हैं जिनसे CO_2 उत्सर्जन काफी कम हुआ.

   ख) रिफाइनरी परिसर के भीतर 34 ऊपरी छतों पर फैले कुल 6.063 MWp क्षमता के साथ देश में रिफाइनरी स्थान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई.

   ग) दिन के समय भंडारागार में स्काई पाइपों का प्रयोग करते हुए दिन में कटाई करना. प्रकाश / सूरज की सीधी रोशनी के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी.

   घ) सड़क पर लगाए गए जुड़नारों के स्थान पर LED जुड़नार लगाना.

6. CPCB/SPCB द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर कंपनी के उत्सर्जन / अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना

हां. कंपनी से उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट CPCB/SPCB मानदंडों द्वारा दी गई सीमाओं के भीतर हैं. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) को नियमित रूप से रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं.

7. वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में लंबित (अर्थत जिनको संतोषजनक ढंग से निपटाया न गया हो) CPCB/SPCB से प्राप्त कारण बताओ नोटिस / कानूनी नोटिसों की संख्या

कुछ नहं

सिद्धांत 7 - सार्वजनिक वकालत

1. किसी व्यापार या मंडल या संघ में अभ्यावेदन

1) भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
2) लोक उद्यम स्थायी समिति (SCOPE)
3) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA)
4) राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड (NABL)
5) पेट्रोलियम फेडरेशन आफ इंडिया (PETROFED)
6) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (FIEO)

2. लोक अच्छाई में उन्नति या सुधार के लिए उक्त संघों में वकालत की गई / तरफदारी की गई

लोगों की उन्नति के लिए कंपनी संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है.

सिद्धांत 8 :समावेशी वृद्धि

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति लागू करने की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम/ पहल / परियोजनाएं

एचपीसीएल ने CSR और SD नीति अपनाई है जिसमें समावेशी वृद्धि और सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया है. CSR / SD नीति के अनुसार कंपनी द्वारा विभिन्न CSR पहलें की गई (बोर्ड की रिपोर्ट "अनुबंध - 'क' में ब्यौरे दिए गए हैं).

2. आंतरिक टीम / खुद के फाउंडेशन / बाह्य / सरकारी ढांचे/ किसी दूसरे संगठन के जरिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं

कंपनी द्वारा CSR के अधीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.

3. पहल के लिए प्रभाव आंकना

परियोजना पूरी होने के बाद लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करके प्रभाव का आकलन किया जाता है. लाभार्थी स्कूलों पर सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उपस्थिति में सुधार, छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन, छात्रों के पाठ्यक्रमतेर कार्यकलापों में सुधार आदि के बारे में स्कूलों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है जहां कमरों के निर्माण, विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय के निर्माण, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, पुस्तकों के वितरण, कक्षा के लिए मेज/बेंच जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है. इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार पर फीडबैक लिया जाता है जहां सड़क का निर्माण, सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना, धुंआमुक्त गांव, पाइप कम्पोस्ट, पीने के पानी की परियोजनाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि जैसी सीएसआर परियोजनाएं हाथ में ली जाती हैं.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान

स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, ग्रामीण विकास, आजीविका समर्थन आदि जैसी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति 2017-18 में कंपनी द्वारा रु. 10.30 करोड़ का व्यय उपगत किया गया.

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समुदाय इन सामुदायिक पहलों को सफलतापूर्वक अपनाता है :

कंपनी की सीएसआर संबंधी पहलों को समुदाय ने सफलतापूर्वक अपनाया है. ग्रामीण तथा समाज के पददलित समुदायों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं. ग्रामीण अजा / अजजा समुदायों में स्वच्छता के संबंध में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. कंपनी द्वारा शुरू की गई धुंआ मुक्त गांव पहल से गांव में महिलाओं की स्वास्थ्य दशा में सुधार हुआ है. गांवों में स्थापित सौर स्ट्रीट लाइटों से ग्रामीणों को ऊर्जा की बचत करने में सहायता मिली है. आंगनवाड़ी के निर्माण से बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के पोषण में सहायता मिली है. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की एमआरपीएल द्वारा आयोजित शिविरों में कृत्रित अंगों और जिला स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों तथा उपकरणों से भी सहायता से मदद की जाती है. दो पड़ोसी गांवों में एमआरपीएल द्वारा दी गई मुक्त दवाओं तथा डाक्टरी सेवाओं से गांव लाभान्वित हुए हैं.

सिद्धांत 9 - ग्राहकों के लिए मूल्य

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत**

   कुछ नहं

2. **उत्पाद की लेबलिंग पर उत्पाद की जानकारी**

   पॉलीप्रापलीन जैसे पैक उत्पादों पर उत्पाद जानकारी के साथ लेबलिंग होती है.

3. **पिछले पांच वर्षों के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार तरीके से विज्ञापन देने और:या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के विरुद्ध हितधारक द्वारा दर्ज किया गया कोई मामला**

   कुछ नहं

4. **कंपनी द्वारा किया गया उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियां**

   छमाही आधार पर किए गए ग्राहक संतुष्टि के बारे में सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राहक संतुष्टि स्तर में वित्तीय वर्ष 2016-17 के 96.35% की तुलना में 2017-18 में 97.2% सुधार हुआ है.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" कंपनी ") के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण और ईक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समाविष्ट की गई है.

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल Ind AS वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन), नकदी प्रवाह और ईक्विटी में परिवर्ततन की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

इस जिम्मेदारी में ऐसी बातें भी शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे निर्णय और आकलन करने के लिए, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय विवरणों की रूपरेखा बनाने, उनका कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करने के सही और निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त Ind AS वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा रिकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखना.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल Ind AS वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है.

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने Ind AS वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है.

इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखापरीक्षा का इस तरह से निर्वाह करें जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या एकल Ind AS वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं.

लेखापरीक्षा में एकल Ind AS वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाण पाने के लिए कार्यविधियां अपनाना शामिल है. चुनी हुई कार्यविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, एकल Ind AS वित्तीय विवरणों में दिए गए किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैा. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक कंपनी की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले एकल Ind AS वित्तीय विवरणों से प्रासंगिक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखापरीक्षा में संबंधित कार्यविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुकूल हों. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन मानकों का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन संबंधी आकलन पर निर्धारण करना और एकल Ind AS वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है.

हम जानते हैं कि हमें लेखापरीक्षा के बारे मे जो प्रमाण मिले हैं वे एकल Ind AS वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल Ind AS वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 तक के कंपनी के कामकाज की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा नकदी प्रवाह एवं ईक्विटी में परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले अधिनियम के अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

क. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की अपेक्षाओं के अनुरूप हमने आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध –'क' में दिया है.

ख. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट नीचे देते हैं.

क. कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के संबंध में निम्नलिखित के सिवाय स्पष्ट हक/पट्टा विलेख हैं.

विवरण	निम्न के अंतर्गत समूहित	क्षेत्रफल (एकड़ में)	राशि (रु. मिलियन में)	वित्तीय विवरण में संदर्भ
पट्टाधृत भूमि	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	30.97	36.56	टिप्पणी 5
पट्टाधृत भूमि	प्रगति में पूंजीगत कार्य	236.52	717.31	टिप्पणी 6

इसके अलावा, फेज IV के लिए 1050 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए KIADB को रु. 6,946.81 मिलियन की राशि अग्रिम रूप में दी गई है जिसके लिए करार अभी निष्पादित किया जाना है.

ख. कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी और तेल विपणन कंपनियों (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. तथा बेंगलूर मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) के साथ लंबे समय से लंबित विवाद को निपटाने के लिए रु. 472.34 मिलियन की व्यापार प्राप्य राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है. यह राशि लाभ-हानि विवरण में व्यक्त की जा रही है. एकल Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 35 देखें.

ग. कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास रखे गए स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली है.

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख. हमारी राय में इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से लगता है कि कंपनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखाबहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है.

घ. हमारी राय में उक्त एकल Ind AS वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं.

ङ. अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएमआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अनुबंध ख में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कंपनी ने अपने एकल Ind AS वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है. एकल Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45.1 तथा 45.2 देखें.

ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी व्युत्पन्नी संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदा नहीं रखती है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो.

iii) कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशि का अंतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

iv) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से संबंधी प्रकटनों की रिपोर्टिंग 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं है.

हम यथा 31 मार्च 2018 को ऊपर संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण पर पहले ही जारी की गई 15 मई 2018 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ देते हैं. उक्त रिपोर्ट को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के अनुपालन में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है. 15 मई 2018 की हमारी पूर्व रिपोर्ट में संदर्भित यथा 31 मार्च 2018 को ऊपर संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29 जून 2018

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - 31 मार्च 2018 का अनुबंध - 'क'

(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट में संदर्भित)

(i) क. कंपनी ने परिमाणात्मक ब्यौरों तथा अचल आस्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

ख. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान सभी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नज़र नहीं आई है.

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ओर से किए गए कंपनी के लेखों के परीक्षण के अनुसार अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम में हैं, सिवाय रु. 753.87 मिलियन मूल्य की कुछ पट्टाधृति भूमि के, जो कंपनी के कब्जे में है और जिसके संबंध में औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है, एकल Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 5 व 6 देखें.

(ii) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन द्वारा चिरकालिक स्टॉकसूची कार्यक्रम के अनुसार सतत् आधार पर भंडार और अतिरिक्त पुरजों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत सत्यापन किया जाता है. सत्यापन की बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नज़र नहीं आई है.

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मो या सीमित देयता वाले साझेदारों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, नहीं दिया है.

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत शामिल पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत शामिल कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है.

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ के भीतर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है.

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा 1 के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की और हमारी राय में, प्रथम दृष्टि से, निर्धारित लेखे और रेकॉर्ड रखे गए हैं. लेकिन हमने रेकॉर्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है.

(vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ओर से जांच किए गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी वर्ष के दौरान भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकारियों के पास आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है. हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2018 को बकाया भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय अविवादित रकम देय तारीख से छः महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रेकॉर्डों का सत्यापन करने से ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च 2018 तक उचित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है :

कानून का नाम	देयराशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ मिलियन)	अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त / समायोजित कुल राशि (₹. मिलियन)	जमा न की गई राशि (₹. मिलियन)	किस अवधि से राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	मंच जहां विवाद लंबित है
कर्नाटक बिक्रीकर अधिनियम 1957 / केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956	मूल्य वर्धित कर - ब्याज	4.80	2.48	2.32	2011-12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
	मूल्य वर्धित कर - दंड	1.69	Nil	1.69	2011-12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / ब्याज / दंड	296.31	296.31	Nil	AY1993-03	मुंबई उच्च न्यायालय
		10.93	10.93	Nil	AY 2003-04	आयकर अपील न्यायाधिकरण - मुंबई
		362.49	362.49	Nil	AY 2008-09	आयकर अपील न्यायाधिकरण - मुंबई
		1,014.82	1,014.82	Nil	AY 2009-10	आयकर अपील न्यायाधिकरण - मुंबई
		126.72	126.72	Nil	AY 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील) मंगलूर

कानून का नाम	देयराशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ मिलियन)	अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त / समायोजित कुल राशि (₹. मिलियन)	जमा न की गई राशि (₹. मिलियन)	किस अवधि से राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	मंच जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम,1962	कस्टम ड्यूटी / ब्याज / जुर्माना	55.57	Nil	55.57	1997-2000	भारत का उच्चतम न्यायालय
		761.68	Nil	761.68	1997-2000	CESTAT-बेंगलूर
		2125.25	2125.25	Nil	2015-2017	डीआरआई-मुंबई जोनल यूनिट
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर / ब्याज / दंड	22.70	0.73	21.97	2012-13 to 2015-16	आयुक्त (अपील) - बेलागवी
		4,199.50	131.90	4067.60	2002-03 to 2016-17	CESTAT-बेंगलूर
		1.87	1.87	Nil	2002-03 to 2015-16	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
		5.82	0.50	5.32	2010-11	आयुक्त - मंगलूर
		26.55	-	26.55	1996-97 to 2003-04	भारत का उच्चतम न्यायालय

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ओर से जांच किए गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक या सरकार को ऋण या उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं या डिबेंचरधारकों को कोई रकम देना बाकी नहीं रहा.

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के रूप में कोई राशि नहीं जुटाई है. उधार लिए गए मीयादी ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए उधार लिया गया था. तथापि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जुटाए गए ईसीबी मीयादी ऋणों के संबंध में ऋणों के उपयोग में कुछ विलम्ब हुआ. वर्ष-वार आहरण तथा उपयोग नीचे दिया गया है :

रु. मिलियन में

वर्ष	आहरण	उपयोग	यथा 31 मार्च को शेष
2011-12	2,550.38	1910.38	640.00
2012-13	13,773.38	12,334.58	2,078.80
2013-14	20,944.64	7,162.39	15,861.05
2014-15	-	4,156.32	11,704.73
2015-16	-	3,626.31	8,078.42
2016-17	-	1,311.54	6,766.88
2017-18	-	3,807.55	_

जैसाकि हमें बताया गया है, उपयोग में विलंब बिलों के विलंब से प्रस्तुतीकरण, परियोजना लागत में परिवर्तन तथा अंतिम बिलों में मूल्य कटौती खंड लागू करने के कारण कटौती के चलते हुआ. इसके अलावा, 2017-18 के दौरान अप्रयुक्त रु. 2,959.33 मिलियन की शेष राशि की कंपनी द्वारा समय-पूर्व अदायगी कर दी गई.

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ओर से जांच किए गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार हमारे ध्यान में कंपनी में धोखाधड़ी की कोई घटना नजर नहीं आई, न ही कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र आई.

(xi) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, जहां तक प्रबंधकीय पारिश्रमिक का संबंध है, धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है.

(xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं हे और निधि नियम, 2014 उस पर लागू नहीं होते है, इसलिए आदेश का खंड 3(xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

(xiii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन किए हैं. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए इन लेन-देनों के ब्यौरे लागू लेखांकन मानकों के अधीन अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: या अंशत: प्रदत्त डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन या निजी विनियोजन नहीं किया है.

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है.

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525
स्थान: चेन्नय
दिनांक: 29,जून 2018

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट – 31 मार्च 2018 का अनुबंध – 'ख'

(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के बारे में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 को मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" कंपनी ") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल Ind AS वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में प्रभावशाली ढंग से काम करते हुए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना शामिल हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की सुरक्षा की जाती है, धोखाधड़ी और त्रुटियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है. लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की, समय पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी लेखापरीक्षा ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं और आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शी नोट में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा करते समय इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखापरीक्षा के जरिए प्रमाण प्राप्त किया जा सके. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरी की विद्यमानता के जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था. चुनी हुई कार्यविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है.

हम मानते हैं कि हमने लेखापरीक्षा संबंधी जो प्रमाण प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं.

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखपोंार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेच
साझेदार
सदस्यता सं. 02652S
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29 जून 2018

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया हे. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो :

(1) ऐसे अभिलेख रखने से संबंधित हैं जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान पर सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सके,

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों में यथा आवश्यक अभिलेख रखे जाते हैं जिससे सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्रातिकार के अनुसार ही किए जाते हैं, और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका समय पर पता लगाने के बारे में जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहे, उचित आश्वासन दिलाए.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे सांठ-गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन परस्पर व्याप्ति की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण गलती या धोखाधड़ी से ऐसे महत्वपूर्ण मिथ्या कथन किये जा सकते हैं जिनका पता लगाना कठिन हो. भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन या नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा या कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई गई हे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31.03.2018 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

अन्य मामले

चूंकि वित्तीय विवरणों की तैयारी और उसके लेखांकन में अंतर्निहित पर्याप्त लेन-देन कम्प्यूटर प्रणाली से किए जाते हैं और उत्पन्न किए जाते हैं, कंपनी की सूचना प्रणाली की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आवश्यक है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त आंकड़ों की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता का आश्वासन मिल सके.

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹ मिलियन में है)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2017 को शेषराशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**17,526.64**

आ. अन्य इक्विटी

विवरण	मान्य इक्विटी	आरक्षित निधि और अधिशेष				
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेषराशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**41,986.66**	**46,787.10**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	36,436.87	36,436.87
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन, आयकर घटाकर	-	-	-	-	(50.34)	(50.34)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	**36,386.53**	**36,386.53**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4.48**	-	-	-	-	**4.48**
31 मार्च 2017 को शेषराशि	30.53	1,192.00	91.86	3,490.53	78,373.19	83,178.11
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	22,241.23	22,241.23
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन, आयकर घटाकर	-	-	-	-	**33.20**	**33.20**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	22,274.43	22,274.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7.87	-	-	-	-	7.87
लाभांश का भुगतान (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित)	-	-	-	-	(12,656.32)	(12,656.32)
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**38.40**	**1,192.00**	**91.86**	**3,490.53**	**87,991.30**	**92,804.09**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN : 06851988
हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15/05/2018

31 मार्च 2018 को एकल तुलन-पत्र

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹. मिलियन में है)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
आस्तियां			
I गैर-चालू आस्तियां			
(a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	140,251.54	141,581.42
(b) प्रगतिगत पूंजीगत कार्य	6	6,675.38	2,198.74
(c) निवेश संपत्ति	7	77.96	-
(d) सद्भाव	8	4.04	4.04
(e) अन्य अगोचर आस्तियां	9	49.56	20.40
(f) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	10	13,496.42	13,496.42
(ii) ऋण	11	607.97	415.98
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	12	94.83	68.74
(g) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	13	4,332.98	4,575.49
(h) अन्य गैर-चालू आस्तियां	14	**177,639.42**	**170,046.99**
कुल गैर-चालू आस्तियां (I)			
II चालू आस्तियां			
(a) स्टॉक	15	47,347.24	40,390.02
(b) वित्तीय आस्तियां			
(i) प्राप्य व्यापार राशियां	16	26,609.18	26,211.64
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	17	4,403.53	2,331.66
(iii) ऊपर (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	18	3,926.32	18,976.79
(iv) ऋण	11	82.81	59.58
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	12	72.66	3,144.97
(c) चालू कर आस्तियां (निवल)	13	281.21	-
(d) अन्य चालू आस्तियां	14	1,781.79	2,806.60
उप-जोड़ चालू आस्तियां		**84,504.74**	**93,921.26**
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां	19	-	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**84,504.74**	**93,999.22**
कुल आस्तियां (I+II)		**262,144.16**	**264,046.21**
इक्विटी और देयताएं			
I इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
(b) अन्य इक्विटी	21	92,804.09	83,178.11
कुल इक्विटी (I)		**110,330.73**	**100,704.75**
देयताएं			
II गैर-चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	14,994.77	48,157.83
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	-	-
(b) प्रावधान	24	434.10	596.67
(c) आस्थगित कर देयताएं	25	9,061.70	4,766.63
(d) अन्य गैर-चालू देयताएं	27	3,595.54	-
कुल गैर-चालू देयताएं (II)		**28,086.11**	**53,521.13**
III चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	30,777.60	18,172.88
(ii) देय व्यापार राशियां	26	47,102.89	60,339.67
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	39,710.43	26,203.10
(b) अन्य चालू देयताएं	27	2,098.83	1,805.57
(c) प्रावधान	24	4,037.57	2,851.24
(d) चालू कर देयताएं	13	-	447.87
कुल चालू देयताएं (III)		**123,727.32**	**109,820.33**
IV कुल देयताएं (II + III)		**151,813.43**	**163,341.46**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**262,144.16**	**264,046.21**

एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां (1-51) देखें.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003957S
हस्ता/
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15/05/2018

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN : 06851988
हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹. मिलियन में है)

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से आय	28	630,836.37	594,304.86
II	अन्य आय	29	2,045.72	4,232.01
III	**कुल आय (I+II)**		**632,882.09**	**598,536.87**
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्री की लागत	30	432,481.63	374,887.61
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	31	(7,667.19)	(2,883.03)
	माल की बिक्री पर उत्पादशुल्क		146,330.58	162,226.14
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	32	4,173.45	3,520.06
	वित्त लागत	33	4,404.57	5,171.74
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	34	6,713.21	6,779.19
	अन्य खर्च	35	12,679.90	9,493.87
	कुल खर्च (IV)		**599,116.15**	**559,195.58**
V	अपवादात्मक **मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**33,765.94**	**39,341.29**
VI	अपवादात्मक मदें (आय) / व्यय (निवल)	36	258.90	(15,972.91)
VII	**कर-पूर्व लाभ (V-VI)**		**33,507.04**	**55,314.20**
VIII	कर संबंधी व्यय			
	1. चालू कर	37		
	- चालू वर्ष		6,995.74	11,853.78
	- पूर्व वर्ष		(7.16)	-
	2. आस्थगित कर	25	4,277.23	7,023.55
	कुल कर व्यय (VIII)		**11,265.81**	**18,877.33**
IX	**वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)**		**22,241.23**	**36,436.87**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा.			
	(क) पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन		51.04	(76.99)
	(ख) उक्त से संबंधित आयकर		(17.84)	26.65
	कुल अन्य व्यापक आय (x)		**33.20**	**(50.34)**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)**		**22,274.43**	**36,386.53**
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	38		
	(1) मूल)₹ में (		12.69	20.79
	(2) तनूकृत)₹ मे(		12.69	20.79

एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां (1-51) देखें.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN : 06851988
हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15/05/2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹. मिलियन में है)

विवरण			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
अ	**प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	कर पश्चात लाभ		**22,241.23**	**36,436.87**
	निम्न के लिए समायोजन			
	कर संबंधी खर्च		11,265.81	18,877.33
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च		6,713.29	6,779.27
	हानि / (लाभ), संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की बिकी (निवल)		249.64	56.70
	देयता जिसके लिए प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है.		(839.49)	(65.67)
	संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियों का ह्रास		-	302.80
	प्रतिलेखित प्राप्य व्यापार राशियां		472.34	59.37
	विनिमय दर में घट-बढ़ (निवल)		619.82	(1,565.83)
	वित्त लागत		4,404.57	5,171.74
	ब्याज आय		(784.33)	(3,838.87)
	लाभांश आय		(142.48)	(262.86)
	पूर्व भुगतान का परिशोधन		9.44	9.83
	आस्थगित सरकारी भुगतान का परिशोधन		(164.20)	-
	अन्य		51.04	(76.99)
			44,096.68	**61,883.69**
	कार्यशील पूंजी में संचलन			
	- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में) वृद्धि/(कमी		(890.51)	(2,652.27)
	- ऋणों में (वृद्धि)/कमी		(215.22)	(40.91)
	- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		17,180.25	102,623.83
	- सूची में (वृद्धि)/कमी		(6,934.29)	(8,422.82)
	- देय अन्य व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी		(10,994.74)	(150,732.13)
	प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**42,242.17**	**2,659.39**
	प्रदत्त आयकर, धन वापसी को घटाकर		(7,176.52)	(11,176.30)
	प्रचालनों से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	क	**35,065.65**	**(8,516.91)**
आ	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए भुगतान		(10,530.74)	(8,618.26)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से आय		(6.85)	1.59
	प्राप्त ब्याज		796.93	5,402.93
	संयुक्त् उद्यमों से प्राप्त लाभांश		112.50	7.50
	पारस्परिक निधियों में निवेश से प्राप्त लाभांश		29.98	255.36
	संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		-	0.31
	ब्याज आय पर प्रदत्त कर		(58.74)	(416.30)
	निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	ख	**(9,656.92)**	**(3,366.87)**

विवरण			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
इ	**वित्त कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**			
	दीर्घावधि उधार की चुकौती (टिप्पणी 47 देखें)		(18,481.57)	(12,855.78)
	अल्पावधि उधारों से प्राप्तियां, निवल (टिप्पणी 47 देखें)		12,179.24	18,494.45
	प्रदत्त वित्त लागत		(4,378.21)	(4,964.30)
	ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा प्रदत्त लाभांश कर		(12,656.32)	-
	वित्तपोषण कार्यकलापो से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	ग	**(23,336.86)**	**674.37**
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**(क+ख+ग)**	**2,071.87**	**(11,209.41)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**2,331.66**	**13,541.07**
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**4,403.53**	**2,331.66**
			2,071.87	**(11,209.41)**

1. उक्त नकदी प्रवाह विवरण Ind AS 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथानिर्दिष्ट 'परोक्ष पद्धति' के अधीन तैयार किए गए हैं .
2. कोष्ठक नकदी प्रवाह दर्शाते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां (1-53) देखें.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003957S
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN : 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15/05/2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एकल समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹. मिलियन में है)

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('एमआरपीएल' अथवा 'कंपनी') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक - 575030 में स्थित है. कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध तथा क्रय-विक्रय किये जाते हैं. कंपनी क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार चलाती है. कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखांकन मानकों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों पर वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत किए जाने तक विचार किया जाता है.

2.1 **(क) नए तथा संशोधित मानक एवं व्याख्याएं**

कंपनी ने Ind AS में निम्नलिखित संशोधनों को पहली बार अपनाया जो 1 अप्रैल या उसके बाद की वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं. संशोधनों का स्वरूप तथा प्रभाव नीचे उल्लेखित है:

Ind AS नकदी प्रवाह का विवरण - प्रकटन पहल में संशोधन

संशोधन संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे नकदी प्रवाहों तथा गैर-नकदी प्रवाहों (विदेशी मुद्रा लाभ या हानि) दोनों से उत्पन्न परिवर्तनों सहित वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न उनकी देयताओं में परिवर्तन को प्रकट करें. कंपनी ने टिप्पणी 47 में वर्तमान तथा तुलनात्मक अवधि दोनों के लिए जानकारी प्रस्तुत की है.

(ख) हालिया लेखांकन घोषणाएं

(i) जारी किए गए किंतु अभी प्रभावी न हुए नये भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)

Ind AS 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' को 28 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया था और ग्राहकों के साथ संविदाओं से उत्पन्न होने वाले राजस्व को हिसाब में लेने के लिए पांच-चरणीय मॉडल स्थापित करता है. Ind AS के अंतर्गत राजस्व को ऐसी आयु के रूप में हिसाब में लिया जाता है जो उस आय को दर्शाता है जिसके लिए संस्था ग्राहक को माल तथा सेवाएं हस्तांतरित करने के एवज में हकदार है.

नया राजस्व मानक Ind AS के अंतर्गत सभी चालू राजस्व निर्धारण अपेक्षाओं को अधिक्रमित करेगा. नये मानक में अपेक्षित है कि राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाए जब प्रतिबद्ध माल या सेवाएं राशियों में ग्राहकों को हस्तांतरित की जाती हैं जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी ग्राहक को माल तथा सेवाएं हस्तांतरित करने के एवज में हकदार है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

(ii) **जारी किए गए किंतु अभी प्रभावी न हुए भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) में संशोधन**

वित्तीय विवरण जारी किए जाने की तारीख तक मानकों में संशोधन जो जारी किए गए हैं, परंतु प्रभावी नहीं हुए हैं, नीचे प्रकट किए गए हैं. कंपनी इन मानकों, यदि लागू हैं, को उनके प्रभावी होने पर अपनाना चाहती है.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित मानकों को संशोधित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2017 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 जारी किए हैं.

Ind AS 12 - अप्राप्त हानियों के लिए आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि एक संस्था को यह विचार करना चाहिए कि क्या कर कानून कर-योग्य आय के स्रोतों का प्रतिबंधित करता है जिसके विरुद्ध वह उस कटौती-योग्य अस्थायी अंतर के प्रतिवर्तन पर कटौतियां कर सकता है. इसके अलावा, संशोधन इस दिशा में मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं कि कोई कंपनी भावी कर-योग्य लाभ का निर्धारण कैसे करे और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जिनमें कर-योग्य आय अपनी

रखाव लागत से अधिक आस्तियों की वसूली शामिल है.

संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधनों को लागू करें. तथापि, संशोधनों की प्रारंभिक प्रयोज्यता पर, पूर्व तुलनात्मक अवधि की प्रारंभिक इक्विटी में परिवर्तन को पारंभिक प्रतिधारित आय और इक्विटी के अन्य घटकों के परिवर्तन को आबंटित किए बिना प्रारंभिक प्रतिधारित आय में (या इक्विटी के अन्य घटक में, जैसा भी उचित हो) निर्धारित किया जाए. इस राहत का उपयोग करने वाली संस्थाओं को इसे प्रकट करना चाहिए.

ये संशोधन 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं. कंपनी इन संशोधनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 21 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अग्रिम प्रतिफल का परिशिष्ट B (बी)

परिशिष्ट स्पष्ट करता है कि संबंधित आस्ति के प्रारंभिक निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली हाजिर विनिमय दर, अग्रिम प्रतिफल से संबंधित गैर-मौद्रिक आस्ति या गैर-मौद्रिक देयता के विनिर्धारण पर खर्च या आय (उसके भाग के रूप में) का निर्धारण करने में लेन-देन की तारीख वह तारीख होती है जिस तारीख को संस्था अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न होने वाली गैर-मौद्रिक आस्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभ में निर्धारित करती है. यदि ये अग्रिम में बहु भुगतान या प्राप्तियां हैं तो संस्था को अग्रिम प्रतिफल के हरेक भुगतान या प्राप्ति के लिए लेन-देन तारीख का निर्धारण करना चाहिए. संस्थाएं पूर्णत: पूर्वव्यापी प्रभाव से परिशिष्ट की अपेक्षाओं का पालन करें. विकल्पत:, संस्था अपने कार्यक्षेत्र में सभी आस्तियों, खर्चों तथा आय पर इन अपेक्षाओं को लागू कर सकती है जिन्हें प्रारंभ में निम्न को या उसके बाद निर्धारित किया जाता है:

(i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत जिसमें संस्था परिशिष्ट को पहली बार लागू करती है, या

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक सूचना के रूप में प्रस्तुत पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत जिसमें संस्था परिशिष्ट को पहली बार लागू करती है.

परिशिष्ट 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू हो रही वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 40 - निवेश संपत्ति का अंतरण में संशोधन

संशोधन यह स्पष्ट करते हैं कि कब संस्था को निवेश संपत्ति में या में से निर्माण या विकास के अंतर्गत संपत्ति सहित संपत्ति अंतरित करनी चाहिए. संशोधन में उल्लेख है कि उपयोग में परिवर्तन उस समय होता है जब संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या पूरा करना बंद कर देती है और उपयोग में परिवर्तन के साक्ष्य हैं. संपत्ति के उपयोग के लिए प्रबंधन के इरादे में सिर्फ परिवर्तन उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य नहीं देता है.

संस्थाओं को वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत को या उसके बाद उपयोग में होने वाले परिवर्तनों में संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना चाहिए जिसमें संस्था संशोधनों को पहली बार लागू करती है. संस्था को उस तारीख को धारित संपत्ति के वर्गीकरण का पुन: आकलन करना चाहिए और यदि लागू हो, उस तारीख को विद्यमान दशाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए संपत्ति का पुन: वर्गीकरण करना चाहिए. Ind AS 8 के अनुसार पूर्वव्यापी प्रयोज्यता की अनुमति तभी दी जाती है जब यह पश्च दृष्टि के प्रयोग के बिना संभव हो.

संशोधन 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू हो रही वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 112 - अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटन : Ind AS 112 में प्रकटन अपेक्षाओं की व्याप्ति के स्पष्टीकरण में संशोधन

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि Ind AS 112 में प्रकटन अपेक्षाएं, परिच्छेद बी10 -बी।6 में उल्लिखित से भिन्न, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी में संस्था के हित पर (या संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में

उसके हित के एक अंश पर) लागू होती हैं जो बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत है (या निपटान समूह में शामिल किया गया है जो वर्गीकृत है). ये संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

Ind AS 28 सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश - स्पष्टीकरण कि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेशिती का मापन निवेश-दर-निवेश पसंद है

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि:

- एक संस्था जो उद्यम पूंजी संगठन है या अन्य अर्हताप्राप्त संस्था लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों को मापने के लिए निवेश-दर-निवेश आधार पर प्रारंभिक निर्धारण का चयन कर सकती है.

- यदि संस्था, जो स्वयं एक निवेश संस्था नहीं है, किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम, जो एक निवेश संस्था है, में हित रखती है, इक्विटी पद्धति को लागू करते समय संस्था उस निवश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम द्वारा लागू किए गए उचित मूल्य मापन के जरिए सहायक कंपनियों में निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम के बनाए रखने का चयन कर सकती है. यह चयन बाद की तारीख में हरेक निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लिए अलग-अलग किया जाता है जिस तारीख को (क) निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम को प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है, (ख) सहयोगी या संयुक्त उद्यम एक निवेश संस्था हो जाती है और (ग) निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम पहले मूल कंपनी हो जाती है.

संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1 अनुपालन का कथन

"ये वित्तीय विवरण समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अनुसार तैयार किए गए हैं."

3.2 तैयार करने का आधार

जैसाकि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

सभी आस्तियों और देयताओं का कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के आधार पर चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और समस्त मूल्य को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव मिलियन में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य ऐसी कीमत होती है जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी या जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

कंपनी मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करती है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है.

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत की गई कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट उद्धृत की गई कीमतों से भिन्न होती है जिस पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नजर रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नजर रखने योग्य संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में कंपनी की परिकल्पनाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3 सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

हानि संबंधी परीक्षण के प्रयोजन सेश्, सुनाम, कंपनी की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों को आबंटित किया जाता हे जिनसे संयोजन की सहक्रिया में फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती है.

नकद उत्पन्न करने वाली उस इकाई का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अक्सर ह्रास की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि इकाई द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली-योग्य रकम बही मूल्य से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम के बही मूल्य को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति के बही मूल्य के आधार पर यथानुमत इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है. सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ या हानि में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में हासित हानि का बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधिन नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ या हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.4 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

3.4.1 कंपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को अगर कोई हास हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्ज करती है.

3.4.2 प्रारंभिक निर्धारण के बाद कंपनी यह तय करेगी कि क्यासहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है और यह कि कोई ऐसी घटना (एं) है जिनका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर रहे. अगर हानि का कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो तो सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में ह्रासित नुकसान को निर्धारित करना आवश्यक है.

3.4.3 जब जरूरत पड़े तब निवेश लागत का Ind AS 36 "आस्तियों में ह्रास" के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में उसकी वसूली-योग्य रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत) उसके बही मूल्य के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूली-योग्य रकम में बाद में वृद्धि हो.

3.4.4 सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवेश का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि को लाभ या हानि विवरण् में दर्शाया जाता है जिसका परिकलन करते समय -

(क) प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य का जोड़ निकाला जाता है

(ख) और सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश से पूर्व बही मूल्य के योग के बीच अंतर को निकाला जाता है

3.5 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय लागत घटाने के बाद कमतर बही मूल्य पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनका बही मूल्य वसूल करना पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति उसकी वर्तमान दशा में तुरंत बेचने के लिए उपलब्ध हो, जबकि इन आस्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत नियम लागू होंगे.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.6 राजस्व निर्धारण

3.6.1 बिक्री तभी मानी जाएगी जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण) ग्राहक के हवाले किए जाएं, जिसमें मूल्य वर्धित कर (VAT) को छोड़कर सभी सांविधिक लेवी शामिल होते हैं जो निवल बट्टे के समान होते हैं.

3.6.2 लाभांश आय तब निर्धारित की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए.

3.6.3 ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में निर्धारित करने पर आस्ति के निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से बट्टाकृत करे) का संदर्भ दिया जाता है.

3.6.4 गैर-वित्तीय आस्तियों के मामले में ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है.

3.6.5 स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण) ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.6.6 परिसमाप्त हर्जाने के संबंध में ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब यह तय किया जाए कि ऐसा राजस्व देय नहीं है.

3.6.7 लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क "अन्य खर्च" के अधीन दर्शाया जाता है.

3.7 पट्टे

पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब पट्टे के नियमों के अनुसार सारे जोखिम और स्वत्व के अधिनिर्णय पट्टाधृति के हवाले किए जाएं. दूसरे सभी पट्टे का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है.

पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम अंतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. प्रचालन पट्टे के संबंध में पहले किए गए भुगतानों को पूर्व भुगतानों के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया जाता है. पट्टाधृति भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम अंतरित किया जाएगा, वित्त पट्टे के रूप में विचार किया जाता है. ऐसी पट्टाधृति भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिसका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

3.8 विदेशी मुद्राएं

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है जो उस प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा दर्शाती है जिसमें वह अपना कामकाज चलाती है.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देनों की तारीख को मौजूद विनिमय दरों पर निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रक दरों को रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूद अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में निविमय में आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जब कि 31 मार्च 2016 को दर्शायी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस सीमा तक नहीं जोड़ा जाता है जिस सीमा तक उनका मूल्यह्रास करने योग्य आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो. तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.9 उधार लागत

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप में पहचानी गई उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसे अभिप्रेम उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.10 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ अथवा हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें कंपनी, जिस लागत के लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में निर्धारित न करे.

निर्दिष्ट रूप में उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि कंपनी को गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेगीं, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसका मापन प्राप्त आय और मौजूदा ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.11 कर्मचारियों को लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूरित अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते शामिल हैं.

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को योजना के प्रति कंपनी के दायित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है. इनका भुगतान क्रमश: भविष्यनिधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इन्हें वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को , जिनका परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इनका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है अथवा यथा

अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है.

नियत परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, नियत परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोड़कर जिनको उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल करने के बाद लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है. अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी सुनिश्चयिन देयताओं का अंशदान करती है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाया गया सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक कमी या अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी के अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं - निष्पादन प्रोफाइल और क्षतिपूरित अनुपस्थितियां जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीने के अंदर होने की संभावना होती है.

क्षतिपूरित अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

(क) संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करे जिससे भावी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े, और

(ख) असंचयी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थितियां हों.

कर्मचारी के दीर्घावधि लाभ

ऐसी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना न हो, तुलनपत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो, उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में निर्धारित किया जाता है.

3.12 कराधान

आयकर खर्च वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है :

(i) वर्तमान कर

वर्तमान में देया कर का निर्धारण वर्ष के कर-योग्य आय के आधार पर किया जाता है. कर-योग्य आय लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 'कर-पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय और खर्च की कुछ मदें दूसरे वर्षों में कर-योग्य अथवा कटौती योग्य होती हैं और कुछ मदें कभी भी कर-योग्य और कटौती-योग्य नहीं होती हैं. कंपनी के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया है अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के बही मूलय और करयोग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर-योग्य अस्थाई अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी सामान्यत: कटौती-योग्य अंतर के रूप में उस हद तक निर्धारित किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर-योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति कटौती-योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

आस्थगित करों को ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में निर्धारित किया जाता है तो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैंलेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक, प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों के बही मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका मूल्य वसूल करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित कर संबंधी उन दरों (और कर संबंधी कानूनों) के आधार पर किया जाता हैं जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिनमें देयता निपटायी जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती है जिनमें कंपनी द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं का बही मूल्य वसूल किया जाएगा अथवा उसका निपटान किया जाएगा.

आस्थगित कर आस्तियों में आस्तियों में शामिल हैं भारत में मौजूदा कर-संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) जिसके चलते भावी आयकर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलनपत्र में वास्तविक कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किए जाएंगे.

वर्ष के लिए वर्तमान तथा आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है. ऐसी स्थिति में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.13 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन-पत्र में संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को निर्धारित ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां) और आस्ति को उनके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभाव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत को समाविष्ट किया जाता है. इसमें पेशेवर शुल्क तथा कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत शामिल है. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद की उन अंशों को, जिनकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों के अलग घटक के रूप में निर्धारित किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास उस समय शुरू होता है जब आस्तियां अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है, जबकि इसके लिए संयंत्र एवं उपकरणों के कुछ ऐसे घटक अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन तथा फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई कंपनी की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉलिंग और मरम्मत पर व्यय का, जिसका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5 प्रतिशत), PPE से संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इसका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

संयंत्र और उपकरण के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की खातिर बाद में खरीदे गए बीमा संबंधी उन पुर्जों का, जिनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, पूंजीकरण किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों का संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना तब से शुरू किया जाता है जब इन पुर्जों को सेवा में लगाया गया और उनकी उपयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्जों का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान परिवर्धित / विलोपित PPE पर मूल्यह्रास के लिए परिवर्धन / विलोपन की तारीख के संदर्भ में यथा अनुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है, जबकि अधिकतम रु. 5,000 से कम मूल्य की मदें (कर्मचारियों से संबंधित कंपनी क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद है जिनको छोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1	भवन	1-60
2	संयंत्र एवं उपकरण - उत्प्रेरक	2-10
3	संयंत्र एवं उपकरण - कंप्यूटर	3-7
4	संयंत्र एवं उपकरण - लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिन्हें निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5	संयंत्र एवं उपकरण - इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला / कैंटिन / स्कूल	10
6	संयंत्र एवं उपकरण - उपकरणीकरण मदें, DCS/ अस्पताल / अन्य	15
7	संयंत्र एवं उपकरण - रिफाइनरी की आस्तियां	25
8	संयंत्र एवं उपकरण - पाइपलाइन/एसपीएम / अपतट घटक /सिविल संरचना	30
9	संयंत्र एवं उपकरण - विद्युत् संयंत्र	40
10	कार्यालय उपकरण	5
11	फर्नीचर एवं जुड़नार	6-10
12	वाहन	4.8

वित्त पट्टे के अंतर्गत धारित आस्तियों का उनकी अपेक्षित उपयोगी आयु में मूल्यह्रास उसी आधार पर किया जाता है जैसे स्वाधिकृत आस्तियों का.

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को निपटाये जाने पर, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई निर्धारण नहीं किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद का निपटान करने या उसे हटाये जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री आय और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14 अगोचर आस्तियां

3.14.1 अलग से खरीदी गई अगोचर आस्तियां

अलग से खरीदी गई निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर निर्धारित किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर निर्धारित आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गई अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, कोई संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

3.14.2 अगोचर आस्तियों को हिसाब में न लेना

अगोचर आस्ति को निपटाये जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो तो उसे हिसाब में नहीं लिया जाता है. अगोचर आस्ति को हिसाब में न लेने से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल बिक्री आय और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को हिसाब में न लिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.14.3 अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1	कंप्यूटर साफ्टवेयर	3.-10
2	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.15 सुनाम से भिन्न गोचर और अगोचर आस्तियों का ह्रास

कंपनी अपनी अगोचर आस्तियों और 'नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों' की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) के बही मूल्य की समीक्षा करती है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए आस्ति की वसूलीयोग्य रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी आस्ति की वसूली-योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो तब कंपनी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की आस्तियां होने पर उस इकाई की वसूली-योग्य रकम का निर्धारण करती है.

वसूली-योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य

निर्धारण करते समय अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य पर चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) की वसूली-योग्य रकम उसके बही मूल्य से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) के बही मूल्य को उसकी वसूलीयोग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को तुरंत लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष में एक बार निर्धारण इसलिए किया जाता है कि यह देखा जा सके कि क्या ऐसे कोई संकेत हैं कि इसके पहले निर्धारित की गई ह्रासित हानियां अब नहीं है या कम हुई हैं. यदि पिछली बार निर्धारित की गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूलीयोग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचानना न होता तो आस्ति के बही मूल्य को उसकी निम्नतर वसूलीयोग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास के बराबर निर्धारित बही मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास प्रभार का भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति के संशोधित बही मूल्य का उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.16 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के जरिए रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर-पश्चात लाभ का गैर-नकदी स्वरूप की गत अथवा भावी प्रचालन संबंधी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकदी प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्तपोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.17 अनुसंधान तथा विकास पर किया गया व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय का संबंधित अचल आस्तियों के अधीन पूंजीकरण किया गया है. उस पर राजस्व व्यय को लाभ -हानि विवरण में दर्शाया गया है.

3.18 स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत शामिल हैं. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार उत्पाद	कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क दर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

3.19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा परिलक्षित) हो तब घटना के परिणाम स्वरूप प्रावधान को हिसाब में लिया जाता है. ऐसी स्थिति में संभव है कि कंपनी को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में निर्धारित रकम दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होती है. जब वर्तमान दायित्व निपटाने के खातिर अनुमान लगाए गए नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को मापा जाता है तब वही मूल्य उस नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य बनता है (जब समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है).

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

3.20 वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी लिखतों के सांविधिक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देन लागत को जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हो, प्रारंभिक निर्धारण पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से घटाया जाता है. ऐसी लेन-देन लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, तुरंत लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.21 वित्तीय आस्तियां

सभी अभिज्ञात वित्तीय आस्तियों को वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है :

(i) नकद और नकदी समतुल्य

कंपनी अत्यधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करती है जिनका नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो तथा जिनकी क्रय तारीख से तीन महीने की मूल परिपक्वता हो, जो नकद मे बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिसका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है, बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस उद्देश्य से रखा गया हो जिसे प्राप्त करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों में निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस उद्देश्य से रखा गया हो जिसे प्राप्त करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों में निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

जब तक वित्तीय आस्तियों को परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो, उन्हें उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए मापा जाता है.

(v) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह निर्धारित करती है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. कंपनी व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवन पर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करती है जो वित्तीय लेनदेन के बराबर नहीं होती है. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षिम क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो जो जीवन पर्यंत अपेक्षित हानि के समान हो, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक पहचान के बाद काफी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vi) वित्तीय आस्तियों को बही में न दर्शाना

कंपनी वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देती है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाए अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम अंतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की बही मूल्य रकम और प्राप्त की बही मूल्य रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.22 वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.22.1 इक्विटी लिखत

किसी भी संविदा में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी सभी देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. कंपनी द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नये साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गई वृद्धिशील लागत को प्राप्त राशियों पर दर्शाया जाता है.

3.22.2 वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब कंपनी को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. कंपनी नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को 'मान्य इक्विटी' के रूप में अभिलिखित करती है जबकि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में दर्ज करती है. ऐसे मान्य इक्विटी को तुलनपत्र में 'अन्य इक्विटी' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क की प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंतं में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के बही मूल्य का निर्धारण प्रभावी ब्याज पद्धति पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे 'वित्त लागत' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को बही में न दर्शाना

कंपनी वित्तीय देयताओं को तभी बही में नहीं दर्शाती है जब कंपनी के दायित्व उन्मोचित हों, निरस्त किए गए हों या समाप्त हो गये हों. बहियों में दर्शायी वित्तीय देयता के बही मूल्य और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.23 बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि के मामले में बीमाकर्ता को सूचित करने पर, या तो आस्ति का बही मूल्य अथवा बीमा मूल्य (कटौती-योग्य आधिक्य राशि के अधीन), जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूली-योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा आस्ति के बही मूल्य से कम हो तो अंतर राशि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

आंशिक या अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की देयता अथवा अन्य देयताएं हों तो (कटौती-योग्य आधिक्य राशि को घटाकर) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी के प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त कटौती-योग्य आधिक्य राशि को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी के दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी से प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसे लाभ-हानि विवरण में समायोजित किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.24 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो किराया अर्जित करने के लिए तथा/या पूंजी की मूल्यवद्धि के लिए धारित की जाती हैं. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश संपत्तियों को लागत मॉडल के लिए Ind AS 16 अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है.

निवेश संपत्ति को निपटान पर बही में नहीं दर्शाया जाता है या जब निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है. संपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान आय और आस्ति की रखाव लागत के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस अवधि के लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्नि की मान्यता समाप्त की जाती है.

4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, परिकल्पनाएं और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गई लेखांकन नीतियों को लागू करने में यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने होंगे, आकलन करने होंगे और परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हा सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखांकन संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करती है.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय निर्णय, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जिनकी बदौलत अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं के बही मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आये, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आयकर प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1 लेखांकन नीतियां लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

आकलन को शामिल करने वाले निर्णयों (टिप्पणी 4.2 देखें) के अलावा महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं जिन्हें प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिया है और जो वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी अपना काम चलाती है ('कार्यात्मक मुद्रा') भारतीय रुपया है. जिसमें कंपनी मूल रूप से नकदी उत्पन्न तथा खर्च करती है.

तदनुसार प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (रु.) होगी.

4.2 परिकल्पनाएं और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

ऐसे आकलन और परिकल्पनाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम इन आकलनो से भिन्न हो सकते हैं.

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट की तारीख को आस्तियों के उपभोग से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

(ख) परिभाषित लाभ दायित्व

प्रबंधक का परिभाषित लाभ दायित्व का आकलन अंतर्निहित महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतनवृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका डीबीओ की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

(ग) आयकर प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा / वसूल की जाने वाली रकम सहित आयकर के लिए प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं.

(घ) आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

जिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है, उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर-योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफी बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे.

(ङ) सहायक कंपनी में निवेश का ह्रास

यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी के पास ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में किए गए इक्विटी निवेश के लिए रु.13,346.23 मिलियन (31 मार्च 2017 को रु. 13,346.23 मिलियन) की रखाव लागत है. OMPL ने एक नई परियोजना के रूप में वर्ष 2014-15 में प्रचालन शुरू किया और प्रारंभिक चरण में हानि उपगत होने की प्रत्याशा थी. कंपनी अपने प्रचालन से ही हानि उठा रही है जिससे प्रबंधन के लिए जरूरी हो गया है कि वे OMPL में अपने निवेश के मूल्य में ह्रास का आकलन करें.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है जो उसके वर्तमान मूल्य के बट्टे पर आधारित है. ह्रास परीक्षण कई प्राय: अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतें, मुद्रा विनिमय दर और भावी उत्पादन तथा बट्टा दर के संबंध में दीर्घावधि परिकल्पनाओं की अपेक्षा करता है जिससे कि संबंधित भावी नकदी प्रवाह स्थापित किया जा सके.

उपर्युक्त आकलन के आधार पर प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निवेश के मूल्य में वर्तमान कमी OMPL द्वारा उपगत हानियों के कारण है जो स्वरूप में अस्थायी है. तदनुसार, यथा 31 मार्च 2018 को कोई ह्रास नहीं है.

5. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

निम्न की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	17.65	17.65
पट्टाधृत भूमि (नीचे दी गई टिप्पणी क और ख देखें)	253.46	253.26
भवन	3,432.61	2,893.52
संयंत्र एवं उपकरण (नीचे टिप्पणी ग देखें)	136,230.69	138,073.07
फर्नीचर एवं जुड़नार	283.44	311.49
वाहन	17.23	18.47
कार्यालय उपकरण	16.46	13.96
कुल	**140,251.54**	**141,581.42**

सकल रखाव लागत	पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	बाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	**17.65**	**253.26**	**2,601.17**	**152,886.85**	**109.60**	**17.67**	**24.73**	**155,910.93**
जोड़ें : परिवर्धन	-	-	581.16	(1,233.24)	251.94	7.76	-	(392.38)
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	-	56.51	0.61	0.02	1.16	58.30
31 मार्च 2017 को शेष	**17.65**	**253.26**	**3,182.33**	**151,597.10**	**360.93**	**25.41**	**23.57**	**155,460.25**
जोड़ें : परिवर्धन	-	0.20	696.27	4,891.58	12.99	3.75	7.91	5,612.70
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	-	390.93	1.67	1.47	0.58	394.65
31 मार्च 2018 को शेष	**17.65**	**253.46**	**3,878.60**	**156,097.75**	**372.25**	**27.69**	**30.90**	**160,678.30**

सकल रखाव लागत	पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	बाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	**-17.65**	**-**	**136.70**	**6,943.86**	**15.43**	**3.32**	**5.25**	**7,104.56**
जोड़े: मूल्यह्रास व्यय	-	-	152.11	6,580.17	34.01	3.62	4.36	6,774.27
31 मार्च 2017 को शेष	-	-	288.81	13,524.03	49.44	6.94	9.61	13,878.83
जोड़े: मूल्यह्रास व्यय	-	-	157.18	6,492.35	40.70	4.17	5.39	6,699.79
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	-	149.32	1.33	0.65	0.56	151.86
31 मार्च 2018 को शेष	**-**	**-**	**445.99**	**19,867.06**	**88.81**	**10.46**	**14.44**	**20,426.76**

क) इन पट्टाधृत भूमियों को वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है क्योंकि पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व कंपनी को अंतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

ख) पट्टाधृत भूमि में ₹ 36.56 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 28.82 मिलियन), मूल्य की भूमि शामिल है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है.

ग) संयंत्र एवं उपकरण में ₹ 39.15 मिलियन (31 मार्च को 2017 ₹ 39.15 मिलियन) शामिल है जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से धारित संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1. प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

तेल उद्योग विकास बोर्ड से लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा ऋण अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार, वर्तमान एवं भारी दोनों, द्वारा प्रतिभूत हैं. कंसोर्शियम बैंक से कार्यशील पूंजी उधार कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत माल, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, व्यापार प्राप्य राशियों, बकाया धनप्राप्तियों, दावों, बिलों, संविदाओं, करारों, प्रतिभूतियों , वर्तमान तथा

भावी दोनों, के दृष्टिबंधक के जरिए प्रतिभूत हैं और इसके अलावा कंपनी की वर्तमान तथा भावी दोनों चल एवं अचल संपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों पर द्वितीय समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं. **(देखें टिप्पणी 22)**

5.2 पूंजीकृत विदेशी मुद्रा अंतर

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में परिवर्धन में विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में ₹ 27.28 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (766.49) शामिल है. आस्ति श्रेणी-वार परिवर्धन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय में अंतर**	**विनिमय में अंतर**
भवन	0.28	(7.97)
संयंत्र एवं उपकरण	27.00	(758.52)
कुल	**27.28**	**(766.49)**

5.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2,959.33 मिलियन के अप्रयुक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार की समयपूर्व चुकौती कर दी है. इसके फलस्वरूप उधार लागत (ब्याज आय को घटाकर) और ₹ 25.57 मिलियन (निवल) राशि के विनिमय दर अंतर को चालू वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति समायोजित किया गया है.

5.4 कंपनी कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र है जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत माल के आयात/स्थानीय खरीद पर प्रवेश कर, सीमाशुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया है. चालू वर्ष में कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित किया है और ₹ 3,618.21 मिलियन की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की है. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संचंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया है.

6. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

लागत	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पट्टाधृत भूमि **(नीचे टिप्पणी 6.2 देखें)**	717.86	717.86
भवन	1,267.95	352.25
संयंत्र एवं उपकरण	4,671.98	1,128.63
साफ्टवेयर	17.59	-
कुल	**6,675.38**	**2,198.74**

6.1 CWIP में परिवर्धन में ₹ 13.45 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य) राशि की उधार लागत शामिल है जो आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों को आवंटत है. पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 6.24% थी (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है..

6.2 पट्टाधृत भूमि में ₹ 717.31 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 717.31 मिलियन), मूल्य की भूमि शामिल है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है.

7. निवेश संपत्ति

निम्न की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018 को	यथा 31 मार्च 2017 को
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	-
कुल	**77.96**	**-**

सकल रखाव राशि	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**-**
जोड़ें : परिवर्धन	-
घटाएं : निपटान/ समायोजन / अंतरण	**-**
31 मार्च 2017 को शेष राशि	**-**
बिक्री के लिए धारित आस्ति से पुन:वर्गीकरण	77.96
जोड़े : परिवर्धन	-
घटाएं : निपटान/ समायोजन/ अंतरण	**-**
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**77.96**

संचित मूल्यह्रास एवं ह्रास	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**-**
जोड़ें : मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-
घ्टाएं: निपटान / समायोजन / अंतरण पर हटाये गये	**-**
31 मार्च 2017 को शेष राशि	**-**
जोड़ें : मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-
घ्टाएं: निपटान / समायोजन / अंतरण पर हटाये गये	-
मार्च 2018 को शेष	**-**
मार्च 2018 को शेष	**-**

क) कंपनी ने 102.31 एकड़ पूर्णस्वामित्व वाली भूमि को 2007 में बोर्ड के अनुमोदन के अनुमोदन के आधार पर ''बिक्री के लिए धारित चालू आस्तियां – गैर चालू आस्तियों'' के रूप में वर्गीकृत किया है. चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने उक्त भूमि को पूंजीगत मूल्यवृद्धि के लिए धारित करने हेतु बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर 'गैर-चालू आस्तियां – निवेश संपत्ति' के रूप में पुन: वर्गीकृत किया है.

ख) एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 255.80 मिलियन रहा.

8 सुनाम

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं : ह्रास	-
1 अप्रैल 2017 को शेषराशि	**4.04**
घटाएं : ह्रास	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**4.04**

8.1 सुनाम नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

9. अन्य अगोचर आस्तियां

निम्नलिखित की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
कंप्यूटर साफ्टवेयर	49.56	20.40
कुल	**49.56**	**20.40**

सकल रखाव राशि	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	1.38
जोड़े : परिवर्धन	24.49
घटाएं : निपटान/ समायोजन/ अंतरण	
31 मार्च 2017 को शेषराशि	**25.87**
जोड़े : परिवर्धन	42.58
घटाएं : निपटान/ समायोजन/ अंतरण	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**68.45**

संचित परिशोधन	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**0.57**
जोड़े : परिशोधन संबंधी खर्च	4.90
घटाएं : निपटान/ समायोजन/ अंतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च 2017 को शेषराशि	**5.47**
जोड़े : परिशोधन संबंधी खर्च	13.42
घटाएं : निपटान/ समायोजन/ अंतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**18.89**

10. निवेश

10.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	संख्या मिलियन में	राशि	संख्या मिलियन में	राशि
(अनुद्धृत निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)				
(i) सहायक कंपनी में निवेश				
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (लागत पर) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	**957.62**	**13,346.23**	**957.62**	**13,346.23**
(ii) संयुक्त उद्यमों में निवेश				
शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. (लागज पर) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	**15.00**	**150.00**	**15.00**	**150.00**
(iii) निवेश				
मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (लगात पर) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	**0.02**	**0.19**	**0.02**	**0.19**
कुल निवेश		**13,496.42**		**13,496.42**
अनुद्धृत निवेशों का कुल रखाव मूल्य		13,496.42		13,496.42
निवेशों के मूल्य में ह्रास की कुल राशि		-		-

10.1.1 ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में शेयर के विनिवेश पर प्रतिबंध ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हैं.

10.1.2 शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. और मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड में शेयर के विनिवेश पर प्रतिबंध ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हैं.

10.1.3 सहायक कंपनी के ब्यौरे

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान कार्यकलाप	निगमन स्थान और कारोबार का मूल स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित	
			यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पेट्रोकेमिकल्स	भारत	51.00%	51.00%

सहायक कंपनी में निवेश के लेखांकन में लिए अनुसरण की गई पद्धति के लिए टिप्पणी 3.4 देखें.

10.1.4 संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे

सहायक कंपनी का नाम	प्रधान कार्यकलाप	निगमन स्थान और कारोबार का मूल स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात तथा मताधिकार	
			यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	विमानन ईंधन का व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों के निवेश के लेखांकन में लिए अनुसरण की गई पद्धति के लिए **टिप्पणी 3.4 देखें**.

10.1.5 निवेशों के ब्यौरे

कंपनी का नाम	प्रधान कार्यकलाप	निगमन स्थान और कारोबार का मूल स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात तथा मताधिकार	
			यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड	रिटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादो का वितरण	भारत	18.98%	18.98%

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी ने एमआरएसएल में 31% इक्विटी हिस्से की बिक्री की जिससे एमआरएसएल पर संयुक्त नियंत्रण की हानि हुई. 31 मार्च 2018 को एमआरएसएल में निवेश लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश का रिपार्टिंग अवधि की रखाव लागत के समतुल्य अंकित मूल्य (स्तर 3 पदानुक्रम) विचार किया है.

11. ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, शोध्य माने गये)				
क) जमाराशियां				
संबंधित पक्षकारों के पास:	12.68	-	12.68	-
ग्राहकों के पास				
- संदिग्ध समझी गई	-	-	-	4.40
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	-	-	4.40
	-	-	-	-
विक्रेताओं के पास	118.76	3.65	100.42	4.98
	131.44	**3.65**	**113.10**	**4.98**
(ख) कर्मचारियों को ऋण	475.17	79.68	301.89	55.17
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के निमित्त ह्रास	-	0.81	-	0.81
	475.17	**78.87**	**301.89**	**54.36**
(ग) निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋण	1.36	0.29	0.99	0.24
कुल (क+ख+ग)	**607.97**	**82.81**	**415.98**	**59.58**

12. अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जबतक अन्यथा उल्लेखित न हो शोध्य माने गये)				
(क) कर्मचारी/निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋणों पर उपचित ब्याज	**94.83**	**0.93**	**68.74**	**0.42**
(ख) बैंक जमाराशियों पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	-	71.73	-	111.23
(ग) बीमा कंपनी से प्राप्य दावे	-	-	-	0.05
(घ) दूसरों से प्राप्य राशियां	-	-	-	3,033.27
कुल (क+ख+ग+घ)	94.83	72.66	68.74	3,144.97

13. कर आस्तियां / (देयताएं)

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां (अग्रिम कर)	47,350.29	7,276.95	45,296.13	-
घ्टाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	44,915.75	6,995.74	44,714.92	447.87
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)	**2,434.54**	**281.21**	**581.21**	**-447.87**
अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त आयकर (ख)	**1,898.44**	-	**3,994.28**	-
कुल (क+ख)	**4,332.98**	**281.21**	**4,575.49**	**(447.87)**

14. अन्य आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जबतक अन्यथा उल्लेखित न हो शोध्य माने गये)				
(i) पूंजी अग्रिम				
- संबंधित पक्षकार को	987.11	-	980.61	-
- अन्य पक्षकारों को	8,159.36	-	5,938.05	-
	9,146.47	**-**	**6,918.66**	**-**
(ii) जमाराशियां (देखें टिप्पणी 14.1)				
सीमाशुल्क/पत्तन न्यास आदि के पास	**2,503.98**	**-**	**378.73**	**-**
(iii) वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों से	**-**	**136.02**	**-**	**117.59**
अन्य पक्षकारों से	**-**	**394.87**	**-**	**1,020.15**
	-	**530.89**	**-**	**1,137.74**
(iv) सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा शेष	**-**	**1,171.87**	**-**	**1,566.97**
(v) समय-पूर्व चुकौतियां				
पट्टाधृति भूमि	**6.65**	0.08	6.73	**0.08**
अन्य	**391.64**	78.04	381.64	**100.90**
	398.29	**78.12**	**388.37**	**100.98**
(vi)सोने के सिक्के	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**
कुल	**12,048.74**	**1,781.79**	**7,685.76**	**2,806.60**

14.1 अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशियां शामिल हैं.

15. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	राशी	कुल	राशी	कुल
कच्चा माल				
(क) हाथ में	**13.068.12**		**13,162.94**	
(ख) मार्गस्थ	5,649.07	18,717.19	6,938.24	20,101.18
प्रक्रियागत माल		6,349.40		4,517.38
तैयार माल और बिक्रेय माल	**18,299.45**		**12,464.28**	
घटाएं : स्टॉक हानि के लिए छूट	**5.91**	**18,293.54**	**5.91**	**12,458.37**
भंडार एवं अतिरिक्त पुरजे				
(क) हाथ में	**3,990.98**		**3,272.12**	
(ख) मार्गस्थ	**58.68**		**126.45**	
घटाएं :कम खपत / खपत न होने वाले स्टॉक के लिए ह्रास :	**62.55**	**3,987.11**	**85.48**	**3,313.09**
कुल		**47,347.24**		**40,390.02**

15.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शायी गई स्टॉक की लागत (बिक्री लागत) ₹ 442,827.35 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 385,732.81 मिलियन) रही.

15.2 वर्ष के दौरान कंपनी ने बिक्रेय स्टॉक की स्टॉक मूल्यांकन विधि को फिफो से बदलकर भारित औसत पद्धति कर दी है और उसका प्रभाव खास नहीं है.

15.3 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.18** में दी गई है.

16. प्राप्य व्यापार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रतिभूत **(नीचे नोट 16.4 देखें)**		
- शोध्य मानी गई	434.78	363.08
अप्रतिभूत		
- शोध्य मानी गई **(नीचे टिप्पणी 16.6 देखें)**	26,174.40	25,848.56
- संदिग्ध मानी गई	973.61	1,714.71
घटाएं : संदिग्ध प्राप्यराशियों के लिए ह्रास	973.61	1,714.71
कुल	26,609.18	26,211.64

16.1 सामान्यत: कंपनी दीर्घावधि संविदाओं और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं और एसईजेड आपूर्तियों के माध्यम से उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था करती है. बिक्री पर औसत उधार अवधि 7 से 45 दिन तक होती है. बीजक दिनांक से लागू उधार अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है तो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है.

16.2 प्राप्य व्यापार राशियों में से 31 मार्च 2017 को ₹ 24,116.77 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 24,308.83 मिलियन) की शेषराशि नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे ग्राहक नहीं हैं जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न प्राप्य व्यापार शेषराशि के 5% सं अधिक राशि देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ग्राहक 1	5,369.28	6,239.93
ग्राहक 2	8,841.62	9,070.12
ग्राहक 3	3,167.89	3,425.16
ग्राहक 4	1,754.77	1,903.24
ग्राहक 5	2,353.39	1,695.95
ग्राहक 6	2,629.82	-
ग्राहक 7	-	1,974.43
कुल	**24,116.77**	**24,308.83**

16.3 सामान्यत: कंपनी अपने ग्राहकों से प्राप्य समस्त राशि लागू उधार अवधि के भीतर वसूल करती है. कंपनी प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने सभी ग्राहकों से प्राप्य व्यापार राशि पर ह्रास का निर्धारण करती है.

16.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटियों द्वारा प्रतिभूत.

16.5 कंपनी इस तथ्य के कारण ऋण जोखिम का संकेंद्रण रखती है कि कंपनी के पास **टिप्पणी 16.2** में उल्लिखित ग्राहकों से पर्याप्त प्राप्य राशियां हैं, तथापि ये ग्राहक प्रतिष्ठित और साखपात्र होते हैं.

16.6 हरेक वर्ष के अंत में उचित अनुमान आधार पर मूल्यांकित तेल विपणन कंपनियों से प्राप्य लागत हिस्सा शामिल है और निपटानों को अंतिम रूप देने के अधीन है.

16.7 व्यापार प्राप्य राशियों की अवधि :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
उधार अवधि के भीतर	26,011.20	25,958.23
देय तारीख की समाप्ति पर 1-30 दिन	455.17	276.24
देय तारीख की समाप्ति पर 31-90 दिन	103.13	135.07
देय तारीख की समाप्ति पर 90 दिन से अधिक	1,013.29	1,556.81
कुल	**27,582.79**	**27,926.35**

16.8 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए ह्रास का संचलन

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,714.71	1,468.95
जोड़े: अपेक्षित उधार हानि छूट मे परिवर्धन (विलोपन)	-	302.80
घटाएं: वर्ष के दौरान पुनरांकन	273.17	-
घ्टाएं: पुन:वर्गीकरण / अन्य समायोजन	467.93	57.04
वर्ष के अंत में शेष राशि	**973.61**	**1,714.71**

17. नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
बैंकों के पास जमा शेष		
चालू खाते	3.85	0.95
3 महीने की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	4,397.50	2,330.00
हाथ में नकदी	2.18	0.71
कुल	**4,403.53**	**2,331.66**

8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान धारित तथा लेन-देन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	SBN's #	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद	947,500.00	54,058.00	1,001,558.00
(+) अनुमत प्राप्तियां	11,219,500.00	10,524,399.00	21,743,899.00
(-) अनुमत भुगतान	-	32,725.00	32,725.00
(-) बैंक में जमा की गई राशि	12,167,000.00	10,161,329.00	22,328,329.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकदी	-	384,403.00	384,403.00

इस खंड के प्रयोजनार्थ "निर्दिष्ट बैंक नोट" का वही अभिप्राय है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नं.एस.ओ 3407 (ई) की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना में दिया गया है.

18. अन्य बैंक जमाशेष

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैक जमाराशियां **(टिप्पणी 18.1 देखें)**	880.00	2,755.46
लियन के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	2,820.10	9,370.60
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें टिप्पणी 18.2]**	0.01	0.01
अदावी लाभांश खाता **[देखें टिप्पणी 18.3]**	216.10	74.70
निर्बंधित बैंक शेष **[देखें टिप्पणी 18.4]**	-	6,766.88
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेष	10.11	9.14
कुल	**3,926.32**	**18,976.79**

18.1 कंपनी द्वारा बैंकों के पास अनुरक्षित जमाराशियों में सावधि जमाराशियां शामिल हैं जिन्हें कोई पूर्व सूचना दिए बिना या मूलधनराशि पर कोई दंड दिए बिना किसी भी समय निकाला जा सकता है.

18.2 डिबेंचर खाते में अदावी ब्याज में जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के लिए निर्दिष्ट है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

18.3 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई राशि लाभांश के भुगतान के लिए निर्दिष्ट है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

18.4 निर्बंधित बैक शेषराशि बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत व्यय निधि के बराबर है जिसे भारतीय रिजर्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखा गया है जिनका निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जा सकता है.

19. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि **[देखें टिप्पणी 7(क)]**	-	77.96
अन्य **[देखें टिप्पणी 19.1]**	-	-
कुल	**-**	**77.96**

19.1 बिक्री के लिए धारित आस्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनका पूरी तरह से मूल्यह्रास हुआ है.

20 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राधिकृत शेयर पूंजी :		
₹ 10 प्रत्येक के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर	**29,000.00**	**29,000.00**
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)		
₹ 10 प्रत्येक के 100,000,000 प्रतिदेय अधिमानी शेयर	**1,000.00**	**1,000.00**
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 100,000,000 प्रतिदेय अधिमानी शेयर)		
निर्गमित एवं अभिदत्त :		
₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	**17,525.99**	**17,525.99**
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर :		
₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	17,525.99
(31 मार्च 2017: को ₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
जोड़ें: जब्त शेयर **[देखें टिप्पणी 20.5]**	0.65	0.65
कुल	**17,526.64**	**17,526.64**

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयरों की संख्या मिलियन में	शेयर पूंजी
1 अप्रैल 2016 को शेष	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2017 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**

20.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास ₹ 10 प्रति शेयर के सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है. इक्विटी शेयरों का हरेक शेयरधारक प्रति शेयर एक मत के लिए हकदार है. निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है. कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष आस्तियां पाने के हकदार होंगे. वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	संख्या मिलियन में	% धारिता	संख्या मिलियन में	% धारिता
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	-	-

20.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों की संख्या	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	संख्या मिलियन में	% धारिता	संख्या मिलियन में	% धारिता
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों तथा संविदाओं अथवा शेयरों की बिक्री हेतु वचनबद्धताओं या विनिवेश के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर :: कुछ नहीं (31 मार्च 2017: कुछ नहीं).

20.5 वर्ष 2009-10 में ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रत्येक के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) जब्त किए गए जिनके प्रति मूल रूप से प्रदत्त राशि ₹ 654,000 थी.

21. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018
(क) मान्य इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.22.2 (क)]**	38.40	30.53
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	91.86	91.86
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	3,490.53	3,490.53
सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जन	87,991.30	78,373.19
कुल	**92,804.09**	**83,178.11**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(क) मान्य इक्विटी [देखें टिप्पणी 21.1]		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	30.53	26.05
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरण	7.87	4.48
वर्ष के अंत में शेष	**38.40**	**30.53**
(ख) **आरक्षित निधि**		
(i) **पूंजी मोचन आरक्षित निधि [देखें नोट 21.2]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	91.86	91.86
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**91.86**	**91.86**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.3]		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,490.53	3,490.53
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,490.53**	**3,490.53**
(iii) सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.4]		
वर्ष के आरंभ में शेष	1,192.00	1,192.00
जोड़े : प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,192.00**	**1,192.00**
(iv) प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के आरंभ में शेष	78,373.19	41,986.66
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	22,241.23	36,436.87
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर घटाकर	33.20	(50.34)
लाभांश का भुगतान	(10,515.59)	-
लाभांश कर	(2,140.43)	-
वर्ष के अंत में शेष	**87,991.30**	**78,373.19**

21.1 मान्य इक्विटी के रूप में दर्शायी गई ₹ 38.40 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 30.53 मिलियन) की राशि किसी प्रतिफल के बिना ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति फीस का उचित मूल्य दर्शाती है.

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान अधिमान शेयर पूंजी के मोचन पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि का सृजन किया.

21.3 कंपनी ने इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि सृजन किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है.

21.4 सामान्य आरक्षित निधि का समय-समय पर विनियोजन करने के प्रयोजन से प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का सृजन करते समय ईक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.5 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जाने वाली रकम का निर्धारण कंपनी अधिनियम,2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप में वितरण करना संभव नहीं होगा. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशक मंडल ने ₹ 3/- प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है जिसे पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर अदा किया जाएगा. यह इक्विटी लाभांश वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है. प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूर्ण प्रदत्त सभी इक्विटी शेयरधारकों को देय होगा. अदा किया जाने वाला कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश ₹ 5,257.80 मिलियन है और उस पर लाभांश वितरण कर की राशि ₹ 1,080.76 मिलियन है.

22. उधार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
प्रतिभूत – परिशोधित लागत पर				
मीयादी ऋण :-				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	-	-	27,932.30	-
[देखें टिप्पणी 22.1]				
अन्यों पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड से ऋण	-	-	750.00	-
[देखें टिप्पणी 22.2]				
आस्थगित भुगतान देयताएं – वैट ऋण	169.24	-	-	-
[देखें टिप्पणी 22.3]				
गैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	-	143.00	-	5,201.88
[देखें टिप्पणी 22.4]				
अप्रतिभूत – परिशोधित लागत पर				
मीयादी ऋण :-				
संबंधित पक्षकारों से				
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड (ONGC)	11,999.70	-	18,856.90	-
[देखें टिप्पणी 22.5]				
अन्य पक्षकारों से				
आस्थगित भुगतान देयताएं - CST	218..63	-	618.63	-
[देखें टिप्पणी 22.6]				
विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)	2,607.20	-		
[देखें टिप्पणी 22.7]				
बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण				
विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	16,295.00	-	12,971.00
[देखें टिप्पणी 22.8]				
क्रेता ऋण तथा पोतलदान पूर्व / पश्चात निर्यात ऋण	-	14,339.60	-	-
[देखें टिप्पणी 22.9]				
कुल	**14,994.77**	**30,777.60**	**48,157.83**	**18,172.88**

22.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

22.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए ईसीबी यूएस डालर में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिनपर प्रतिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो छह महीने के लिबोर + स्प्रेड है. इनके लिए प्रतिभूति के तौर पर वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार सृजित किया जाता है.

22.1.2 ₹ 25,722.08 मिलियन(31 मार्च 2017 को ₹ 9,945.16 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे टिप्पणी 23 के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.1.3 ECB की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है:

चुकौती वर्ष (देखें नीचे टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	10,052.53
2018-19	25,746.10	26,509.48
2019.20	-	972.83
2020-21	-	486.41
कुल	**25,746.10**	**38,.021.25**

22.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण

22.2.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर नियम ब्याज दर लगाई जाती है. ये वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं.

22.2.2 ₹ 750.00 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,750.00 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.2.3 **OIDB से ऋण की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है:**

चुकौती वर्ष (देखें नीचे टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	1,750.00
2018-19	750.00	750.00
कुल	**750.00**	**2,500.00**

22.3 आस्थगित भुगतान देयताएं : वैट ऋण

22.3.1 वैट ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता कर्नाटक सरकार से प्राप्त "ब्याजमुक्त ऋण" खाते पर देय राशि दर्शाती है. वैट के विरुद्ध ब्याज मुक्त ऋण 21 मार्च 2028 से प्रतिदेय होगा.

22.3.2 बाजार के कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान माना जाता है. ब्याजमुक्त ऋण Ind AS 109 वित्तीय लिखत के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याजमुक्त ऋण के लाभ को Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

22.3.3 ₹ कुछ नहीं (31 मार्च 2017 को ₹ कुछ नहीं) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.3.4 आस्थगित भुगतान देयताएं- वैट ऋण कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत हैं.

22.3.5 आस्थगित भुगतान देयता- बैट ऋण की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है:

चुकौती वर्ष (देखें नीचे टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2027-28	132.61	-
2028-29	155.16	-
2029-30	197.76	-
कुल	**485.53**	**-**

22.4 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण

22.4.1 कंसोर्शियम बैंक से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रतिभूत के तौर पर कंपनी के कच्चामाल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टाक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य विक्रेय राशियों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और इसके अलावा कंपनी की वर्तमान तथा भावी दोनों प्रकार की चल एवं अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय समरूप प्रभार के रूप में प्रतिभूति दी गई है.

22.5 संबंधित पक्षकार से मीयादी ऋण

22.5.1 कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकार (ONGC) से लिए गए मीयादी ऋण पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो 1 अप्रैल 2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए G-sec प्रतिफल + स्प्रेड है.

22.5.2 ₹ 6,857.20 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 6,857.20 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.5.3 ONGC से ऋण की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है:

चुकौती वर्ष (देखें नीचे टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	6,857.20
2018-19	6,857.20	6,857.20
2019-20	6,857.20	6,857.20
2020-21	5,142.50	5,142.50
कुल	**18,856.90**	**25,714.10**

22.6 आस्थगित भुगतान देयताएं : सीएसटी

22.6.1 आस्थगित भुगतान देयता बिक्री कर देयता के निमित्त देय राशि दर्शाती है जिसे बिक्री कर प्राधिकरण को निर्दिष्ट अवधि के बाद अदा करना होगा. इस तरह की बिक्री पर कर देयता का आस्थगन होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

22.6.2 ₹ 400.00 मिलियन (31 को 2017 ₹ 526.54 मिलियन) की राशि एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे '' दीर्घावधि ऋणों (अप्रतिभूत) की वर्तमान परिपक्वता'' के अंतर्गत **टिप्पणी 23** के अंतर्गत दर्शाया गया है.

22.6.3 आस्थगित भुगतान देयता की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है :

चुकौती वर्ष (देखें नीचे दी बई टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	526.54
2018-19	400.00	400.00
2019-20	218.63	218.63
कुल	**618.63**	**1,145.17**

22.7 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)

22.7.1 बैंक से विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL) यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर + स्प्रेड है.

22.7.2 ₹ कुछ नहीं (31 मार्च 2017 को ₹ कुछ नही) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे '' दीर्घावधि ऋणों (अप्रतिभूत) की वर्तमान परिपक्वता'' के अंतर्गत **टिप्पणी 23** के अंतर्गत दर्शाया गया है.

22.7.3 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL) की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है :

चुकौती वर्ष (देखें नीचे दी बई टिप्पणी 22.10)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2019-20	2,607.20	-
कुल	**2,607.20**	

22.8 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)

22.8.1 बैंक से विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर प्लस स्प्रेड है और हरेक संविवतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है.

22.9 क्रेता ऋण एवं पोतलदान-पूर्व/पश्चात निर्यात ऋण

22.9.1 क्रेता ऋण एवं पोतलदान-पूर्व/पश्चात् ऋण यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर प्लस स्प्रेड है और हरेक संविवतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है.

22.10 ऊपर प्रकट की गई चुकौती अनुसूची नकदी वहिर्वाह पर आधारित हैं और अतएव इन उधारों की रखाव लागत के अनुरूप नहीं होगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

23. अन्य वित्त देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (प्रतिभूत) **[देखें टिप्पणी 22.1.2, 22.2.2 और 22.3.3]**	-	26,472.08	-	11,695.16
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (अप्रतिभूत) **[देखें टिप्पणी 22.5.2, 22.6.2 और 22.7.2]**	-	7,257.20	-	7,383.74
अदावी लाभांश **[देखें नीचे टिप्पणी 23.1]**	-	216.10	-	74.70
परिपक्तव डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे टिप्पणी 23.2]**	-	0.01	-	0.01
ऋणों पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	-	404.79	-	430.39
आपूर्तिकर्ताओ / ठेकेदारों / अन्य से जमा राशियां	-	430.39	-	281.60
पूजीगत माल पर देय **[देखें नीचे टिप्पणी 23.3]**	-	2,309.28	-	4,233.96
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	921.44	-	609.34
ग्राहकों तथा विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं		1,699.14	-	1,494.20
कुल	**-**	**39,710.43**	**-**	**26,203.10**

23.1 निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

23.2 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है.

23.3 कीमत घटाने संबंधी खंड

पूंजीगत माल के प्रति देय रकम कें शामिल है ₹ 177.65 मिलियन (31 को 2017 ₹ 985.46 मिलियन) जो कीमत घटाने संबंधी खंड का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण में उत्तर व्यापी प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

24 प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारी लाभ् के लिए प्रावधान **(देखें टिप्पणी 40)**				
(क) छुट्टी का नकदीकरण	354.49	41.39	517.01	51.26
(ख) सेवानिवृति के बाद चिकित्सा एवं अन्य लाभ	79.641	2.63	79.66	2.30
अन्य [देखें टिप्पणी 24.1]				
कुल	**434.10**	**3,993.55**	**596.67**	**2,797.68**

24.1 अन्य जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम स्टॉक के संचलन पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान शामिल हैं.

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
यथा 1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	2,797.68
घटाएं : प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	2,797.68
जोड़ें : परिवर्धन	3,993.55
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	3,993.55

कंपनी यथा 31 मार्च 2018 को स्टॉक में पड़ी वस्तुओं की निकासी पर देय उत्पाद शुल्क के लिए आकलन की पर्याप्त मात्रा के आधार पर ₹ 3,993.55 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 2,797.68 मिलियन) का प्रावधान किया है और उसे अन्य प्रावधान में शामिल किया गया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुतों को कारखाना परिसर से हटाया जाएबा.

25 आस्थगित कर आस्ति / (देयताएं) (निवल)

एकल तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
आस्थगित कर आस्तियां	16,924.05	19,439.37
आस्थगित कर देयताएं	(25,985.75)	(24,206.00)
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**(9,061.70)**	**(4,766.63)**

2016-17	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में दर्शायी गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेष
निम्न के संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण	(22,615.00)	(1,598.174)	-	(24,213.17)
अगोचर आस्तियां	7.00	0.17	-	7.17
कुल	**(22,608.00)**	**(1,598.00)**	**-**	**(24,206.00)**
आस्थगित कर आस्तियों वाली मदों का कर प्रभाव				
अन्य देयताएं	10.87	12.73	-	23.60
अग्रनीत कारोबार हानियां एवं अवशोषित मूल्यह्रास	21,212.26	(17,348.45)	-	3,863.81
मैट जमा पात्रता	3,071.31	11,853.79	-	14,925.10
वित्तीय तथा अन्य आस्तियां	512.20	83.03	-	595.23
स्टॉक	31.63	-	-	31.63
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	**-**	**(26.65_**	**26.65**	**-**
कुल	**24,838.27**	**(5,425.55)**	**26.65**	**19,439.37**
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**2,230.27**	**7,023.55**	**26.65**	**(4,766.63)**

2017-18	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में दर्शायी गई रकम	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई रकम	अंतिम शेष
निम्न के संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण	(24,213.17)	(1,769.62)	-	(25,982.79)
अगोचर आस्तियां	7.17	(10.13)	-	(2.96)
कुल	**(24,206.00)**	**(1,779.75)**	**-**	**(25,985.75)**
आस्थगित कर आस्तियों वाली मदों का कर प्रभाव				
अन्य देयताएं	23.60	(22.20)	-	1.40
अग्रनीत कारोबार हानियां एवं अवशोषित मूल्यह्रास	3,863.81	(3,863.81)	-	-
मैट जमा पात्रता	14,925.10	1,633.12	-	16,558.22
वित्तीय तथा अन्य आस्तियां	595.23	(254.72)	-	340.51
स्टॉक	31.63	(7.71)	-	23.92
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	**-**	**17.84)**	**(17.84)**	**-**
कुल	**19,439.37**	**(2,497.48)**	**(17.84)**	**16,924.05**
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**(4,766.63)**	**(4,277.23)**	**(17.84)**	**(9,061.70)**

26 व्यापार देयराशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
व्यापार देयराशियां	47,102.89	60,339.67
कुल	**47,102.89**	**60,339.67**

26.1 व्यापार देयराशियां में ₹ 5,079.26 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 9,102.11 मिलियन)की राशि शामिल है जिसके लिए ओएनजीसी ने कंपनी की ओर से गारंटी दी है.

26.2 क्रूड, भंडार व अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत उधार अवधि 15 से 60 दिन है. इसके बाद बकाया शेष राशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्र.व. तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियां लागू की हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम पहले से तय उधार शर्तों के भीतर अदा की जाती है.

26.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियों से सबधित प्रावधान

	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए गए बिना उस पर देय मूल धनराशि	331.34	70.84
ii	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-
iii	प्रत्येक लेखावर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि	-	-
iv	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया किंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना बाकी और शेष ब्याज रकम	-	-
v	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रही ब्याज रकम और	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य ब्याज शामिल न करने के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तत में उक्त ब्याज अदा किया गया हो	-	-

27. अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.43	-	1.56
उपदान के लिए देयता**[देखें नीचे टिप्पणी 27.1]**	-	59.19	-	94.65
सांविधिक भुगतानों के लिए देयता	-	1,861.05	-	1,709.36
	3,595.54	177.16	-	-
कुल	**3,595.54**	**2,098.83**	**-**	**1,805.57**

28. प्रचालनों से राजस्व

	विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
28.1	**उत्पादों की बिक्री**		
	देशी बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	460,707.33	449,579.09
	निर्यात बिक्री	169,963.37	144,571.40
28.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैत की बिक्री	101.00	83.60
	सुगमीकरण प्रभार	44.41	36.67
	परिनिर्धारित हर्जाने	20.26	34.10
	कुल	**165.67**	**154.37**
	कुल	**630,836.37**	**594,304.86**

29. अन्य आय

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
29.1	**निम्न पर ब्याज :**		
	ठेकेदार संग्रइण अग्रिम	0.36	-
	अन्य	11.86	252.47
	परिशोधित लागत पर मापी गई आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियां	723.91	3,538.97
	- प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक	17.20	22.36
	- कर्मचारी ऋण	31.00	25.07
	कुल	**784.33**	**3,838.87**
29.2	**निम्न से लाभांश आय:-**		
	म्युच्यूअल फंड में निवेश (FVTPLपर मापे गए)	**29.98**	**255.36**
	शेल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. (लागत पर मापा गया)	**112.50**	**7.50**
29.3	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	8.13	9.04
	देयता जिसके प्रतिलेखन की आवश्यकता अब नहीं रही	71.05	2.79
	प्रतिलेखित आधिक्य प्रावधान	768.44	62.88
	निविदा फार्म बिक्री	0.83	1.18
	किराया प्रभार	1.67	2.30
	कर्मचारियों से वसूलियां	10.20	8.39
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन	164.20	-
	विविध प्राप्तियां	94.39	43.70
	कुल	**1,118.91**	**130.28**
	कुल	**2,045.72**	**4,232.01**

30. उपभुक्त सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल : क्रूड तेल		
आयातित	335,346.93	292,337.60
देशी	87,219.12	71,721.91
कच्चा माल : अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	2,234.66	1,857.42
पैराफिन रैफिनेट	7,639.60	5,463.03
डी-ईथनाइजर	2.25	408.73
रीफार्मेट	21.87	3,094.99
देशी :		
CRMB मॉडिफायर	16.67	3.44
व्यापार में स्टॉक		
रॉयल्टी आय	0.53	0.49
कुल	**432,481.63**	**374,887.61**

30.1 कंपनी को उसके फेज III प्रचालनों के लिए क्रूड तेल पर प्रवेश कर से छूटप्राप्त है जो सरकारी अनुदान के लिए पात्र है. कंपनी ने ऐसे अनुदान को निवल आधार पर दर्शाया है और 'उपभुक्त सामग्री की लागत' में शामिल किया गया है. क्रूड तेल पर प्रवेश कर से छूट 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमश: ₹ 166.76 मिलियन और ₹ 563.57 मिलियन रही. 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के लागू होने के बाद प्रवेश कर लेवी समाप्त हो गई है.

31. तैयार माल, प्रक्रियागत माल और बिक्रेय माल के स्टॉक में परिवर्तन

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
31.1	**निम्न का अंतिम स्टॉक :**		
	तैयार माल तथा बिक्रेय माल	18,299.45	12,464.28
	प्रक्रियागत माल	6.349.40	4,517.38
	कुल अंतिम स्टाक	**24,648.85**	**16,981.66**
31.2	**निम्न का प्रारंभिक स्टॉक :**		
	तैयार माल तथा बिक्रेय माल	12,464.28	10,913.11
	प्रक्रियागत माल	4,517.38	3,185.52
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**16,981.66**	**14,098.63**
	तैयार माल, प्रक्रियागत माल और बिक्रेय माल के स्टॉक में परिवर्तन	**(7,667.19)**	**(2,883.03)**

32. कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 32.1)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	3,468.60	3,022.95
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	477.14	343.99
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ – चिकित्सा व अन्य	12.15	10.53
स्टाफ कल्याण खर्च	215.56	142.59
कुल	**4,173.45**	**3,520.06**

32.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जनवरी 2017 से प्रभावी कंपनी के प्रबंधन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है. तदनुसार प्रबंधन कर्मचारियों के संबंध में वेतन संशोधन को लागू किया गया है. गैर-प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से संशोधन के लिए देय है और कर्मचारी संघ के साथ वार्ता चल रही है. संशोधन को अंतिम रूप देने तक कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमानित आधार पर वेतन संशोधन के लिए ₹ 245.70 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 57.38 मिलियन) का प्रावधान किया है और उसे 'कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च ' में दर्शाया है.

33 वित्त लागतें

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के लिए वित्तीय खर्च	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
- संबंधित पक्षकार से	1,657.81	2,435.03
- बैंकों से	1,731.22	1,911.60
- अन्य पक्षकारों से	469.35	808.46
	3.858.38	**5,155.09**
वित्तीय गारंटी प्रभार	15.75	16.65
विनिमय दर अंतर को उधार लागत के समायोजन के रूप में माना गया है	530.44	-
कुल	**4,404.57**	**5,171.74**

34 मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्च

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	6,699.79	6,774.29
अगोचर आस्तियों का परिशोधन	13.42	4.90
कुल	**6,713.21**	**6,779.19**

35 अन्य खर्च

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	
बिजली, उपयोगिता तथा ईंधन प्रभार	34.072.91		27,380.26	
घटाएं : स्वयं की खपत	33,340.84	732.07	26,774.50	605.76
मरम्मत एवं रखरखाव				
- संयंत्र एवं मशीनरी	4,031.59		2,189.70	
- भवन	14.36		6.78	
- अन्य	345.53	4,391.48	565.94	2,762.42
उपभुक्त भंडार, अतिरिक्त पुर्जे तथा रासायनिक पदार्थ		1,597.68		1,271.46
प्रयुक्त पैकिंग सामग्री		180.13		209.30
किराया		132.37		93.32
बीमा		236.69		243.05
दर एवं कर		1,803.14		2,401.33
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवलद्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 35.1]**		1,141.16		(675.16)
विनिमय दर घट-बढ हानि / (आय)		(128.43)		593.17
निदेशकों की बैठक शुल्क		2.58		0.02
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री पर हानि		250.07		57.02
बैंक प्रभार		24.24		27.53
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	2.31		2.31	
कराधान मामलों के लिए	0.40		0.40	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	2.25		1.70	
खर्च की प्रतिपूर्ति	2.76	7.72	2.71	7.12
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR)		103.02		32.23
[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 35.2]				
निम्न के लिए ह्रास :				
संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियां		-		302.80
बट्टे खाते डाले गए:				
संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियां		472.34		59.37
विविध खर्च		1,733.64		1,503.13
कुल		**12,679.90**		**9,493.87**

35.1 उत्पाद की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अतर दर्शाता है.

35.2 सीएसआर व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 338.70 मिलियन(31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में ₹ 50.00 मिलियन) की राशि खर्च करनी पड़ेगी.

(ख) वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय राशि :

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	नकद में अभी अदा किया जाना है	कुल
i) आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	78.64	-	78.64
ii) ऊपर (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	24.38	-	24.38
कुल	**103.02**		**103.02**

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	नकद में अभी अदा किया जाना है	कुल
i) आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	24.92	-	24.92
ii) ऊपर (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	7.31	-	7.31
कुल	**32.23**		**32.23**

36 अपवादात्मक मदें (आय)/व्यय (निवल)

विवरण (देखे नीचे दी गई टिप्पणी 36.1)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
टर्मिनल प्रभार	258.90	-
विनिमय दर घट-बढ़ हानि / (वृद्धि)	-	(15,972.91)
कुल	**258.90**	**(15,972.91)**

36.1 चालू वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें वित्तीय वर्ष 2003-04 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सीमापार प्रेषण पर तेल विपणन कंपनियों से एकत्रित टर्मिनल प्रभार की हिस्सेदारी के निमित्त हैं जो ₹ 258.90 मिलियन है.

पिछले वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें अतिदेय व्यापार देय राशियों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर अंतर लाभ के निमित्त है जो प्रेषण चैनल को अंतिम रूप न देने के कारण संचित हो गया.

37 जारी प्रचालनों से संबंधित आय कर

37.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय-कर

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर	6,988.58	11,853.78
आस्थगित कर	4,277.23	7,023.55
जारी प्रचालनों के संबंध में चालू वर्ष में दर्शाया गया कुल आय कर खर्च	**11,265.81**	**18,877.33**

37.2 वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकन लाभ के साथ निम्नलिखित रूप में समाधान किया जा सकेगा :

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों के लिए कर-पूर्व लाभ	**33,507.04**	**55,314.20**
34.608% (2016-2017: 34.608%) पर परिकलित कुल आयकर खर्च	11,596.12	19,143.14
कर से मुक्त आय का प्रभाव	(49.31)	(90.97)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश छूट का प्रभाव	43.63	29.84
कर-योग्य लाभ का निर्धारण करने में काटे न जाने वाले खर्चों का प्रभाव	58.59	113.83
कर दर में 34.608% से 34.9440%के परिवर्तन के कारण आस्थगित कर का प्रभाव	(56.83)	-
21.3416% की दर से पूर्व वर्षों के मैट जमा को लेखाबद्ध करने का प्रभाव	(7.16)	-
पिछले वर्ष 2016-17 के पूर्व वर्षों के कर को लेखाबद्ध करने का प्रभाव	7.16	-
सही शेषराशि के समायोजन के कारण आस्थगित कर राशि में परिवर्तन का प्रभाव	(326.39)	(318.51)
लाभ या हानि में लेखाबद्ध आयकर खर्च (प्रचालन जारी करने से संबंधित)	**11,265.81**	**18,877.33**

37.3 अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आयकर

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आय तथा खर्च पर उत्पन्न		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुन: मापन	(17.84)	26.65
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध कुल आयकर	**(17.84)**	**26.65**
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आयकर का विभाजन :-		
ऐसी मदें जिनका लाभ या हानि में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	(17.84)	26.65
ऐसी मदें जिनका लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकरण किया जाएगा	-	-

38 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ (₹ मिलियन में)	22,241.23	36,436.87
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या मिलियन में)	1,752.60	1,752.60
मूल तथा तनूकृत प्रति शेयर अर्जन (₹)	12.69	20.79
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

39 पट्टे

39.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

39.1.1 कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा करार किए हैं जिन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासनिक प्रभार के भुगतान पर पट्टा अवधि के अंत में कंपनी को अंतरित किया जाएगा. पट्टे की अवधि 5 – 44 वर्ष तक होगी. कंपनी ने उधार पाने के मकसद से इन पट्टाधृत भूमियों को गिरवी रखा है (**देखें टिप्पणी 5.1**)

31 मार्च 2018 को वित्तीय पट्टा दायित्व नगण्य है : (31 मार्च 2017 को नगण्य)

39.2 प्रचलनात्मक पट्टा व्यवस्थाएं

39.2.1 पट्टा व्यवस्थाएं

कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टे की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचलन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमि के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है; सामान्यत: भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती प्रभार के साथ पट्टा संबंधी करार निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिससे वार्षिक पट्टा किराया में बढ़त होती रहेगी.

39.2.2 खर्च के रूप मे दर्शाए गए भुगतान

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
व्यूनतम पट्टा भुगतान	**51.74**	**46.23**
	51.74	**46.23**

39.2.3 अनिरसनीय प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं

कंपनी के पास कोई अनिरसनीय पट्टा व्यवस्था नहीं है.

40 कर्मचारी लाभ योजनाएं

40.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम :

परिभाषित अंशदान योजनाएं	वर्ष के दौरान दर्शाई गई रकम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के प्रति अंशदान	
	को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	199.56	166.61	1.15	0.92
अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान	166.31	140.91	0.96	0.76

40.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

40.2.1 **संक्षिप्त वर्णन:** कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) **अर्जित छुट्टी का लाभ (EL):**

उपचय – 32 दिन प्रति वर्ष

300 दिन तक संचयन की अनुमति है

15 दिन से अधिक संचित ईएल का सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते की कम से कम 5 दिन ईएल का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय – 20 दिन प्रति वर्ष नकदीकरण
सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा
सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिन तक सीमित किया गया है.

40.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

40.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

40.3.1 **संक्षिप्त वर्णन :** परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

उपदान :

सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान ₹ 2 मिलियन तक सीमित किया गया है.

एमआरपीएल उपदान न्यास की 20 अप्रैल 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आयकर नियम, 1962 के आयकर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.
28 जून 2013 के बाद एमआरपीएल – उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की समूह उपदान नकद संययन योजना (परम्परागत निधि), बजाज एलाएंज, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाईफ इंश्योरेंस कं. , बिरला सन लाईफ इंश्योरेंश कं. और इंडा फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश किया जाता रहा है.

क) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

सेवानिवृत्ति के बाद, एकबारीय एकमुश्त अंशदान करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ख) पुन: व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन: व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

40.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

40.3.3 इस योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखि उठाने पड़ेगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घायु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता के (जिसे भारतीय रुपये में अंकित किया जाएगा) वर्तमान मूल्य का परिकलन करते समय वह बट्टा दर लगाई जाएगी जिसका निर्धारण करते समय सरकारी बांडों पर रिपार्ट अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का संदर्भ दिया जाएगा. अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल इस दर से कम हो तो इससे योजना में घाटा होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य ऋण लिखतों में निवेश का सापेक्षत: मिला-जुला मिश्रण है.
ब्याज जोखिम	बांड की ब्याज दर घटाने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजनाओं में ऋण निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना में सहभागियों की उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद दोनों के दौरान मृत्यु से बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा, बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.

योजनाओं के संबंध में इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च 2018 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित वर्तमान सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

40.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय खास तौर से नीचे उल्लिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया :

क्र.सं	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.85%	7.34%
2	बट्टा दर	7.85%	7.34%
3	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
4	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 201
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	बट्टा दर	7.85%	7.34%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी टर्नओवर दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)
	पुन*व्यवस्थापन भत्ता :		
7	बट्टा दर	7.85%	7.34%
8	चिकित्सा लागत में वृद्धि	5.50%	5.50%
9	कर्मचारी टर्नओवर दर	2.00%	2.00%
10	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)

लेकांकन दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलनेवाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

40.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार है

उपदान :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	**34.53**	**28.30**
निवल ब्याज खर्च	**7.26**	**2.34**
पिछली सेवा लागत	**76.84**	**-**
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**118.63**	**30.64**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन :		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	**(2.67)**	**(7.53)**
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	**(39.64)**	**53.36**
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	**(3.10)**	**20.83**
पुन:मापन के घटक	**(45.41)**	**66.66**
कुल	**73.22**	**97.30**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	4.82	4.13
निवल ब्याज खर्च	5.17	4.61
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	9.99	8.74
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन:मापन :		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(5.38)	7.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	2.04	1.74
पुन: मापन के घटक :	**(3.34)**	**8.88**
कुल	**6.65**	**17.62**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	1.21	1.14
निवल ब्याज खर्च	0.85	0.79
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**2.06**	**1.93**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन:मापन :		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.79)	1.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(1.50)	0.30
पुन:मापन के घटक	**(2.29)**	**1.44**
कुल	**(0.23)**	**3.37**

वर्ष के लिए चालू सेवा लागत और ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता को पुन:मापन अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है . अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ सहित देयता घटक ₹ 51.04 मिलियन(गत वर्ष ₹ (76.99) मिलियन) है

Particulars	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	703.51	563.39
वर्तमान सेवा लागत	34.53	28.30
पूर्व सेवा लागत	76.84	-
ब्याजगत लागत	51.64	45.52
पुन:मापन t (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(39.64)	53.36
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(3.10)	20.83
प्रदत्त लाभ	(26.73)	(7.89)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**797.05**	**703.51**
वर्तमान दायित्व	**61.10**	**98.99**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ	70.42	57.06
वर्तमान सेवा लागत	4.82	4.13
ब्याजगत लागत	5.17	4.61
पुन:मापन t (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(5.38)	7.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	2.04	1.74
प्रदत्त लाभ	(5.68)	(4.26)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**71.39**	**70.42**
चालू दायित्व	2.28	1.99
गैर-चालू दायित्व	**69.11**	**68.43**

पुनर्व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ	11.54	9.81
वर्तमान सेवा लागत	1.21	1.14
ब्याजगत लागत	0.85	0.79
पुन:मापन t (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.79)	1.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(1.50)	0.30
प्रदत्त लाभ	(0.46)	(1.64)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**10.85**	**11.54**
चालू दायित्व	0.35	0.32
गैर-चालू दायित्व	**10.50**	**11.22**

40.3.7 परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी के दायित्व से उत्पन्न तुलनपत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
निधिक पारिभाषिक लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(797.05)	(703.51)
योजना आस्तियों का अंकित मूल्य	735.95	604.52
निधिक स्थिति	**(61.10)**	**(98.99)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निर्बंधताएं	-	-
पारिभाषिक लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(61.10)**	**(98.99)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतो और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति या इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्या (31 मार्च 2017 को ₹ शून्य) है.

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और सेवांत लाभ तथा पुन: व्यवस्थापन भत्ते गैर-निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

40.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में उतार – चढ़ाव इस प्रकार रहा :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	604.52	534.44
ब्याजगत आय	44.37	43.18
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	2.67	7.53
नियोक्ता से अंशदान	98.99	27.25
प्रदत्त लाभ	(14.60)	(7.88)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**735.95**	**604.52**

अगले वर्ष के लिए उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान ₹ 59.19 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 94.65 मिलियन) होगी. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को ₹ 61.10 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 98.99 मिलियन) की उपदान देयता हिसाब में ली है.

40.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार रहा :
योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.87	1.91
इक्विटी निवेश	-	-
म्युच्यूअल फंड –यूटीआई ट्रेजरी फंड	18.91	17.75
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर श्रेणीकृत ऋण निवेश	54.53	66.74
AAA	7.02	12.03
AA+	6.00	6.02
AA	-	1.00
AA-	4.00	5.98
A+	-	11.00
A-	141.67	95.95
समूह उपदान नकदी संचयन योजना (परॅपरा्गत निधि)	121.78	79.48
भारतीय जीवन बीमा निगम	124.77	79.41
बजाज एलायंज	55.02	20.42
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस लि.	55.03	20.42
बिरला सनलाईफ इंश्योरेंस लि..	139.66	151.35
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस लि.	6.69	35.06
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**735.95**	**604.52**
अन्य चालू आस्तियां – उपचित ब्याज		
कुल		

40.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 44.37 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 43.18 मिलियन) रहा.

40.3.10 पारिभाषिक दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि है. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गई संबंधित परिकल्पनाओं को ध्यान में रखा गया है , जबकि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनायी रखी गई है.

40.3.11 31 मार्च 2018 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ते
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(69.32)	(4.74)	(0.70)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	80.82	5.27	0.78
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	34.95	-	0.79
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.85)	-	(0.72)
कर्मचारी टर्नओवर दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	29.79	(1.90)	0.20
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(33.37)	1.60	(0.22)

40.3.12 31 मार्च 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	पुन:व्यवस्थापन भत्ते
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(36.75)	(4.95)	(0.79)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	39.88	5.53	0.88
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	40.41	-	0.89
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.53)	-	(0.81)
कर्मचारी टर्नओवर दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	6.72	(2.15)	0.18
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(7.17)	1.85	(0.19)

संभव है कि ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाएं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक –दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुल परिकल्पनाओं का सह-संबंध हो सकता है.

इसके अलावा, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन, रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट में किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

40.3.13 कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाजी परिभाषिक लाभ योजनओं से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,894	1,885
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	147.89	139.24
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्ष)	11	13
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ दायित्व	797.05	703.51
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	91.48	133.52

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,915	1,912
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	91	79
प्रक्षेपित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	15	15
औसत प्रत्याशित भावी सेवा	17	17
प्रलेक्षित लाभ दायित्व	71.39	70.42

पुन:व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,915	1,912
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	148.38	139.68
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्ष)	16	16
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ दायित्व	10.85	11.54

40.3.14 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्तवा प्रोफाइल

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
उपदान		
एक वर्ष से कम	55.23	31.21
एक से तीन वर्ष	89.60	63.81
तीन से पांच वर्ष	111.20	75.14
पांच वर्ष से अधिक	321.31	239.24
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :		
एक वर्ष से कम	2.27	1.97
एक से तीन वर्ष	5.06	4.49
तीन से पांच वर्ष	5.90	5.24
पांच वर्ष से अधिक	19.88	17.47
पुन:व्यवस्थापन भत्ता :		
एक वर्ष से कम	0.35	0.32
एक से तीन वर्ष	0.75	0.77
तीन से पांच वर्ष	0.75	0.75
पांच वर्ष से अधिक	2.06	2.00

41 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के पास एक ही रिपोर्ट करने योग्य खंड "पेट्रोलियम उत्पाद" है.

41.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व तेल विपणन कंपनियों को बिक्री से मिलते हैं जो 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 66% तथा 68% बनते हैं. इन कंपनियों को कुल बिक्री की रकम 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 413,922.96 मिलियन और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 405,803.37 मिलियन रही.

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष किसी भी ग्राहक (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर) ने कंपनी के राजस्व में 10% या इससे अधिक योगदान नहीं दिया. ऐसे ग्राहकों को कुल बिक्री की रकम 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य मिलियन और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य मिलियन रही.

41.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी :

क) कंपनी भारत में स्थित है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त राजस्व रकम नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गयी है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 यार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भारत	503,511.54	493,842.89
अन्य देश	127,159.16	100,307.60
कुल	**630,670.70**	**594,150.49**

ख) कंपनी भारत में स्थित है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त राजस्व रकम नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गयी है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भारत	163,440.20	156,065.85
अन्य देश	-	-
कुल	**163,440.20**	**156,065.85**

41.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

कंपनी का उसके प्रमुख उत्पादों से जारी प्रचालन से राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
हाई स्पीड डीजल (HSD)	337,309.70	322,098.73
मोटर स्पिरिट (MS)	84,126.90	80,464.16
कुल	**421,436.60**	**402,562.89**

42. संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

42.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन

अ. **कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान (नियंत्रक कंपनी)**

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशकन लिमिटेउ (ONGC)

आ. कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ. सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ई. संयुक्त उद्यम

1 शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूयल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)

2 मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL) (जनवरी 16, 2017 तक)

उ : **न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिन पर एमआरपीएल का नियंत्रण है :**

1. एमआरपीएल भविष्य निधि न्यास
2. एमआरपीएल उपदान निधि न्यास

उ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ऊ.1. गैर कार्यपालक निदेशक

श्री शशि शंकर , अध्यक्ष , 01 अक्तूबर 2017 से

श्री डी. के. सर्राफ,, अध्यक्ष, 01 अक्तूबर 2017 से

ऊ.2 कार्यपालक निदेशक

1. श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइन्री)
3. श्री ए. के. साहू , निदेशक (वित्त)

ऊ.3 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री विनोद एस्. शेनॉय, नामिती निदेशक (HPCL)
2. श्रीमती पेरिन देवी,सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017 तक
3 श्री दिवाकर नाथ मिश्र, सरकारी नामिती निदेशक, नवंगर 24, 2017 तक .
4 श्री के. एम. महेश, सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017.से
5 श्री संजय कुमार जैन, सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017.से
6 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक
7 श्री वी. पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.
8 श्री सेवा राम , स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.
9 श्री जी. के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.
10 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से..

ऊ .4 कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

42.2 लेन-देनों के ब्यौरे :

42.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	क) ओएनजीसी कर्नाटक तथा रिटेल आउटलेट को बिक्री	13.46	20.48
	ख) हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल की बिक्री	8,847.37	5,302.12
क्रूड तथा रिटेल आउटलेट की खरीद	क) क्रूड तेल की खरीद	49,439.47	53,305.01
	ख) रिटेल आउटलेट की खरीद	12.16	25.10
	क) ओएनजीसी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	7.17	2.94
प्राप्त सेवाएं	ख) मंगई तथा दिल्ली कार्यालय के लिए प्रदत्त किराया तथा बिजली प्रभार	73.64	15.36
गारंटी शुल्क	सऊदी अरैमेका को दी गई गारंटी के लिए प्रभार	15.75	16.65
प्रदत्त सेवाएं	ओएनजीसी की ओर से उपगत खर्च	0.18	10.53
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	7,532.12	-
ब्याजगत खर्च	मीयादी ऋण पर ब्याज	1,657.81	2,435.03

42.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेष

ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2017
ऋण	मीयादी च्ण	18,856.90	25,714.10
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री	985.40	614.59
देय राशि	क्रूड तेल की खरीद	6,665.62	3,191.80
देय राशि	अन्य सामग्री की खरीद	62.76	12.19

42.2.3 कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देन के स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	207,663.45	185,334.75
	क) टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य रकम	8.28	49.25
	ख) जल प्रभार, सुगमीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति	16.41	4.92
	ग) राज्य विशिष्ट लागत अनुपात – ईटी प्रतिपूर्ति	-	390.49
	घ) संदूषित प्रभार, अस्पताल में भती होने संबंधी शुल्क, घाट शुल्क और स्टॉक में हानि आदि की प्राप्तियां	6.22	3.05
	ड.) लाभांश	1,782.92	-

42.2.4 कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देन के स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री	8,789.87	8963.13
	मार्गस्थ हानि एवं अन्य	40.26	95.50
देय राशि	एचपीसीएल आरएंडडी एवं रासायनिक सफाई	2.26	0.29

42.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएमपीएल)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री	43,169.50	46,624.71
उत्पादों खरीदारी	रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी	10,621.09	8,987.03
Services received	क) क) इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की खरीद	-	-
	ख) प्रतिनियुक्ति पर ओएमपीएल स्टाफ के लिए वेतन	12.35	-
	ग) सड़क सुविधा	7.94	-
प्रदान की गई सेवाएं	क) क्रेन प्रभार और परामर्शी शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	0.03
	ख) प्रतिनियुक्ति, ऊर्जा	44.41	36.67
	ग) एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ऊर्जा प्रभार, सर्वेक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	35.99	-
	घ) परामर्शी पश्च प्रभार /मीटरिंग प्रभार के लिए क्रेडिट नोट	61.70	-
ब्याज आय तथा अन्य आय	विलंबित भुगतान के लिए व्याज प्रभार	-	57.05
वसूली	प्रभारों की प्रतिपूर्ति	34.38	-

42.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेष

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएमपीएल)	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ऋण	अल्पावधि मीयादी ऋण एवं अग्रिम	8.93	0.03
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री, सुगमीकरण प्रभार व अन्य	1,754.77	1,903.24
देय राशि	क) रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी एवं अन्य सेवा प्रभार	540.35	96.11
	ख) OMPL द्वारा एमआरपीएल के भीतर प्रदान की गई फीड हस्तांतरण सुविधा	1.73	344.40

42.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन :

शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	4,749.18	4,720.78
प्रदत्त सेवाएं	क) इलेक्ट्रिकल प्रभार की प्रतिपूर्ति	0.04	0.34
	ख) रायल्टी आय	9.19	10.44
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	112.50	7.50
उत्पाद खरीद	संदूषित उत्पाद	0.62	-

42.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेष :

शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	क) रॉयल्टी एंड टर्मिनल प्रभार आदि	426.40	509.86
	ख) सेवाओं के लिए प्राप्य	0.01	0.31

42.2.9 अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
क निम्न से प्राप्त सेवाएं:			
1 मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	क) नदी का जल, एसटीपी जल एवं सड़क मरम्मत	553.69	416.96
	ख) पाइपलाइन- सह सड़क कॉरिडार बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	-	87.09
	ग) बाईपास रोड के विकास के लिए अग्रिम	-	51.50
	घ) पेटकोक रोड के लिए प्रदत्त पट्टा किराया	-	130.45
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन प्रभार	44.89	-
ख निम्न को दी गई सेवाएं:			
1 मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	सरापदी के लिए पट्टा किराया	-	0.03
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	बिजली प्रभार की प्रतिपूर्ति	41.31	30.18

42.2.10 अन्य संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष राशि :

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	बिजली प्रभार की प्रतिपूर्ति	5.77	2.73
देय राशि :			
1. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	नदी का जल, एसटीपी जल एवं सड़क मरम्मत	43.89	38.84
2. ONGC नील गंगा बीवी	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया	67.99	67.65
निम्न को अग्रिम :			
मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पाइपलाइन- सह सड़क कॉरिडार बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	980.61	980.61

42.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन :

न्यास का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भुगतान का प्रेषण :			
एमआरपीएल लि. का भविष्य निधि	अंशदान	428.25	352.16
न्यास की ओर से किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति:			
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति एवं अंशदान	12.12	12.20

42.2.12 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिकर :

पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	23.55	14.25
रोजगार पश्चात लाभ (छुट्टी, उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य लाभ शामिल हैं)	7.42	8.37
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि में अंशदान शामिल है)	2.11	1.69
कुल	**33.08**	**24.30**

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋण / ऋण पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
निदेशक तथा कंपनी सचिव को ऋण	1.65	1.23
निदेशक तथा कंपनी सचिव को ऋण पर उपचित ब्याज	0.42	0.38
कुल	**2.07**	**1.61**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
बैठक शुल्क	2.58	0.02

42.3 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन (टिप्पणी 42.3.4):

42.3.1 सरकार से संबद्ध उन प्रतिष्ठानों के नाम तथा संबंध के विवरण जिनके साथ उल्लेखनीय मात्रा में लेने-देन हुए हैं:

सरकार संबछ पक्षकार		संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)	केंद्रीय पीएसयू
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय पीएसयू
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
4	ओदिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
5	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
7	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
8	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
9	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	मेस्कॉम	राज्य सरकार
12	कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	नव मंगलूर पत्तन न्यास	केंद्रीय पत्तन न्यास

42.3.2 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (टिप्पणी 42.3.4):

चंबद्ध पक्षकार का नाम		लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
A	**वर्ष के दौरान निम्न को उत्पादों की बिक्री :**			
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	118,197.54	114,796.19
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	71,354.03	89,965.39
3	नव मंगलूर पत्तन	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1.34	-
4	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	3.06	-
		ख) ISPRL की ओर से क्रूड तेल की खरीद	4.99	6,186.72
B	**वर्ष के दौरान निम्न से उत्पादों की खरीद**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	सीपीपी फेज III और अन्य आपूर्तियां	75.39	33.09
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैप्था/संदूषित उत्पाद / ल्यूब की खरीद	13.16	433.24
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)	संदूषित उत्पाद की खरीद	2.33	-
C	**प्रदत्त सेवाएं**			
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)	**क)** टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य	4.32	-
		ख) लोडिंग आर्म प्रभार	0.07	-
2	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	9.02	-
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	**क)** टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य	7.16	-
D	**निम्न से प्राप्त सेवाएं :**			
1	कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की खरीद	235.92	209.11
2	ओदिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	बीमा प्रीमियम	251.20	271.44
3	नव मंगलूर पत्तन न्यास	पत्तन सेवाएं	132.30	39.51
4	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	जॉब कार्य सेवा	185.59	28.98
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	752.49	552.06
6	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	सेवा	2,831.76	3,945.37
7	नव मंगलूर पत्तन न्यास	पत्तन सेवाएं	1,304.23	1,275.43
8	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	248.09	320.64
9	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (IOCL)	परीक्षण शुल्क	0.04	-
E	**भूमि के अर्जन हेतु अग्रिम**			
1	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	फेज IV भूमि की खरीद	1,107.21	5,905.19

42.3.3 सरकार संबद्ध प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि (टिप्पणी 42.3.4):

चंबद्ध पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	5,348.27	6,216.48
2 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	3,148.87	3,406.15
3 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	4.75	3,033.27
4 नव मंगलूर पत्तन न्यास	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	53.46	38.13
बिक्रेताओं को अग्रिम :			
1 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	29.82	29.82
2 कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	भूमि हेतु अग्रिम	7,017.10	5,909.17

संबद्ध पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
3 कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	अग्रिम	60.56	60.30
4 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	अग्रिम	0.53	0.67
देय राशि :			
1 ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	103.84	68.74
2 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	561.00	1,087.32
3 Bharat Heavy Electrical Ltd	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	870.52	1,482.90
4 भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	43.49	309.97
5 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	16.85	0.03
6 कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	21.01	19.43
7 इंडियन आयल लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य देय राशियां	0.08	0.07

सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन'देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो अलग-अलग और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, विमान से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. अलग-अलग और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं हैं और इस लिए इनको प्रकट नहीं किया गया है

42.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGBV के साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि उक्त टिप्पणी 42.2.1 से 42.2.10 में प्रकट की गई है.

42 वित्तीय लिखत

43.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य चालू प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की क्षमता की हिफाजत करना ताकि कंपनी हितधारकों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हितधारकों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सके.

कंपनी अपना वित्तीय ढ़ाचा बनाए रखती है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृ'द्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बनाए रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से कंपनी शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकती है. शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नये शेयरों का निर्गमन कर सकती है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकती है.

कंपनी की पूंजीगत संरचना में निवल ऋण (टिप्पणी 22 और 23 में विस्तार से उल्लिखित आधार , जिसकी कमी पूरी की गई है, नकद और बैंक शेषराशियों से) और कंपनी की कुल इक्विटी समाविष्ट है.

कंपनी का प्रबंधन कंपनी की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीखा के भाग के रूप में प्रबंधन पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्कता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने पर विचार करता है. .

43.1.1 कर्ज-भार अनुपात

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
i). कर्ज*	79,501.65	85,409.61
ii). कुल नकद और बैंक शेषराशि	8,329.85	21,308.45
घटाएं : कार्यशील पूंजी के लिए अपेक्षित नकदी और बैंक राशि	8,329.85	21,308.45
निवल और बैक शेष राशि	-	-
iii) निवल कर्ज	79,501.65	85,409.61
iv) कुल इक्विटी	110,330.73	100,704.75
v) निवल कर्ज-इक्विटी अनुपात	0.72	0.85
*** कर्ज का मतलब है टिप्पणी 22 और टिप्पणी 23 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार.**		

43.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
वित्तीय आस्तियां (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 43.2.1)		
परिशोधित लागत पर मापे गये		
(क) व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां	26,609.18	26,211.64
(ख) नकदी और नकदी समतुल्य	4,403.53	2,331.66
(ख) अन्य बैंक शेष	3,926.32	18,976.79
(ग) ऋण	690.78	475.56
(ड) अन्य वित्तीय आस्तियां	167.49	3,213.71
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए		
(क) निवेश	0.19	0.19
वित्तीय देयताएं		
परिशोधित लागत पर मापे गये		
(क) उधारराशियां	45,772.37	66,330.71
(ख) व्यापार देय राशियां	47,102.89	60,339.67
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	39,710.43	26,203.10

43.2.1 सहासक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को ऊपर प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि अगर कोई ह्रास हुआ तो उसे घटाने के बाद उसको लागत पर मापा गया है.

43.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की मात्रा और परिमाण के आधार पर एक्सपोजर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम शामिल है.

43.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती है. बाजार के प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम हैं.

43.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करती है और उसके बाधार विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं. फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य निम्नानुसार है :

लेन-देन मुद्रा	देयताएं (राशि ₹ मिलियन)		आस्तियां (राशि ₹ मिलियन)	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 18	यथा 31 मार्च 2017
यूएस डालर	89,950.36	92,114.85	6,042.56	5,867.18

43.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी को खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (यूएस डालर) में संव्यवहार करना पड़ता है . लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता खास तौर से यूएस डालर में अंकित प्राप्य और देय राशियों में उत्पन्न होती है.

यूएसडी – भारतीय मुद्रा में +/- 5% की विनिमय दर में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रबंधन के आकलनों के अनुसार, अवधि के अंत में सिर्फ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD संवेदनशीलता	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
प्राप्य राशियां :		
भारतीय रुपये में 5%कमजोरी	302.13	293.36
भारतीय रुपये में 5% मजबूती	(302.13)	(293.36)
देय राशियां		
भारतीय रुपये में 5%कमजोरी	(3210.21)	(2704.68)
भारतीय रुपये में 5% मजबूती	3210.21	2704.68

43.5.2 विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं

कंपनी ने रिपोर्ट अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा नहीं की है.

43.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने स्थिर और अस्थिर ब्याज दरों पर उधार लिये हैं.इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. कंपनी ने कोई ब्याज दर अदला-बदली नहीं की है और इसलिए कंपनी को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोजर के आधार पर किया गया है. अस्थिर दर लिये गये उधारों के संबंध में विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि समूचे वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकट करते समय 50 आधार अंक घटाया या बढ़ाया गया है.

यदि ब्याज दर 50 आधार अंक पर अधिक / कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो कंपनी का 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में ₹ 389.22 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए : ₹ 318.68 मिलियन कमी/वृद्धि) तक बढ़ / घट गया होता. इसका प्रमुख कारण कंपनी का उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गये उधार के प्रति एक्सपोजर है.

43.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जबकि कोई प्रति पक्षकार अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते कंपनी को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों और ग्राहकों के पास रखी गयी जमाराशि से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हों), समष्टि आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर) जैसे संकेतों पर विचार करता है .

चूंकि प्रमुख ग्राहक उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हैं, इसलिए ऋण में निहित जोखिम नगण्य है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का संकेंदण वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% से अधिक नहीं है.

जमाराशि रखते समय सिर्फ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां प्रतिष्ठित और साखपात्रता बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती है.

43.8 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

नीचे उल्लिखित तालिका में कंपनी की सहमत चुकौती अवधियों के साथ गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है.

विवरण	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
यथा 31 मार्च 2018							
(i) उधार राशियां	दीर्घावधि- 5..42% अल्पावधि - 6.24%	24,259.60	6,518.00	14,825.52	485.53	46,088.65	45,772.37
(ii) व्यापार देयराशियां	-	38,736.37	8,366.52	-	-	47,102.89	47,102.89
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	4,751.30	34,984.76	-	-	39,736.06	39,710.43

विवरण यथा 31 मार्च 2017	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) उधार राशियां	छीर्घावधि - 5.92% अल्पावधि - 7.19%	5,201.88	12,971.00	42,565.34	5,628.92	66,367.14	66,330.71
(ii) व्यापार देय राशियां	-	35,258.93	25,080.74	-	-	60,339.67	60,339.67
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	6,811.68	19,500.47	-	-	26,312.15	26,203.10

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिये गये हैं. यह तालिका वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविवदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. कंपनी की चल निधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण यथा 31 मार्च 2017	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) निवेश	-	-	-	-	13,496.42	13,496.42	13,496.42
(ii) ऋण - ब्याज वाहक	7.19%	4.95	74.21	135.21	341.32	555.69	555.69
- अल्स	-	2.86	0.78	0.01	148.92	152.57	135.09
(iii) व्यापार प्राप्य राशियां	-	26,522.05	87.13	-	-	26,609.18	26,609.18
(iv) नकदी व नकदी समतुल्य	-	1,006.03	3,397.50	-	-	4,403.53	4,403.53
(v) अन्य बैंक शेष	-	3,926.22	-	0.10	-	3,926.32	3,926.32
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	69.50	3.16	1.93	92.90	167.49	167.49

विवरण यथा 31 मार्च 2017	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) निवेश	-	-	-	-	13,496.42	13,496.42	13,496.42
(ii) ऋण - ब्याज वाहक	7.60%	10.61	44.00	84.79	218.08	357.48	357.48
- अल्स	-	3.27	1.70	0.01	130.86	135.84	118.08
(iii) व्यापार प्राप्य राशियां	-	26,184.83	26.81	-	-	26,211.64	26,211.64
(iv) नकदी व नकदी समतुल्य	-	2,331.66	-	-	-	2,331.66	2,331.66
(v) अन्य बैंक शेष	-	16,220.73	2,755.97	-	0.09	18,976.79	18,976.79
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	3,136.17	8.80	2.24	66.50	3,213.71	3,213.71

कंपनी को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 2,679.00 मिलियन का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च 2017 को ₹ 3,239.60 मिलियन). कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएंगी.

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
मांग पर देय प्रतिभूत बैंक ओवरड्राफट् सुविधा:	2,679.00	8,433.00
- प्रयुक्त राशि	-	5,193.40
- अप्रयुक्त राशि	2,679.00	3,239.60

43.9 उचित मूल्य मापन

प्रबंधन समझता है कि जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का वही मूल्य उनके उचित मूल्य दर्शाता है

43 संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण 31 मार्च 2018)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	चालू प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	2,086.94	100.59	1,578.22	1.81	5,491.94	54.18	-	(1.62)	52.56
कुल	**2,086.94**	**100.59**	**1,578.22**	**1.81**	**5,491.94**	**54.18**	**-**	**(1.62)**	**52.56**

विवरण 31 मार्च 2018)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर-चालू देयताएं	कुल राजस्व	चालू प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	2,228.01	101.18	1,496.12	1.33	5,603.71	90.62	-	7.63	98.25
कुल	**2,228.01**	**101.18**	**1,496.12**	**1.33**	**5,603.71**	**90.62**	**-**	**7.63**	**98.25**

44.1 संयुक्त उद्यम से संबधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है :

विवरण 31 मार्च 2018)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आयकर खर्य या आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	195.74	1,423.78	-	6.06	28.36	3.73	27.16
कुल	**195.74**	**1,423.78**	**-**	**6.06**	**28.36**	**3.73**	**27.16**

विवरण (31 मार्च 2017)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	ब्याज आय	ब्याज खर्च	आयकर खर्य या आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	375.11	1,351.14	-	7.45	22.02	1.11	49.88
कुल	**375.11**	**1,351.14**	**-**	**7.45**	**22.02**	**1.11**	**49.88**

45 आकस्मिक देयताएं

45.1 कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
1	**विवाचन / कोर्ट में संविदाकारों / बिक्रेताओं के दावे** उपकरणों के आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ संविदाकारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढ़ायी गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर संविदा पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग गई और अतिरिक्त दावे किये गये हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित संविदा के प्रावधानों के अनुसार उनको स्वीकार किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम ₹ 3880.08 मिलियन को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 43.34 मिलियन को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा (मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में क्रमश: ₹ 1735.60 मिलियन और ₹ 36.56 मिलियन).	3,923.42	1,772.16
2	**ग्राहकों के दावे** एक ग्राहक ने अवधि से पहले संविदा बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है. कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा विवरण में नामे डाली जाएगी.	-	85.20
3	**क)** भूमि के लिए प्रदत्त अग्रिम और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्ता अग्रिम के अलावा मंगलूर एसईजेड लिमिटेड का दावा	20.05	20.05
	कुल	**3,943.47**	**1,877.41**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम / कोर्ट से समाधान / अवार्ड मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

45.2 यथा 31 मार्च 2018 को अपील में लंबित विवादित कर/ शुल्क संबंधी मांगें

45.2.1 31 मार्च 2018 को आयकर : ₹ 2,577.93 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 4,231.68 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ 1,898.44 लियन (31 मार्च 2017 को ₹ 3,994.28 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत समायोजन / भुगतान किया गया है और उसे आस्तियों / देयताओं के अधीन शामिल किया गया है. **(टिप्पणी13)**

45.2.2 वाणिज्य कर : 31 मार्च 2018 को ₹ शून्य (31 मार्च 2017 करे ₹ 0.43 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ शून्य (31 मार्च 2017 को ₹ 0.21 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और उसे अन्य आस्तियों (गैर-चालू) के अधीन शामिल किया गया है. **[टिप्पणी 14].**

45.2.3 उत्पाद शुल्क : 31 मार्च 2018 को ₹ 6,280.26 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 5,962.90 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ 133.13 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 130.06 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और उसे अन्य आस्तियों (गैर-चालू) के अधीन शामिल किया गया है. **[टिप्पणी 14].**

45.2.4 सीमा शुल्क : 31 मार्च 2018 को ₹ 817.25 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 777.54 मिलियन).

46. प्रतिबद्धताएं

46.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं :

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए संविदा की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान (अग्रिम घटाकर) नहीं किया गया है, 31 मार्च 2018 को ₹ 9,914.68 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 3,012.07 मिलियन) है. कंपनी ने फेज IV के विस्तार के लिए 1,050 एकड भूमि के आंबटन के लिए KIADB को अनुरोध किया है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता लगभग ₹ 6,407.14 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,042.02 मिलियन) है.

46.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

क) रिफाइनरी एमआरपीएल के खाते लंबित प्रतिबद्धता एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे एचपीसीएल ने एमआरपीएल फेज III विस्तार और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर हस्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप परस्पर सहमति के आधार पर एचपीसीएल – एमआरपीएल के कब्जे में रही भूमि से अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

ख) मेसर्स शेल ग्लोबल इंटरनेशनल सॉल्यूशन (मेसर्स शेज जीआईएस) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार कार्यक्रम के निमित्त लंबित प्रतिबद्धता यथा 31 मार्च 2018 को अग्रिम घटाकर USD 1.46 मिलियन (31 मार्च 2017 को अग्रिम घटाकर USD 1.46 मिलियन) है.

ग) कंपनी ने पूंजीगत माल के आयात पर ईपीसीजी लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राप्त सीमा शुल्क की रियायती दर के बाबत 31 मार्च 2018 को ₹ 496.81 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,313.68 मिलियन) है.

47 वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न उेयताओं का समाधान

नीचे दी गई तालिका नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन का वर्णन करती है. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं वे देयताएं होती हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा. .

क्र. सं.	विवरण	01/04/2017 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2018 को अंतिम शेष
1	**उधार - दीर्घावधि ऋण**				
	1 बाह्य बाणिज्यिक उधार (ECB)	37,877.46	(12,403.52)	248.14	25,722.08
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,500.00	(1,750.00)	-	750.00
	3 आस्थगित भुगतान देयताएं – वैट ऋण	-	485.53	(316.29)	169.24
	4 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लि. (ONGC)	25,714.10	(6,857.20)	-	18,856.90
	5 आस्थगित भुगतान देयताएं – CST	1,145.17	(526.54)	-	618.63
	6 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)	-	2,570.16	37.04	2,607.20
	कुल	**67,236.73**	**(18,481.57)**	**(31.11)**	**48,724.05**

क्र सं.	विवरण	01/04/2017 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2018 को अंतिम शेष
II	**उधार – अल्पावधि ऋण**				
	1 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	5,201.88	(5,058.88)	-	143.00
	2 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	12,971.00	3,021.48	302.52	16,295.00
	3 क्रेता ऋण एवं पोतलदान पूर्व / पश्चात ऋण	-	14,216.64	122.96	14,339.60
	कुल	**18,172.88**	**12,179.24**	**425.48**	**30,777.60**

क्र सं.	विवरण	01/04/2016 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2017 को अंतिम शेष
I	**उधार – दीर्घावधि ऋण**				
	1 बाह्य बाणिज्यिक उधार (ECB)	41,301.38	(2,790.41)	(633.51)	37,877.46
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	5,250.00	(2,750.00)	-	2,500.00
	3 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लि. (ONGC)	32,571.30	(6,857.20)	-	25,714.10
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं – CST	1,603.34	(458.17)	-	1,145.17
	कुल	**80,726.02**	**(12,855.78)**	**(633.51)**	**67,236.73**
II	**उधार – अल्पावधि ऋण**				
	1 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	25.61	5,176.27	-	5,201.88
	2 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	13,318.18	(347.18)	12,971.00
	कुल	**25.61**	**18,494.45**	**(347.18)**	**18,172.88**

नकदी प्रवाह बैंक ऋण, संबंधित पक्षकारों से ऋण और अन्य उधार राशियां नकदी प्रवाह विवरण में उधारराशियां तथा उधारराशियों की चुकौती से आय की निवल राशि है.

48. कंपनी स्टॉक , संपत्ति, भवन, उपकरण और पूंजीगत भंडार का चरणवद्ध तरीक से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुल अवधि के सभी मदों को इसके दायरे में लाया जाता है. समायोजन में कोई अंतर होने पर उसे समाधान पूरा होने के बाद पूरा किया जाता है...

49. कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई ठेके नहीं हैं जिनके कारण किसी महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

50. व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ राशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने / समाधान होने पर कोई समायोजन करना पड़े तो उसे किया जाएगा जिसका कोई खास असर नहीं होगा.

51. बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदनों के अधीन मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में सहासक कंपनी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समामेलन की सहमति दे दी है. कंपनी को प्रारंभिक चरण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 18 अप्रैल 2018 के उसके पत्र के जरिए "अनापत्ति" मिल गई है.

52. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों मे दिए गए आंकड़े पिछले वर्षों से संबंधित हैं. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहित किया गया है.

53. **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

ये वित्तीय विवरण 15 मई 2018 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने की खातिर अनुमोदित किये गये.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समस्यगण,

समेकित **Ind AS** वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी "ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड" (नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी को इसके आगे एक साथ " समूह" कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान "शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड" के संलग्न समेकित भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण और ईक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समाविष्ट की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है".

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम के अधीन जारी संबंधित विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन), नकदी प्रवाह और ईक्विटी में परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सम्मिलित कंपनियों के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी में ऐसी बातें भी शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन कर उनको लागू करने, ऐसे निर्णय और आकलन करने के लिए, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों, आंतरिक वित्तीय विवरणों की रूपरेखा बनाने, उनका कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करने के सही और निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा रिकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त ऐसा लेखा रिकॉर्ड रखना जिनका ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन में उपयोग किया जाता है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है.

लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखापरीक्षा का इस तरह से निर्वाह करें जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या समेकित Ind AS वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं.

लेखापरीक्षा में समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाण पाने के लिए कार्यविधियां अपनाना शामिल है. चुनी हुई कार्यविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों में दिए गए किसी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक कंपनी की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों से प्रासंगिक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखापरीक्षा में संबंधित कार्यविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुकूल हों. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन मानकों का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन संबंधी आकलन पर निर्धारण करना और समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है.

हम जानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाण और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे उल्लिखित परिच्छेद के उप-परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किए गए विचार के आधार पर, उक्त समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 तक के कंपनी के समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के कामकाज की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन) तथा नकदी प्रवाह एवं ईक्विटी में परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर दर्शाने वाले अधिनियम के अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

मामले का जोर

हम लेखों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

क. विभेदक सीमाशुल्क के दावे के बारे में टिप्पणी 46.2 (घ) जिसका प्रभाव इस चरण में ज्ञात नहीं है, और

ख. चालू प्रतिष्ठान आधार पर ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में टिप्पणी 51, यद्यपि कंपनी के पास संचित हानियां हैं और इसकी निवल मालियत काफी क्षीण हो गयी है, कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान निवल हानि / निवल नकदी हानि उठायी है और कंपनी की वर्तमान देयताएं तुलन-पत्र की तारीख को उसकी चालू आस्तियों से अधिक हैं. तथापि कंपनी के वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि प्रचालनों को बनाए रखने और उक्त नोट में उल्लिखित कारणों के लिए और टिप्पणी 52 में दिये अनुसार कंपनी की प्रस्तावित पुनर्संरचना के लिए अपने सभी दायित्वों और देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न होगी.

इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है.

अन्य मामले

सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षक मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स द्वारा की गई थी. समेकित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2018 को ₹ 77,403.88 मिलियन की कुल आस्तियां, ₹ 55,612.94 मिलियन का कुल राजस्व और सहायक कंपनी से उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 129.71 का नकदी प्रवाह दर्शाता है. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित एक प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसके वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 26.28 मिलियन का निवल लाभ का समूह का हिस्सा भी शामिल है. सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण जो एक संयुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की वित्तीय जानकारी जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में सम्मिलित रकम और प्रकटन का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर और जहां तक उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय सिर्फ अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर नीचे दी गई हमारी राय और अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता को लेकर उक्त मामलों के संबंध मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. नियंत्रक कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट नीचे देते हैं.

क. कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के संबंध में निम्नलिखित के सिवाय स्पष्ट हक/पट्टा विलेख हैं.

विवरण	निम्न के अंतर्गत समूहित	क्षेत्रफल (एकड़ में)	राशि (₹ मिलियन में)	वित्तीय विवरण में संदर्भ
पट्टाधृत भूमि	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	30.97	36.56	टिप्पणी 5
पट्टाधृत भूमि	प्रगति में पूंजीगत कार्य	236.52	717.31	टिप्पणी 6

इसके अलावा, फेज IV के लिए 1050 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए KIADB को ₹ 6,946.81 मिलियन की राशि अग्रिम रूप में दी गई है जिसके लिए करार अभी निष्पादित किया जाना है.

ख. कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी और तेल विपणन कंपनियों (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. तथा बेंगलूर मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) के साथ लंबे समय से लंबित विवाद को निपटाने के लिए ₹ 472.34 मिलियन की व्यापार प्राप्य राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है. यह राशि लाभ-हानि विवरण में व्यक्त की जा रही है. एकल Ind AS वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 35 देखें.

ग. कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास रखे गए स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली है.

सहायक कंपनी के लिए ऊपर्यक्त के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के लिए, संबंधि लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुसार कोई निदेश जारी नहीं किया गया है.

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर और सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर , जैसाकि ''अन्य मामले'' परिच्छेद में उल्लिखित किया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

   ख. हमारी राय में इन बहियों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए समेकित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन दर्शाने वाला समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से रखी गई संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप है.

घ. हमारी राय में उक्त समेकित Ind AS वित्तीय विवरण, कंपनी भारतीय लेखांकन मानक, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं.

ङ. जहां तक नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी का संबंध है, अधिनियम की धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएमआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

च. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिश्ठान के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों और 31 मार्च 2018 को प्राप्त निदेशकों के लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल ने रिकार्ड किया है. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के निदेशकों में से किसी को भी अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार नियुक्त करने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

छ. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अनुबंध क मे अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें. सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है.

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर और साथ ही "अन्य मामले" परिच्छेद में यथा उल्लिखित सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर :

i) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45.1 तथा 45.2 देखें.

ii) वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमान लगाने लायक महत्वपूर्ण हानि के बारेमें यथा लागू कानून अथवा लेखा मानकों के तहह यथा अपेक्षित प्रावधान किया गया है. कंपनी व्युत्पन्नी संविदाओं सहित ऐसी कोई दीर्घावधि संविदा नहीं रखती है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो और इसलिए हानि के बारे में रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता.

iii) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी ने उसकी सहायक कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशि का अंतरण करने में कोई विलंब नहीं किया है.

iv) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से संबंधी प्रकटनों की रिपोर्टिंग 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं है.

हम यथा 31 मार्च 2018 को ऊपर संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण पर पहले ही जारी की गई 15 मई 2018 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ देते हैं. उक्त रिपोर्ट को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के अनुपालन में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है. 15 मई 2018 की हमारी पूर्व रिपोर्ट में संदर्भित यथा 31 मार्च 2018 को ऊपर संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0039575
हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 02652S
स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29 जून 2018

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S
हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट – 31 मार्च 2018 का अनुबंध – 'क'

(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i| के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय विवरणों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ हमने **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनी **"ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड"** (नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी को इसके आगे एक साथ '' समूह'' कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान **"शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड"** , जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी :

नियंत्रक कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल है, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहें, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का डिजाइन बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की संबंधित नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफाजत की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा अपेक्षित भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की समय पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. हमने अपनी राय लेखापरीक्षा, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिये गये. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, उस हद तक कि जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होती है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गई जिससे आंतरिक वित्तीय नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखापरीक्षा के जरिए प्रमाण प्राप्त किया जा सके. आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझाना, खास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल रहा. चुनी गई कार्यविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दिए गए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है.

हम मानते हैं कि हमें, अन्य मामलों के संबंध में नीचे उल्लिखित परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों से मिले लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो –

(1) ऐसे रिकार्ड रखने से संबंधित हैं जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेनदेनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं.

(2) ऐसे उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रिकार्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्व पर पता लगाने के बारे में जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती या धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियत्रित प्रतिष्ठान ने हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनायी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च 2018 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

अन्य मामले

सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षक मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स द्वारा की गई थी. हमने संयुक्त रूप से धारित प्रतिष्ठान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा नहीं की. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (1) के अनुसार हमारी रिपोर्ट का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर और जहां तक उक्त सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में हमारी राय सिर्फ अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

चूंकि वित्तीय विवरणों की तैयारी और उसके लेखांकन में अंतर्निहित पर्याप्त लेन-देन कम्प्यूटर प्रणाली से किए जाते हैं और उत्पन्न किए जाते हैं, कंपनी की सूचना प्रणाली की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आवश्यक है जिससे जहां तक नियंत्रक कंपनी का संबंध है, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त आंकड़ों की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता का आश्वासन मिल सके.

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए. वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 29 जून 2018

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए. मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

फॉर्मAOC-1

यथा 31.03.2018 को सहयोगी / संबद्ध कंपनियों /संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं दर्शाने वाले विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक का अनुसरण करते हुए) सहयोगी / सहबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण

भाग "A": सहयोगी कंपनी

₹ मिलियन में

					यथा 31.03.2018					वर्ष 2017-18 के लिए (1st अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क्र.सं	सहयोगी कंपनी का नाम भारतीय कंपनी	सहासक कंपनी के अधिग्रहण की तारीखा	सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि व अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताएं	निवेश के ब्यौरे *	कुल कारोबार	कराधान पूर्व लाभ / (हानि)	कराधान के लिए प्रावधान	कर पश्चात लाभ / (हानि)	कुल व्यापक आय	प्रस्तावित लाभांश	% शेयरधारि ता
1	ONGC Mangalore Petrochemicals Limited	February 28, 2015	01.04.17 to 31.03.18	INR	18,776.26	(15,656.38)	77,403.88	74,284.00	4.80	55,612.94	(4,758.49)	(287.42)	(4,471.07)	(4,468.35)	-	51.00%

* मंगलूर एसईजेड के ₹ 10 प्रत्येक के 480,000 इक्विटी शेयर

1. उन सहयोगी कंपनियो के नाम जिन्होंने अब तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है : कुछ नहीं
2. उन सहयोगी कंपनियों के नाम जिनका वर्ष 2017-18 के दौरान परिसमापन हुआ : कुछ नहीं

भाग "B": संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यों से संबधित कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 129 (3)

संयुक्त उद्यम का नाम		शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स(एण्ड सर्विसेज लि.
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख	मार्च 31, 2018
2.	संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण करने की तारीख	मार्च 11, 2008
3.	वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयरों की	
	संख्या (मिलियन में)	15.00
	संयुक्त उद्यम में निवेश की रकम (₹ मिलियन में)	150.00
	धारिता की मात्रा (प्रतिशत में)	50%
4.	किस प्रकार उल्लेखनीय प्रभाव रहा	धरिता का प्रतिशत NA
5.	संयुक्त उद्यम का समेकन क्यों नहीं किया गया है	
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के बनसार शेयरधारिता की निवल मालियम	303.75
7.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. समेकन में विचार किया गया	26.28
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	-

1. **संयुक्त उद्यमों के नाम जो अभी तक संचालन शुरू नहीं कर रहे हैं: कुछ नहीं**
2. **उन सहयोगी कंपनियों के नाम जिनका वर्ष 2017-18 के दौरान परिसमापन हुआ या बेचा गया : कुछ नहीं**

हमारी संलग्नश सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं.. 026525

कृते मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं.. 203592

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशन
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

अनुसूची -III यथा 31 मार्च 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त प्रकटन

उद्यम का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात कुल देयताए घटाकर कुल आस्तियां		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय मे हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मूल कंपनी									
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	India	96.71%	100,450.29	125.06%	22,179.61	94.56%	33.19	124.99%	22,212.80
सहायक कंपनी									
भारतीय									
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड OMPL	India	1.52%	1,580.08	-12.86%	(2,280.25)	3.96%	1.39	-12.82%	(2,278.86)
सहासक कंपनी में गैर-नियंत्रण अधिकार		1.48%	1,539.80	-12.35%	(2,190.82)	3.79%	1.33	-12.32%	(2,189.49)
संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान									
भारतीय									
शैल एमआरपीसल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	India	0.29%	303.75	0.15%	27.09	-2.31%	(0.81)	0.15%	26.28
निवल		**100.00%**	**103,873.92**	**100.00%**	**17,735.63**	**100.00%**	**35.10**	**100.00%**	**17,770.73**

हमारी संलग्नश सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 026525

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

कृते मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशन
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी राशियां ₹ मिलियन में)

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2017 को शेष राशि	**17,526.64**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**17,526.64**

आ. अन्य इक्विटी

विवरण	मान्य इक्विटी	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					
		सामान्य रिजर्व	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	पूंजी आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**26.05**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**38,034.65**	**42,812.61**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	34,726.41	34,726.41
परिभाषित लाभ योजनाओं, का पुन: मापन, आयकर घटाकर	-	-	-	-	-	(47.79)	(47.79)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	34,678.62	34,678.62
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4.48**	-	-	-	-	-	**4.48**
31 मार्च 2017 को शेषराशि	**30.53**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**72,713.27**	**77,495.71**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	19,926.45	19,926.45
परिभाषित लाभ योजनाओं, का पुन: मापन, आयकर घटाकर	-	-	-	-	-	33.77	33.77
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	**19,960.22**	**19,960.22**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7.87	-	-	-	-	-	7.87
लाभांश का भुगतान (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित)	-	-	-	-	-	**(12,656.32)**	**12,656.32)**
31 मार्च, 2018 को शेष राशि	**38.40**	**1,192.00**	**91.86**	**3,467.98**	**0.07**	**80,017.17**	**84,807.48**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. . : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं.. 026525

कृते **मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.. : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं.. 203592

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निउेशक (वित्त)
DIN: 07355933

अस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

यथा 31 मार्च 2018 को समेकित तुलनपत्र

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी राशियां ₹ मिलियन में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
आस्तियां			
I गैर-चालू आस्तियां			
(a) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	198,260.07	202,384.34
(b) प्रगतिगत पूंजीगत कार्य	6	6,821.38	2,199.15
(c) निवेश संपत्ति	7	77.96	-
(d) सुनाम	8	3,772.78	3,772.78
(e) अन्य अगोचर आस्तियां	9	56.26	27.08
(f) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	10	306.26	418.52
(ii) ऋण	11	627.19	446.59
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	12	94.83	68.74
(g) गैर-चालू कर आस्तियां (निवल)	13	4,332.98	4,575.49
(h) अन्य गैर-चालू आस्तियां	25	-	3,106.87
(i) अन्य गैर-चालू आस्तियां	14	15,202.39	10,966.06
कुल गैर-चालू आस्तियां (I)		**229,552.10**	**227,965.62**
II चालू आस्तियां			
(a) स्टॉक	15	52,404.00	44,140.49
(b) वित्तीय आस्तियां			
(i) प्रापय वयापार राशियां	16	25,767.94	26,189.78
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	17	4,403.69	2,461.53
(iii) ऊपर (ii) से भिन्न बैंक शेषराशियां	18	3,926.32	18,976.79
(iv) ऋण	11	86.40	59.58
(v) अन्य वित्तीय आस्तियां	12	72.71	3,145.02
(c) चालू कर आस्तियां (निवल)	13	283.88	-
(d) अन्य चालू आस्तियां	14	3,009.07	5,380.57
उप-जोड़ चालू आस्तियां		**89,954.01**	**100,353.76**
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां	19	-	77.96
कुल चालू आस्तियां (II)		**89,954.01**	**100,431.72**
कुल आस्तियां (I+II)		**319,506.11**	**328,397.34**
इक्विटी और देयताएं			
I इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	20	17,526.64	17,526.64
(b) अन्य इक्विटी	21	84,807.48	77,495.71
(c) गैर-नियंत्रक हित		1,539.80	3,729.29
कुल इक्विटी (I)		**103,873.92**	**98,751.64**
देयताएं			
II गैर-चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	44,786.76	85,909.49
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	-	-
(b) प्रावधान	24	493.79	661.53
(c) आस्थगित कर देयताएं	25	902.24	-
(d) अन्य गैर-चालू देयताएं	27	3,595.54	-
कुल गैर-चालू देयताएं (II)		**49,778.33**	**86,571.02**
III चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	62,616.36	46,686.29
(ii) व्यापार संबंधी देयराशियां	26	47,925.45	60,444.97
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	49,157.35	30,814.36
(b) अन्य चालू देयताएं	27	2,112.93	1,830.05
(c) प्रावधान	24	4,041.77	2,853.57
(d) चालू कर देयताएं	13	-	445.44
कुल चालू देयताएं (III)		**165,853.86**	**143,074.68**
IV कुल देयताएं (II + III)		**215,632.19**	**229,645.70**
कुल इक्विटी और देयताएं (I+IV)		**319,506.11**	**328,397.34**

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1-54) देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. . : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं.. 026525

कृते **मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.. : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं.. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निउेशक (वित्त)
DIN: 07355933

अस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी राशियां ₹ मिलियन में)

विवरण		टिप्पणी सं. .	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
I.	प्रचालनों से राजस्व	28	636,880.57	599,891.40
II.	अन्य आय	29	2,739.20	4,188.52
III.	**कुल आय (I + II)**		**639,619.77**	**604,079.92**
IV.	**खर्च :**			
	उपभुक्त सामग्री की लागत	30	431,790.55	372,689.85
	तैयार माल, प्रक्रिया में स्टॉक और व्यापार में स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन	31	(8,799.89)	(3,319.80)
	माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		146,330.58	16,226.14
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	32	4,589.64	3,902.90
	वित्त लागत	33	9,126.49	9,659.22
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	34	9,660.92	9,841.20
	अन्य खर्च	35	17,949.62	14,561.55
	कुल खर्च (IV)		**610,647.91**	**569,561.06**
V.	**अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**28,971.86**	**34,518.86**
VI.	अपवादात्मक मदें (आय)/खर्च (निवल)	36	258.90	(15,972.91)
VII.	**संयुक्त उद्यमों के लाभ् का हिस्सा**		**1.06**	**46.75**
VIII.	**कर पूर्व लाभ (V- VI+VII)**		**28,714.02**	**50,538.52**
IX.	कर संबंधी खर्च :			
	(1) चालू कर	37	-	-
	- चालू वर्ष		6,995.74	11,853.78
	- पूर्व वर्ष		(7.16)	-
	(2) आस्थगित कर	25	3,989.81	5,752.64
	कुल कर संबंधी खर्च (IX)		**10,978.39**	**17,606.42**
X.	**वर्ष के लिए लाभ (VIII-IX)**		**17,735.63**	**32,932.10**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा.			
	(a) पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन		54.95	(79.53)
	(b) नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्थाओं में बचाव लिखतों पर अभिलाभ (हानि) का प्रभावी हिस्सा		(0.64)	3.00
	(c) ऊपर से संबंधित आयकर		(19.21)	27.53
	कुल अन्य व्यापक आय (XI)		**35.10**	**(49.00)**
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)**		**17,770.73**	**32,883.10**
XIII.	**इनके संबंध में वर्ष का लाभ**			
	कंपनी के मालिक		19,926.45	34,726.41
	गैर-नियंत्रक हित		(2,190.82)	(1,794.31)
XIV.	**इनके संबंध में वर्ष की अन्य व्यापक आय**		33.77	(47.79)
	कंपनी के मालिक		1.33	(1.21)
	गैर-नियंत्रक हित		19,960.22	34,678.62
XVI	प्रति शेयर अर्जन :	38		
	(1) मूल (₹ में)		11.37	19.81
	(2) तनूकृत (₹ में)		11.37	19.81

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1-54) देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. . : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं.. 026525

कृते **मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.. : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं.. 203592

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशन
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी राशियां ₹ मिलियन में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
अ प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**17,735.63**	**32,932.10**
निम्न के लिए समायोजन :			
कर संबंधी खर्च		10,978.39	17,606.42
संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा		111.44	(39.25)
मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्च		9,661.00	9,841.28
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि / (लाभ) (निवल)		249.64	56.70
देयता जिसके लिए प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है.		(839.49)	(65.67)
संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियों का ह्रास		-	302.80
प्रतिलेखित प्राप्य व्यापार राशियां		472.34	59.37
विनिमय दर में घट-बढ़ (निवल)		1,150.51	(1,569.68)
वित्त लागत		8,782.16	9,716.27
व्याज आय		(786.42)	3,840.71)
लाभांश आया		(153.34)	(275.51)
समय-पूर्व भुगतानों का परिशोधन		9.44	9.83
आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन		(164.20)	-
अन्य		51.04	(76.99)
		47,258.14	**64,656.96**
कार्यशील पूंजी में संचलन :			
- प्राप्य व्यापार और अन्य राशियों में (वृद्धि)/कमी		(364.26)	3,043.32)
- ऋणों में (वृद्धि)/कमी		(207.42)	(40.93)
- अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		18.636.32	102,590.77
- स्टॉक में (वृद्धि) / कमी		(8,240.58)	(10,316.10)
- देय अन्य व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी		(10.474.23)	(155,025.01)
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**46,607.97**	**(1,177.63)**
प्रदत्त आयकर, धन-वापसी घटाकर		(6,889.34)	(9,905.25)
प्रचालनों से उत्पन्न/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(a)**	**39,718.63**	**(11,082.88)**
आ निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए भुगतान		(10,700.24)	(8,618.34)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से आय		(6.85)	699.89
प्राप्त ब्याज		799.02	5,404.77
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		112.50	7.50
पारस्परिक निधियों में निवेश से प्राप्त लाभांश		40.84	268.01
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		-	0.31
ब्याज आय पर प्रदत्त कर		(58.74)	(416.30)
निवेश कार्यकलापों से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(b)**	**(9,813.47)**	**(2,654.16)**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो सभी राशियां ₹ मिलियन में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
इ वित्तपोषणों कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
दीर्घावधि उधारराशियों से आय **(देखें टिप्पणी 47)**		8.99	19,686.35
दीर्घावधि उधारराशियों की चुकौती **(देखें टिप्पणी 47)**		(21,560.24)	(16,561.37)
अल्पावधि उधारराशियों से आय, निवल **(देखें टिप्पणी 47)**		14,971.23	8,995.67
प्रदत्त वित्त लागत		(8,726.66)	(9,475.26)
इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश और लाभांश कर		(12,656.32)	-
वित्तपोषण कार्यकलापो से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नक	(c)	**(27,963.00)**	**2,645.39**
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(अ+आ+इ)	**1,942.16**	**(11,091.65)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**2,461.53**	**13,553.18**
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**4,403.69**	**2,461.53**
		1,942.16	**(11,091.65)**

1 उक्त नकदी प्रवाह विवरण Ind AS 'नकदी प्रवाह विवरण' में यथानिर्दिष्ट 'परोक्ष पद्धति' के अधीन तैयार किए गए हैं.

2 कोष्ठक नकदी बहिर्वाह /कमी दर्शाते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1-54) देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्रीधर , सुरेश एवं राजगोपालन**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. . : 003957S

हस्ता/-
सीए वी. सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं.. 026525

कृते **मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.. : 001997S

हस्ता/-
सीए मुरली मोहन भट
साझेदार
सदस्यता सं.. 203592

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15/05/2018

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशन
DIN: 06851988

हस्ता/-
ए. के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN: 07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी राशियां ₹ . मिलियन में है)

1. कंपनी के बारे में जानकारी

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('एमआरपीएल' अथवा 'कंपनी') एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो भारत में स्थित और निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुडपदव, कुत्तेपुर डाकघर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर, कर्नाटक – 575030 में स्थित है. कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध तथा क्रय-विक्रय किये जाते हैं. कंपनी क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार चलाती है. कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसके पास 71.63% इक्विटी शेयर हैं.

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (जिसे संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) और संयुक्त उद्यम प्रमुख रूप से क्रूड तेल का परिष्करण करने का कारोबार, पेट्रोकेमिकल कारोबार, विमानन ईंधनों का व्यापार और रिटेल आउटलेट और परिवहन टर्मिनल के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण करते हैं.

2. नए और संशोधित भारतीय लेखांकन मानकों का प्रयोग

इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों पर समेकित वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत किए जाने तक विचार किया जाता है.

2.1 (क) नए तथा संशोधित मानक एवं व्याख्याएं

कंपनी ने Ind AS में निम्नलिखित संशोधनों को पहली बार अपनाया जो 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद की वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं. संशोधनों का स्वरूप तथा प्रभाव नीचे उल्लेखित है:

Ind AS 7 नकदी प्रवाह का विवरण – प्रकटन पहल में संशोधन

संशोधन संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे नकदी प्रवाहों तथा गैर-नकदी प्रवाहों (विदेशी मुद्रा लाभ या हानि) दोनों से उत्पन्न परिवर्तनों सहित वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न उनकी देयताओं में परिवर्तन को प्रकट करें. कंपनी ने टिप्पणी 47 में वर्तमान तथा तुलनात्मक अवधि दोनों के लिए जानकारी प्रस्तुत की है.

(ख) हालिया लेखांकन घोषणाएं

(i) जारी किए गए किंतु अभी प्रभावी न हुए नये भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)

Ind AS 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' को 28 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया था और ग्राहकों के साथ संविदाओं से उत्पन्न होने वाले राजस्व को हिसाब में लेने के लिए पांच-चरणीय मॉडल स्थापित करता है.

Ind AS 115 के अंतर्गत राजस्व को ऐसी आयु के रूप में हिसाब में लिया जाता है जो उस आय को दर्शाता है जिसके लिए संस्था ग्राहक को माल तथा सेवाएं हस्तांतरित करने के एवज में हकदार है.

नया राजस्व मानक Ind AS 115 के अंतर्गत सभी चालू राजस्व निर्धारण अपेक्षाओं को अधिक्रमित करेगा. नये मानक में अपेक्षित है कि राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाए जब प्रतिबद्ध माल या सेवाएं राशियों में ग्राहकों को हस्तांतरित की जाती हैं जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी ग्राहक को माल तथा सेवाएं हस्तांतरित करने के एवज में हकदार है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

(ii) जारी किए गए किंतु अभी प्रभावी न हुए भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) में संशोधन

वित्तीय विवरण जारी किए जाने की तारीख तक मानकों में संशोधन जो जारी किए गए हैं, परंतु प्रभावी नहीं हुए हैं, नीचे प्रकट किए गए हैं. कंपनी इन मानकों, यदि लागू हैं, को उनके प्रभावी होने पर अपनाना चाहती है.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित मानकों को संशोधित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2017 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 जारी किए हैं.

Ind AS 12 – अप्राप्त हानियों के लिए आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि एक संस्था को यह विचार करना चाहिए कि क्या कर कानून कर-योग्य आय के स्रोतों का प्रतिबंधित करता है जिसके विरुद्ध वह उस कटौती-योग्य अस्थायी अंतर के प्रतिवर्तन पर कटौतियां कर सकता है. इसके अलावा, संशोधन इस दिशा में मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं कि कोई कंपनी भावी कर-योग्य लाभ का निर्धारण कैसे करे और उन

परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जिनमें कर-योग्य आय अपनी रखाव लागत से अधिक आस्तियों की वसूली शामिल है.

संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधनों को लागू करें. तथापि, संशोधनों की प्रारंभिक प्रयोज्यता पर, पूर्व तुलनात्मक अवधि की प्रारंभिक इक्विटी में परिवर्तन को पारंभिक प्रतिधारित आय और इक्विटी के अन्य घटकों के परिवर्तन को आबंटित किए बिना प्रारंभिक प्रतिधारित आय में (या इक्विटी के अन्य घटक में, जैसा भी उचित हो) निर्धारित किया जाए. इस राहत का उपयोग करने वाली संस्थाओं को इसे प्रकट करना चाहिए.

ये संशोधन 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं. कंपनी इन संशोधनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 21 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अग्रिम प्रतिफल का परिशिष्ट 8

परिशिष्ट स्पष्ट करता है कि संबंधित आस्ति के प्रारंभिक निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली हाजिर विनिमय दर, अग्रिम प्रतिफल से संबंधित गैर-मौद्रिक आस्ति या गैर-मौद्रिक देयता के विनिर्धारण पर खर्च या आय (उसके भाग के रूप में) का निर्धारण करने में लेन-देन की तारीख वह तारीख होती है जिस तारीख को संस्था अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न होने वाली गैर-मौद्रिक आस्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभ में निर्धारित करती है. यदि ये अग्रिम में बहु भुगतान या प्राप्तियां हैं तो संस्था को अग्रिम प्रतिफल के हरेक भुगतान या प्राप्ति के लिए लेन-देन तारीख का निर्धारण करना चाहिए. संस्थाएं पूर्णत: पूर्वव्यापी प्रभाव से परिशिष्ट की अपेक्षाओं का पालन करें. विकल्पत:, संस्था अपने कार्यक्षेत्र में सभी आस्तियों, खर्चों तथा आय पर इन अपेक्षाओं को लागू कर सकती है जिन्हें प्रारंभ में निम्न को या उसके बाद निर्धारित किया जाता है:

(i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत जिसमें संस्था परिशिष्ट को पहली बार लागू करती है, या

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक सूचना के रूप में प्रस्तुत पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत जिसमें संस्था परिशिष्ट को पहली बार लागू करती है.

परिशिष्ट 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू हो रही वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 40 – निवेश संपत्ति का अंतरण में संशोधन

संशोधन यह स्पष्ट करते हैं कि कब संस्था को निवेश संपत्ति में या में से निर्माण या विकास के अंतर्गत संपत्ति सहित संपत्ति अंतरित करनी चाहिए. संशोधन में उल्लेख है कि उपयोग में परिवर्तन उस समय होता है जब संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या पूरा करना बंद कर देती है और उपयोग में परिवर्तन के साक्ष्य हैं. संपत्ति के उपयोग के लिए प्रबंधन के इरादे में सिर्फ परिवर्तन उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य नहीं देता है.

संस्थाओं को वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत को या उसके बाद उपयोग में होने वाले परिवर्तनों में संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना चाहिए जिसमें संस्था संशोधनों को पहली बार लागू करती है. संस्था को उस तारीख को धारित संपत्ति के वर्गीकरण का पुन: आकलन करना चाहिए और यदि लागू हो, उस तारीख को विद्यमान दशाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए संपत्ति का पुन: वर्गीकरण करना चाहिए. Ind AS 8 के अनुसार पूर्वव्यापी प्रयोज्यता की अनुमति तभी दी जाती है जब यह पश्च दृष्टि के प्रयोग के बिना संभव हो.

संशोधन 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू हो रही वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

Ind AS 112 – अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटन : Ind AS 112 में प्रकटन अपेक्षाओं की व्याप्ति के स्पष्टीकरण में संशोधन

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि Ind AS 112 में प्रकटन अपेक्षाएं, परिच्छेद बी10 –बी।6 में उल्लिखित से भिन्न, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी में संस्था के हित पर (या

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में उसके हित के एक अंश पर) लागू होती हैं जो बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत है (या

निपटान समूह में शामिल किया गया है जो वर्गीकृत है). ये संशोधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

Ind AS 28 सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश – स्पष्टीकरण कि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेशिती का मापन निवेश–दर–निवेश पसंद है

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि:

- एक संस्था जो उद्यम पूंजी संगठन है या अन्य अर्हताप्राप्त संस्था लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में अपने निवेशों को मापने के लिए निवेश-दर-निवेश आधार पर प्रारंभिक निर्धारण का चयन कर सकती है.

- यदि संस्था, जो स्वयं एक निवेश संस्था नहीं है, किसी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम, जो एक निवेश संस्था है, में हित रखती है, इक्विटी पद्धति को लागू करते समय संस्था उस निवश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम द्वारा लागू किए गए उचित मूल्य मापन के जरिए सहायक कंपनियों में निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम के बनाए रखने का चयन कर सकती है. यह चयन बाद की तारीख में हरेक निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लिए अलग-अलग किया जाता है जिस तारीख को (क) निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम को प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है, (ख) सहयोगी या संयुक्त उद्यम एक निवेश संस्था हो जाती है और (ग) निवेश संस्था सहयोगी या संयुक्त उद्यम पहले मूल कंपनी हो जाती है.

संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है. कंपनी संशोधन की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1 अनुपालन का कथन

"ये वित्तीय विवरण समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (जिसे "Ind AS" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अनुसार तैयार किए गए हैं."

3.2 तैयार करने का आधार

जैसाकि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में स्पष्ट किया गया है, वित्तीय विवरण, उन वित्तीय विवरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं.

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है.

सभी आस्तियों और देयताओं का कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के आधार पर चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में दर्शाए गए हैं और समस्त मूल्य को, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम दो दशमलव मिलियन में पूर्णांकित किया गया है.

उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य ऐसी कीमत होती है जो आस्ति बेचने पर प्राप्त होगी या जिसे चालू बाजार स्थितियों में मापन दिनांक को बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेन-देन करते समय देयता का अंतरण करने के लिए अदा किया जाएगा.

समूह मापन करते समय नियोजित निविष्टियों पर नज़र रखने की क्षमता के आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों और देयताओं का तीन स्तरों में वर्गीकरण करते है जिनका वर्णन यहां नीचे किया गया है.

(क) स्तर 1 की निविष्टियां, एक ही तरह की आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत की गई कीमतों (असमायोजित) के समान होती हैं.

(ख) स्तर 2 की निविष्टियां आस्ति अथवा देयता के लिए स्तर 1 के अंदर समाविष्ट उद्धृत की गई कीमतों से भिन्न होती है जिस पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नजर रखना सुसाध्य होगा.

(ग) स्तर 3 की निविष्टियां, नजर रखने योग्य संबंधित बाजार के आंकड़ों अथवा बाजार के सहभागियों द्वारा कीमत निर्धारण के बारे में कंपनी की परिकल्पनाओं में उल्लेखनीय आशोधन परिलक्षित करने वाली आस्ति या देयता से संबंधित नजर न रखने लायक निविष्टियां होती हैं.

3.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों (जिसे संयुक्त रूप से "समूह" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के वित्तीय विवरण समाविष्ट किए जाते हैं. कंपनी ने संयुक्त उद्यमों निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश की लेखा संबंधी नीति के बारे में जानने के लिए टिप्पणी 3.6 देखें.

सहायक कंपनियां, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं. कंपनी, प्रतिष्ठान को तब नियंत्रित करती है जब उसका एक्सपोजर बढ़ जाए अथवा प्रतिष्ठान के साथ उसकी भागीदारी से विभिन्न प्रतिफल और उसका अधिकार हो और प्रतिष्ठान की संबंधित गतिविधियों को दिशा देने के उसके अधिकार के जरिए उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो. सहायक कंपनियों का उनके अधिग्रहण की तारीख से समेकन किया जाता है, जबकि यह वह तारीख होती है जब कंपनी अपना नियंत्रण प्राप्त करे और ऐसा नियंत्रण समाप्त होने तक समेकित बनी रहे.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय एकसमान लेन-देनों और इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखा नीतियां निरंतर रूप से अपनायी गई हैं और ये विचारण जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, जहां तक हो सके, उसी तरह से पेश की गई है जैसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण बनाए गए हैं. जब कभी जरूरत लगी, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया गया है जिससे कि उनकी लेखा नीतियों को समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप ढाला जा सके.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर, अंत:समूह आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च अंत:समूह लेन-देन से संबंधित नकदी प्रवाह और अब प्राप्त लाभ को पूरी तरह से घटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, खर्च और नकदी प्रवाह जैसी मदों के बही मूल्य को एकसाथ जोड़ते हुए संयोजन किया गया है. जब तक लेन-देन में हस्तांतरित आस्ति का सबूत न मिले, उठाई न गई हानि को भी हटाया जाता है.

लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण होते हैं; कुल व्यापक आय, कंपनी के मालिकों और गैर-नियंत्रक हितों के कारण उत्पन्न होती है, भले ही इससे गैर-नियंत्रक हितों में घाटा उठाना पड़े. सहायक कंपनियों में समूह के स्वत्व हितों में उन परिवर्तनों को जिससे समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण हो न जाए, इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. समूह के हितों और गैर-नियंत्रक हितों के बही मूल्य का समायोजन किया जाता है जिससे कि सहायक कंपनियों में उनके संबंधित हितों में परिवर्तन परिलक्षित हो सके. समायोजित गैर-नियंत्रक हितों और प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के बीच अंतर को इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है और कंपनी के मालिक के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है.

जब समूह, सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण खो दे तब लाभ अथवा हानि में अभिलाभ अथवा हानि नज़र आती है जिसका परिकलन इसके बीच अंतर के रूप में किया जाता है (i) प्राप्त प्रतिफल का कुल उचित मूल्य और इसी प्रतिधारित हित का उचित मूल्य तथा (ii) आस्तियों (सुनाम सहित) पिछले बही मूल्य और सहायक कंपनी की देयताएं और कोई गैर-नियंत्रक हित. उस सहायक कंपनी के संबंध में अन्य व्यापक आय में नजर आई समग्र रकम को इस तरह से लेखाबद्ध किया जाता है मानो समूह ने सहायक कंपनी की

संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से निपटाया था (अर्थात लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वीर्गीकरण किया था अथवा लागू Ind AS में यथा निर्दिष्ट / अनुमत किसी दूसरी श्रेणी की इक्विटी में हस्तांतरित किया था). जिस दिन नियंत्रण खो गया हो उस दिन पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी निवेश का उचित मूल्य, Ind AS 109 के तहत बाद में लेखाबद्ध करने के लिए प्रारंभ में स्वीकार किए गए उचित मूल्य के रूप में अथवा जब लागू हो तब सहबद्ध अथवा संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने पर लगी लागत के रूप में माना जाता है.

3.4 व्यावसायिक संयोजन

लेखाकरण की अधिग्रहण पद्धति का उपयोग, समूह द्वारा व्यावसायिक संयोजन को लेखाबद्ध करते समय किया जाता है. इस पद्धति में अधिग्रहण करने वाले की पहचानने लायक आस्तियों, देयताओं और आकस्मिक देयताओं को, जो स्वीकार करने की शर्तें पूरी करें, अधिग्रहण दिनांक को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है. गैर-नियंत्रक हितों का, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो, उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की लेखाबद्ध की गई रकम के उचित हिस्से पर मापन किया जाता है.

सुनाम का मापन, हस्तातंरित परिकलन की अतिशय रकम, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो, उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो), उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के अधिग्रहित पहचानने लायक आस्तियों और कल्पित देयताओं की अधिग्रहण तारीख को निवल रकम के रूप में किया जाता है.

हस्तांतरित प्रतिफल की कुल रकम से अधिक, समूह का, पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य का हिस्सा, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो, उस कंपनी में गैर-नियंत्रक हित की कोई रकम और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो (अगर कोई हो तो) उसमें उसमें इससे पहले अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा धारित इक्विटी के उचित मूल्य, निवेश लागत को पुनर्निर्धारण के बाद जिस अवधि में निवेश किया गया हो उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से लेखाबद्ध किया जाता है. व्यावसायिक संयोजन के संबंध में उठाई गई लेन-देन लागत को समेकित लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

जब व्यावसायिक संयोजन चरणों में हासिल हो तो जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में समूह के पूर्व में धारित इक्विटी हित का, अधिग्रहण दिनांक को उपलबध उचित मूल्य में पुन: मापा जाता है और अगर कोई परिणामी अभिलाभ या हानि हो तो उसे लाभ-हानि में दर्शाया जाता है. अधिग्रहण दिनांक से पहले, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी में हितों से उत्पन्न उस रकम का, जिसे अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया हो, लाभ-हानि में उस स्थिति में पुन:वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसे हित को निपटाये जाने पर ऐसा करना उचित हो.

3.5 गैर-नियंत्रक हित

गैर-नियंत्रक हित, इस समय ऐसे स्वत्व हित में माने जाते है जिसकी बदौलत उसके धारकों का परिसमापन होने की दशा में समूह की निवल आस्तियों का यथानुपात हिस्सा मिले. गैर-नियंत्रक हित का, प्रारंभ में, जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया हो उस कंपनी की पहचानने लायक निवल आस्तियों की स्वीकार की गई रकम के गैर-नियंत्रक हितों के यथानुपात हिस्से पर मापन किया जाता है. अधिग्रहण करने के बाद, गैर नियंत्रक हितों का बही मूल्य, इक्विटी के बाद में होने वाले परिवर्तन के गैर-नियंत्रक हिस्से के साथा-साथ स्वीकार की गई हितबद्ध रकम के बराबर होता है.

3.6 संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था के बराबर होता है जिसमें व्यवस्था पर पक्षकारों का, संयुक्त व्यवस्था की निवल आस्तियों पर अधिकार होता है. संयुक्त नियंत्रण का मतलब है- संविदात्मक रूप से सम्मत व्यवस्था के नियत्रण का सहभाजन जो तभी उत्पन्न होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में फैसलों के लिए नियत्रक का सहभाजन करने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मति की जरूरत पड़ती है.

इक्विटी लेखापद्धति का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों के परिणाम एवं आस्तियां और देयताएं समाविष्ट की जाती हैं. इक्विटी पद्धति के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रारंभ में समेकित तुलनपत्र में लागत पर दर्शाया जाता है और बाद में उसका समायोजन करते हुए समूह के लाभ अथवा हानि के हिस्से में और संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है. संयुक्त उद्यम से प्राप्त संवितरण से निवेश का बही मूल्य घट जाता है. जब समूह के, संयुक्त उद्यम की हानि का हिस्सा, समूह के संयुक्त उद्यम में हित से अधिक हो तब समूह, अधिक हानि के अपने हिस्से को दर्शाना बंद कर देता है. अतिरिक्त हानि को उसी हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक समूह ने कानूनी अथवा संरचनात्मक बाध्यताएं पूरी की हो अथवा संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो.

अगर संयुक्त उद्यम, एक ही प्रकार के लेन-देनों और एक समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समूह की लेखा नीतियों से भिन्न लेखा नीतियां अपनाए तो समायोजन करते हुए संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को इक्विटी पद्धति लागू करने से पहले मौजूद समूह की नीतियों के अनुरूप बनाया जाता है.

संयुक्त उद्यम में निवेश को लेखाबद्ध करते समय जिस तारीख से निवेशिती, संयुक्त उद्यम बने उस तारीख से इक्विटी पद्धति का प्रयोग किया जाता है. संयुक्त उद्यम में निवेश का अधिग्रहण करने पर, समूह के, निवेशिती की पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य से अधिक निवेश लागत को सुनाम के रूप में दर्शाया जाता है जिसे निवेश के बही मूल्य के अंदर शामिल किया जाता है. समूह के निवेश की लागत से अधिक पहचानने लायक आस्तियों और देयताओं के हिस्से को पुनर्निर्धारण करने के बाद, जिस अवधि में निवेश का अधिग्रहण किया गया हो, उस अवधि में पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया जाता है.

इक्विटी लेखा पद्धति लागू करने के बाद समूह यह तय करेगा कि क्या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश को प्रारंभ में स्वीकार करने के बाद हुई एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है और यह कि कोई ऐसी घटना (घटनाएं) हैं जिसका भरोसेमंद तरीके से आकलन करने लायक निवल निवेश से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर असर पड़े. अगर हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ सबूत हो तो समूह संयुक्त उद्यम में अपने निवेश के संबंध में हानि के रूप में हुए नुकसान को स्वीकार करता है. जब जरूरत पड़े तब निवेश के समग्र बही मूल्य (सुनाम सहित) का Ind AS 36 'आस्तियों की हानि' के अनुसार एक ही आस्ति के रूप में, उसकी वसूल करने लायक रकम का (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और उचित मूल्य, घटाएं- निपटान लागत) उसके बही मूल्य के साथ तुलना करते हुए हानि को लेकर परीक्षण किया जाता है. हानि के रूप में हुए नुकसान का कोई प्रत्यावर्तन हो तो उसे Ind AS 36 के अनुसार उस हद तक स्वीकार किया जाता है जिस हद तक निवेश की वसूली करने लायक रकम में बाद में बढ़त हो.

समूह इक्विटी पद्धति का प्रयोग करना तब बंद करेगी जब निवेश, संयुक्त उद्यम के रूप में न रह जाए अथवा जब निवेश का बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण किया जाए. जब समूह पूर्व संयुक्त उद्यम में अपना हित बरकरार रखे और ऐसा प्रतिधारित हित वित्तीय आस्ति में हो तब समूह प्रतिधारित हित के उचित मूल्य का मापन, उस दिनांक को करता है और उचित मूल्य को Ind AS 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार प्रारंभिक स्वीकृति पर उसकी उचित मूल्य पर माना जाता है. जिस तारीख को इक्विटी पद्धति बंद की गई उस तारीख को संयुक्त उद्यम के बही मूल्य और प्रतिधारित हित के उचित मूल्य और संयुक्त उद्यम में आंशिक हित का निपटान करने पर प्राप्त प्राप्तियों के बीच अंतर को संयुक्त उद्यम का निपटान करने पर अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया

जाता है. इसके अलावा, समूह उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में इससे पहले स्वीकार की गई समग्र रकम को उसी आधार पर लेखाबद्ध करता है जैसे संयुक्त उद्यम को अपनी संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का सीधी तरह से निपटान करने पर करना पड़ता है. इसलिए अगर उस संयुक्त उद्यम को इससे पहले अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि का, संबंधित आस्तियों अथवा देयताओं का निपटान करने पर लाभ अथवा हानि के रूप में पुन: वर्गीकरण करना पड़े तो समूह इक्विटी पद्धति बंद करने पर अभिलाभ अथवा हानि का इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकरण करता है (पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में).

जब संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश सहबद्ध कंपनी में किए गए निवेश की तरह हो, तब समूह इक्विटी पद्धति अपनाना जारी रखता है. स्वत्व हितों में इस तरह का परिवर्तन होने पर उचित मूल्य का पुन: मापन नहीं किया जाता है.

जब समूह संयुक्त उद्यम में अपना स्वत्व हित घटाएं परंतु इक्विटी पद्धति लागू करना जारी रखे तब समूह स्वत्व हित कम होने पर अन्य व्यापक आय में इससे पहले दर्शाए गए अभिलाभ अथवा हानि के अंश तक लाभ अथवा हानि का पुनर्वर्गीकरण करता है, भले ही संबंधित आस्तियों अथवा हानि में पुनर्वर्गीकरण किया जाए.

जब समूह प्रतिष्ठान समूह के संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करे, तब संयुक्त उद्यम के साथ किए गए लेन-देनों से उत्पन्न लाभ और हानि को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में उसी हद तक दर्शाया जाता है जिस हद तक समूह से जुड़े न रहे संयुक्त उद्यम के हित में हो.

3.7 सुनाम

व्यवसाय का अधिग्रहण करने पर उत्पन्न सुनाम, व्यावसायिक अधिग्रहण दिनांक को संचित हानि के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर स्थापित किया जाता है.

हानि संबंधी परीक्षण के प्रयोजन सेश्, सुनाम, कंपनी की नकद उत्पन्न करने वाली उन इकाइयों को आबंटित किया जाता हे जिनसे संयोजन की सहक्रिया में फायदा हासिल करने की उम्मीद की जाती है.

नकद उत्पन्न करने वाली उस इकाई का, जिसे सुनाम आबंटित किया गया हो, वर्ष में एक बार अथवा अक्सर ह्रास की निगाहों से परीक्षण तब किया जाता है जब यह संकेत मिले कि इकाई द्वारा हानि उठाने की संभावना है. अगर नकद उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली-योग्य रकम बही मूल्य से कम हो तो सबसे पहले ह्रासित हानि को आबंटित किया जाता है जिससे कि इकाई को आबंटित सुनाम के बही मूल्य को कम किया जा सके और तदनंतर इकाई में प्रत्येक आस्ति के बही मूल्य के आधार पर यथानुमत इकाई की अन्य आस्तियों में आबंटन किया जाता है.सुनाम के संबंध में ह्रासित हानि को सीधे लाभ या हानि में दर्शाया जाता है. सुनाम के संबंध में हासित हानि का बाद में किसी अवधि में प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता है.

संबंधिन नकद उत्पन्न करने वाली इकाई को निपटाने के बाद सुनाम के कारण उत्पन्न रकम को लाभ या हानि का निर्धारण करते समय समाविष्ट किया जाएगा.

3.8 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों को बेचते समय लागत घटाने के बाद कमतर बही मूल्य पर और उचित मूल्य पर मापा जाता है.

गैर-चालू आस्तियों का बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब लगातार उपयोग करने के बजाय बिक्री संबंधी लेन-देन के जरिए उनका बही मूल्य वसूल करना पड़े. इस शर्त की पूर्ति तभी मानी जाएगी जब बिक्री होने की अधिक संभावना हो और आस्ति उसकी वर्तमान दशा में तुरंत बेचने के लिए उपलब्ध हो, जबकि इन आस्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत नियम लागू होंगे.

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण करते ही संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा.

3.9 राजस्व निर्धारण

3.9.1 बिक्री तभी मानी जाएगी जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण) ग्राहक के हवाले किए जाएं, जिसमें मूल्य वर्धित कर (VAT) को छोड़कर सभी सांविधिक लेवी शामिल होते हैं जो निवल बट्टे के समान होते हैं.

3.9.2 लाभांश आय तब निर्धारित की जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए.

3.9.3 ब्याज सहित आय का समय आधार पर उपचय करते समय प्रारंभ में निर्धारित करने पर आस्ति के निवल बही मूल्य की तुलना में वित्तीय आस्ति की अनुमानित अवधि के जरिए बकाया मूल धनराशि और लागू प्रभावी ब्याज दर (ऐसी दर जो अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को ठीक तरह से बट्टाकृत करे) का संदर्भ दिया जाता है.

3.9.4 गैर-वित्तीय आस्तियों के मामले में ब्याज सहित आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है. वापसी-योग्य करों / शुल्कों पर आय को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया जात है;

3.9.5 स्क्रैप की बिक्री से राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब उससे जुड़े जोखिम और अधिनिर्णय (वस्तुओं की अभिरक्षा का हस्तांतरण) ग्राहक के हवाले किए जाएं.

3.9.6 निर्णीत हर्जाने के संबंध में ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं के राजस्व को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब यह तय किया जाए कि ऐसा राजस्व देय नहीं है.

3.9.7 समूह ने अपने ग्राहकों के साथ 'ले या अदा करें' की व्यवस्था की है जिसके लिए समूह को व्यवस्था को व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट मात्रा में सुपुर्दगी करनी होगी. अगर ग्राहक ने व्यवस्था के अनुसार कम माल उठाए तो समूह को हक होगा कि वह उठाए गए कम माल के संबंध में राजस्व प्राप्त करे. ले या अदा करें व्यवस्था के तहत उठाए गए कम माल के संबंध में राजस्व तब स्वीकार किया जाता है जब समूह की व्यवस्था के अनुसार कम उठाए गए माल की आपूर्ति की बाध्यता समाप्त हो जाए और ऐसी सूरत में संभव है कि आर्थिक लाभ समूह को मिले.

3.9.8 समूह को हक होगा कि वह भारत की विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित MEIS योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप में प्रोत्साहन का निर्यात करे. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप से उत्पन्न आय को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के उचित मूल्य पर तब स्वीकार किया जाता है जब यह निश्चित करने का औचित्य हो कि समूह को की गई निर्यात बिक्री के सिलसिले में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त होगा जो सामान्यत: उस वक्त प्राप्त होता है जब एसईजेड प्राधिकरण समूह को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप निर्गमित करें.

3.9.9 लाभ-हानि विवरण में उत्पाद शुल्क को खर्च के रूप में दर्शाया जाता है. उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच अंतर के संबंध में उत्पाद शुल्क "अन्य खर्च" के अधीन दर्शाया जाता है.

3.10 पट्टे

पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब पट्टे के नियमों के अनुसार सारे जोखिम और स्वत्व के अधिनिर्णय पट्टाधृति के हवाले किए जाएं. दूसरे सभी पट्टे का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है.

पट्टाधृत भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम अंतरित नहीं किया जाएगा, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. प्रचालन पट्टे के संबंध में पहले किए गए भुगतानों को पूर्व भुगतानों के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया जाता है. पट्टाधृति भूमि का, जहां भूमि का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी के नाम अंतरित किया जाएगा, वित्त पट्टे के रूप में विचार किया जाता है. ऐसी पट्टाधृति भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिसका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

3.11 विदेशी मुद्राएं

समूह के प्रत्येक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट मदों का मापन करते समय उसी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जिस प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा में प्रतिष्ठान अपना काम चलाता है.

("कार्यात्मक मुद्रा"). समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (₹), में पेश किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और समूह की प्रस्तुतीकरण मुद्रा है.

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राएं) से भिन्न मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देनों की तारीख को मौजूद विनिमय दरों पर निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रक दरों को रिपोर्ट अवधि के अंतिम दिन मौजूद अंतिम मुद्रा दर के आधार पर रुपयों में रूपांतरित किया जाता है.

दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में निविमय में आए अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जब कि 31 मार्च 2016 को दर्शायी गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मदों के संबंध में विनिमय अंतर को उस सीमा तक नहीं जोड़ा जाता है जिस सीमा तक उनका मूल्यह्रास करने योग्य आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो. तदनंतर इन आस्तियों की लागत के प्रति समायोजन किया जाता है और आस्ति की बची हुई आयु में उक्त समायोजन को कम किया जाता है.

3.12 उधार लागत

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण की दृष्टि से निर्दिष्ट रूप में पहचानी गई उधार लागत का, इन आस्तियों के अंग के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. अर्हक आस्ति उसे कहते हैं जिसे अभिप्रेम उपयोग करने की दृष्टि से तैयार रखने के लिए काफी समय लगता है. दूसरी अन्य उधार लागतों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.13 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक यह उचित आश्वासन न मिला हो कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे.

सरकारी अनुदानों को लाभ अथवा हानि विवरण में व्यवस्थित ढंग से उस अवधि में जिसमें समूह, जिस लागत के लिए अनुदान की प्रतिपूर्ति करने के इरादे से उपयोग किया जाएगा, खर्च के रूप में निर्धारित न करे.

निर्दिष्ट रूप में उन सरकारी अनुदानों को, जिनके संबंध में मूल रूप से यह शर्त रखी जाती है कि कंपनी को गैर-चालू आस्तियां खरीदनी पड़ेगीं, उनका निर्माण अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना पड़ेगा, तुलन-पत्र में आस्थगित राजस्व के रूप में दर्शाकर संबंधित आस्तियों की उपयोग अवधि में व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बाजार ब्याज दर से कम दर पर सरकारी ऋण का लाभ सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है,

जिसका मापन प्राप्त आय और मौजूदा ब्याज दर पर उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है.

3.14 कर्मचारियों को लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, उपदान निधि, क्षतिपूरित अनुपस्थितियां, रोजगार उपरांत चिकित्सा लाभ और पुन:व्यवस्थापन भत्ते शामिल हैं.

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को योजना के प्रति कंपनी के दायित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है. इनका भुगतान क्रमश: भविष्यनिधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इन्हें वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

परिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं को , जिनका परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इनका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट अवधि के अंत में किया जाता है. इनको वर्तमान कर्मचारी लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है अथवा यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल किया जाता है.

नियत परिभाषित देयता पर निवल ब्याज का परिकलन करते समय, अवधि के प्रारंभ में बट्टा दर, नियत परिभाषित लाभ संबंधी देयता अथवा आस्ति पर लगाया जाता है और यथा अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में समाविष्ट मदों को छोड़कर इनको लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

बीमांकिक अभिलाभ और हानि समेत पुन: मापन, आस्ति की उच्चतम सीमा में परिवर्तन के प्रभाव और योजना आस्तियों (ऊपर परिभाषित निवल ब्याज को छोड़कर) पर प्रतिफल को, उन मदों को छोड़कर जिनको उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न हों, अनुमत तरीके से आस्तियों की लागत में शामिल करने के बाद लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है. अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

कंपनी उपदान के संबंध में एमआरपीएल उपदान निधि न्यास (MGFT) में सभी सुनिश्चयिन देयताओं का अंशदान करती है. कंपनी सहायक उपदान योजना में निधि का अंशदान नहीं किया जाता है. अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है.

तुलन-पत्र में दर्शाया गया सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक कमी या अधिशेष दर्शाता है. बीमांकिक परिकलन से प्राप्त किसी अधिशेष को योजनाओं के प्रति भावी अंशदानों में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी किसी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है.

कर्मचारी के अल्पावधि लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले लाभ की बट्टा रहित रकम को उस वर्ष, जिसमें कर्मचारियों ने ऐसी सेवा प्रदान की हो, दर्शाया जाता है. इन लाभों में शामिल हैं – निष्पादन प्रोफाइल और क्षतिपूरित अनुपस्थितियां जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीने के अंदर होने की संभावना होती है.

क्षतिपूरित अल्पावधि अनुपस्थितियों की लागत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

(क) संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करे जिससे भावी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की उनकी हकदारी बढ़े, और

(ख) असंचयी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के मामले में, जब ऐसी अनुपस्थितियां हों.

कर्मचारी के दीर्घावधि लाभ

ऐसी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद बारह महीनों के अंदर होने की संभावना न हो, तुलनपत्र की तारीख को, जिन योजना आस्तियों के उचित मूल्य से दायित्व निपटाने की संभावना हो, उसे घटाने के बाद परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में निर्धारित किया जाता है.

3.15 कराधान

आयकर खर्च वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर का योग दर्शाता है :

(i) वर्तमान कर

वर्तमान में देया कर का निर्धारण वर्ष के कर-योग्य आय के आधार पर किया जाता है. कर-योग्य आय लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए 'कर-पूर्व लाभ' से भिन्न होता है क्योंकि आय और खर्च की कुछ मदें दूसरे वर्षों में कर-योग्य अथवा कटौती योग्य होती हैं और कुछ मदें कभी भी कर-योग्य और कटौती-योग्य नहीं होती हैं. कंपनी के वर्तमान कर का परिकलन करते समय कर संबंधी उन दरों का प्रयोग किया गया है जिनका अधिनियमन किया गया है अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत तक वास्तव में अधिनियमन किया गया.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं के बही मूलय और करयोग्य लाभ में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता

है. आस्थगित कर देयताओं को, सामान्यत: सभी कर-योग्य अस्थाई अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है. आस्थगित कर आस्तियों को, सामान्यत: सभी सामान्यत: कटौती-योग्य अंतर के रूप में उस हद तक निर्धारित किया जाता है जिससे यह संभावना हो कि कर-योग्य लाभ इस तरह से उपलब्ध होंगे जिसके प्रति कटौती-योग्य अस्थाई अंतर का प्रयोग करना संभव हो.

आस्थगित करों को ऐसे अस्थाई अंतर के संबंध में निर्धारित किया जाता है तो करावकाश अवधि के दौरान उत्पन्न तो होते हैंलेकिन जिनका करावकाश अवधि के बाद प्रत्यावर्तन किया जाता है. इस प्रयोजन के लिए अस्थाई अंतर का प्रत्यावर्तन करते समय प्रथम आवक, प्रथम जावक पद्धति का प्रयोग किया जाता है.

आस्थगित कर आस्तियों के बही मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस हद तक घटाया जाता है जिससे कभी यह संभावना न बने कि तमाम आस्ति अथवा उसका मूल्य वसूल करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों का मापन अधिनियमित अथवा रिपोर्ट अवधि के अंत में वास्तव में अधिनियमित कर संबंधी उन दरों (और कर संबंधी कानूनों) के आधार पर किया जाता हैं जिनको उस अवधि में लागू करने की उम्मीद हो जिनमें देयता निपटायी जाए अथवा आस्ति की वसूली हो.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन से कर संबंधी ऐसी परिस्थितियां परिलक्षित होती है जिनमें कंपनी द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में उसकी आस्तियों और देयताओं का बही मूल्य वसूल किया जाएगा अथवा उसका निपटान किया जाएगा.

आस्थगित कर आस्तियों में भारत में मौजूदा कर-संबंधी कानून के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) शामिल है जिसके चलते भावी आयकर देयता का मुजरा करने की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है. तदनुसार, MAT को तुलनपत्र में वास्तविक कर आस्ति के रूप में तब दर्शाया जाता है जब आस्ति का भरोसेमंद तरीके से मापन करना संभव हो और ऐसी संभावना हो कि आस्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ अर्जित किए जाएंगे.

वर्ष के लिए वर्तमान तथा आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि विवरण में दर्शाया जाता है, सिवाय उन मदों को जिनको अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है. ऐसी स्थिति में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य व्यापक आय में अथवा सीधे इक्विटी में दर्शाया जाता है.

3.16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

उत्पादन में अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की खातिर रखी गई भूमि और भवन को तुलन-पत्र में संचित मूल्यह्रास और कोई संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए निर्माण के दौरान PPE को निर्धारित ह्रासित हानि को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है. आस्ति की लागत में उसकी क्रय कीमत अथवा उसकी निर्माण लागत (लागू निवल कर जमा प्रविष्टियां) और आस्ति को उनके स्थान पर और उस स्थिति में लाने के लिए जिससे वह प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके से चलाना संभाव हो, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली कोई लागत को समाविष्ट किया जाता है. इसमें पेशेवर शुल्क तथा कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकृत अर्हक आस्तियों की उधार लागत शामिल है. पूरा होने पर और अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने पर इन संपत्तियों का PPE की उचित श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है. PPE की मद की उन अंशों को, जिनकी प्रबंधन के निर्धारण के अनुसार विभिन्न उपयोगी अवधि हो और महत्वपूर्ण मूल्य हो और जिसे बाद में संपत्ति पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, संयंत्र और उपकरणों के अलग घटक के रूप में निर्धारित किया जाता है.

PPE को संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

PPE का मूल्यह्रास उस समय शुरू होता है जब आस्तियां अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार हों.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए PPE की उपयोगी आयु के आधार पर उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद PPE (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों से भिन्न) की लागत पर मूल्यह्रास किया जाता है, जबकि इसके लिए संयंत्र एवं उपकरणों के कुछ ऐसे घटक अपवाद हैं जिनकी उपयोग आयु का निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और कर्मचारी वाहन तथा फर्नीचर योजना के लिए बनाई गई कंपनी की नीति के तहत उपयोगी आयु पर विचार किया जाता है.

अनुमानित उपयोगी आयु अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर निर्धारित किए गए आकलन में हुए परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है.

योजनाबद्ध शटडाउन के निमित्त ओवरहॉलिंग और मरम्मत पर व्यय का, जिसका मूल्य उल्लेखनीय होता है (निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य का 5 प्रतिशत), PPE से संबंधित मदों के घटक के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इसका अगले शटडाउन तक सीधी रेखा पद्धति द्वारा मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण

रेखा पद्धति द्वारा मूल्यह्रास किया जाता है. उत्प्रेरक का, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और उत्प्रेरक का उपयोग करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है.

संयंत्र और उपकरण के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की खातिर बाद में खरीदे गए बीमा संबंधी उन पुर्जों का, जिनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा, पूंजीकरण किया जाता है.

प्रमुख पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों का संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकरण किया जाता है. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत इन अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यह्रास करना तब से शुरू किया जाता है जब इन पुर्जो को सेवा में लगाया गया और उनकी

पयोगी अल्प आयु तक जारी रखते हुए उससे संबंधित आस्ति की शेष अपेक्षित उपयोगी आयु तक जारी रखा जाता है और अतिरिक्त पुर्जों का ह्रासित मूल्य, जब कभी उसे बदला जाए, लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष के दौरान परिवर्धित / विलोपित PPE पर मूल्यह्रास के लिए परिवर्धन / विलोपन की तारीख के संदर्भ में यथा अनुपात आधार पर प्रावधान किया जाता है, जबकि अधिकतम ₹. 5,000 से कम मूल्य की मदें (कर्मचारियों से संबंधित समूह क्रय योजना को छोड़कर) इसके लिए अपवाद है जिनको छोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है.

आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1	भवन	1-60
2	संयंत्र एवं उपकरण – उत्प्रेरक	2-10
3	संयंत्र एवं उपकरण – कंप्यूटर	3-7
4	संयंत्र एवं उपकरण – लगातार चलने वाले प्रक्रिया संयंत्र, जिन्हें निर्दिष्ट उद्योगों में शामिल न किया गया हो (तीन शिफ्ट)	7.5
5	संयंत्र एवं उपकरण – इलेक्ट्रिकल/प्रयोगशाला / कैंटिन / स्कूल	10
6	संयंत्र एवं उपकरण – उपकरणीकरण मदें, DCS/ अस्पताल / अन्य	15
7	संयंत्र एवं उपकरण – रिफाइनरी की आस्तियां	25
8	संयंत्र एवं उपकरण – पेट्रोकेमिकल आस्तियां	25-30
9	संयंत्र एवं उपकरण – पाइपलाइन/एसपीएम / अपतट घटक /सिविल संरचना	30
10	संयंत्र एवं उपकरण – विद्युत् संयंत्र	25-40
11	संयंत्र एवं उपकरण – अन्य	3-15
12	कार्यालय उपकरण	3-15
13	फर्नीचर एवं जुडनार	3-10
14	वाहन	4.8

वित्त पट्टे के अंतर्गत धारित आस्तियों का उनकी अपेक्षित उपयोगी आयु में मूल्यह्रास उसी आधार पर किया जाता है जैसे स्वाधिकृत आस्तियों का. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को निपटाये जाने पर, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का लगातार उपयोग करने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की कोई संभावना न हो, कोई निर्धारण नहीं किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद का निपटान करने या उसे हटाये जाने से उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री आय और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाता है जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17 अगोचर आस्तियां

3.17.1 अलग से खरीदी गई अगोचर आस्तियां

अलग से खरीदी गई निश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि को घटाने के लिए लागत पर दर्शाया जाता है. परिशोधन को उसकीअनुमानित उपयोगी आयु पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर निर्धारित किया जाता है. अनुमानित उपयोगी आयु और

परिशोधन पद्धति की, प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में, भविष्यलक्षी प्रभाव के आधार पर निर्धारित आकलन में हुए

परिवर्तन के साथ समीक्षा की जाती है. अलग रूप से खरीदी गई अनिश्चित उपयोगी आयु के साथ अगोचर आस्तियों को, कोई संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि हो तो उसे घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है.

3.17.2 अगोचर आस्तियों को हिसाब में न लेना

अगोचर आस्ति को निपटाये जाने, बदले जाने पर अथवा जब आस्ति का उपयोग करने पर अथवा उसे निपटाने पर भविष्य में उससे कोई आर्थिक लाभ मिलने की संभावना न हो तो उसे

हिसाब में नहीं लिया जाता है. अगोचर आस्ति को हिसाब में न लेने से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल बिक्री आय और आस्ति के बही मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को हिसाब में न लिए जाने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.17.3 अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी आयु (वर्षों में)
1	कंप्यूटर साफ्टवेयर	3.-10
2	लाइसेंस और क्रयाधिकार	3

3.18 सुनाम से भिन्न गोचर और अगोचर आस्तियों का ह्रास

समूह अपनी अगोचर आस्तियों और 'नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों' की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) के बही मूल्य की समीक्षा करती है जिससे कि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या कोई ऐसा संकेत मिला है कि उन आस्तियों में ह्रासित हानि हुई है. अगर ऐसा कोई संकेत मिला हो तो ह्रासित हानि (कोई हो तो) की मात्रा तय करने के लिए आस्ति की वसूलीयोग्य रकम का आकलन किया जाता है. जब किसी आस्ति की वसूली-योग्य रकम का आकलन करना संभव न हो तब कंपनी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की आस्तियां होने पर उस इकाई की वसूली-योग्य रकम का निर्धारण करती है.

वसूली-योग्य रकम, निपटान लागत और उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य घटाने के बाद उच्चतम उचित मूल्य के बराबर होती है. उपयोग में लाई गई आस्ति का मूल्य निर्धारण करते समय अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व बट्टा दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य तक घटाया जाता है, जो उस आस्ति के लिए, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह का समायोजन न किया गया हो, निर्दिष्ट धन और जोखिम के समय मूल्य पर चालू बाजार निर्धारण परिलक्षित करता है.

अगर आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) की वसूली-योग्य रकम उसके बही मूल्य से कम हो तो आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) के बही मूल्य को उसकी वसूलीयोग्य रकम तक घटाया जाता है. ह्रासित हानि को तुरंत लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

वर्ष में एक बार निर्धारण इसलिए किया जाता है कि यह देखा जा सके कि क्या ऐसे कोई संकेत हैं कि इसके पहले निर्धारित की गई ह्रासित हानियां अब नहीं है या कम हुई हैं. यदि पिछली बार निर्धारित की गई ह्रासित हानि के बाद आस्ति की वसूलीयोग्य रकम का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त आकलन में परिवर्तन हो तो ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन किया जाता है. अगर ऐसा हो और पूर्व वर्षों में आस्ति के मामले में ह्रासित हानि को पहचानना न होता तो आस्ति के बही मूल्य को उसकी निम्नतर वसूलीयोग्य रकम तक और निवल मूल्यह्रास के बराबर निर्धारित बही मूल्य तक बढ़ाया जाता है. प्रत्यावर्तन के बाद, मूल्यह्रास प्रभार का भावी अवधियों में समायोजन किया जाता है जिससे कि आस्ति के संशोधित बही मूल्य का उसकी शेष उपयोगी आयु में व्यवस्थित ढंग से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद आबंटन किया जा सके. ह्रासित हानि का प्रत्यावर्तन करने पर उसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.19 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को परोक्ष पद्धति के जरिए रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर-पश्चात लाभ का गैर-नकदी स्वरूप की गत अथवा भावी प्रचालन संबंधी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी प्रकार के स्थगन अथवा उपचय और नकदी प्रवाह में निवेश करने अथवा उसका वित्तपोषण करने से आय अथवा खर्च की मद से संबंधित लेन-देन के प्रभाव का समायोजन किया जाता है. नकदी प्रवाह का प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में पृथक्करण किया जाता है.

3.20 अनुसंधान तथा विकास पर किया गया व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय का संबंधित अचल आस्तियों के अधीन पूंजीकरण किया गया है. उस पर राजस्व व्यय को लाभ –हानि विवरण में दर्शाया गया है.

3.21 स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन, निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है. स्टॉक लागत में क्रय लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तक और उनकी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए उठाई गई अन्य लागत शामिल हैं. लागत का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :

कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक (FIFO) आधार पर
तैयार उत्पाद	कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क दर
व्यापार में स्टॉक	भारित औसत लागत के आधार पर
प्रक्रिया में स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात रूपांतरण लागत पर
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	भारित औसत लागत के आधार पर

3.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

जब समूह का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा परिलक्षित) हो तब घटना के परिणाम स्वरूप प्रावधान को हिसाब में लिया जाता है.

ऐसी स्थिति में संभव है कि कंपनी को दायित्व निपटाना पड़े और दायित्व की रकम का भरोसेमंद आकलन किया जा सकता है.

प्रावधान के रूप में निर्धारित रकम दायित्व में अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल के बेहतरीन आकलन के बराबर होती है. जब वर्तमान दायित्व निपटाने के खातिर अनुमान लगाए गए नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को मापा जाता है तब वही मूल्य उस नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य बनता है (जब समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है).

जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव हो तब आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

जब तक आर्थिक लाभ के रूप में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना न हो, आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है.

3.23 वित्तीय लिखत

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब निर्धारित किया जाता है जब समूह लिखतों के सांविधिक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है.

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है. ऐसी लेन-देन लागत को जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय आस्तियों और देयताओं से भिन्न, उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए) के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हो, प्रारंभिक निर्धारण पर यथोचित तरीके से वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा उचित मूल्य से घटाया जाता है. ऐसी लेन-देन लागत को, जो सीधे वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के कारण उत्पन्न हुई हों, तुरंत लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.24 वित्तीय आस्तियां

सभी अभिज्ञात वित्तीय आस्तियों को वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर बाद में पूरी तरह से या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है :

(i) नकद और नकदी समतुल्य

समूह अत्यधिक अर्थ सुलभ वित्तीय लिखतों पर विचार करता है जिनका नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से रूपांतरण करना संभव हो और जिनका मूल्य बदलने पर जोखिम नगण्य हो तथा जिनकी क्रय तारीख से तीन महीने की मूल परिपक्वता हो, जो नकद मे बदलने लायक हो. नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास शेषराशि रहती है जिसका आहरण और उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है.

(ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

वित्तीय आस्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग किया जाता है, बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस उद्देश्य से रखा गया हो जिसे प्राप्त करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों में निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iii) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

इन आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए मापा जाता है बशर्ते कि इन वित्तीय आस्तियों को व्यवसाय के अंदर इस उद्देश्य से रखा गया हो जिसे प्राप्त करने के लिए इन वित्तीय आस्तियों को बेचा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह हासिल किया जाता है और इन वित्तीय आस्तियों के संविदात्मक नियमों में निर्दिष्ट तारीखों को ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है जो मात्र बकाया मूल धनराशि के भुगतान और बकाया मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान के रूप में होते हैं.

(iv) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

जब तक वित्तीय आस्तियों को परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा न जा रहा हो, उन्हें उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए मापा जाता है.

(v) वित्तीय आस्तियों में ह्रास

समूह प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय आस्तियों के समूह में ह्रास हुआ है या नहीं. Ind AS 109 में अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानिपरक भत्ते के जरिए मापा जाए. कंपनी व्यापार से प्राप्य रकम के मामले में जीवन पर्यंत अपेक्षित उन हानियों को लेखाबद्ध करती है जो वित्तीय लेनदेन के बराबर नहीं होती है. सभी अन्य वित्तीय आस्तियों के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानियों को उस रकम पर मापा जाता है जो 12 महीने की अपेक्षिम क्रेडिट हानि अथवा उस रकम के बराबर हो जो जीवन पर्यंत अपेक्षित हानि के समान हो, बशर्ते कि वित्तीय आस्ति पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक पहचान के बाद काफी उल्लेखनीय बढ़त हुई हो.

(vi) वित्तीय आस्तियों को बही में न दर्शाना

समूह वित्तीय आस्ति को तब मान्यता नहीं देता है जब आस्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाए अथवा जब वह वित्तीय आस्तियों को और आस्ति से जुड़े तमाम जोखिमों और अधिनिर्णयों को किसी दूसरे पक्षकार के नाम अंतरित करे.

वित्तीय आस्ति को पूरी तरह से मान्यता न देने पर आस्ति की बही मूल्य रकम और प्राप्त की बही मूल्य रकम और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की रकम के बीच का अंतर लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.25 वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत

3.25.1 इक्विटी लिखत

किसी भी संविदा में इक्विटी लिखत उसे कहते हैं जो अपनी सभी देयताओं को काटने के बाद समग्र आस्तियों में अवशिष्ट हित का सबूत बनता है. कंपनी द्वारा निर्गमित इक्विटी लिखतों को प्राप्त राशियों पर दर्शाया जाता है. प्रत्यक्ष रूप से नये साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गमन के कारण उठाई गई वृद्धिशील लागत को प्राप्त राशियों पर दर्शाया जाता है.

3.25.2 वित्तीय देयताएं

क) वित्तीय गारंटी

जब समूह को अपनी नियंत्रक कंपनी से वित्तीय गारंटी मिले तब वह गारंटी शुल्क को उचित मूल्य पर मापता है. समूह नियंत्रक कंपनी से प्राप्त वित्तीय गारंटी के लिए शुल्क के प्रारंभिक उचित मूल्य को 'मान्य इक्विटी' के रूप में अभिलिखित करता है जबकि उसकी तदनुरूपी आस्ति को पूर्वदत्त गारंटी शुल्क के रूप में दर्ज करता है. ऐसे मान्य इक्विटी को तुलनपत्र में 'अन्य इक्विटी' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है. पूर्वदत्त गारंटी शुल्क की प्राप्त वित्तीय गारंटी की अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

ख) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के बही मूल्य का निर्धारण प्रभावी ब्याज पद्धति पर किया जाता है. अगर ब्याज खर्च का आस्ति की लागत के अंग के रूप में पूंजीकरण न किया गया हो तो उसे 'वित्त लागत' के अधीन दर्शाया जाता है.

ग) वित्तीय देयताओं को बही में न दर्शाना

समूह वित्तीय देयताओं को तभी बही में नहीं दर्शाता है जब कंपनी के दायित्व उन्मोचित हों, निरस्त किए गए हों या समाप्त हो गये हों. बहियों में दर्शायी वित्तीय देयता के बही मूल्य और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

3.26 बीमा संबंधी दावे

आस्ति की पूरी तरह से हानि के मामले में बीमाकर्ता को सूचित करने पर, या तो आस्ति का बही मूल्य अथवा बीमा मूल्य (कटौती-योग्य आधिक्य राशि के अधीन), जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूली- योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा दावा आस्ति के बही मूल्य से कम हो तो अंतर राशि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है. आंशिक या अन्य हानियों के मामले में इन आस्तियों का दोबारा उपयोग करने लायक स्थिति में लाने की खातिर, अगर अन्य पक्षकार की देयता अथवा अन्य देयताएं हों तो (कटौती-योग्य आधिक्य राशि को घटाकर) उनको चुकाने की दृष्टि से किए गए व्यय/भुगतान को बीमा कंपनी के प्राप्य दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. बीमा पॉलिसी के निमित्त कटौती-योग्य आधिक्य राशि को उस वर्ष खर्च किया जाता है जिसमें तदनुरूपी व्यय किया गया हो.

जब कभी अंत में बीमा कंपनी के दावे प्राप्त हों, बीमा कंपनी से प्राप्य और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसे लाभ-हानि विवरण में समायोजित किया जाता है.

सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर दर्ज किया गया है.

3.27 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो किराया अर्जित करने के लिए तथा/या पूंजी की मूल्यवद्धि के लिए धारित की जाती हैं. निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है. प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश संपत्तियों को लागत मॉडल के लिए Ind AS 16 अपेक्षाओं के अनुसार मापा जाता है.

निवेश संपत्ति को निपटान पर बही में नहीं दर्शाया जाता है या जब निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं है. संपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान आय और आस्ति की रखाव लागत के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस अवधि के लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है.

4. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, परिकल्पनाएं और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

जैसे कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाई गई लेखांकन नीतियों को लागू करने में यह बात अंतर्निहित है कि प्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने होंगे, आकलन करने होंगे और परिकल्पनाएं करनी

पड़ेंगी जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम, आकस्मिक आस्तियों और देयताओं का प्रकटन, राजस्व एवं खर्च की रिपोर्ट की गई रकम को प्रभावित करे. वास्तविक परिणाम किए गए आकलन और परिकल्पनाओं से भिन्न हा सकते हैं.

आकलन और उसकी अंतर्निहित परिकल्पनाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखांकन संबंधी आकलन में किए गए संशोधन को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें आकलन में संशोधन किया गया हो जो भावी अवधि को प्रभावित करती है.

वित्तीय विवरण तेयार करते समय निर्णय, परिकल्पनाएं और आकलन करने में अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जिनकी बदौलत अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं के बही मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने की नौबत आये, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयोगी आयु, कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्व, आयकर प्रावधान एवं आस्थगित कर आस्तियों के संबंध में होते हैं.

4.1 लेखांकन नीतियां लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय

आकलन को शामिल करने वाले निर्णयों (टिप्पणी 4.2 देखें) के अलावा महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं जिन्हें प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में लिया है और जो वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं.

(क) कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण

प्राथमिक आर्थिक माहौल में ऐसी मुद्रा जिसमें कंपनी अपना काम चलाती है ('कार्यात्मक मुद्रा') भारतीय रुपया है. जिसमें कंपनी मूल रूप से नकदी उत्पन्न तथा खर्च करती है. तदनुसार प्रबंधन ने तय किया है कि उसकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹), होगा.

4.2 परिकल्पनाएं और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

ऐसे आकलन और परिकल्पनाओं के बारे में सूचना, जिनका आस्तियों, देयताओं, आय और खर्च को दर्शाने और मापने पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, नीचे दी गई है. वास्तविक परिणाम इन आकलनो से भिन्न हो सकते हैं.

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु

प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अगोचर आस्तियों की उपयोगी आयु के बारे में अपने आकलन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट की तारीख को आस्तियों के उपभोग से मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ के आधार पर करता है.

(ख) परिभाषित लाभ दायित्व

प्रबंधक का परिभाषित लाभ दायित्व का आकलन अंतर्निहित महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं की संख्या पर आधारित है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियां, मृत्यु दर, बट्टा दर और भविष्य में प्रत्याशित वेतनवृद्धि. इन परिकल्पनाओं में घट-बढ़ हो सकती है जिसका डीबीओ की रकम और वार्षिक परिभाषित लाभ संबंधी खर्च पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है.

(ग) आयकर प्रावधान

अनिश्चित कर देयताओं के संबंध में अदा / वसूल की जाने वाली रकम सहित आयकर के लिए प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं.

(घ) सहायक कंपनी के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध करना

सहायक कंपनी ओएमपीएल के वित्तीय विवरण की टिप्पणी 4.2(घ) में वर्णन किया गया है कि कंपनी में 31 मार्च 2017 को ₹. 1,270.91 मिलियन की आस्थगित कर आस्तियों को दर्शाया है. कंपनी ने चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष में हानि उठायी है. कंपनी के पास आस्थगित कर आस्ति को दर्शाने के संबंध में विश्वासप्रद सबूत है जिसमें उसके प्रमुख उत्पाद अर्थात् पैरालाइजीन के लिए ग्राहक के साथ की गई प्रतिबद्ध दीर्घावधि समग्र क्रय व्यवस्था, अन्य उत्पादों जैसे पैराफिनिक रैफिनेट, हाइड्रोजन और डी-इथनाइजर स्तंभ के अधस्थजल द्रव की बिक्री के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था, मूल कंपनी के साथ फीड स्टॉक खरीदने के लिए कीमत निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन, क्षमता उपयोग बढ़ाने की खातिर दूसरी तेल कंपनियों से नेफ्था खरीदने के लिए व्यवस्थाएं, एरोमेटिक कॉम्पलेक्स की एरोमेटिक फीड स्टॉक आवश्यकता बढ़ाने की खातिर री:फार्मेट हासिल करने क लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था और ईंधन की जरूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ गैस परिवहन की व्यवस्था शामिल है.

जिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को लेखाबद्ध किया जा सकता है, उसका निर्धारण कंपनी की उस भावी कर-योग्य आय की संभावनाओं पर निर्भर होता है जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करना संभव हो. इसके अलावा, कानूनी अथवा आर्थिक सीमाओं अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का निर्धारण करते समय काफी बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे.

(ङ) सहायक कंपनी में निवेश का ह्रास

यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी के पास ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) में किए गए इक्विटी निवेश के लिए ₹.13,346.23 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹.13,346.23 मिलियन) की रखाव लागत है.

OMPL ने एक नई परियोजना के रूप में वर्ष 2014-15 में प्रचालन शुरू किया और प्रारंभिक चरण में हानि उपगत होने की प्रत्याशा थी. कंपनी अपने प्रचालन से ही हानि उठा रही है जिससे प्रबंधन के लिए जरूरी हो गया है कि वे OMPL में अपने निवेश के मूल्य में ह्रास का आकलन करें.

प्रबंधन ने भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर संबंधित भावी नकदी प्रवाह पर विचार किया है जो उसके वर्तमान मूल्य के बट्टे पर आधारित है.

ह्रास परीक्षण कई प्राय: अस्थिर आर्थिक कारकों जैसे भावी बाजार कीमतें, मुद्रा विनिमय दर और भावी उत्पादन तथा बट्टा दर के संबंध में दीर्घावधि परिकल्पनाओं की अपेक्षा करता है जिससे कि संबंधित भावी नकदी प्रवाह स्थापित किया जा सके.

उपर्युक्त आकलन के आधार पर प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निवेश के मूल्य में वर्तमान कमी OMPL द्वारा उपगत हानियों के कारण है जो स्वरूप में अस्थायी है. तदनुसार, यथा 31 मार्च 2018 को कोई ह्रास नहीं है.

5. संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण

निम्न की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	17.65	17.65
पट्टाधृत भूमि **(नीचे दी गई टिप्पणी क और ख देखें)**	253.46	253.26
भवन	4,237.91	3,687.99
संयंत्र एवं उपकरण **(नीचे टिप्पणी ग देखें)**	192,951.62	197,538.05
फर्नीचर एवं जुडनार	318.59	347.23
वाहन	120.61	131.88
अन्य उपकरण	360.23	408.28
कुल	**198,260.07**	**202,384.34**

सकल रखाव लागत	पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुडनार	बाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	**17.65**	**253.26**	**3,401.42**	**219,213.24**	**140.08**	**153.62**	**565.40**	**223,744.67**
जोड़ें : परिवर्धन	-	-	764.76	(1,045.69)	266.16	8.90	12.99	7.12
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	96.34	1,374.49	0.61	0.93	4.91	1,477.28
31 मार्च 2017 को शेष	**17.65**	**253.26**	**4,069.84**	**216,793.06**	**405.63**	**161.59**	**573.48**	**222,274.51**
जोड़ें : परिवर्धन	-	0.20	713.19	5,029.09	17.23	5.11	35.11	5,799.93
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	(41.99)	467.49	1.68	1.47	0.66	429.31
31 मार्च 2018 को शेष	**17.65**	**253.46**	**4,825.02**	**221,354.66**	**421.18**	**165.23**	**607.93**	**227,645.13**

संचित मूल्यह्रास	पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुडनार	बाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	**-**	**-**	**182.38**	**9,791.08**	**19.64**	**14.78**	**83.88**	**10,091.76**
जोड़े: मूल्यह्रास व्यय	-	-	199.47	9,463.93	38.76	14.93	81.32	9,798.41
31 मार्च 2017 को शेष	**-**	**-**	**381.85**	**19,255.01**	**58.40**	**29.71**	**165.20**	**19,890.17**
जोड़े: मूल्यह्रास व्यय	-	-	204.93	9,297.68	45.52	15.56	83.15	9,646.84
घटाएं :आस्तियों का निपटान/ समायोजन / अंतरण	-	-	(0.33)	149.65	1.33	0.65	0.65	151.95
31 मार्च 2018 को शेष	**-**	**-**	**587.11**	**28,403.04**	**102.59**	**44.62**	**247.70**	**29,385.06**

क) इन पट्टाधृत भूमियों को वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है क्योंकि पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व कंपनी को अंतरित किया जाएगा. इन पट्टाधृत भूमियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है.

ख) पट्टाधृत भूमि में ₹ 36.56 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 28.82 मिलियन), मूल्य की भूमि शामिल है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है.

ग) संयंत्र एवं उपकरण में ₹ 39.15 मिलियन (31 मार्च को 2017 ₹ 39.15 मिलियन) शामिल है जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से धारित संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति में कंपनी का हिस्सा है.

5.1. प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

तेल उद्योग विकास बोर्ड से लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा ऋण अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार, वर्तमान एवं भारी दोनों, द्वारा प्रतिभूत हैं. कंसोर्शियम बैंक से कार्यशील पूंजी उधार कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत माल, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, व्यापार प्राप्य राशियों, बकाया धनप्राप्तियों, दावों, बिलों, संविदाओं, तेल उद्योग विकास बोर्ड से लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा ऋण अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार, वर्तमान एवं भारी दोनों, द्वारा प्रतिभूत हैं. कंसोर्शियम बैंक से कार्यशील पूंजी उधार कंपनी के कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत माल, भंडार, अतिरिक्त

पुर्जों, घटकों, व्यापार प्राप्य राशियों, बकाया धनप्राप्तियों, दावों, बिलों, संविदाओं, करारों, प्रतिभूतियों , वर्तमान तथा भावी दोनों, के दृष्टिबंधक के जरिए प्रतिभूत हैं और इसके अलावा कंपनी की वर्तमान तथा भावी दोनों चल एवं अचल संपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों पर द्वितीय समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं. **(देखें टिप्पणी 22)**

सहायक कंपनी OMPL के बाह्य वाणिज्यिक उधार और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के लिए प्रतिभूति के तौर पर अचल संपत्ति, संचंत्र और उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं. बैंक से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रतिभूति के तौर पर कंपनी की वर्तमान और भावी दोनो प्रकार की चालू आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत है. कार्यशील पूंजी के उधारकर्ताओं के लिए प्रतिभूति के तौर पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर धारकों से अनापत्ति मिलने पर कंपनी की वर्तमान और भावी दोनो प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर क्षितीय समरूप प्रभार सृजित करना होगा. **(देखें टिप्पणी 22).**

5.2 पूंजीकृत विदेशी मुद्रा अंतर

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में परिवर्धन में विदेशी मुद्रा अंतर के संबंध में ₹ 100.71 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (1,102.75) शामिल है. आस्ति श्रेणी-वार परिवर्धन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**
आस्ति श्रेणी	**विनिमय अंतर**	**विनिमय अंतर**
भवन	0.28	(7.97)
संयंत्र एवं उपकरण	100.43	(1,094.78)
कुल	**100.71**	**(1.102.75)**

5.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2,959.33 मिलियन के अप्रयुक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार की समयपूर्व चुकौती कर दी है. इसके फलस्वरूप उधार लागत (ब्याज आय को घटाकर) और ₹ 25.57 मिलियन (निवल) राशि के विनिमय दर अंतर को चालू वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रति समायोजित किया गया है.

5.4 कंपनी कुछ आर्थिक लाभ के लिए पात्र है जैसे पूर्व वर्षों में पूंजीगत माल के आयात/स्थानीय खरीद पर प्रवेश कर, सीमाशुल्क आदि से छूट. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद पर सीमाशुल्क तथा प्रवेश कर के लिए प्राप्त लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में लिया है. चालू वर्ष में कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को समायोजित किया है और ₹ 3,618.21 मिलियन की राशि आस्थगित सरकारी अनुदान में जमा की है. आस्थगित कर अनुदान को संपत्ति, संचंत्र और उपकरण की शेष उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया है.

6. प्रगति में पूंजीगत कार्य (CWIP)

लागत	**यथा 31 मार्च 2018**	**यथा 31 मार्च 2017**
पट्टाधृत भूमि **(नीचे टिप्पणी 6.2 देखें)**	717.86	717.86
भवन	1,267.95	352.25
संयंत्र एवं उपकरण	4,817.98	1,129.04
साफ्टवेयर	17.59	-
	6,821.38	**2,199.15**

6.1 CWIP में परिवर्धन में ₹ 13.45 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य) राशि की उधार लागत शामिल है जो आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों को आबंटत है. पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त दर 6.24% थी (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य) जो उधार पर प्रभावी ब्याज दर है..

6.2 पट्टाधृत भूमि में ₹ 717.31 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 717.31 मिलियन), मूल्य की भूमि शामिल है जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित किया जाना है.

7 निवेश संपत्ति

निम्न की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	77.96	-
कुल	**77.96**	-

सकल रखाव राशि	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	-
जोड़ें : परिवर्धन	-
घटाएं: निपटान/समायोजन/ अंतरण	-
31 मार्च 2017 को शेषराशि	-
बिक्री के लिए धारित आस्ति से पुन: वर्गीकरण	77.96
जोड़ें : परिवर्धन	-
घटाएं: निपटान/समायोजन/ अंतरण	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**77.96**

संचित मूल्यह्रास एवं ह्रास	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	-
जोड़ें : मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-
घ्टाएं: निपटान / समायोजन / अंतरण पर हटाये गये	-
31 मार्च 2017 को शेषराशि	-
जोड़ें : मूल्यह्रास संबंधी खर्च	-
घ्टाएं: निपटान / समायोजन / अंतरण पर हटाये गये	-
31 मार्च 2018 को शेषराशि	**-**

क) कंपनी ने 102.31 एकड़ पूर्णस्वामित्व वाली भूमि को 2007 में बोर्ड के अनुमोदन के अनुमोदन के आधार पर ''बिक्री के लिए धारित चालू आस्तियां – गैर चालू आस्तियों'' के रूप में वर्गीकृत किया है. चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने उक्त भूमि को पूंजीगत मूल्यवृद्धि के लिए धारित करने हेतु बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर 'गैर-चालू आस्तियां – निवेश संपत्ति' के रूप में पुन: वर्गीकृत किया है.

ख) एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का उचित मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 255.80 मिलियन रहा.

8 सुनाम

8.1 नाइट्रोजन संयंत्र के निमित्त सुनाम

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**4.04**
घटाएं : ह्रास	-
31 मार्च 2017 को शेष राशि	**4.04**
घटाएं : ह्रास	-
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**4.04**

8.1.1 सुनाम नाइट्रोजन संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए निवल आस्तियों पर प्रदत्त अतिशय प्रतिफल दर्शाता है.

8.2 समेकन पर सुनाम

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
समेकन पर सुनाम	3,768.74	3,768.74
कुल सुनाम (8.1+8.2)	**3,772.78**	**3,772.78**

9. अन्य अगोचर आस्तियां

निम्न की रखाव लागत :	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	56.26	27.08
कुल	56.26	27.08

सकल रखाव लागत	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**84.35**
जोड़ें: परिवर्धन	24.57
घटाएं : निपटान / समायोजन / हस्तांतरण	-
31 मार्च 2017 को शेष राशि	**108.92**
जोड़ें: परिवर्धन	43.26
घटाएं : निपटान / समायोजन / हस्तांतरण	-
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**152.18**

संचित परिशोधन	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	**39.07**
जोड़ें : परिशोधन खर्च	42.77
घटाएं : निपटान / समायोजन / हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च 2017 को शेषराशि	**81.84**
जोड़ें : परिशोधन खर्च	14.08
घटाएं : निपटान / समायोजन / हस्तांतरण पर हटाए गए	-
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**95.92**

10. निवेश

10.1 इक्विटी लिखतों में निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	संख्या मिलियन में	राशि	संख्या मिलियन में	राशि
(अनुदधृत निवेश (सभी पूर्णत: प्रदत्त)				
(i) निवेश (उचित मूल्य पर)	0.48	4.80	0.48	4.80
(क) मंगलूर एसईज़ेड लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)				
(ख) मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	0.02	0.28	0.02	0.28
(ii) संयुक्त उद्यमों में निवेश (इक्विटी पद्धति)				
(क) शेल एमआरपीएल एविएशेन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	15.00	301.18	15.00	413.44
कुल निवेश		**306.26**		**418.52**
अनुदधृत निवेशों का कुल रखाव मूल्य		306.26		418.52
निवेशों के मूल्य में ह्रास की कुल राशि	-			-

10.1.1 मंगलूर एसईज़ेड लिमिटेड में सहायक कंपनी OMPL के निवेश का प्रारंभ में लागत पर लेखाबद्ध किया गया है और बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उसे उचित मूल्य पर मापा गया है. सहायक कंपनी के प्रबंधन ने हरेक रिपोर्टिंग अवधि में ऐसे निवेश का उचित मूल्य (स्तर 3 प्रदानुक्रम) रखाव राशि के समतुल्य माना है.

10.1.2 शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि. और मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड में शेयर के विनिवेश पर प्रतिबंध ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हैं.

10.1.3 निवेशों के ब्यौरे

कंपनी का नाम	प्रधान कार्यकलाप	निगमन का स्थान और कारोबार का प्रधान स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित / मताधिकार का अनुपात	
			यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(क) मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास	भारत	0.96%	0.96%
(ख) मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL)	रिटेल आउटलेट तथा परिवहन टर्मिनल के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण	भारत	18.98%	18.98%

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी ने एमआरएसएल में 31% इक्विटी हिस्से की बिक्री की जिससे एमआरएसएल पर संयुक्त नियंत्रण की हानि हुई. 31 मार्च 2018 को एमआरएसएल में निवेश लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा गया है. प्रबंधन ने ऐसे निवेश का रिपार्टिंग अवधि की रखाव लागत के समतुल्य अंकित मूल्य (स्तर 3 पदानुक्रम) विचार किया है.

10.1.4 संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे

कंपनी का नाम	प्रधान कार्यकलाप	निगमन का स्थान और कारोबार का प्रधान स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित / मताधिकार का अनुपा	
			यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(क) शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूयल्स एंड सर्विसेज लि.	विमानन ईंधन में व्यापार	भारत	50.00%	50.00%

संयुक्त उद्यमों में निवेश के लेखांकन में लिए अनुसरण की गई पद्धति के लिए **टिप्पणी 3.6 देखें**

11. ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, शोध्य माने गये)				
(क) जमाराशियां				
संबंधित पक्षकारों के पास:	31.21	3.59	42.92	-
ग्राहकों के पास				
- संदिग्ध समझी गई	-	-	-	4.40
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के निमित्त ह्रास	-	-	-	4.40
	-	-	-	-
बिक्रेताओं के पास	119.45	3.65	100.79	4.98
	150.66	**7.24**	**143.71**	**4.98**
(ख) कर्मचारियों को ऋण	475.17	79.68	301.89	55.17
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के निमित्त ह्रास	-	0.81	-	0.81
	475.17	**78.87**	**301.89**	**54.36**
(ग) निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋण	**1.36**	**0.29**	**0.99**	**0.24**
कुल (क+ख+ग)	**627.19**	**86.40**	**446.59**	**59.58**

12. अन्य वित्तीय आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जबतक अन्यथा उल्लेखित न हो शोध्य माने गये)				
(क) कर्मचारी/निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋणों पर उपचित ब्याज	94.83	0.93	68.74	0.42
(ख) बैंक जमाराशियों पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	-	71.73	-	111.23
(ग) बीमा कंपनी से प्राप्य दावे	-	-	-	0.05
(घ) दूसरों से प्राप्य राशियां	-	-	-	3,033.27
(ङ) नियंत्रक कंपनी से प्राप्य राशियां	-	0.05	-	0.05
कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	**94.83**	**72.71**	**68.74**	**3,145.02**

13. कर आस्तियां / (देयताएं)

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर आस्तियां (अग्रिम कर)	47,350.29	7,279.62	45,296.13	2.43
घटाएं: चालू कर देयताओं के लिए प्रावधान	44,915.75	6,995.74	44,714.92	447.87
निवल कर आस्तियां/ (देयताएं) (क)	**2,434.54**	**283.88**	**581.21**	**(445.44)**
अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त आयकर (ख)	**1,898.44**	**-**	**3,994.28**	**-**
कुल (क+ख)	**4,332.98**	**283.88**	**4,575.49**	**(445.44)**

14. अन्य आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(अप्रतिभूत, जबतक अन्यथा उल्लेखित न हो शोध्य माने गये)				
(i) पूंजीगत अग्रिम				
- संबंधित पक्षकार को	980.61	-	980.61	-
- अन्य पक्षकारों को	8,159.36	-	5,938.05	-
	9,139.97	**-**	**6,918.66**	**-**
(ii) **जमाराशियां (देखें टिप्पणी 14.1)**				
सीमाशुल्क/पत्तन न्यास आदि के पास	**2,503.98**	**-**	**378.73**	**-**
(iii) **वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम**				
- संबंधित पक्षकार को	-	133.59	-	117.56
- अन्य पक्षकारों को	-	1,348.41	-	1,384.37
	-	**1,482.00**	**-**	**1,501.93**
(iv) **सरकारी प्राधिकरणों के पास जमा शेष**	**-**	**1,360.42**	**-**	**3,721.65**
(v) **समय-पूर्व भुगतान**				
पट्टाधृत भूमि	2,256.15	55.18	2,311.33	55.18
अन्य **(देखें टिप्पणी 14.2)**	1,302.29	110.56	1,357.34	100.90
	3,558.44	**165.74**	**3,668.67**	**156.08**
(vi) **सोने के सिक्के**	**-**	**0.91**	**-**	**0.91**
कुल	**15,202.39**	**3,009.07**	**10,966.06**	**5,380.57**

14.1 अभ्यावत्ति के अधीन प्रदत्त राशि शामिल है.

14.2 सहायक कंपनी OMPL – मंगलूर एसईजेड लिमिटेड ('डेवलपर') कॉरिडर पाइनलाइन और संबद्ध सुविधाओं ('सुविधाएं') का निर्माण कर रही है. उक्त सुविधाओं के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त अंशदान आस्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित मूल्य के ROW प्रभार के समय-पूर्व भुगतान के अंतर्गत दर्शाया गया है.

15. स्टॉक

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कच्चा माल				
(क) पास में	14,454.58		14,816.96	
(ख) मार्गस्थ	5,976.69	20,431.27	6,938.24	21,755.20
प्रक्रियागत माल		6,584.44		4,773.98
तैयार माल और बिक्रेय माल	20,661.58		13,672.15	
घटाएं : स्टॉक हानि के लिए छूट	5.91	20,655.67	5.91	13,666.24
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे				
(क) पास में	4,740.96		3,904.10	
(ख) मार्गस्थ	58.68		126.45	
घटाएं :कम खपत / खपत न होने वाले स्टॉक के लिए ह्रास :	67.02	4,732.62	85.48	3,945.07
कुल		**52,404.00**		**44,140.49**

15.1 वर्ष के दौरान खर्च के रूप में दर्शायी गई स्टॉक की लागत (बिक्री लागत) ₹ 498,090.73 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 437,564.94 मिलियन) रही.

15.2 सहायक कंपनी OMPL ने स्टॉक लागत को खर्च के रूप में दर्शाया है जिसमें निवल वसूली योग्य मूल्य की तुलना में प्रतिलेखित तैयार माल के स्टॉक के संबंध में ₹ 11.59 मिलियन (31 मात्र 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 155.24 मिलियन) की राशि शामिल है.

15.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने बिक्रेय स्टॉक की स्टॉक मूल्यांकन विधि को फिफो से बदलकर भारित औसत पद्धति कर दी है और उसका प्रभाव खास नहीं है

15.4 स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी **टिप्पणी 3.21** में दी गई है.

16. व्यापारिक प्राप्य राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रतिभूत **(नीचे नोट 16.4 देखें)**		
- शोध्य मानी गई	1,332.90	2,244.46
अप्रतिभूत		
- शोध्य मानी गई **(नीचे टिप्पणी 16.6 देखें)**	24,435.04	23,945.32
- संदिग्ध मानी गई	973.61	1,714.71
घटाएं : संदिग्ध प्राप्यराशियों के लिए ह्रास	973.61	1,714.71
कुल	**25,767.94**	**26,189.78**

16.1 सामान्यत: कंपनी दीर्घावधि संविदाओं और हाजिर अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं और एसईजेड आपूर्तियों के माध्यम से उत्पादों का निर्यात करने के अलावा देशी बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्धा करती है. बिक्री पर औसत उधार अवधि 7 से 45 दिन तक होती है. बीजक दिनांक से लागू उधार अवधि तक प्राप्य व्यापार रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलंब हो तो संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है तो बकाया शेषराशि पर लागू बैंक दर पर 2% प्रति वर्ष तक होता है.

सहायक कंपनी OMPL औसतन 7 दिन की क्रेडिट अवधि के साथ साख पत्र सुविधा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के साथ अल्पावधि निविदा व्यवस्थाओं के जरिए निर्यात से बिक्री करती है. देशी बिक्री में मामले में कंपनी ने औसतन 7 – 21 दिन की क्रेडिट अवधि के साथ नियंत्रक कंपनी के साथ दीर्घावधि बिक्री व्यवस्था की है. बीजक की तारीक से लागू क्रेडिट अवधि तक प्राप्य व्यापारी रकम पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है. अगर भुगतान करने में विलम्ब हो तो बकाया शेष राशि पर लागू एसबीआई उधार दर पर ब्याज वसूल किया जाता है.

16.2 प्राप्य व्यापार राशियों में से 31 मार्च 2018 को ₹ 24,116.77 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 24,308.83 मिलियन) की शेषराशि नीचे उल्लिखित ग्राहकों से देय है. दूसरे ऐसे ग्राहक नहीं हैं जिनसे नीचे उल्लिखित से भिन्न प्राप्य व्यापार शेषराशि के 5% सं अधिक राशि देय हो.

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ग्राहक 1	5,369.28	6,239.93
ग्राहक 2	8,841.62	9,070.12
ग्राहक 3	3,167.89	3,425.16
ग्राहक 4	1,754.77	1,903.24
ग्राहक 5	2,353.39	1,695.95
ग्राहक 6	2,629.82	-
ग्राहक 7	-	1,974.43
	24,116.77	**24,308.83**

16.3 सामान्यत: समूह अपने ग्राहकों से प्राप्य समस्त राशि लागू उधार अवधि के भीतर वसूल करता है. कंपनी प्रत्येक लेन-देन से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपने सभी ग्राहकों से प्राप्य व्यापार राशि पर ह्रास का निर्धारण करती है.

16.4 ग्राहकों से प्राप्त बैंक गारंटियों तथा साख पत्रों द्वारा प्रतिभूत.

16.5 कंपनी इस तथ्य के कारण ऋण जोखिम का संकेंद्रण रखती है कि कंपनी के पास **टिप्पणी 16.2** में उल्लिखित ग्राहकों से पर्याप्त प्राप्य राशियां हैं, तथापि ये ग्राहक प्रतिष्ठित और साखपात्र होते हैं.

16.6 हरेक वर्ष के अंत में उचित अनुमान आधार पर मूल्यांकित तेल विपणन कंपनियों से प्राप्य लागत हिस्सा शामिल है और निपटानों को अंतिम रूप देने के अधीन हैं.

16.7 व्यापार प्राप्य राशियों की अवधि :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
उधार अवधि के भीतर	25,154.55	25,936.37
देय तारीख की समाप्ति पर 1-30 दिन	455.17	276.24
देय तारीख की समाप्ति पर 31-90 दिन	103.13	135.07
देय तारीख की समाप्ति पर 90 दिन से अधिक	1,028.70	1,556.81
कुल	**26,741.55**	**27,904.49**

16.8 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए ह्रास का संचलन

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1.714.71	1,468.95
जोड़े: अपेक्षित उधार हानि छूट मे परिवर्धन (विलोपन)	-	302.80
घटाएं: वर्ष के दौरान पुनरांकन	273.17	-
घ्टाएं: पुन:वर्गीकरण / अन्य समायोजन	467.93	57.04
वर्ष के अत मे शेष राशि	**973.61**	**1,714.71**

17. नकदी तथा नकदी समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
बैंकों के पास जमा शेष		
चालू खाते	3.99	130.79
3 महीने की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	4,397.50	2,330.00
हाथ में नकदी	2.20	0.74
कुल	**4,403.69**	**2,461.53**

8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान धारित तथा लेन-देन किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं :—

(समस्त राशियां ₹ में हैं)

विवरण	SBN's #	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद	956,500.00	54,920.00	1,011,420.00
(+) अनुमत प्राप्तियां	11,219,500.00	10,619,399.00	21,838,899.00
(-) अनुमत भुगतान	-	121,786.00	121,786.00
(-) बैंक में जमा की गई राशि	12,176,000.00	10,161,329.00	22,337,329.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकदी	**-**	**391,204.00**	**391,204.00**

इस खंड के प्रयोजनार्थ "निर्दिष्ट बैंक नोट" का वही अभिप्राय है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना में दिया गया है.

18. अन्य बैंक शेष

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाराशियां **(टिप्पणी 18.1 देखें)**	880.00	2,755.46
लियन के अधीन अन्य बैंक जमाराशियां	2,820.10	9,370.60
डिबेंचर खाते पर अदावी ब्याज **[देखें टिप्पणी 18.2]**	0.01	0.01
अदावी लाभांश खाता **[देखें टिप्पणी 18.3]**	216.10	74.70
निर्बंधित बैंक शेष **[देखें टिप्पणी 18.4]**	-	6,766.88
कर्मचारी हितकारी निधि के लिए निर्बंधित बैंक शेष	10.11	9.14
कुल	**3,926.32**	**18,976.79**

18.1 कंपनी द्वारा बैंकों के पास अनुरक्षित जमाराशियों में सावधि जमाराशियां शामिल हैं जिन्हें कोई पूर्व सूचना दिए बिना या मूलधनराशि पर कोई दंड दिए बिना किसी भी समय निकाला जा सकता है.

18.2 डिबेंचर खाते में अदावी ब्याज में जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के लिए निर्दिष्ट है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

18.3 अदावी लाभांश खाते में जमा की गई राशि लाभांश के भुगतान के लिए निर्दिष्ट है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

18.4 निर्बंधित बैंक शेषराशि बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में आहरित अप्रयुक्त पूंजीगत व्यय निधि के बराबर है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज अर्जित न करने वाले खाते में रखा गया है जिनका निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जा सकता है.

19. बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि **[देखें टिप्पणी 7(क)]**	-	77.96
अन्य **[देखें टिप्पणी 19.1]**	-	-
कुल	**-**	**77.96**

19.1 बिक्री के लिए धारित आस्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शामिल हैं जिनका पूरी तरह से मूल्यह्रास हुआ है.

20. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राधिकृत शेयर पूंजी :		
₹ 10 प्रत्येक के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर	29,000.00	29,000.00
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 2,900,000,000 इक्विटी शेयर)		
₹ 10 प्रत्येक के 100,000,000 प्रतिदेय अधिमानी शेयर	1,000.00	1,000.00
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 100,000,000 प्रतिदेय अधिमानी शेयर)		
निर्गमित एवं अभिदत्त :		
₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	17,525.99
(31 मार्च 2017:को ₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर :		
₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर	17,525.99	17,525.99
(31 मार्च 2017: को ₹ 10 प्रत्येक के 1,752,598,777 इक्विटी शेयर)		
जोड़ें: जब्त शेयर **[देखें टिप्पणी 20.5]**	0.65	0.65
	17,526.64	**17,526.64**

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयरों की संख्या मिलियन में	शेयर पूंजी
1 अप्रैल 2016 को शेष	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2017 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018 को बकाया	**1,752.59**	**17,525.99**

20.1 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास ₹ 10 प्रति शेयर के सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है. इक्विटी शेयरों का हरेक शेयरधारक प्रति शेयर एक मत के लिए हकदार है. निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष आस्तियां पाने के हकदार होंगे. वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.

20.2 नियंत्रक कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	संख्या मिलियन में	% धारिता	संख्या मिलियन में	% धारिता
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	-	-

20.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

इक्विटी शेयरधारकों के नाम	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	संख्या मिलियन में	% धारिता	संख्या मिलियन में	% धारिता
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,255.35	71.63	1,255.35	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297.15	16.96	297.15	16.96

20.4 विकल्पों तथा संविदाओं अथवा शेयरों की बिक्री हेतु वचनबद्धताओं या विनिवेश के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित इक्विटी शेयर :: कुछ नहीं (31 मार्च 2017: कुछ नहीं).

20.5 वर्ष 2009-10 में ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रत्येक के 303,550 इक्विटी शेयरों के समतुल्य) जब्त किए गए जिनके प्रति मूल रूप से प्रदत्त राशि ₹ 654,000 थी.

21. अन्य इक्विटी

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(क) मान्य इक्विटी **[देखें टिप्पणी 3.25.2 (क)]**	38.40	30.53
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	91.86	91.86
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	3,467.98	3,467.98
पूंजी आरक्षित निधि	0.07	0.07
सामान्य आरक्षित निधि	1,192.00	1,192.00
प्रतिधारित अर्जन	80,017.17	72,713.27
कुल	**84,807.48**	**77,495.71**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(क) **मान्य इक्विटी [देखें टिप्पणी 21.1]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	30.53	26.05
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरण	7.87	4.48
वर्ष के अंत में शेष	**38.40**	**30.53**
(ख) **आरक्षित निधि**		
(i) **पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.2]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	91.86	91.86
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**91.86**	**91.86**
(ii) **प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.3]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,467.98	3,467.98
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,467.98**	**3,467.98**
(iii) **पूंजीगत आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.4]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.07	0.07
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**0.07**	**0.07**
(iv) **सामान्य आरक्षित निधि [देखें टिप्पणी 21.5]**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,192.00	1,192.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,192.00**	**1,192.00**
(v) **प्रतिधारित आय**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	72,713.27	38,034.65
वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ	19,926.45	34,726.41
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर घटाकर	33.77	(47.79)
लाभांश का भुगतान	(10,515.59)	-
लाभांश पर कर	(2,140.73)	-
वर्ष के अंत में शेष	**80,017.17**	**72,713.27**

21.1 मान्य इक्विटी के रूप में दर्शायी गई ₹ 38.40 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 30.53 मिलियन) की राशि किसी प्रतिफल के बिना ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त वित्तीय गारंटी के प्रति फीस का उचित मूल्य दर्शाती है..

21.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान अधिमान शेयर पूंजी के मोचन पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि का सृजन किया

21.3 कंपनी ने इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम पर प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि सृजन किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है.

21.4 वर्ष 2014-15 के दौरान समेकन के निमित्त सृजित पूंजीगत आरक्षित निधि.

21.5 सामान्य आरक्षित निधि का समय-समय पर विनियोजन करने के प्रयोजन से प्रतिधारित अर्जन से लाभ अंतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है. चूंकि सामान्य आरक्षित निधि का सृजन करते समय ईक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण किया जाता है और अन्य व्यापक आय की एक मद नहीं होती है, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में सम्मिलित मदों का बाद में लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाएगा.

21.6 कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में अपने इक्विटी शेयरधारकों में वितरित की जाने वाली रकम का निर्धारण कंपनी अधिनियम,2013 की अपेक्षाओं और कंपनी लाभांश वितरण नीति पर विचार किया जाता है. इस प्रकार से सामान्य आरक्षित निधि में दर्शाई गई रकम का समग्र रूप में वितरण करना संभव नहीं होगा.

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में निदेशक मंडल ने ₹ 3/- प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है जिसे पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर अदा किया जाएगा. यह इक्विटी लाभांश वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है. प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूर्ण प्रदत्त सभी इक्विटी शेयरधारकों को देय होगा. अदा किया जाने वाला कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश ₹ 5,257.80 मिलियन है और उस पर लाभांश वितरण कर की राशि ₹ 1,080.76 मिलियन है .

22. उधार राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
प्रतिभूत – परिशोधित लागत पर				
मीयादी ऋण :-				
बैंकों से				
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	9,794.41	-	40,692.06	-
[देखें टिप्पणी 22.1]				
अन्यों पक्षकारों से				
तेल उद्योग विकास बोर्ड से ऋण	-	-	750.00	-
[देखें टिप्पणी 22.2]				
आस्थगित भुगतान देयताएं – वैट ऋण	169.24	-	-	-
[देखें टिप्पणी 22.3]				
अपरिवर्तनीय डिबेंचर	19,997.58	-	24,991.90	-
[देखें टिप्पणी 22.4]				
गैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	-	2,289.76	-	6,471.24
[देखें टिप्पणी 22.5]				
अप्रतिभूत – परिशोधित लागत पर				
मीयादी ऋण :-				
संबंधित पक्षकारों से				
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड (ONGC)	11,999.70	-	18.856.90	-
[देखें टिप्पणी 22.6]				
अन्य पक्षकारों से				
आस्थगित भुगतान देयताएं – CST	218.63	-	618.63	-
[देखें टिप्पणी 22.7]				
विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)	2,607.20	-	-	-
[देखें टिप्पणी 22.8]				
वाणिज्यिक पत्र (बट्टा घटाकर)	-	-	-	27,244.05
[देखें टिप्पणी 22.9]				
बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण				
विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	42,367.00	-	12,971.00
[देखें टिप्पणी 22.10]				
क्रेता ऋण तथा पोतलदान पूर्व / पश्चात निर्यात ऋण	-	14,339.60	-	-
[देखें टिप्पणी 22.11]				
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण				
अल्पावधि रुपया ऋण	-	3,620.00	-	-
[देखें टिप्पणी 22.12]				
कुल	**44,786.76**	**62,616.36**	**85,909.49**	**46,686.29**

22.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

22.1.1 कंपनी द्वारा लिए गए ईसीबी यूएस डालर में अंकित ऋण के रूप में होते हैं जिनपर प्रतिवर्ती ब्याज दर लगाई जाती है जो छह महीने के लिबोर + स्प्रेड है. इनके लिए प्रतिभूति के तौर पर वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार सृजित किया जाता है.

सहायक कंपनी OMPL ने USD 331.32 मिलियन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की व्यवस्था की है. USD 331.32 की समस्त ईसीबी सुविधा तीन खेपों में ली गई है.

ईसीबी खेप I की , जिसकी रकम USD 250 मिलियन है, 1 अप्रैल 2015 से शुरू होते हुए 14 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करला होगा जिसपर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.13% है. ECB- खेप II की, जिसकी रकम USD 60 मिलियन है, 31 अक्तूबर 2015 से शुरू होते हुए 14 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करना होगा जिस पर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.15 % है. ECB- खेप III की, जिसकी रकम USD 31.32 मिलियन है, 31 अक्तूबर 2016 से शुरू होते हुए 14 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करला होगा जिसपर परिवर्ती ब्याज दर लगाई जाएगी जो LIBOR (6 महीने) + 3.15% है.

उपर्युक्त ईसीबी ऋण भूमि तथा समस्त संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर प्रथम प्रभार और सभी चल संपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों तथा सभी चालू आस्तियों पर दृष्टिबंधक के जरिए द्वितीय प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं.

22.1.2 ₹ 28,801.65 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 13,039.40 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के अधीन " दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं " के अंतर्गत दर्शाया गया है.

22.1.3 ECB की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है :

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	13,122.21
2018-19	28,831.16	29,579.16
2019-20	3,085.06	4,042.51
2020-21	3,085.06	3,556.09
2021-22	3,085.06	3,069.68
2022-23	477.86	475.48
2023-24	99.25	98.76
कुल	**38,663.45**	**53,943.89**

22.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण

22.2.1 कंपनी द्वारा OIDB से लिए गए ऋण पर नियम ब्याज दर लगाई जाती है. ये वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार और चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं.

22.2.2 ₹ 750.00 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,750.00 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.2.3 OIDB से ऋण की चुकोती अनुसूची इस प्रकार है:

चुकौती वर्ष (देखें नीचे टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	1,750.00
2018-19	750.00	750.00
कुल	**750.00**	**2,500.00**

22.3 आस्थगित भुगतान देयताएं : वैट ऋण

22.3.1 वैट ऋण के प्रति आस्थगित भुगतान देयता कर्नाटक सरकार से प्राप्त "ब्याजमुक्त ऋण" खाते पर देय राशि दर्शाती है. वैट के विरुद्ध ब्याज मुक्त ऋण 21 मार्च 2018 से प्रतिदेय होगा.

22.3.2 बाजार के कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के फायदे को सरकारी अनुदान माना जाता है. ब्याजमुक्त ऋण Ind AS 109 वित्तीय लिखत के अनुसार निर्धारित तथा मापा जाता है. ब्याजमुक्त ऋण के लाभ को Ind AS 109 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक रखाव मूल्य और प्राप्त आय के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है. लाभ को इस मानक के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है.

22.3.3 ₹ कुछ नहीं (31 मार्च 2017 को ₹ कुछ नहीं) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.3.4 आस्थगित भुगतान देयताएं- बैट ऋण कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत हैं.

22.3.5 आस्थगित भुगतान देयता- बैट ऋण की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है:

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2027-28	132.61	-
2028-29	155.16	-
2029-30	197.76	-
कुल	**485.53**	**-**

22.4 अपरिवर्तनीय डिबेंचर

22.4.1 सहायक कंपनी OMPL ने फरवरी 2016 के दौरान ₹ 5,000 मिलियन असंचयी, प्रतिभूत, प्रतिदेय, करयोग्य, सूचीबद्ध , श्रेणीकृत अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमित किए जिसकी कूपन दर 8.4% प्रति वर्ष है और जिस पर ब्याज वार्षिक है. कंपनी ने जून 2016 के दौरान ₹ 20,000 मिलियन असंचयी, प्रतिभूत, प्रतिदेय, करयोग्य, सूचीबद्ध , श्रेणीकृत अपरिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमित किए जिसकी कूपन दर 8.12% प्रति वर्ष है और जिस पर ब्याज वार्षिक है.

22.4.2 इन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति के तौर पर मंगलूर तालुका और पंजीकरण उप-जिला, दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर एसईजेड, पेर्मुदे और कलवार गांव में स्थित कुल 441.438 एकड़ की भूमि तथा भवन, सड़कों और संयंत्र और उपकरण सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम समरूप प्रभार सृजित किया गया है.

22.4.3 ₹ 4,998.21 (31 मार्च 2017 को ₹ कुछ नहीं) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (अप्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.4.4 अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है :

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2018-19	5,000.00	5,000.00
2019-20	20,000.00	20,000.00
कुल	**25,000.00**	**25,000.00**

22.5 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण

22.5.1 कंसोर्शियम बैंक से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रतिभूत के तौर पर कंपनी के कच्चामाल, तैयार माल, प्रक्रियागत स्टाक, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों, घटकों, प्राप्य बिक्रेय राशियों, बकाया प्राप्त धन, दावों, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, वर्तमान एवं भावी दोनों तरह की प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखा गया है और इसके अलावा कंपनी की वर्तमान तथा भावी दोनों प्रकार की चल एवं अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय समरूप प्रभार के रूप में प्रतिभूति दी गई है

22.5.2 सहायक कंपनी OMPL की कार्यशील पूंजी के उधारदाताओं के लिए प्रतिभूति के रूप में अपरिवर्तनीय डिबेंचरधारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने पर कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर द्वितीय समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं.

22.6 संबंधित पक्षकार से मीयादी ऋण

22.6.1 कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकार (ONGC) से लिए गए मीयादी ऋण पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो 1 अप्रैल 2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए G-sec प्रतिफल + स्प्रेड है.

22.6.2 ₹ 6,857.20 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 6,857.20 मिलियन) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे **टिप्पणी 23** के तहत "दीर्घावधि ऋण (प्रतिभूत) की चालू परिपक्वताएं)" के रूप में दर्शाया गया है.

22.6.3 ONGC से ऋण की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है::

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	6,857.20
2018-19	6,857.20	6,857.20
2019-20	6,857.20	6,857.20
2020-21	5,142.50	5,142.50
कुल	**18,856.90**	**25,714.10**

22.7 आस्थगित भुगतान देयताएं : CST

22.7.1 आस्थगित भुगतान देयता बिक्री कर देयता के निमित्त देय राशि दर्शाती है जिसे बिक्री कर प्राधिकरण को निर्दिष्ट अवधि के बाद अदा करना होगा. इस तरह की बिक्री पर कर देयता का आस्थगन होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

22.7.2 ₹ 400.00 मिलियन (31 को 2017 ₹ 526.54 मिलियन) की राशि एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे '' दीर्घावधि ऋणों (अप्रतिभूत) की वर्तमान परिपक्वता'' के अंतर्गत **टिप्पणी 23** के अंतर्गत दर्शाया गया है.

22.7.3 आस्थगित भुगतान देयता की चुकौती अनुसूची निम्नानुसार है :

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2017-18	-	526.54
2018-19	400.00	400.00
2019-20	218.63	218.63
कुल	**618.63**	**1,145.17**

22.8 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)

22.8.1 बैंक से विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL) यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर + स्प्रेड है.

22.8.2 ₹ कुछ नहीं (31 मार्च 2017 को ₹ कुछ नही) एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है और उसे '' दीर्घावधि ऋणों (अप्रतिभूत) की वर्तमान परिपक्वता'' के अंतर्गत **टिप्पणी 23** के अंतर्गत दर्शाया गया है.

22.8.3 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL) की चुकौती अनुसूची इस प्रकार है :

चुकौती वर्ष (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 22.13)	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
2019-20	2,607.20	-
कुल	**2,607.20**	**-**

22.9 वाणिज्यिक पत्र

22.9.1 सहायक कंपनी OMPL के वाणिज्यिक पत्र अप्रतिभूत नियत दर ऋण लिखत हैं जिनकी अवधि 30 से 180 दिन तक होती है.

22.10 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)

22.10.1 बैंक से विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर प्लस स्प्रेड है और हरेक संविवतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है.

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त सहायक कंपनी OMPL के अप्रतिभूत अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण (FCNR की अवधि 6 महीने है और उस पर लागू ब्याज दर LIBOR (1 महीना) प्लस 0.65% स्प्रेड है.

22.11 क्रेता ऋण एवं पोतलदान-पूर्व/पश्चात निर्यात ऋण

22.11.1 क्रेता ऋण एवं पोतलदान-पूर्व/पश्चात् ऋण यूएस डालर में मूल्यवर्गित हैं और उन पर परिवर्ती ब्याज दर लगती है जो एक महीने का लिबोर प्लस स्प्रेड है और हरेक संविवतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय है.

22.12 अल्पावधि रुपया ऋण

22.12.1 सहायक कंपनी OMPL द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त अप्रतिभूत अल्पावधि रुपया ऋण की अवधि 1 दिन से 365 दिन तक है और लागू ब्याज दर 1 वर्ष की सीडी दर + 1.1625% प्रति वर्ष हैं.

22.13 ऊपर प्रकट की गई चुकौती अनुसूची नकदी बहिर्वाह पर आधारित हैं और अतएव इन उधारों की रखाव लागत के अनुरूप नहीं होगी जिनको परिशोधित लागत पर लेखाबद्ध किया जाता है.

23. अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर –चालू	चालू
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (प्रतिभूत) **[देखें टिप्पणी 22.1.2, 22.2.2, 22.3.3 और 22.4.3]**	-	34,549.86	-	14,789.40
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं (अप्रतिभूत) **[देखें टिप्पणी 22.6.2, 22.7.2 और 22.8.2]**	-	7,257.20	-	7,383.74
अदावी लाभांश **[देखें नीचे टिप्पणी 23.1]**	-	216.10	-	74.70
परिपक्तव डिबेंचरों पर अदावी ब्याज **[देखें नीचे टिप्पणी 23.2]**	-	0.01	-	0.01
ऋणों पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	-	713.65	-	785.62
आपूर्तिकर्ताओ / ठेकेदारों / अन्य से जमा राशियां	-	890.31	-	977.29
पूजीगत माल पर देय **[देखें नीचे टिप्पणी 23.3]**	-	2,334.52	-	4,262.30
कर्मचारियों के प्रति देयता	-	921.44	-	609.34
ग्राहकों तथा विक्रेताओं से संबंधित अन्य देयताएं **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 23.4]**	-	2,274.26	-	1,931.96
कुल	**-**	**49,157.35**	**-**	**30,814.36**

23.1 निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

23.2 परिपक्व डिबेंचरों के प्रति देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है.

23.3 कीमत घटाने संबंधी खंड

पूंजीगत माल के प्रति देय रकम कें शामिल है ₹ 186.78 मिलियन (31 को 2017 ₹ 988.40 मिलियन) जो कीमत घटाने संबंधी खंड का अनुसरण करते हुए विक्रेताओं से रोक रखी गई रकम से संबंधित है जिसे इन विक्रेताओं के साथ कार्रवाई को अंतिम रूप देने के बाद निपटाया जाएगा. रोक रखी गई रकम को अंत में तय करने पर संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण में उत्तर व्यापी प्रभाव से संबंधित समायोजन किया जाएगा.

23.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियों से सबधित प्रकटन

विवरण		यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
i	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए गए बिना उस पर देय मूल धनराशि	4.07	10.67
ii	वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-
iii	प्रत्येक लेखावर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि	-	-
iv	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया किंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना बाकी और शेष ब्याज रकम	-	-
v	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रही ब्याज रकम और	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य ब्याज शामिल न करने के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तत में उक्त ब्याज अदा किया गया हो	-	-

24. प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान **(देखें टिप्पणी 40)**	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
(क) छुट्टी का नकदीकरण	381.70	44.35	554.71	53.36
(ख) सेवानिवृति के बाद चिकित्सा एवं अन्य लाभ	79.61	2.63	79.66	2.30
(ग) उपदान	32.48	1.24	27.16	0.23
अन्य **[देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 24.1]**	-	3,993.55	-	2,797.68
कुल	**493.79**	**4,041.77**	**661.53**	**2,853.57**

24.1 अन्य जिसमें अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान शामिल हैं :

वर्ष 2017-18 के लिए के संचलन

विवरण	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क
यथा 1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	2,797.68
घटाएं : प्रावधान का प्रत्यावर्तन करने के निमित्त कटौती	2,797.68
जोड़े : परिवर्धन	3,993.55
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**3,993.55**

कंपनी यथा 31 मार्च 2018 को स्टॉक में पड़ी वस्तुओं की निकासी पर देय उत्पाद शुल्क के लिए आकलन की पर्याप्त मात्रा के आधार पर ₹ 3,993.55 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 2,797.68 मिलियन) का प्रावधान किया है और उसे अन्य प्रावधान में शामिल किया गया है. अपेक्षा की जाती है कि इस प्रावधान को जब निपटाया जाएगा तब वस्तुओं को कारखाना परिसर से हटाया जाएबा.

25 आस्थगित कर आस्ति / (देयताएं) (निवल)

समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत की गई आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
आस्थगित कर आस्तियां	35,567.77	37,119.22
आस्थगित कर देयताएं	(36,470.01)	(34,012.35)
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**(902.24)**	**3,106.87**

2016-17	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में दर्शाई गई	अन्य व्यापक आय दर्शायी गई	अंतिम शेष
निम्न के संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण	(31,511.78)	(2,508.24)	-	(34,020.02)
अगोचर आस्तियां	(1.41)	9.08	-	7.67
कुल	**(31,513.19)**	**(2,499.16)**	**-**	**(34,012.35)**
आस्थगित कर आस्तियों वाली मदों का कर प्रभाव				
अन्य देयताएं	27.68	22.49	-	50.17
अग्रनीत कारोबार हानियां एवं अवशोषित मूल्यह्रास	36,698.31	(15,184.83)		21,513.48
मैट जमा पात्रता	3,074.92	11,853.79	-	14,928.71
वित्तीय तथा अन्य आस्तियां	512.20	83.03	-	595.23
स्टॉक	31.63	-	-	31.63
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	(27.96)	27.96	-
कुल	**40,344.74**	**(3,253.48)**	**27.96**	**37,119.22**
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**8,831.55**	**(5,752.64)**	**27.96**	**3,106.87**

2017-18	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में दर्शाई गई	अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई	अंतिम शेष
निम्न के संबंध में आस्थगित कर देयताएं				
संपत्ति, संचंत्र एवं उपकरण	(34,020.02	(2,446.54)	-	(36,466.56)
अगोचर आस्तियां	7.67	(11.12)	-	(3.45)
कुल	**(34,012.35)**	**(2,457.66)**	**-**	**(36,470.01)**
आस्थगित कर आस्तियों वाली मदों का कर प्रभाव				
अन्य देयताएं	50.17	(24.59)	-	25.58
अग्रनीत कारोबार हानियां एवं अवशोषित मूल्यह्रास	21,513.48	(2.897.55)	-	18,615.93
मैट जमा पात्रता	14,928.71	1,633.12	-	16,561.83
वित्तीय तथा अन्य आस्तियां	595.23	(254.72)	-	340.51
स्टॉक	31.63	(7.71)	-	23.92
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	19.30	(19.30)	-
कुल	**37,119.22**	**(1,532.15)**	**(19.30)**	**35,567.77**
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल)	**3,106.87**	**(3,989.81)**	**(19.30)**	**(902.24)**

इसी प्रकार, एक एसईजेड इकाई होने के नाते, सहायक कंपनी OMPL आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10एए के तहत कुछ छूट के लिए पात्र है. तदनुसार, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर जमा राशियों पर आस्थगित कर आस्तियों को उस हद तक दर्शाया गया है जिस हद तक यह संभव है कि इन बातों पर विचार करते हुए भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा (i) उसके प्रमुख उत्पाद अर्थात पैराजाइलीन के लिए ग्राहक के साथ की गई प्रतिबद्ध दीर्घावधि समग्र क्रय व्यवस्था (ii) अन्य उत्पादों जैसे पैराफिनिक रैफिनेट, हाइड्रोजन और डी-ईथनाइजर स्तंभ के अधस्तलज द्रव की बिक्री के लिए मूल कंपनी के साथ व्यवस्था, (iii) मूल कंपनी के साथ फीड स्टॉक खरीदने के लिए कीमत निर्धारण संबंधी नियमों में संशोधन (iv) क्षमता उपयोग बढ़ाने की खातिर दूसरी तेल कंपनियों के साथ नेफ्था खरीदने की व्यवस्थाएं (v) ईंधन की जरूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के साथ गैस परिवहन की व्यवस्था.

26 व्यापार देय राशियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
व्यापार देया राशियां	47,925.45	60,444.97
कुल	**47,925.45**	**60,444.97**

26.1 व्यापार दंयराशियां में ₹ 5,079.26 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 9,102.11 मिलियन)की राशि शामिल है जिसके लिए ओएनजीसी ने कंपनी की ओर से गारंटी दी है.

26.2 क्रूड, भंडार व अतिरिक्त पुर्जे, अन्य कच्चा माल, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत उधार अवधि 15 से 60 दिन है. इसके बाद बकाया शेष राशि पर संबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित बैंक दर पर 6.75% प्र.व. तक ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियां लागू की हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम पहले से तय उधार शर्तों के भीतर अदा की जाती है.

सहायक कंपनी OMPL की कच्चा माल , भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, सेवाएं आदि खरीदने पर औसत क्रेडिट अवधि 7 से 90 दिन है. इसके बाद बकाया शेष राशि पर संबंधित व्यापारिक व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्ती दर पर ब्याज लगाया जाता है. कंपनी ने वित्तीय प्रबंध जोखिम नीतियां लागू की है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देय रकम सहमत क्रेडिट संबंधी नियमों के अंदर अदा की जाती है.

26.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियों से सबधित प्रकटन

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(i) वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए गए बिना उस पर देय मूल धनराशि	343.73	70.84
(ii) वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना उस पर देय ब्याज	-	-
(iii) प्रत्येक लेखावर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए (जिसे वर्ष के दौरान अदा तो किया गया किंतु नियत दिन के बाद) परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना बाकी	-	-

विवरण		यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
iv)	और शेष ब्याज रकम	-	-
v)	प्रत्येक वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रही ब्याज रकम और	-	-
vi)	उत्तरवर्ती वर्षों में भी तब तक देय रही अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य ब्याज शामिल न करने के प्रयोजन से लघु उद्यम को वास्तत में उक्त ब्याज अदा किया गया हो	-	-

27. अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	1.43	-	1.56
उपदान के लिए देयता **[देखें नीचे टिप्पणी 27.1]**	-	59.19	-	94.65
सांविधिक भुगतानों के लिए देयता	-	1,875.15	-	1,733.84
आस्थगित सरकारी अनुदान **देखें नीचे टिप्पणी 5.4 व 22.3.2]**	3,595.54	177.16	-	-
कुल	**3,595.54**	**2,112.93**	**-**	**1,830.05**

27.1 उपदान न्यास से/को प्राप्य/देय निवल राशि

28 प्रचालनों से राजस्व

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
28.1	**उत्पादों की बिक्री**		
	देशी बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	4.60.130.78	4,57,003.48
	निर्यात बिक्री	1,76,628.53	1,42,770.22
28.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैत की बिक्री	101.00	83.60
	निर्णीत हर्जाना	20.26	34.10
	कुल	**121.26**	**117.70**
	कुल	**6,36,880.57**	**5,99,891.40**

29 अन्य आय

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
29.1	**निम्न पर ब्याज :**		
	ठेकेदार संग्रइण अग्रिम	0.36	-
	अन्य	13.95	195.75
	परिशोधित लागत पर मापी गई आस्तियां		
	- बैंक जमाराशियां	723.91	3,540.48
	- प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक	17.20	22.36
	- कर्मचारी ऋण	31.00	25.07
	कुल	**786.42**	**3,783.66**

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
29.2	**निम्न से लाभांश आय:-**		
	म्युच्यूअल फंड में निवेश (FVTPLपर मापे गए)	**40.84**	**268.01**
29.3	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय	8.13	9.04
	देयता जिसके प्रतिलेखन की आवश्यकता अब नहीं रही	71.05	2.79
	प्रतिलेखित आधिक्य प्रावधान	768.44	62.88
	निविदा फार्म बिक्री	0.83	1.18
	किराया प्रभार	1.67	2.30
	कर्मचारियों से वसूलियां	10.20	8.39
	आस्थगित सरकारी अनुदान का परिशोधन	164.20	-
	विविध प्राप्तियां	887.42	50.27
	कुल	1,911.94	136.85
	कुल	**2,739.20**	**4,188.52**

सहायक कंपनी OMPL की विविध प्राप्तियों में प्राप्त ₹ 771.12 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य 2017) निर्यात प्रोत्साहन शामिल है.

30 उपभुक्त सामग्री की लागत

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
कच्चा माल : क्रूड तेल		
आयातित	3,35,218.96	2,92,204.20
देशी	87,219.12	71,721.91
कच्चा माल : अन्य		
आयातित		
छी-इथनाइजर	2.25	-
रीफॉर्मेट	21.87	3,094.99
देशी		
CRMB मॉडिफायर	16.67	3.44
नेफ्था स्ट्रीम	9,311.15	5,664.82
बिक्रेय स्टॉक		
देशी	0.53	0.49
कुल	**4,31,790.55**	**3,72,689.85**

30.1. कंपनी को उसके फेज III प्रचालनों के लिए क्रूड तेल पर प्रवेश कर से छूटप्राप्त है जो सरकारी अनुदान के लिए पात्र है. कंपनी ने ऐसे अनुदान को निवल आधार पर दर्शाया है और 'उपभुक्त सामग्री की लागत' में शामिल किया गया है. क्रूड तेल पर प्रवेश कर से छूट 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमश: ₹ 166.76 मिलियन और ₹ 563.57 मिलियन रही. 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के लागू होने के बाद प्रवेश कर लेवी समाप्त हो गई है.

31 तैयार माल, प्रक्रियागत माल और बिक्रेय माल के स्टॉक में परिवर्तन

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
31.1	**निम्न का अंतिम स्टॉक :**		
	तैयार माल तथा बिक्रेय माल	20,655.67	13,666.24
	प्रक्रियागत माल	6,584.44	4,773.98
	कुल अंतिम स्टॉक	**27,240.11**	**18,440.22**
31.2	**निम्न का प्रारंभिक स्टॉक :**		
	तैयार माल तथा बिक्रेय माल	13,666.24	11,774.42
	प्रक्रियागत माल	4,773.98	3,346.00
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**18,440.22**	**15,120.42**
	तैयार माल, प्रक्रियागत माल और बिक्रेय माल के स्टॉक में परिवर्तन	**(8,799.89)**	**(3,319.80)**

32 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

विवरण (देखें, नीचे दी गई टिप्पणी 32.1)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
वेतन एवं मजदूरी	3,836.21	3,362.67
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	496.09	369.36
उपदान	10.89	-
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ – चिकित्सा व अन्य	12.15	10.53
स्टाफ कल्याण खर्च	234.30	160.34
कुल	**4,589.64**	**3,902.90**

32.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जनवरी 2017 से प्रभावी कंपनी के प्रबंधन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है. तदनुसार प्रबंधन कर्मचारियों के संबंध में वेतन संशोधन को लागू किया गया है. गैर-प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से संशोधन के लिए देय है और कर्मचारी संघ के साथ वार्ता चल रही है. संशोधन को अंतिम रूप देने तक कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमानित आधार पर वेतन संशोधन के लिए ₹ 245.70 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 57.38 मिलियन) का प्रावधान किया है और उसे 'कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च ' में दर्शाया है.

33 वित्त लागतें

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के लिए वित्तीय खर्च		
- संबंधित पक्षकार से	1,657.81	2,435.03
- बैंकों से	6,091.18	6,432.54
- अन्य पक्षकारों से	486.98	775.00
	8,235.97	**9,642.57**
वित्तीय गारंटी प्रभार	15.75	16.65
विनिमय दर अंतर को उधार लागत के समायोजन के रूप में माना गया है	874.77	-
कुल	**9,126.49**	**9,659.22**

34 मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	9,646.84	9,798.43
अगोचर आस्तियों का परिशोधन	14.08	42.77
कुल	**9,660.92**	**9,841.20**

35 अन्य खर्च

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017	
बिजली, उपयोगिता तथा ईंधन प्रभार	38,023.48		31,483.56	
घटाएं : स्वयं की खपत	33,340.84	4,682.64	26,774.50	4,709.06
मरम्मत एवं रखरखाव				
- संयंत्र एवं मशीनरी	4,257.61		2,423.09	
- भवन	14.36		6.78	
- अन्य	345.53	4,617.50	565.94	2,995.81
उपभुक्त भंडार, अतिरिक्त पुर्जे तथा रासायनिक पदार्थ		1,843.81		1,469.25
प्रयुक्त पैकिंग सामग्री		180.13		209.30
किराया		243.30		172.24
बीमा		354.52		358.96
दर एवं कर		1,806.17		2,406.80
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवलद्र **[देखें नीचे दी गई टिप्पणी 35.1]**		1,141.16		(675.16)
विनिमय दर घट-बढ हानि / (आय)		110.40		566.12
निदेशकों की बैठक शुल्क		2.58		0.69
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री पर हानि		250.07		57.02
बैंक प्रभार		24.24		27.53
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	2.76		2.61	
कराधान मामलों के लिए	0.40		0.40	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	2.90		2.00	
खर्च की प्रतिपूर्ति	2.76	8.82	2.71	7.72
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च (CSR)		103.02		32.23
निम्न के लिए ह्रास :				
संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियां		-		302.80
बट्टे खाते डाले गए:				
संदिग्ध व्यापार प्राप्य राशियां		472.34		59.37
विविध खर्च		2,108.92		1,861.81
कुल		**17,949.62**		**14,561.55**

35. 1 उत्पाद की बिक्री पर उत्पाद शुल्क को प्रचालन से राजस्व में शामिल किया गया है और ऊपर दर्शाया गया उत्पाद शुल्क तैयार माल के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के बीच अतर दर्शाता है.

35.2 सीएसआर व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹ 338.70 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में ₹ 50.00 मिलियन) की राशि खर्च करनी पड़ेगी.

(ख) निम्न पर वर्ष के दौरान खर्च राशि:

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	नकद में अभी अदा किया जाना है	कुल
i) आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	78.64	-	78.64
ii) ऊपर (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	24.38	-	24.38
कुल	**103.02**	**-**	**103.02**

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	नकद में अभी अदा किया जाना है	कुल
i) आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	24.92	-	24.92
ii) ऊपर (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	7.31	-	7.31
कुल	**32.23**	**-**	**32.23**

36 अपवादात्मक मदें (आय)/व्यय (निवल)

विवरण (देखे नीचे दी गई टिप्पणी 36.1)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
टर्मिनल प्रभार	258.90	-
विनिमय दर घट-बढ़ हानि / (वृद्धि)	-	(15,972.91)
कुल	**258.90**	**(15,972.91)**

36.1 चालू वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें वित्तीय वर्ष 2003-04 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सीमापार प्रेषण पर तेल विपणन कंपनियों से एकत्रित टर्मिनल प्रभार की हिस्सेदारी के निमित्त हैं जो ₹ 258.90 मिलियन है.

पिछले वर्ष के लिए अपवादात्मक मदें अतिदेय व्यापार देय राशियों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर अंतर लाभ के निमित्त है जो प्रेषण चैनल को अंतिम रूप न देने के कारण संचित हो गया.

37 जारी प्रचालनों से संबंधित आयकर

37.1 लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आय-कर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
चालू कर	6,988.58	11,853.78
आस्थगित कर	3,989.81	5,752.64
जारी प्रचालनों के संबंध में चालू वर्ष में दर्शाया गया कुल आय कर खर्च	**10,978.39**	**17,606.42**

37.2 वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकन लाभ के साथ निम्नलिखित रूप में समाधान किया जा सकेगा :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
जारी प्रचालनों के लिए कर-पूर्व लाभ	**28,714.02**	**50,538.52**
34.608% (2016-2017: 34.608%) पर परिकलित कुल आयकर खर्च	9,937.35	17,490.37
कर से मुक्त आय का प्रभाव	(53.10)	(95.35)
संयुक्त उद्यमों से लाभ का प्रभाव	(0.37)	(16.18)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32AC के तहत निवेश छूट का प्रभाव	43.63	29.84
कर-योग्य लाभ का निर्धारण करने में काटे न जाने वाले खर्चों का प्रभाव	72.99	134.63
कर दर में 34.608% से 34.9440%के परिवर्तन के कारण आस्थगित कर का प्रभाव	(56.83)	-
21.3416% की दर से पूर्व वर्षों के मैट जमा को लेखाबद्ध करने का प्रभाव	(7.16)	-
पिछले वर्ष 2016-17 के पूर्व वर्षों के कर को लेखाबद्ध करने का प्रभाव	7.16	-
सही शेषराशि के समायोजन के कारण आस्थगित कर राशि में परिवर्तन का प्रभाव	(330.05)	(356.69)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत निवेश छूट का प्रभाव	1,384.72	419.80
अन्य का प्रभाव	(19.95)	-
लाभ या हानि में लेखाबद्ध आयकर खर्च (प्रचालन जारी करने से संबंधित)	**10,978.39**	**17,606.42**

37.3 अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आयकर

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
आस्थगित कर		
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आय तथा खर्च पर उत्पन्न :		
(क) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	(19.21)	27.53
(ख) नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्थाओं में बचाव लिखतों पर अभिजाभ (हानि) का प्रभावी अंश	-	-
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध कुल आयकर	**(19.21)**	**27.53**
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध आयकर का विभाजन :-		
ऐसी मदें जिनका लाभ या हानि में पुन: वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	(19.21)	27.53
ऐसी मदें जिनका लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकरण किया जाएगा	-	-

38 प्रति शेयर अर्जन :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ (₹ मिलियन में)	19,926.45	34,726.41
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या मिलियन में)	1,752.60	1,752.60
मूल तथा तनूकृत प्रति शेयर अर्जन (₹)	11.37	19.81
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

39 पट्टे

39.1 वित्त पट्टे के तहत दायित्व

39.1.1 कंपनी ने भूमि के लिए पट्टा करार किए हैं जिन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भूमि का स्वामित्व सामान्य प्रशासनिक प्रभार के भुगतान पर पट्टा अवधि के अंत में कंपनी को अंतरित किया जाएगा. पट्टे की अवधि 5 – 44 वर्ष तक होगी. कंपनी ने उधार पाने के मकसद से इन पट्टाधृत भूमियों को गिरवी रखा है **(देखें टिप्पणी 5.1)**

31 मार्च 2018 को वित्तीय पट्टा दायित्व नगण्य है : (31 मार्च 2017 को नगण्य)

सहायक कंपनी OMPL ने मंगलूर एसईज़ेड लिमिटेड के साथ एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि के संबंध में पट्टा संबंधी करारनामें पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी पट्टा अवधि 47 वर्ष की है. इसका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है. इसके अलावा, कंपनी ने वार्षिक आवर्ती शुल्क के साथ पट्टा संबंधी करारनामा निष्पादित करते समय अग्रिम रूप से भुगतान किया है जिसके वार्षिक पट्टे के किराए में कोई बढ़त नहीं होगी. कंपनी के पास पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद परस्पर सहमत शर्तों पर पट्टा संबंधी करारनामे का और 47 वर्षों के लिए नवीकरण कराने का विकल्प है.

सहायक कंपनी OMPL ने आवासी / कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने और NMPT की भूमि को पट्टे पर लेने के लिए भी करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. औसत पट्टा अवधि 11 महीने से 47 वर्ष तक है

39.2 प्रचलनात्मक पट्टा व्यवस्थाएं

39.2.1 पट्टा व्यवस्थाएं

कंपनी ने पाइपलाइनों के लिए मार्गाधिकार और भूमि के पट्टे की खातिर व्यवस्थाओं के लिए करार किए हैं जिनका प्रचलन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया गया है. मार्गाधिकार के लिए पट्टा अवधि 11 महीनों से लेकर 30 वर्ष तक है और भूमि पट्टे की अवधि 5 से 99 वर्ष तक है. पट्टाधृत भूमि के मामले में, कंपनी के पास, पट्टा अवधि के अंत में भूमि खरीदने का कोई विकल्प नहीं है; सामान्यत: भूमि के मामले में पट्टे की व्यवस्था करने के लिए कंपनी को वार्षिक आवर्ती प्रभार के साथ पट्टा संबंधी करार निष्पादित करते समय अग्रिम रूप में भुगतान करना पड़ता है जिससे वार्षिक पट्टा किराया में बढ़त होती रहेगी.

39.2.2 खर्च के रूप मे दर्शाए गए भुगतान

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
न्यूनतम पट्टा भुगतान	130.15	125.15
	130.15	**125.15**

39.2.3 अनिरसनीय प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं

कंपनी के पास कोई अनिरसनीय पट्टा व्यवस्था नहीं है.

40 कर्मचारी लाभ योजनाएं

40.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं के सिलसिले में वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई रकम :

परिभाषित अंशदान योजनाएं	वर्ष के दौरान दर्शाई गई राशि		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए अंशदान	
	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	199.56	166.61	1.15	0.92
अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान	166.31	140.91	0.96	0.76

40.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

40.2.1 संक्षिप्त वर्णन: कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य दीर्घावधि लाभ के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) अर्जित छुट्टी का लाभ (EL):

उपचय – 32 दिन प्रति वर्ष

300 दिन तक संचयन की अनुमति है.

15 दिन से अधिक संचित ईएल का सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते की कम से कम 5 दिन ईएल का नकदीकरण कराया जाए.

ख) अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय – 20 दिन प्रति वर्ष नकदीकरण

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिन तक सीमित किया गया है.

40.2.2 छुट्टियों से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. .

40.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

40.3.1 संक्षिप्त वर्णन : परिभाषित लाभ योजना के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क) उपदान :

सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान ₹ 2 मिलियन तक सीमित किया गया है. एमआरपीएल उपदान न्यास की 20 अप्रैल 2007 को स्थापना की गई और बीमांकिक मूल्यांकन के बाद कंपनी से प्राप्त निधि का और 28 जून 2013 तक निधि का निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित आयकर नियम, 1962 के आयकर नियम 67(1) में यथा निर्धारित तरीके से किया गया.

28 जून 2013 के बाद एमआरपीएल – उपदान न्यास की निधि का एलआईसी की समूह उपदान नकद संयन योजना (परम्परागत निधि), बजाज एलाएंज, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाईफ इंश्योरेंस कं. , बिरला सन लाईफ इंश्योरेंश कं. और इंडा फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश किया जाता रहा है.

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

सेवानिवृत्ति के बाद, एकबारीय एकमुश्त अंशदान करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी/उसके आश्रित पत्नी/पति और आश्रित माता-पिता को कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ के लिए कवर किया जाएगा.

ग) पुन: व्यवस्थापन भत्ता:

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थान पर बसने के हकदार होंगे और इसके लिए वे पुन: व्यवस्थापन भत्ता पाने के हकदार हैं.

40.3.2 परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

40.3.3 इस योजनाओं की बदौलत कंपनी को इस तरह के बीमांकिक जोखि उठाने पड़ेगे जैसे निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घायु संबंधी जोखिम और वेतन जोखिम.

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता के (जिसे भारतीय रुपये में अंकित किया जाएगा) वर्तमान मूल्य का परिकलन करते समय वह बट्टा दर लगाई जाएगी जिसका निर्धारण करते समय सरकारी बांडों पर रिपार्ट अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का संदर्भ दिया जाएगा. अगर योजना आस्ति पर प्रतिफल इस दर से कम हो तो इससे योजना में घाटा होगा. इस समय सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा निवेश और अन्य ऋण लिखतों में निवेश का सापेक्षत: मिला-जुला मिश्रण है.
ब्याज जोखिम	बांड की ब्याज दर घटाने से योजना देयता बढ़ जाएगी, लेकिन योजनाओं में ऋण निवेश पर मिले प्रतिफल से इसमें अंशत: कमी होगी.
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना में सहभागियों की उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद दोनों के दौरान मृत्यु से बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा, बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा.
योजनाओं के संबंध में इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च 2018 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित वर्तमान सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

40.3.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया :

क्र.सं. .	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
	उपदान (निधिक)		
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.85%	7.34%
2	**बट्टा दर**	7.85%	7.34%
3	**वेतन वृद्धि दर**	5.50%	5.50%
4	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
5	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
1	बट्टा दर	7.85%	7.34%
2	चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.00%	0.00%
3	कर्मचारी टर्नओवर दर	2.00%	2.00%
4	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)
5	रोजगार के उपरांत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)
	पुन*व्यवस्थापन भत्ता :		
7	बट्टा दर	7.85%	7.34%
8	चिकित्सा लागत में वृद्धि	5.50%	5.50%
9	कर्मचारी टर्नओवर दर	2.00%	2.00%
10	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)	भारतीय बीमाकृत आयु मृत्यु–दर (2006-08)

लेकांकन दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल के आधार पर ऐसा बट्टा दर जो अवधि के अनुरूप हो. वेतन वृद्धि करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है. योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर, वर्ष के दौरान संबंधित दायित्व की समग्र अवधि में मिलनेवाले प्रतिफल के लिए बाजार की अपेक्षा के आधार पर होती है.

40.3.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार है :

उपदान :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	34.53	28.30
निवल ब्याज खर्च	7.26	2.34
पिछली सेवा लागत	76.84	-
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**118.63**	**30.64**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन :		
निवल ब्याज लागत में सम्मिलित रकम को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	(2.67)	(7.53)
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(39.64)	53.36
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(3.10)	20.83
पुन: मापन के घटक	**(45.41)**	**66.66**
कुल	**73.22**	**97.30**

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	4.82	4.13
निवल ब्याज खर्च	5.17	4.61
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**9.99**	**8.74**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन:मापन :		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(5.38)	7.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	2.04	1.74
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	-	-
पुन: मापन के घटक	**(3.34)**	**8.88**
कुल	**6.65**	**17.62**

पुन:व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	1.21	1.14
निवल ब्याज खर्च	0.85	0.79
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन:मापन :	**2.06**	**1.93**
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.79)	1.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(1.50)	0.30
पुन: मापन के घटक	**(2.29)**	**1.44**
कुल	**(0.23)**	**3.37**

वर्ष के लिए चालू सेवा लागत और ब्याज खर्च को लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च में समाविष्ट किया गया है.

निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता को पुन:मापन अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है . अन्य व्यापक आय में दर्शाए गए निवल परिभाषित लाभ सहित देयता घटक ₹ 51.04 मिलियन (गत वर्ष ₹ (76.99) मिलियन) है.

40.3.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में संचलन इस प्रकार है :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	703.51	563.39
वर्तमान सेवा लागत	34.53	28.30
पूर्व सेवा लागत	76.84	-
ब्याजगत लागत	51.64	45.52
पुन:मापन (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(39.64)	53.36
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(3.10)	20.83
प्रदत्त लाभ	(26.73)	(7.89)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**797.05**	**703.51**
वर्तमान दायित्व	61.10	98.99

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ	70.42	57.06
वर्तमान सेवा लागत	4.82	4.13
ब्याजगत लागत	5.17	4.61
पुन:मापन t (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(5.38)	7.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	2.04	1.74
प्रदत्त लाभ	(5.68)	(4.26)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**71.39**	**70.42**
चालू दायित्व	2.28	1.99
गैर-चालू दायित्व	69.11	68.43

पुनर्व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ	11.54	9.81
वर्तमान सेवा लागत	1.21	1.14
ब्याजगत लागत	0.85	0.79
पुन:मापन t (अभिलाभ)/हानियां:		
वित्तीय परिकल्पनाओं में हुए परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (अभिलाभ)/हानियां	(0.79)	1.14
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(1.50)	0.30
प्रदत्त लाभ	(0.46)	(1.64)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**10.85**	**11.54**
चालू दायित्व	**0.35**	**0.32**
गैर-चालू दायित्व	**10.50**	**11.22**

40.3.7 परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी के दायित्व से उत्पन्न तुलनपत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
निधिक पारिभाषिक लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(797.05)	(703.51)
योजना आस्तियों का अंकित मूल्य	735.95	604.52
निधिक स्थिति	**(61.10)**	**(98.99)**
लेखाबद्ध आस्ति पर निर्बंधताएं	-	-
पारिभाषिक लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(61.10)**	**(98.99)**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतो और रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के अधिभोग में रही संपत्ति या इस्तेमाल की गई अन्य आस्तियों के संबंध में उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में सम्मिलित रकम ₹ शून्य (31 मार्च 2017 को ₹ शून्य) है.

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और सेवांत लाभ तथा पुन: व्यवस्थापन भत्ते गैर-निधिक योजना के अधीन आते हैं और इसमें योजना आस्तियों का समावेश नहीं होता है.

40.3.8 योजना आस्तियों के उचित मूल्य में उतार – चढ़ाव इस प्रकार रहा :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
योजना आस्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	604.52	534.44
ब्याजगत आय	44.37	43.18
योजना आस्तियों पर प्रतिफल (निवल ब्याज खर्च में सम्मिलित रकम को छोड़कर)	2.67	7.53
नियोक्ता से अंशदान	98.99	27.25
प्रदत्त लाभ	(14.60)	(7.88)
योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**735.95**	**604.52**

अगले वर्ष के लिए उपदान के संबंध में अपेक्षित अंशदान ₹ 59.19 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 94.65 मिलियन) होगी.

कंपनी ने 31 मार्च 2018 को ₹ 61.10 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 98.99 मिलियन) की उपदान देयता हिसाब में ली है.

40.3.9 प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्ट अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार रहा :

योजना आस्तियों का उचित मूल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.87	1.91
इक्विटी निवेश	-	-
म्युच्यूअल फंड –यूटीआई ट्रेजरी फंड	18.91	17.75
निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर श्रेणीकृत ऋण निवेश		
AAA	54.53	66.74
AA+	7.02	12.03
AA	6.00	6.02
AA-	-	1.00
A+	4.00	5.98
A-	-	11.00

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
समूह उपदान नकदी संचयन योजना (परंपरागत निधि)		
भारतीय जीवन बीमा निगम	141.67	95.95
बजाज एलायंज	121.78	79.48
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस लि.	124.77	79.41
बिरला सनलाईफ इंश्योरेंस लि.	55.02	20.42
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस लि.	55.03	20.42
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	139.66	131.35
अन्य चालू आस्तियां – उपचित ब्याज	6.69	35.06
कुल	**735.95**	**604.52**

40.3.9.1 उपदान की योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 44.37 मिलियन (31 मार्च 2017 ₹ 43.18 मिलियन) रहा.

40.3.10 पारिभाषिक दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं बट्टा दर और वेतन में अपेक्षित वृद्धि है. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गई संबंधित परिकल्पनाओं को ध्यान में रखा गया है , जबकि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनायी रखी गई है.

40.3.11 31 मार्च 2018 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(69.32)	(4.74)	(0.70)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	80.82	5.27	0.78
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	34.95	-	0.79
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.85)	-	(0.72)
कर्मचारी टर्नओवर दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	29.79	(1.90)	0.20
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(33.37)	1.60	(0.22)

40.3.12 31 मार्च 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
बट्टा दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(36.75)	(4.95)	(0.79)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	39.88	5.53	0.88
वेतन वृद्धि दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	40.41	-	0.89
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(37.53)	-	(0.81)
कर्मचारी टर्नओवर दर			
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	6.72	(2.15)	0.18
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(7.17)	1.85	(0.19)

संभव है कि ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व में वास्तविक परिवर्तन न दर्शाएं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक –दूसरे से अलग रहते हुए भी परिकल्पनाओं में परिवर्तन हो क्योंकि कुल परिकल्पनाओं का सह-संबंध हो सकता है.

इसके अलावा, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन, रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट में किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

40.3.13 कंपनी के भावी नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाजी परिभाषिक लाभ योजनओं से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

उपदान :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,894	1,885
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	147.89	139.24
प्रक्षेपित लाभ संबंधी दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्ष)	11	13
औसत अपेक्षित भावी सेवा	17	17
प्रक्षेपित लाभ दायित्व	797.05	703.51
अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ योजना में अंशदान	91.48	133.52

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,915	1,912
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	91	79
प्रक्षेपित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	15	15
औसत प्रत्याशित भावी सेवा	17	17
प्रलेक्षित लाभ दायित्व	71.39	70.42

पुन: व्यवस्थापन भत्ता :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सक्रिय सदस्यों की संख्या	1,915	1,912
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या	148.38	139.68
प्रक्षेपित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	16	16
औसत प्रत्याशित भावी सेवा	17	17
प्रलेक्षित लाभ दायित्व	10.85	11.54

40.3.14 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का परिपक्तवा प्रोफाइल

परिभाषित लाभ	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
उपदान		
एक वर्ष से कम	55.23	31.21
एक से तीन वर्ष	89.60	63.81
तीन से पांच वर्ष	111.20	75.14
पांच वर्ष से अधिक	321.31	239.24
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ :		
एक वर्ष से कम	2.27	1.97
एक से तीन वर्ष	5.06	4.49
तीन से पांच वर्ष	5.90	5.24
पांच वर्ष से अधिक	19.88	17.47
पुन:व्यवस्थापन भत्ता :		
एक वर्ष से कम	0.35	0.32
एक से तीन वर्ष	0.75	0.77
तीन से पांच वर्ष	0.75	0.75
पांच वर्ष से अधिक	2.06	2.00

सहायक कंपनी OMPL

40.4 परिभाषित लाभ योजनाएं

40.4.1 संक्षिप्त वर्णन : कर्मचारी लाभ संबंधी योजनाओं के प्रकार का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

40.4.2 उपदान :

पूरी की गई सेवा के हरेक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. निहित अवधि 5 वर्ष हैं और भुगतान अधिकतम ₹ 2. मिलियन तक सीमित हैं.

40.4.3 इन :योजनाओं की बदौलत कंपनी को बीमांकिक जोखिम उठाने पड़ेंगे, जैस ब्याज दर जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम

ब्याज जोखिम	बांड की ब्याज दर घटने से योजना देयता बढ़ जाएगी
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना में सहभागियों की उनके रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद दोनों के दौरान मृत्यु से बेहतरीन आकलन का हवाला दिया जाएगा. योजना के सहभागियों की अपेक्षित आयु बढने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य परिकलित करते समय योजना के सहभागियों के भावी वेतन का हवाला दिया जाएगा, बहरहाल, योजना के सहभागियों का वेतन बढ़ने से योजना की देयता बढ़ जाएगी.

योजनाओं के संबंध में इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एक सदस्य फर्म ने 31 मार्च 2018 को योजना आस्तियों के हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्यांकन किया. परिभाषित दायित्व और संबंधित वर्तमान सेवा लागत एवं गत सेवा लागत के वर्तमान मूल्य का मापन करते समय प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया.

40.4.4 बीमांकिक मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित परिकल्पनाओं का उपयोग किया गया :

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
1	बट्टा दर	7.87%	7.66%
2	वेतन में वार्षिक वृद्धि	8.00%	8.00%
3	कर्मचारी टर्नओवर	2.00%	2.00%

बट्टा दर अनुरूप अवधि के साथ लेखाकरण दिनांक को सरकारी बांडों पर उपलब्ध आजार प्रतिफल के आधार पर है. वेतन वृद्धि करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित दीर्घावधि कारकों पर विचार किया जाता है.

40.4.5 इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई रकम निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
सेवा लागत :		
वर्तमान सेवा लागत	6.99	6.22
पिछली सेवा की लागत	1.80	-
निवल ब्याज खर्च	2.10	1.28
लाभ-हानि विवरण में लेखाबद्ध परिभाषित लाभ संबंधी लागत के घटक	**10.89**	**7.50**
निवल परिभाषित लाभ संबंधी देयता का पुन: मापन :		
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(4.18)	3.78)
पुन: मापन के घटक	**(4.18)**	**3.78**
कुल	**6.71**	**11.28**

40.4.6 परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में संचलन इस प्रकार रहा :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	27.39	16.11
वर्तमान सेवा लागत	6.99	6.22
पिछली सेवा की लागत	1.80	-
ब्याजगत लागत	2.10	1.28
नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ	(0.38)	-
पुन: मापन (अभिलाभ)/हानियां		
अनुभव समायोजनों से बीमांकिक (अभिलाभ) / हानियां	(1.12)	1.27
वित्तीय परिकल्पनाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक अभिलाभ / हानियां	(3.06)	2.51
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**33.72**	**27.39**
चालू दायित्व	1.24	0.23
गैर*चालू दायित्व	32.48	27.16

40.4.7 परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी के दायित्व से उत्पन्न तुलनपत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
निधिक पारिभाषिक लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(33.72)	(27.39)
योजना आस्तियों का अंकित मूल्य	-	-
पारिभाषिक लाभ संबंधी दायित्व से उत्पन्न निवल देयता	**(33.72)**	**(27.39)**

40.4.8 परिभाषित दायित्व निर्धारित करने के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक परिकल्पनाएं बट्टा दर, वेतन में अपेक्षित वृद्धि और कर्मचारी टर्नओवर है. नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण करते समय रिपोर्ट अवधि के अंत में की गई संबंधित परिकल्पनाओं में होने वाले यथाशक्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है, जबकि दूसरी सभी परिकल्पनाओं में स्थिरता बनाए रखी गई है.

31 मार्च 2018 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(2.48)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	2.76
वेतन वृद्धि दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	2.72
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(2.47)
कर्मचारी टर्नओवर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.13)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	0.14

40.4.9 31 मार्च 2017 को संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण बीमांकिक परिकल्पनाएं	उपदान
बट्टा दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(2.14)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	2.40
वेतन वृद्धि दर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	1.94
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	(1.96)
कर्मचारी टर्नओवर	
- 50 आधार अंक बढ़ने के कारण प्रभाव	(0.17)
- 50 आधार अंक घटने के कारण प्रभाव	0.18

संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण है जिसमें देयता में संचलन दिखाई देता है, बशर्ते कि परिकल्पनाएं किसी दूसरे लिहाज से सही साबित न हुई हों. इससे देयता में परिवर्तन का भी पता चलता है और वास्तविक देयता के बीच का अंतर संवेदनशीजता विश्लेषण के मानदंडों के अनुरूप नहीं है.

इसके अलावा, उक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करते समय परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन, रिपोर्ट अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट में किया गया है जो वही है जिसे तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के प्रति देयता का परिकलन करते समय लागू किया गया था.

41 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के पास एक ही रिपोर्ट करने योग्य खंड "पेट्रोलियम उत्पाद" है.

सहायक कंपनी के पास एक ही रिपोर्ट करने योग्य खंड "पेट्रोकेमिकल्स" है

41.1 प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के उल्लेखनीय राजस्व तेल विपणन कंपनियों को बिक्री से मिलते हैं जो 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कुल राजस्व का क्रमश: 66% तथा 68% बनते हैं. इन कंपनियों को कुल बिक्री की रकम 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 413,922.96 मिलियन और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 405,803.37 मिलियन रही.

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष किसी भी ग्राहक (ऊपर उल्लिखित तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर) ने कंपनी के राजस्व में 10% या इससे अधिक योगदान नहीं दिया. ऐसे ग्राहकों को कुल बिक्री की रकम 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य मिलियन और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य मिलियन रही.

सहायक कंपनी OMPL के महत्वपूर्ण राजस्व निर्यात ग्राहकों को बिक्री प्राप्त होते हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 83% (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए: 71%) है. ऐसे ग्राहकों को कुल बिक्री यथा 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 46,315.23 मिलियन रही और 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 37,412.11 मिलियन थी. 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए तीन ग्राहकों ने कंपनी के राजस्व में 10% या इससे अधिक का योगदान दिया. ऐसे ग्राहकों को कुल बिक्री 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 42,770.68 मिलियन और 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 34,811.94 रही.

41.2 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी :

क) समूह भारत में स्थित है. ग्राहकों के स्थान के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त राजस्व रकम नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गयी है:

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भारत	4,63,284.92	4,62,053.99
अन्य देश	1,73,474.39	1,37,719.71
कुल	**6,36,759.31**	**5,99,773.70**

ख) गैर चालू आस्तियां (वित्तीय आस्तियों तथा आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर), ग्राहकों के स्थान के आधार पर नीचे की तालिका में दर्शाई गई है :

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भारत	2,28,523.82	2,23,924.90
अन्य देश	-	-
कुल	**2,28,523.82**	**2,23,924.90**

41.3 प्रमुख उत्पादों से राजस्त

कंपनी का उसके प्रमुख उत्पादों से जारी प्रचालन से राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है :

Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
हाई स्पीड डीजल (HSD)	3,37,309.70	3,22,098.73
मोटर स्पिरिट (MS)	84,126.90	80,464.16
कुल	**4,21,436.60**	**4,02,562.89**

42 संबंधित पक्षकार के बारे में प्रकटन

42.1 संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का वर्णन

अ. कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रतिष्ठान (नियंत्रक कंपनी)

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेउ (ONGC)

आ. कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला प्रतिष्ठान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)

इ. सहायक कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)

ई. संयुक्त उद्यम

1 शेल एमआरपीएल एविएशन फ्यूयल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)

2 मंगलम रिटेल सर्विसेज लिमिटेड (MRSL) (जनवरी 16, 2017 तक)

उ. न्यास (सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ संबंधी न्यास सहित) जिन पर एमआरपीएल का नियंत्रण है :

1. एमआरपीएल उपदान निधि न्यास
2. एमआपीएल भविष्य निधि न्यास

ऊ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ऊ.1. गैर कार्यपालक निदेशक

श्री शशि शंकर , अध्यक्ष , 01 अक्तूबर 2017 से

श्री डी. के. सर्राफ,, अध्यक्ष, 01 अक्तूबर 2017 से

ऊ. 2 कार्यपालक निदेशक

1. श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक
2. श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइन्री)
3. श्री ए. के. साहू , निदेशक (वित्त)

ऊ.3 अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

1 श्री विनोद एस्. शेणै, नामिती निदेशक (HPCL)

2 श्रीमती पेरिन देवी,सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017 तक

3 श्री दिवाकर नाथ मिश्र, सरकारी नामिती निदेशक, नवंगर 24, 2017 तक .

4 श्री के. एम. महेश, सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017.से

5 श्री संजय कुमार जैन, सरकारी नामिती निदेशक, नवंबर 24, 2017.से

6 सुश्री मंजुला सी. स्वतंत्र निदेशक

7 श्री वी. पी. हरन, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.

8 श्री सेवा राम , स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.

9 श्री जी. के. पटेल, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से.

10 श्री बलबीर सिंह यादव, स्वतंत्र निदेशक, सितंबर 08, 2017 से..

ऊ .4 कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

42.2 लेन-देनों के विवरण :

42.2.1 नियंत्रक कंपनी के साथ लेन-देन

ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	क) ओएनजीसी कर्नाटक तथा रिटेल आउटलेट को बिक्री	13.46	20.48
	ख) हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल की बिक्री	8,847.37	5,302.12
क्रूड तथा रिटेल आउटलेट की खरीद	क) क्रूड तेल की खरीद	49,439.47	53,305.01
	ख) रिटेल आउटलेट की खरीद	12.16	25.10
प्राप्त सेवाएं	क) ओएनजीसी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	7.17	2.94
	ख) मुंबई तथा दिल्ली कार्यालय के लिए प्रदत्त किराया तथा बिजली प्रभार	73.64	15.36
गारंटी फीस	सऊदी अरैमको को दी गई गारंटी के लिए प्रभार	15.75	16.65
प्रदान की गई सेवाएं	ओएनजीसी की ओर से उपगत खर्च	0.18	10.53
लाभांश	प्रदत्त लाभांश	7,532.12	-
ब्याजगत खर्च	मीयादी ऋण पर ब्याज	1,657.81	2,435.03

42.2.2 नियंत्रक कंपनी के पास बकाया शेष

ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
ऋण	मीयादी ऋण	18,856.90	25,714.10
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री	985.40	614.59
देय राशि	क्रूड तेल की खरीद	6,665.62	3,191.80
देय राशि	अन्य सामग्री की खरीद	62.76	12.19

42.2.3 सत्ता के साथ लेनदेन कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	2,07,663.45	1,85,334.75
प्रदान की गई सेवाएं	*क)* टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य रकम	8.28	49.25
	ख) जल प्रभार, सुगमीकरण प्रभार की	16.41	4.92
	ग) राज्य विशिष्ट लागत अनुपात –ईटी प्रतिपूर्ति	-	390.49
	संदूषित प्रभार, अस्पताल में भती होने संबंधी शुल्क,		
	घ) घाट शुल्क और स्टॉक में हानि आदि की प्राप्तियां	6.22	3.05
	ङ) *लाभांश*	1,782.92	-

42.2.4 कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रतिष्ठान के पास बकाया शेषराशि

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री	8,789.87	8,963.13
	मार्गस्थ हानि एवं अन्य	40.26	95.50
देय राशि	एचपीसीएल आरएंडडी एवं रासायनिक सफाई	2.26	0.29

42.2.5 सहायक कंपनी के साथ लेन-देन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (OMPL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	तेल उत्पादों की बिक्री	43,169.50	46,624.71
उत्पादों की खरीद	रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी	10,621.09	8,987.03
प्राप्त सेवाएं	क) इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की खरीद	-	-
	ख) प्रतिनियुक्ति पर ओएमपीएल स्टाफ के लिए वेतन	12.35	-
	ग) सड़क सुविधा	7.94	-
प्रदान की गई सेवाएं	क) क्रेन प्रभार और परामर्शी शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	0.03
	ख) सुगमीकरण प्रभार	44.41	36.67
	ग) एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ऊर्जा प्रभार, सर्वेक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	35.99	-
	ध) परामर्शी पश्च प्रभार /मीटरिंग प्रभार के लिए क्रेडिट नोट	61.70	-
ब्याज आय तथा अन्य वसूली	विलंबित भुगतान के लिए व्याज प्रभार	-	57.05
	प्रभारों की प्रतिपूर्ति	34.38	-

42.2.6 सहायक कंपनी के पास बकाया शेष

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (OMPL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
ऋण	अल्पावधि मीयादी ऋण एवं अग्रिम	8.93	0.03
प्राप्य राशि	तेल उत्पादों की बिक्री, सुगमीकरण प्रभार व अन्य	1,754.77	1,903.24
	क) रैफिनेट और हाइड्रोजन की खरीदारी एवं अन्य सेवा प्रभार	540.35	96.11
देय राशि	ख) OMPL द्वारा एमआरपीएल के भीतर प्रदान की गई फीड हस्तांतरण सुविधा	1.73	344.40

42.2.7 संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन :

शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
उत्पादों की बिक्री	पेट्रोलियम उत्पाद	4,749.18	4,720.78
प्रदत्त सेवाएं	क) इलेक्ट्रिकल प्रभार की प्रतिपूर्ति	0.04	0.34
	ख) रायल्टी आय	9.19	10.44
लाभांश आय	प्राप्त लाभांश	112.50	7.50
उत्पाद खरीद	संदूषित उत्पाद	0.62	-

42.2.8 संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेष :

शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
शेल एविएशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (SMAFSL)	क) रॉयल्टी एंड टर्मिनल प्रभार आदि	426.40	509.86
	ख) सेवाओं के लिए प्राप्य	0.01	0.31

42.2.9 अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
क) निम्न से प्राप्त सेवाएं:			
1 मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	क) नदी का जल, एसटीपी जल एवं सड़क मरम्मत	553.69	416.96
	ख) पाइपलाइन- सह सड़क कॉरिडार बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	-	87.09
	ग) बाईपास रोड के विकास के लिए अग्रिम	-	51.50
	घ) पेटकोक रोड के लिए प्रदत्त पट्टा किराया	-	130.45
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन प्रभार	44.89	-
ख) निम्न को दी गई सेवाएं:			
1 मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	सरापदी के लिए पट्टा किराया	-	0.03
2 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	बिजली प्रभार की प्रतिपूर्ति	41.31	30.18

42.2.10 अन्य संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष राशि :

सहयोगी कंपनी का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	बिजली प्रभार की प्रतिपूर्ति	5.77	2.73
देय राशि :			
1. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	नदी का जल, एसटीपी जल एवं सड़क मरम्मत	43.89	38.84
2. ONGC नील गंगा बीवी	क्रूड की खरीदारी के निमित्त बकाया	67.99	67.65
	पाइपलाइन परिवहन प्रभार		-
निम्न को अग्रिम :			
मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पाइपलाइन- सह सड़क कॉरिडार बनाने की खातिर मार्गाधिकार के लिए अग्रिम	980.61	980.61

41.2.11 न्यासों के साथ लेन-देन

न्यास का नाम	लेन-देनों का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
भुगतान का प्रेषण :			
एमआरपीएल लि. का भविष्य निधि	अंशदान	428.25	352.16
न्यास की ओर से किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति:			
एमआरपीएल उपदान निधि न्यास	प्रतिपूर्ति एवं अंशदान	12.12	12.20

41.2.12 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिकर :

पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	23.55	14.25
रोजगार पश्चात लाभ (छुट्टी, उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य लाभ शामिल हैं)	7.42	8.37
अन्य दीर्घावधि लाभ (भविष्य निधि में अंशदान शामिल है)	2.11	1.69
कुल	**33.08**	**24.30**

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को ऋण / ऋण पर उपचित ब्याज

पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
निदेशक तथा कंपनी सचिव को ऋण	1.65	1.23
निदेशक तथा कंपनी सचिव को ऋण पर उपचित ब्याज	0.42	0.38
कुल	**2.07**	**1.61**

स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
बैठक शुल्क	2.58	0.02

42.3 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन (टिप्पणी 42.3.4):

42.3.1 सरकार से संबद्ध उन प्रतिष्ठानों के नाम तथा संबंध के विवरण जिनके साथ उल्लेखनीय मात्रा में लेने-देन हुए हैं:

	सरकार संबद्ध पक्षकार	संबंध
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL)	केंद्रीय पीएसयू
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	केंद्रीय पीएसयू
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
4	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
5	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
7	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
8	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
9	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	केंद्र सरकार
10	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	केंद्र सरकार
11	मेस्कॉम	राज्य सरकार
12	कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	राज्य सरकार
13	नव मंगलूर पत्तन न्यास	केंद्रीय पत्तन न्यास

42.3.2 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (टिप्पणी 42.3.4):

संबद्ध **पक्षकार का नाम**		**लेन-देन का स्वरूप**	**समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018**	**समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017**
A	**वर्ष के दौरान निम्न को उत्पादों की बिक्री :**			
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	118,197.54	114,796.19
2	लिमिटेड(BPCL)	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	71,354.03	89,965.39
3	नव मंगलूर पत्तन न्यास	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	1.34	-
4	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री	3.06	-
		ख) ISPRL की ओर से क्रूड तेल की खरीद	4.99	6,186.72
B	**वर्ष के दौरान निम्न से उत्पादों की खरीद :**			
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	सीपीपी फेज III और अन्य आपूर्तियां	75.39	33.09
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	नैप्था/संदूषित उत्पाद / ल्यूब की खरीद	13.16	433.24
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL)	संदूषित उत्पाद की खरीद	2.33	-
C	**प्रदत्त सेवाएं**			
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL)	क) टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य	4.32	-
		ख) लोडिंग आर्म प्रभार	0.07	-
2	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	एमआरपीएल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	9.02	-
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)	क) टर्मिनल प्रभार के निमित्त प्राप्त / प्राप्य	7.16	-
D	**निम्न से प्राप्त सेवाएं :**			
1	कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की खरीद	235.92	209.11
2	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	बीमा प्रीमियम	251.20	271.44
3	नव मंगलूर पत्तन न्यास	पत्तन सेवाएं	132.30	39.51
4	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	जॉब कार्य सेवा	185.59	28.98
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	तकनीकी सेवाएं	752.49	552.06
6	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	सेवा	2,831.76	3,945.37
7	नव मंगलूर पत्तन न्यास	पत्तन सेवाएं	1,304.23	1,275.43
8	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलवे साइडिंग	248.09	320.64
9	इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (IOCL)	परीक्षण शुल्क	0.04	-
E	**भूमि के अर्जन हेतु अग्रिम**			
1	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	फेज IV भूमि की खरीद	1,107.21	5,905.19

42.3.3 सरकार संबद्ध प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेषराशि (टिप्पणी 42.3.4):

संबद्ध पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्राप्य राशि :			
1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	5,348.27	6,216.48
2 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	3,148.87	3,406.15
3 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	4.75	3,033.27
4 नव मंगलूर पत्तन न्यास	व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां	53.46	38.13
विक्रेताओं को अग्रिम :			
1 उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र	अग्रिम	29.82	29.82
2 कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	भूमि हेतु अग्रिम	7,017.10	5,909.17
3 कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	अग्रिम	60.56	60.30
4 इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL)	अग्रिम	0.53	0.67
देय राशि :			
1 ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	103.84	68.74
2 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	561.00	1,087.32
3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	870.52	1,482.90
4 भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	43.49	309.97
5 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	16.85	0.03
6 कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	21.01	19.43
7 इंडियन आयल लिमिटेउ	व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां	0.08	0.07

सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन'देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो अलग-अलग और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, विमान से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. अलग-अलग और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं हैं और इस लिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

42.3.4 ONGC, HPCL, OMPL, PMHBL और ONGBV के साथ किए गए लेन-देन और इनके पास बकाया शेषराशि उक्त टिप्पणी 42.2.1 से 42.2.10 में प्रकट की गई है.

42.4 सहायक कंपनी OMPL के संबंधित पक्षकार का प्रकटन

42.4.1 संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध का वर्णन :

अ अंतिम नियंत्रक कंपनी

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस लिमिटेड [ONGC]

आ अंतिम नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इ अंतिम नियंत्रक कंपनी का संयुक्त उद्यम

मंगलूर एसईज़ेड लिमिटेड (MSEZL)

ई प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ई .1 गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री डी. के. सर्राफ, (अध्यक्ष) (30.09.2017 तक)
श्री शशि शंकर (. 11 अक्तूबर 2017 से)
श्री एच. कुमार, निदेशक
श्री एम. वेकटेश, निदेशक
श्री ए. के. साहू, निदेशक
श्री वी. पी. महावर, निदेशक (28 फरवरी 2018 तक)
श्रीमती अल्का मित्तल, निदेशक

ई..2 स्वतंत्र निदेशक

श्री आई.एस.एन. प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)

श्री संतोष नौटियाल, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)

श्री जी.एम. राममूर्ति , स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)

श्री एम. एम. चितले, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च 2017 तक)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं.

ई.3 श्री के; सुशील शेणै, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी – प्रभारी

ई.4 श्री के. बी. श्याम कुमार, कंपनी सचिव

42.5 लेन-देनों के ब्यौरे :

42.5.1 नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी के संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनी के साथ लेन-देन -

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
मंगलूर एएईजेड लिमिटेड	प्राप्त आपूर्तियां एवं सेवाएं	378.69	204.48
	कॉरिडार के लिए पूंजीगत अग्रिम	-	75.70
	2MVA बिजली के लिए प्रतिभूति जमा	8.13	-
	पट्टा किराया	23.40	23.40
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	उत्पाद की खरीद	3,474.75	3,857.18
(HPCL)			

42.5.2 नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी के संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनी के पास बकाया शेष -

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा	यथा
		31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अ. देय राशि :			
मंगलूर एसईज़ेड लिमिटेड	व्यापारिक तथा अन्य देय राशियां	189.58	26.23
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	व्यापारिक तथा अन्य देय राशियां	662.01	-
लिमिटेड (HPCL)			
आ. प्राप्य राशि :			
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन	व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य राशियां	0.05	0.05
लिमिटेड [ONGC]			
ग. ऋण तथा अन्य आस्तियां :			
मंगलूर एसईजेड लिमिटेड	पूंजी अग्रिम	-	975.70
	प्रतिभूति जमा (बिजली)	3.59	11.71
	प्रतिभूति जमा (बिजली)	15.40	15.40
	प्रतिभूति जमा (पानी)	3.13	3.13

42.5.3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर

क. मुख्य वित्तीय अधिकारी *

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	4.33	3.69
रोजगार पश्चात लाभ (उपदान) एवं दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूरित अनुपस्थितियां)	1.40	1.32
भविष्य निधि में अंशदान	0.50	0.50
कुल	**6.23**	**5.51**

* मुख्य वित्तीय अधिकारी के पास प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार है.

ख. कंपनी सचिव

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	2.35	2.32
रोजगार पश्चात लाभ (उपदान) एवं दीर्घावधि लाभ (क्षतिपूरित अनुपस्थितियां)	0.40	0.36
भविष्य निधि में अंशदान	0.28	0.27
कुल	**3.03**	**2.95**

ग. स्वतंत्र निदेशक

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
बैठक शुल्क	-	0.67
कुल	**-**	**0.67**

42.6 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रकटन

42.6.1 सरकार से संबद्ध उन प्रतिष्ठानों के नाम तथा संबंध के विवरण जिनके साथ उल्लेखनीय मात्रा में लेने-देन हुए हैं (42.5 में प्रकट किए गए प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठान) :

क्र;सं.	सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठान	संबंध
i	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
ii	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
iii	नेशलन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
iv	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	राज्य सरकार
v	नव मंगलूर पत्तन न्यास	न्यास
vi	बालमर लॉरी एण्ड कं. लि.	केंद्रीय पीएसयू
vii	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	केंद्रीय पीएसयू
viii	केंद्रीय भंडारागार निगम	केंद्रीय पीएसयू
ix	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	केंद्रीय पीएसयू
x	गेल इंडिया लि.	केंद्रीय पीएसयू

42.6.2 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ लेन-देन (42.5.1 में उल्लिखित से भिन्न)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017
ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	सेवाएं	6.79	14.09
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएं	18.87	-
नेशलन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बीमा प्रीमियम	12.09	12.22
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सेवाएं	0.10	1.76
नव मंगलूर पत्तन न्यास	वत्तन सेवाएं	67.24	49.60
बालमर लॉरी एण्ड कं. लि.	सेवाएं	3.19	6.14
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सेवाएं	117.64	116.15
केंद्रीय भंडारागार निगम	सेवाएं	0.50	-
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	माल की आपूर्ति	1.43	-
गेल इंडिया लि.	माल की आपूर्ति	1.81	-

42.6.3 सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के पास बकाया शेष (42.5.2 में प्रकट किए गए प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठान) :

संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन का स्वरूप	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
देय राशियां :			
ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड	व्यापारिक तथा अन्य देय राशियां	-	6.79
नव मंगलूर पत्तन न्यास	व्यापारिक तथा अन्य देय राशियां	(0.09)	(0.41)
केंद्रीय भंडारागार निगम	सेवाएं	(0.06)	-
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सेवाएं	(2.36)	-

सरकार से संबद्ध प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन'देनों में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो अलग-अलग और सामूहिक रूप से उल्लेखनीय हैं. कंपनी ने ऊपर उल्लिखित और सरकार से जुड़े अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ दूसरे लेन-देन भी किए हैं जैसे टेलीफोन खर्च, विमान से यात्रा, ईंधन की खरीदारी और जमाराशि आदि. अलग-अलग और सामूहिक दृष्टि से ये लेन-देन उल्लेखनीय नहीं हैं और इसलिए इनको प्रकट नहीं किया गया है.

43 वित्तीय लिखत

43.1 पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय समूह का उद्देश्य चालू प्रतिष्ठान की तरह जारी रखने की क्षमता की हिफाजत करना ताकि समूह हितधारकों को अधिकतम प्रतिफल और अन्य हितधारकों को लाभ दिला सके और पूंजी लागत घटाने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सके.

समूह अपना वित्तीय ढ़ाचा बनाए रखता है जिससे कि सुरक्षित वित्तीय आधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ शेयरधारकों की मूल्य वृ'द्धि हासिल करने के प्रति समर्थन दिया जा सके. पूंजी संरचना को बनाए रखने अथवा उसका समायोजन करने की दृष्टि से समूह शेयरधारकों को लाभांश के वितरण में फेर-बदल कर सकता है. शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नये शेयरों का निर्गमन कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए आस्तियां बेच सकता है.

समूह की पूंजीगत संरचना में निवल ऋण (टिप्पणी 33 और 23 में विस्तार से उल्लिखित आधार , जिसकी कमी पूरी की गई है, नकद और बैंक शेषराशियों से) और समूह की कुल इक्विटी समाविष्ट है.

समूह का प्रबंधन समूह की पूंजीगत संरचना का तिमाही आधार पर समीक्षा करता है. इस समीखा के भाग के रूप में प्रबंधन पूंजी लागत और प्रत्येक श्रेणी की पूंजी की आवश्कता से जुड़े जोखिमों और पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने पर विचार करता है. .

43.1.1 कर्ज-भार अनुपात

रिपोर्ट अवधि के अंत में कर्ज-भार अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है

कर्ज-भार अनुपात का परिकलन निम्नानुसार किया गया है

	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
i)	कर्ल *	1,49,210.18	1,54,768.92
ii)	कुल नकदी तथा बैंक शेष	8,330.01	21,438.32
	घटाएं : कार्यशील पूंजी के लिए अपेक्षित नकदी और बैंक राशि	8,329.85	21,308.45
	निवल नकदी तथा बैंक शेष	0.16	129.87
iii)	**निवल कर्ज**	1,49,210.02	1,54,639.05
iv)	**कुल इक्विटी**	1,03,873.92	98,751.64
v)	**निवल कर्ज – इक्विटी अनुपात**	1.44	1.57

*** कर्ज का मतलब है टिप्पणी 22 और टिप्पणी 23 में वर्णन किए गए अनुसार दीर्घावधि और अल्पावधि उधार.**

43.2 वित्तीय लिखतों की श्रेणियां

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016
वित्तीय आस्तियां		
परिशोधित लागत पर मापी गईं		
(क) व्यापारिक और अन्य प्राप्य राशियां	25,767.94	26,189.78
(ख) नकदी और नकदी समतुल्य	4,403.69	2,461.53
(ग) अन्य बैंक शेष	3,926.32	18,976.79
(घ) ऋण	713.59	506.17
(ङ) अन्य वित्तीय आस्तियां	167.54	3,213.76
लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गईं		
(क) निवेश	5.08	5.08
वित्तीय देयताएं		
परिशोधित लागत पर मापी गई		
(क) उधारराशियां	1,07,403.12	1,32,595.78
(ख) व्यापार देय राशियां	47,925.45	60,444.97
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	49,157.35	30,814.36

43.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह की जोखिम प्रबंधन समिति समूह का प्रचालन करने में निहित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम पर निगरानी रखकर उसे संभालती है जिसके लिए जोखिम की मात्रा और परिमाण के आधार पर एक्सपोजर का विश्लेषण किया जाता है. इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और नकदी जोखिम शामिल है. .

43.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम अथवा अनिश्चितता है जो संभवत: बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से और व्यवसाय के भावी निष्पादन पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होती है. बाजार के प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम हैं.

43.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह विदेशी मुद्रा में अंकित लेन-देन, मूल रूप से क्रूड तेल की खरीदारी और निर्यात बिक्री के सिलसिले में करता है और उसके बाधार विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं. फलस्वरूप उसे विनिमय दर में घट-बढ़ का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट अवधि के अंत में समूह की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और मौद्रिक देयताओं का बही मूल्य निम्नानुसार है :-

लेन-देन मुद्रा	देयताएं (राशि ₹ मिलियन)		आस्तियां (राशि ₹ मिलियन)	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
यूएस डालर	1,31,722.28	1,09,685.43	6,933.51	7,718.22
यूरो	0.97	-		-

43.5.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह को खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा (यूएस डालर) में संव्यवहार करना पड़ता है. लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता खास तौर से यूएस डालर में अंकित प्राप्य और देय राशियों में उत्पन्न होती है.

यूएसडी – भारतीय मुद्रा में +/- 5% की विनिमय दर में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रबंधन के आकलनों के अनुसार, अवधि के अंत में सिर्फ विदेशी मुद्रा में अंकित बकाया मौद्रिक मदों पर लाभ अथवा हानि की संवेदनशीलता, यहां नीचे प्रस्तुत की गई है:

वर्ष के अंत में USD संवेदनशीलता	2017-18	2016-2017
प्राप्य राशियां :		
भारतीय रुपये में 5% कमजोरी	346.68	385.91
भारतीय रुपये में 5% मजबूती	(346.68)	(385.91)
देय राशियां		
भारतीय रुपये में 5% कमजोरी	(4,652.66)	(2,786.80)
भारतीय रुपये में 5% मजबूती	4,652.66	2,786.80

43.5.2 विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं

समूह ने रिपोर्ट अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा नहीं की है.

43.6 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

समूह ने स्थिर और अस्थिर ब्याज दरों पर उधार लिये हैं.इसलिए उसे ब्याज दर में निहित जोखिम उठाना पड़ेगा. समूह ने कोई ब्याज दर अदला-बदली नहीं की है और इसलिए समूह को ब्याज दर में निहित जोखिम का सामना करना पड़ेगा.

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्ट अवधि के अंत में ब्याज दर के प्रति एक्सपोजर के आधार पर किया गया है. अस्थिर दर लिये गये उधारों के संबंध में विश्लेषण करते समय यह परिकल्पना की गई है कि रिपोर्ट अवधि के अंत में बकाया उधार राशि समूचे वर्ष में बकाया रही. संवेदनशीलता विश्लेषण में प्रकट करते समय 50 आधार अंक घटाया या बढ़ाया गया है.

यदि ब्याज दर 50 आधार अंक पर अधिक / कम हुआ होता और सभी अन्य परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया होता तो समूह का लाभ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में ₹ 613.00 मिलियन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए : ₹ 404.64 मिलियन कमी/वृद्धि) तक बढ़ / घट गया होता. इसका प्रमुख कारण समूह का उसके परिवर्तनीय दरों पर लिए गये उधार के प्रति एक्सपोजर है.

43.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण संबंधी जोखिम एक ऐसा जोखिम है जबकि कोई प्रति पक्षकार अपने संविदात्मक दायित्व निभाने से मुकर जाता है जिसके चलते समूह को वित्तीय हानि होती है. ऋण संबंधी जोखिम, नकदी और नकदी समतुल्य, प्राप्य रकम सहित बैंकों और ग्राहकों के पास रखी गयी जमाराशि से उत्पन्न होता है. ऋण जोखिम प्रबंधन, उपलब्ध उचित और समर्थक अग्रदर्शी सूचना के साथ-साथ बाह्य क्रेडिट रेटिंग (जहां तक उपलब्ध हों), समष्टि आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, सरकारी निदेश, बाजार ब्याज दर) जैसे संकेतों पर विचार करता है .

चूंकि प्रमुख ग्राहक उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हैं, इसलिए ऋण में निहित जोखिम नगण्य है. किसी दूसरे प्रति पक्षकार के प्रति ऋण जोखिम का संकेंदण वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक आस्तियों के 10% से अधिक नहीं है. सहायक कंपनी OMPL नियंत्रक कंपनी को की जाने वाली बिक्री के अलावा ऐसे ग्राहकों को बिक्री करती है जो साख पत्र द्वारा प्रतिभूत हैं.

जमाराशि रखते समय सिर्फ उच्च रेटिंग प्राप्त बैंकों पर विचार किया जाता है. बैंक शेषराशियां प्रतिष्ठित और साखपात्रता बैंकिंग संस्थाओं में रखी जाती है.

43.8 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

समूह चलनिधि जोखिम संभालने के लिए बैंक जमाराशियों पर पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य रखता है. और रकम देय होने पर दायित्व निभाने की खातिर प्रतिबद्ध पर्याप्त रकम में ऋण सुविधाओं के जरिए निधि उपलब्ध कराता है. प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी स्थिति एवं नकदी समतुल्य का पूर्वानुमान लगाने की खातिर उस पर नजर रखता है. इसके अलावा, चल निधि प्रबंधन में वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता का मिलान करते हुए और तुलन-पत्र के चलनिधि अनुपात पर नजर रखते हुए दायित्व निभाने के लिए जरूरी नकदी आस्तियों के स्तर पर विचार करते हुए नकदी प्रवाह का प्रक्षेपण किया जाता है. समूह चल निधि संबंधी जोखिम संभालते समय पर्याप्त आरक्षित निधि बरकरार रखता है और लगातार पूर्वानुमान पर और वास्तविक नकदी प्रवाह पर नजर रखने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करता है.

नीचे उल्लिखित तालिका में समूह की सहमत चुकौती अवधियों के साथ गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए बची हुई संविदात्मक परिपक्वता दर्शाई गई है. यह तालिका कंपनी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जिस तारीख को भुगतान करना पड़ेगा उस तारीख को ध्यान में रखते हुए वित्तीय देयताओं के बट्टा रहित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है. इस तालिका में ब्याज और मूल नकदी प्रवाह दोनों समाविष्ट किए गए हैं. संविदात्मक परिपक्वता उस तारीख के आधार पर निर्धारित की गई है. जिस तारीख को समूह द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करना पड़ेगा.

विवरण यथा 31 मार्च 2018	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) उधार राशियां	दीर्घावधि - 5.42% अल्पावधि - 6.24%						
	सहायक OMPL दीर्घावधि - 6.93% अल्पावधि - 2.34%	28,257.00	34,359.26	44,080.70	1,062.64	107,759.60	107,403.12
(ii) व्यापारिक देय राशियां	-	39,558.93	8,366.52	-	-	47,925.45	47,925.45
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	6,934.75	42,255.51	-	-	49,190.26	49,157.35

विवरण यथा 31 मार्च 2017	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) उधार राशियां	दीर्घावधि - 5.92% अल्पावधि - 7.19%						
	सहायक OMPL दीर्घावधि - 6.90% अल्पावधि - 4.21%	10,466.58	36,015.40	76,774.38	9,272.84	132,529.20	132,595.78
(ii) व्यापारिक देय राशियां	-	35,360.49	25,084.48	-	-	60,444.97	60,444.97
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	9,490.43	21,408.42	-	-	30,898.85	30,814.36

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता के ब्यौरे दिये गये हैं. यह तालिका वित्तीय आस्तियों पर अर्जित किए जाने वाले ब्याज सहित इन आस्तियों की बट्टा रहित संविवदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर तैयार की गई है. कंपनी की चल निधि जोखिम प्रबंधन को समझने के लिए गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों पर जानकारी समाविष्ट करना आवश्यक है क्योंकि चलनिधि को निवल आस्ति और देयता के आधार पर संभाला जाता है.

विवरण यथा 31 मार्च 2018	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) निवेश	-	-	-	-	306.26	306.26	306.26
(ii) ऋण - ब्याज युक्त	7.60%	4.95	74.21	135.21	341.32	555.69	555.69
- अन्य	-	6.45	0.78	0.01	168.14	175.38	157.90
(iii) व्यापारिक प्राप्य राशियां	-	25,680.81	87.13	-	-	25,767.94	25,767.94
(iv) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	1,006.19	3,397.50	-	-	4,403.69	4,403.69
(v) ऊपर (iv)के अलावा बैंक शेष	-	3,926.22	-	0.10	-	3,926.32	3,926.32
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	69.55	3.16	1.93	92.90	167.54	167.54

विवरण यथा 31 मार्च 2017	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 महीने से कम	1 महीना -1 वर्ष	1 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल	सकल रखाव मूल्य
(i) निवेश	-	-	-	-	418.52	418.52	418.52
(ii) ऋण - ब्याज युक्त	7.60%	10.61	44.00	84.79	218.08	357.48	357.48
- अन्य	-	3.27	1.70	0.01	161.47	166.45	148.69
(iii) व्यापारिक प्राप्य राशियां	-	26,162.97	26.81	-	-	26,189.78	26,189.78
(iv) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	2,461.53	-	-	-	2,461.53	2,461.53
(v) ऊपर (iv)के अलावा बैंक शेष	-	16,220.73	2,755.97	-	0.09	18,976.79	18,976.79
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	-	3,136.22	8.80	2.24	66.50	3,213.76	3,213.76

समूह को नीचे वर्णित वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच है जिसमें से ₹ 8,032.25 मिलियन का रिपोर्ट अवधि के अंत में उपयोग नहीं किया गया था (31 मार्च 2017 को ₹ 9,470.53 मिलियन). समूह को उम्मीद है कि वह प्रचालन नकदी प्रवाह और परिपक्व होने वाली वित्तीय आस्तियों से अपने अन्य दायित्व निभा पाएगा.

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
मांग पर देय प्रतिभूत बैंक ओवरड्राफ्ट् सुविधा:	10,179.00	15,933.00
- प्रयुक्त राशि	2,146.75	6,462.47
- अप्रयुक्त राशि	8,032.25	9,470.53

43.9 उचित मूल्य मापन

प्रबंधन समझता है कि जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का वही मूल्य उनके उचित मूल्य दर्शाता है

44 संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण (यथा 31 मार्च 2018)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर – चालू देयताएं	कुल राजस्त	चालू प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	2,086.94	100.59	1,578.22	1.81	5,491.94	54.18	-	(1.62)	52.56
कुल	**2,086.94**	**100.59**	**1,578.22**	**1.81**	**5,491.94**	**54.18**	**-**	**(1.62)**	**52.56**

विवरण (यथा 31 मार्च 2017)	चालू आस्तियां	गैर-चालू आस्तियां	चालू देयताएं	गैर – चालू देयताएं	कुल राजस्त	चालू प्रचालनों से लाभ या हानि	बंद प्रचालनों से लाभ या हानि	अन्य व्यापक आय	कुल व्यापक आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	2,228.01	101.18	1,496.12	1.33	5,603.71	90.62	-	7.63	98.25
कुल	**2,228.01**	**101.18**	**1,496.12**	**1.33**	**5,603.71**	**90.62**	**-**	**7.63**	**98.25**

44.1 संयुक्त उद्यम से संबधित अतिरिक्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है :

विवरण (यथा 31 मार्च 2018)	नकदी तथा नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	ब्याजगत आय	ब्याजगत खर्च	आयकर खर्च या आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	195.74	1,423.78	-	6.06	28.36	3.73	27.16
कुल	**195.74**	**1,423.78**	**-**	**6.06**	**28.36**	**3.73**	**27.16**

विवरण (यथा 31 मार्च 2017)	नकदी तथा नकदी समतुल्य	चालू वित्तीय देयताएं	गैर-चालू वित्तीय देयताएं	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	ब्याजगत आय	ब्याजगत खर्च	आयकर खर्च या आय
शेल एमआरपीएल एविऐशन फ्यूएल्स एंड सर्विसेज लि.	375.11	1,351.14	-	7.45	22.02	1.11	49.88
कुल	**375.11**	**1,351.14**	**-**	**7.45**	**22.02**	**1.11**	**49.88**

45 आकस्मिक देयताएं

45.1 कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे/विवादग्रस्त मांगें जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
1	**विवाचन / कोर्ट में संविदाकारों / बिक्रेताओं के दावे**	3.923.42	1,772.16
क)	उपकरणों के आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ संविदाकारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढ़ायी गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर संविदा पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग गई और अतिरिक्त दावे किये गये हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित संविदा के प्रावधानों के अनुसार उनको स्वीकार किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम ₹ 3880.08 मिलियन को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 43.34 मिलियन को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा (मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में क्रमश: ₹ 1735.60 मिलियन और ₹ 36.56 मिलियन).).		
ख)	सहायक कंपनी OMPL के पास कुछ संविदाकार हैं जिन्होंने मूल्य समायोजना,विस्तारित स्थगल प्रतिगर, अतिरिक्त दावे आदि के बिना संविदा की पूर्णता में संशोधन चाहते हुए कंपनी पर दावे किये हैं जिन पर कंपनी द्वारा तथ्यों तथा संविदा की शर्तों के अनुसार न होने पर अभ्यापत्ति की गई है.	1,732.79	-
2	**ग्राहकों के दावे**	-	85.20
	एक ग्राहक ने अवधि से पहले संविदा बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है. कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ - हानि लेखा विवरण में नामे डाली जाएगी.		
3	**अन्य**		
क)	भूमि के लिए प्रदत्त अग्रिम और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्ता अग्रिम के अलावा मंगलूर एसईजेड लिमिटेड का दावा	20.05	20.05
ख)	सहायक कंपनी OMPL - मंगलूर एसईजेड लिमिटेड[MSEZL] ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए अंचल O&M प्रभार का दावा किया है जिस पर कंपनी द्वारा स्वीकार न करते हुए अभ्यापत्ति दर्ज की गई है.	53.08	-
कुल		**5,729.34**	**1,877.41**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम / कोर्ट से समाधान / अवार्ड मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

45.2 यथा 31 मार्च 2018 को अपील में लंबित विवादित कर/ शुल्क संबंधी मांगें

45.2.1 31 मार्च 2018 को आयकर : ₹ 2,577.93 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 4,231.68 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ 1,898.44 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 3,994.28 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत समायोजन / भुगतान किया गया है और उसे आस्तियों / देयताओं के अधीन शामिल किया गया है. **(टिप्पणी13)**

45.2.2 वाणिज्य कर : 31 मार्च 2018 को ₹ शून्य (31 मार्च 2017 करे ₹ 0.43 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ शून्य (31 मार्च 2017 को ₹ 0.21 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और उसे अन्य आस्तियों (गैर-चालू) के अधीन शामिल किया गया है. **[टिप्पणी 14].**

45.2.3 उत्पाद शुल्क : 31 मार्च 2018 को ₹ 6,280.26 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 5,962.90 मिलियन). इसके प्रति 31 मार्च 2018 को ₹ 133.13 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 130.06 मिलियन) अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और उसे अन्य आस्तियों (गैर-चालू) के अधीन शामिल किया गया है. **[टिप्पणी 14].**

45.2.4 सीमा शुल्क : 31 मार्च 2018 को ₹ 817.25 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 777.54 मिलियन).

46 प्रतिबद्धताएं

46.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं :

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए संविदा की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान (अग्रिम घटाकर) नहीं किया गया है, 31 मार्च 2018 को ₹ 10,216.14 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 3,014.81 मिलियन) है. कंपनी ने फेज IV के विस्तार के लिए 1,050 एकड भूमि के आंबटन के लिए KIADB को अनुरोध किया है. इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता लगभग ₹ 6,407.14 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,042.02 मिलियन) है.

46.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

क) रिफाइनरी एमआरपीएल के खाते लंबित प्रतिबद्धता एमआरपीएल के पास कुछ भूमि है जिसका अनंतिम रूप से माप 36.69 एकड़ है जिसे एचपीसीएल ने एमआरपीएल फेज III विस्तार और उन्नयन कार्य के सिलसिले में उपयोग करने की खातिर हस्तांतरित किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप परस्पर सहमति के आधार पर एचपीसीएल – एमआरपीएल के कब्जे में रही भूमि से अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम प्रलेखन अभी निष्पादित नहीं किया गया है.

ख) मेसर्स शेल ग्लोबल इंटरनेशनल सॉल्यूशन (मेसर्स शेज जीआईएस) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार कार्यक्रम के निमित्त लंबित प्रतिबद्धता यथा 31 मार्च 2018 को अग्रिम घटाकर USD 1.46 मिलियन (31 मार्च 2017 को अग्रिम घटाकर USD 1.46 मिलियन) है.

ग) कंपनी ने पूंजीगत माल के आयात पर ईपीसीजी लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राप्त सीमा शुल्क की रियायती दर के बाबत 31 मार्च 2018 को ₹ 496.81 मिलियन (31 मार्च 2017 को ₹ 1,313.68 मिलियन) है.

घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आयात शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ रिफॉर्मेट के गलत वर्गीकरण का तर्क देते हुए सीमाशुल्क विभाग से एक पूछतांछ के उत्तर में, समूह ने अभ्यापत्ति के तहत ₹ 2,125.25 मिलियन की राशि जमा की है जो जमा-पूर्व सीमाशुल्क में अंतर के प्रति है. चूंकि समूह द्वारा अभ्यापत्ति के तहत प्रदत्त शुल्क मूल्यांकन पूरा होने या अंतिम निर्णय आने के बाद ही प्रतिदेय या अन्यथ हो सकता है, अत. ऐसी स्थिति में कंपनी पर वास्तविक देयता, यदि कोई है, के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना व्यवहार्य नहीं है.

ङ) सहायक कंपनी OMPL ने मंगलूर एसईजेड लिमिटेड से 47 वर्ष तथा 10 महीने की अवधि के लिए 441.438 एकड़ भूमि पट्टे पर ली है. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड को देय वार्षिक पट्टा किराया ₹ 23.40 मिलियन है.

च) सहायक कंपनी OMPL ने ने मंगलूर एसईजेड लिमिटेड द्वारा 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रति दिन 3.86 मिलियन गैलन (MGD) पानी की आपूर्ति के लिए मंगलूर एसईजेड लिमिटेड और मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय करार किया है. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड को देय वार्षिक प्रभार ₹ 85.60 मिलियन है.

47 वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न उेयताओं का समाधान

नीचे दी गई तालिका नकदी तथा गैर नकदी प्रभारों दोनों सहित वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न कंपनी की देयताओं में परिवर्तन का वर्णन करती है. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताएं वे देयताएं होती हैं जिनके लिए नकदी प्रवाह या भावी नकदी प्रवाह को वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण में वर्गीकृत किया जाएगा. .

क्र सं.	विवरण	01/04/2017 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2018 को अंतिम शेष
I	**दीर्घावधि उधार :**				
	1 बाह्य बाणिज्यिक उधार (ECB)	53,731.46	(15,473.20)	337.80	38,596.06
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	2,500.00	(1,750.00)	-	750.00
	3 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	24,991.90	-	3.89	24,995.79
	4 आस्थगित भुगतान देयताएं – वैट ऋण	-	485.53	(316.29)	169.24
	5 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ONGC)	25,714.10	(6,857.20)	-	18,856.90
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं – CST	1,145.17	(526.54)	-	618,63
	7 विदेशी मुद्रा मीयादी ऋण (FCTL)	-	2,570.16	37.04	2,607.20
	कुल	**1,08,082.63**	**(21,551.25)**	**62.44**	**86,593.82**

क्र सं.	विवरण	01/04/2017 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2018 को अंतिम शेष
II	**उधार – अल्पावधि :**				
	1 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	6,471.24	(4,183.37)	1.89	2,289.76
	2 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	12,971.00	28,562.01	833.99	42,367.00
	3 वाणिज्यिक पत्र	27,244.05	(27,244.05)	-	-
	4 क्रेता ऋण एवं पोतलदान पूर्व / पश्चात ऋण	-	14,216.64	122.96	14,339.60
	5 अल्पावधि मीयादी ऋण	-	3,620.00	-	3,620.00
	कुल	**46,686.29**	**14,971.23**	**958.84**	**62,616.36**

क्र सं.	विवरण	01/04/2016 को प्रारंभिक शेष	नकदी प्रवाह का वित्तपोषण	गैर-नकदी परिवर्तन	31/03/2017 को अंतिम शेष
I	**उधार – दीर्घावधि :**				
	1 बाह्य बाणिज्यिक उधार (ECB)	61,156.93	(6,477.07)	(948.40)	53,731.46
	2 तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) से ऋण	5,250.00	(2,750.00)	-	2,500.00
	3 रुपया मीयादी ऋण	326.51	(326.51)	-	-
	4 अपरिवर्तनीय डिबेंचर	4,994.46	19,993.93	3.51	24,991.90
	5 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ONGC)	32,571.30	(6,857.20)	-	25,714.10
	6 आस्थगित भुगतान देयताएं – CST	1,603.34	(458.17)	-	1,145.17
	कुल	**1,05,902.54**	**3,124.98**	**(944.89)**	**1,08,082.63**
II	**उधार – अल्पावधि**				
	1 बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	57.46	6,425.16	(11.38)	6,471.24
	2 बैंकों से अल्पावधि ऋण	19,244.40	(19,244.40)	-	-
	3 वाणिज्यिक पत्र	18,747.32	8,496.73	-	27,244.05
	4 विदेशी मुद्रा अप्रत्यावर्तनीय ऋण (FCNR)	-	13,318.18	(347.18)	12,971.00
	कुल	**38,049.18**	**8,995.67**	**(358.56)**	**46,686.29**

नकदी प्रवाह बैंक ऋण, संबंधित पक्षकारों से ऋण और अन्य उधार राशियां नकदी प्रवाह विवरण में उधारराशियां तथा उधारराशियों की चुकौती से आय की निवल राशि है.

48 कंपनी स्टॉक , संपत्ति, भवन, उपकरण और पूंजीगत भंडार का चरणवद्ध तरीक से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें कुल अवधि के सभी मदों को इसके दायरे में लाया जाता है. समायोजन में कोई अंतर होने पर उसे समाधान पूरा होने के बाद पूरा किया जाता है.

सहायक कंपनी OMPL संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और पूंजीगत भंडार का चरणवद्ध तरीक से प्रत्यक्ष सत्यापन करने की एक आवधिक प्रणाली अपनाती है जिसमें 3 वर्ष की अवधि में सभी मदें कवर हो जाती हैं. समायोजन में कोई अंतर होने पर उसे समाधान पूरा होने के बाद पूरा किया जाता है

49 कपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई ठेके नहीं हैं जिनके कारण किसी महत्वपूर्ण हानि का पूर्वाभास हो.

50 व्यापार और प्राप्य राशियों, देय व्यापार और अन्य राशियों और ऋणों की कुछ राशियों का पुष्टीकरण / समाधान नहीं किया गया है. पुष्टीकरण मिलने / समाधान होने पर कोई समायोजन करना पड़े तो उसे किया जाएगा जिसका कोई खास असर नहीं होगा.

51 सहायक कंपनी OMPL के वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए जाते हैं , यद्यपि कंपनी को चालू वर्ष सहित विगत वर्षों में हानि उठानी पड़ी है और निवल मालियम में कमी आयी है क्योंकि कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि प्रचालन जारी रखने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न होगी और निम्नलिखित आधार पर अपने सभी दायित्वों तथा देयताओं को पूरा कर सकेगी :-

कंपनी एक नई परियोजना है और संयंत्र के कम क्षमता उपयोग तथा स्थिरीकरण के कारण उसे हानि हुई है. प्रबंधन ने निकट भविष्य में इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.

कंपनी ने देशी बाजारों में अपनी बिक्री बढ़ाने की योजना बनाई है जिसका निर्यात बिक्री की तुलना में उच्चतर योगदान है जिसके लिए कुछ पक्के प्रतिबद्धता करार किए गए हैं.

कंपनी प्रवर्तकों से जोरदार समर्थन के साथ वित्तीय बाजारों में कदम रखने की कंपनी की क्षमता के आधार पर समय पर अपने सभी ऋण तथा ब्याज दायित्वों को पूरा करने में समर्थ होगी.

प्रशासनिक मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त होने के बाद कंपनी के उसकी नियंत्रक कंपनी एमआरपीएल के साथ समामेलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

52 बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदनों के अधीन मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में सहासक कंपनी ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समामेलन की सहमति दे दी है. कंपनी को प्रारंभिक चरण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 18 अप्रैल 2018 के उसके पत्र के जरिए ''अनापत्ति'' मिल गई है.

53 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कोष्ठकों मे दिए गए आंकड़े पिछले वर्षों से संबंधित हैं. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहित किया गया है.

54 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

ये वित्तीय विवरण 15 मई 2018 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने की खातिर अनुमोदित किये गये.

दस वर्ष के कार्य-निष्पादन की एक झलक

	Ind AS	Ind AS	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP	IGAAP
	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)	(₹ मिलियन में)
	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
हमारी देयताएं										
शेयर पूंजी	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,572.57	17,618.50	17,618.50	17,618.31
आरक्षित निधि	92,804.09	83,178.11	46,677.80	35,522.95	53,162.08	47,150.26	54,719.37	47,670.51	38,347.02	29,675.68
निवल मालियत	**110,330.73**	**100,704.75**	**64,204.44**	**53,049.59**	**70,688.72**	**64,676.90**	**72,291.94**	**65,289.01**	**55,965.52**	**47,293.99**
उधार राशियां	79,501.65	85,409.61	81,028.40	90,324.65	97,927.21	75,576.54	61,831.10	15,569.75	16,963.97	19,868.04
आस्थपगित कर देयता / (आस्ति)	9,061.70	4,766.63	806.31	-	4,702.69	7,343.28	4,531.40	3,471.64	6,602.22	5,685.53
कुल	**198,894.08**	**190,880.99**	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**
हमारी स्वायधिकृत पूंजी										
अचल आस्तियां (पूंजी WIP सहित)	167,426.17	157,688.90	226,935.30	223,190.91	208,025.23	188,929.44	161,134.49	130,871.85	92,954.50	78,390.04
घटाएं : मूल्यिह्रास	20,445.65	13,884.30	75,889.89	68,323.33	62,595.55	55,578.31	49,644.32	45,301.36	41,428.08	37,661.38
	146,980.52	143,804.60	151,045.41	154,867.58	145,429.68	133,351.13	111,490.17	85,570.49	51,526.42	40,728.66
निवेश	13,496.42	13,496.42	13,496.73	13,496.73	150.02	150.02	422.80	948.25	16,236.62	6,428.93
अन्यश निवल चालू तथा गैर-चालू आस्तिPयां	38,417.14	33,579.97	(18,502.99)	(24,990.07)	27,738.92	14,095.57	26,741.47	(2,188.34)	11,768.67	25,689.97
कुल	**198,894.08**	**190,880.99**	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**
आय										
बिक्री (उत्पा द शुल्कि घटाकर)	484,340.12	431,924.35	396,320.40	574,381.45	718,104.96	656,915.16	537,633.43	389,566.73	318,851.74	382,437.41
अन्यर आय	2,211.39	4,386.38	8,725.24	8,101.56	3,244.67	1,160.36	3,543.09	2,171.83	2,915.12	1,866.41
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : हानि / (अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-	-	184.48	3,903.97	-
स्टॉमक में वृद्धि / (कमी)	7,667.19	2,883.03	(6,831.66)	(18,861.34)	6,740.75	11,161.53	1,502.05	8,152.71	2,958.77	(5,968.56)
कुल	**494,218.70**	**439,193.76**	**398,213.98**	**563,621.67**	**728,090.38**	**669,237.05**	**542,678.57**	**400,075.75**	**328,629.60**	**378,335.26**
व्यय										
कच्चा माल	432,481.63	374,887.61	346,504.26	558,860.55	707,406.32	654,001.82	512,367.50	372,193.37	302,308.74	345,127.66
स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल)	1,141.16	(675.16)	1,588.96	916.85	199.63	217.99	(606.16)	647.77	894.23	559.01
वेतन और अन्य खर्च	4,173.45	3,520.06	3,061.41	2,407.42	2,154.74	1,845.60	1,606.42	1,845.35	958.95	1,130.30
विनिमय घट-बढ़ (निवल) : हानि	(128.43)	(15,379.74)	11,902.67	6,835.01	19.03	5,364.91	6,482.20	-	-	6,104.96
अन्य खर्च	11,926.07	9,575.86	10,519.18	7,103.78	3,935.12	3,245.56	3,221.08	3,056.42	2,500.98	2,039.09
ब्याज	4,404.57	5,171.74	5,778.35	4,070.88	3,214.41	3,285.53	2,066.77	1,043.73	1,154.98	1,434.51
मूल्यह्रास	6,713.21	6,779.19	7,124.05	4,986.10	7,064.17	6,044.10	4,338.73	3,914.19	3,893.27	3,823.16
कुल	**460,711.66**	**383,879.56**	**386,478.88**	**585,180.59**	**723,993.42**	**674,005.51**	**529,476.54**	**382,700.83**	**311,711.15**	**360,218.69**
कर पूर्व लाभ	33,507.04	55,314.20	11,735.10	(21,558.92)	4,096.96	(4,768.46)	13,202.03	17,374.92	16,918.45	18,116.57
कराधान हेतु प्रावधान	11,265.81	18,877.33	253.51	(4,436.58)	(1,914.86)	2,800.65	4,116.25	5,608.59	5,794.68	6,191.13
कर पश्चात् लाभ	**22,241.23**	**36,436.87**	**11,481.59**	**(17,122.34)**	**6,011.82**	**(7,569.11)**	**9,085.78**	**11,766.33**	**11,123.77**	**11,925.44**
कुल व्यापक आय	**22,274.43**	**36,386.53**								
लाभांश (टिप्पणी देखें)	5,257.80	10,515.59	-	-	-	-	1,752.60	2,103.13	2,103.13	2,103.49
लाभांश वितरण कर	1,080.76	2,140.73	-	-	-	-	284.32	341.18	349.30	357.49
जीआरएम ($/bbl)	7.54	7.75	5.20	(0.64)	2.67	2.45	5.60	5.90	4.58	6.56

(जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुन:समूहित तथा पुन:व्यवस्थित किया गया है)

टिप्पणी : वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल ने AGM में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ रु. 3 प्रति शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है. जिसे Ind AS के अनुसार भुगतान आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा.

तीन वर्ष के कार्य-निष्पादन की एक झलक

	($ मिलियन में)	($ मिलियन में)	($ मिलियन में)
	2017-18	2016-17	2015-16
हमारी देयताएं			
शेयर पूंजी	268.90	270.26	267.77
आरक्षित निधि	1,423.81	1,282.63	713.14
निवल मालियत	**1,692.71**	**1,552.89**	**980.91**
उधार राशियां	1,219.72	1,317.03	1,237.95
आस्थगित कर देयता	139.03	73.50	12.32
कुल	**3,051.46**	**2,943.42**	**2,231.18**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी			
अचल आस्तियां (पूंजी WIP सहित)	2,568.67	2,431.59	3,467.10
घटाएं : मूल्यह्रास	313.68	214.10	1,159.44
	2,254.99	2,217.49	2,307.66
निवेश	207.06	208.12	206.20
निवल चालू आस्तियां	589.41	517.81	(282.68)
कुल	**3,051.46**	**2,943.42**	**2,231.18**
आय			
बिक्री (उत्पाद शुल्क घटाकर)	7,513.81	6,438.94	5,981.74
अन्य आय	34.31	65.39	131.69
स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	118.94	42.98	(103.11)
कुल	**7,667.06**	**6,547.31**	**6,010.32**
व्यय			
कच्चा माल	6,709.30	5,588.66	5,229.86
स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल)	17.70	(10.06)	23.98
वेतन एवं अन्य खर्च	64.74	52.48	46.21
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : हानि / (अभिलाभ)	(1.99)	(229.27)	179.65
अन्य खर्च	185.02	142.75	158.77
ब्याज	68.33	77.10	87.21
मूल्यह्रास	104.15	101.06	107.52
कुल	**7,147.25**	**5,722.72**	**5,833.20**
कर पूर्व लाभ	**519.81**	**824.59**	**177.12**
कराधान के लिए प्रावधान	174.77	281.42	3.83
कर-पश्चात् लाभ	**345.04**	**543.17**	**173.29**
Ind AS के अनुसार कुल व्यापक आय	**345.55**	**542.43**	**-**
लाभांश (टिप्पणी देखें)	81.57	156.76	-
लाभांश वितरण कर	16.77	31.91	-
GRM ($/bbl)	7.54	7.75	5.20

(जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुन:समूहित तथा पुन:व्यवस्थित किया गया है)

टिप्पणी : वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल ने AGM में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ रु. 3 प्रति शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है. जिसे Ind AS के अनुसार भुगतान आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा.

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

एमआरपीएल प्रदर्शन

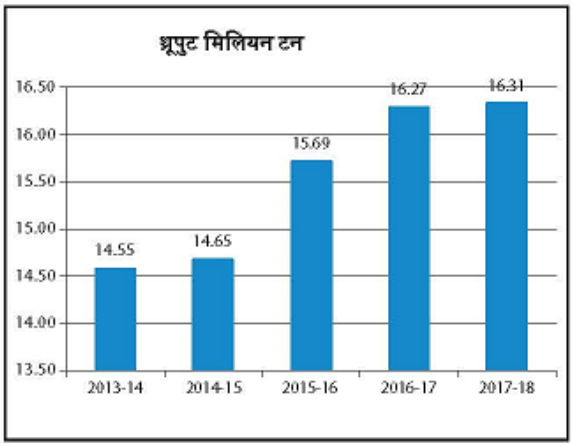

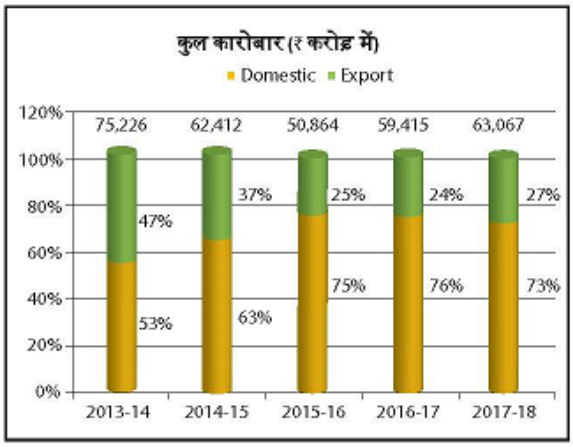

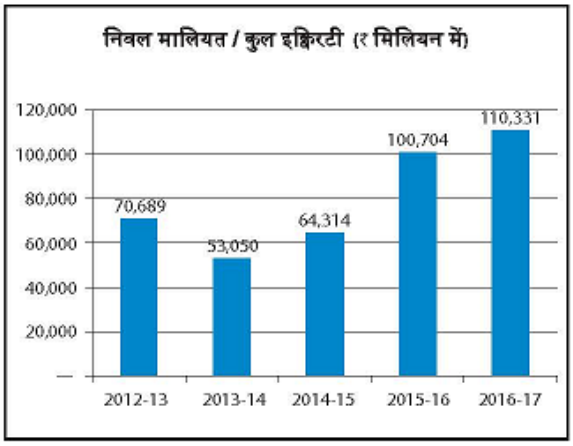

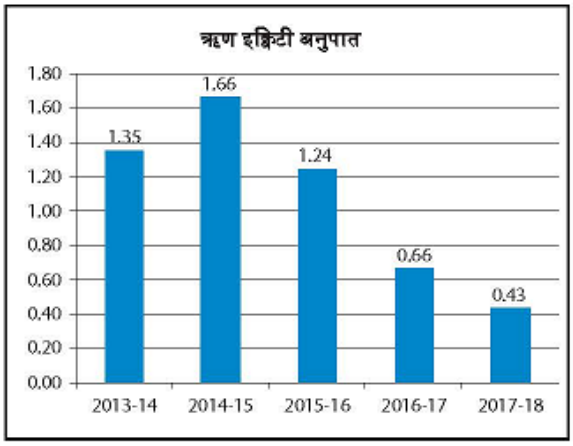

बुक - पोस्ट

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई- 400 083
दूरभाष.: 022-49186270 फैक्स सं.: 022-49186060
ईमेल: mrplirc@linkintime.co.in

www.mrpl.co.in

www.sapprints.com